अष्टम माला, खंड 12, अंक 22

बुधवार, 18 दिसम्बर, 1985
27 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद–विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)



(खंड 12 में अंक 21 से 24 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अंक 22, बुधवार, 18 दिसम्बर, 1985/27 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 429 से 431, 434 से 436, 438, 440, 442 और 443	1—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 432, 433, 437, 439, 441 और 444 से 448	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4477 से 4590, 4592 से 4597, 4599 से 4639 और 4639क, 4639ख, 4639ग,	32—150
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	150—154
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	154—162
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
दसवां प्रतिवेदन	162
प्राक्कलन समिति	
बीसवां प्रतिवेदन	163
लोक लेखा समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	163
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	164
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
छठा प्रतिवेदन	164
सदस्य का निलंबन	164

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	164—176
शिक्षकों की सेवा-शर्तों के सुधारने के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच हुए समझौते को कार्यान्वित न किये जाने के परिणामस्वरूप शिक्षक में असंतोष का समाचार	164
श्री अजित कुमार साहा	164
श्रीमती सुशीला रोहतगी	164
श्री एम० रघुमा रेड्डी	168
श्री अनिल बसु	168
श्री रेणुपद दास	169
श्री बसुदेव आचार्य	171
श्री पी० वी० नरसिंह राव	172
नियम 377 के अधीन मामले	176—180
(एक) मध्यप्रदेश में मैनपुर रेल जंक्शन पर मंडल कार्यालय पुनः स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री एम० एल० शिकराम	176
(दो) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद स्थित दूरदर्शन केन्द्र की रिले क्षमता बढ़ाने और फैजाबाद जिले में दूसरा दूरदर्शन केन्द्र अकबरपुर नगर में स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे सुमन	177
(तीन) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में आवश्यक संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता	
श्री के० कुन्जम्बु	178
(चार) राजस्थान में अलवर में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह यादव	178
(पांच) राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा करों के उद्ग्रहण में समानता लाने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	178
(छह) किसान अपने धान को समर्थन मूल्य पर बेच सकें इस हेतु उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में और अधिक क्रय केन्द्र खोलने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे पनिका	179

विषय	पृष्ठ
(सात) अन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिले कुडप्पा में उपलब्ध अधिक कैलशियम वाले चूना-पत्थर का उपयोग करने के लिए वहां कागज का एक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री डी० एन० रेड्डी	179
(आठ) परिष्कृत चीनी की बजाय अपरिकृत चीनी का आयात करने और उसे देश में ही पुनः संसाधित करने की मांग	
श्री रेणुपद दास	180
बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक	180—210
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	180
श्री सी० माधव रेड्डी	183
डा० गौरीशंकर राजहंस	187
डा० सुधीर राय	190
श्री गिरधारी लाल व्यास	191
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	195
श्री नारायण चौबे	196
श्री सी० जंगा रेड्डी	201
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	204
खण्ड 2 से 18 और 1 पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	211
सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक	
सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) ;	
और	
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक	211—223
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	211
श्री चम्पन थामस	216
श्री रेणुपद दास	217
श्री विजय कुमार यादव	219
श्री काली प्रसाद पांडेय	219

विषय	पृष्ठ
सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक	
खण्ड 2 से 14 और 1	
पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	222
सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक	
खंड 2 और 1	
पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	222
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक	
खंड 2 से 8 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	222
सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 के बारे में प्रस्ताव	224—265
श्री आनन्द गजपति राजू	224
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	227
श्री डी० पी० यादव	230
श्री सोमनाथ रथ	233
श्री सैफुद्दीन चौधरी	235
डा० के० जी० अदियोडी	240
श्री ब्रह्मदत्त	241
श्री गिरधारी लाल डोगरा	245
श्री वाई० एस० महाजन	247
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	248
श्री राजीव गांधी	253
आधे घंटे की चर्चा	265—270
कपास को विवश बिक्री को रोकने के उपाय	
श्री सुरेश कुरुप	265
श्री खुर्शीद आलम खां	267

लोक सभा

बुधवार, 18 दिसम्बर, 1985/27 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 12 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आ गए प्रोफेसर साहब ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह अपने साथ 3 अन्य सदस्यों को सदन में लाये हैं और अपने दल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : प्रोफेसर साहब के० के० तिवारी जी को लेकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : लगता है ये दोनों सलाह कर के आए हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : तिवारी जी एक नया आरोप लेकर आए हैं।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अर्जुन सिंह (दक्षिण दिल्ली)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें अब पुनः मन्त्री के रूप में शपथ दिलाई जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, उन्होंने अनेक शपथ ली हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पनडुब्बियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता

*429. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनडुब्बियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विशेष भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) पनडुब्बी शाखा के नौसेना अफसरों और नाविकों को :—

(1) कमान्डर तक के रैंक वालों को जनरल शाखा से लगभग 10 प्रतिशत अधिक उच्चतर वेतन दिया जाता है ; और

(2) प्रतिमाह 250 रु० से लेकर 550 रु० तक का पनडुब्बी वेतन दिया जाता है लेकिन पनडुब्बी शाखा में नियुक्त श्रेणी-2 से श्रेणी-1 के कारीगरों (आर्टीफिसरों) को पनडुब्बी वेतन और उच्चतर वेतन के बदले प्रतिमाह 50 रु० विशेष भत्ता दिया जाता है ।

(ख) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचों पर चतुर्थ वेतन आयोग विचार कर रहा है ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : पनडुब्बियों में काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन बहुत अधिक दुर्वाह और कठिन है । बहुत ही छोटे से आवास गृह में बहुत अधिक लोगों को रहना पड़ता है । केवल वह ही ऐसा स्थान है जहां एक छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। इन कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनके वेतन में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि करने पर विचार करेगी ? अन्य देशों में भी पनडुब्बियों में काम करने वाले लोगों को 20 प्रतिशत अधिक वेतन मिलता है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार इन लोगों को हो रही विशेष कठिनाइयों के कारण इनके वेतन में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि करेगी ।

प्रो० एन० जी० रंगा : बीस प्रतिशत वृद्धि बहुत ही कम है ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : लेकिन मन्त्री महोदय ने तो केवल 50 रुपए ही बताए हैं ।

श्री अरुण सिंह : माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया गया है । यह मामला चौथे वेतन आयोग के समक्ष है । नौसेना का सुझाव भी वेतन आयोग के समक्ष है ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें बहुत लम्बे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा करनी होती है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि हिन्द महासागर भारत के हितों के प्रति हानिकारक हो गया है, और हिन्द महासागर में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय पनडुब्बियां कार्य कर रही हैं, क्या सरकार हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र तथा हिन्द महासागर में पनडुब्बियों की संख्या में वृद्धि करेगी ?

श्री अरुण सिंह : यह मामला सरकार के विचाराधीन है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी

बेड़ का विस्तार किया जा रहा है। पनडुब्बियां भारत में ही बनाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। नौसेना हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र में तथा हिन्द महासागर में अपने दायित्व के प्रति जागरुक है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : सदरे मोहतरम, जैसा कि नेवी के लिए मन्त्री जी ने कहा है, आर्म्ड कोर वह दस्ता है, जो मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे आगे आता है लेकिन वह अभी ग्रुप 'डो' में है तो क्या मन्त्री जी आर्म्ड कोर को ग्रुप 'ए' में लाने के लिए विचार कर रहे हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री अवध सिंह : इस प्रश्न का पनडुब्बियों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तर्कसंगत नहीं है।

जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाओं की अपर्याप्तता

+

*430. **डा० कृपा सिन्धु भोई** :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में, विशेष रूप से जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रावास की सुविधाएं बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में कम लागत के और अधिक छात्रावासों का निर्माण करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) सातवीं योजना में उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या रखे गये हैं ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) सरकार को मालूम है कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाओं की पर्याप्तता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कम लागत के छात्रावास बनाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। किन्तु राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी योजना बना सकतीं हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : यह विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है। मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का सीधे "नहीं" में उत्तर देने के बजाए उत्तर का विस्तार किया है जो "नहीं" में समाप्त होता है। क्या मन्त्री महोदया को यह जानकारी है कि प्राथमिक स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने

वाले कुल छात्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की प्रतिशतता 70 से भी अधिक है। यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मन्त्री महोदया ने इस मामले की जांच की है अथवा क्या वे इसकी जांच करेंगी ?

19 नवम्बर को वित्त मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए अनेक मामलों में कतिपय रियायतें देने की घोषणा की है। लेकिन इनका मंत्रालय कोई उचित कदम नहीं उठा रहा है क्योंकि सामान्य स्कूलों और आश्रम तथा सेवाश्रम स्कूलों के बीच भेद भाव है। सामान्य स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का तो प्रावधान है लेकिन आश्रम और सेवाश्रम स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या मन्त्री महोदया समाज के निर्बल वर्गों के लिए छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी प्रावधान करने का विचार कर रही है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : प्रश्न जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाओं के बारे में है। किन्तु, माननीय सदस्य ने जनजातीय शिक्षा तथा अन्य बातों के बारे में सामान्य प्रश्न किया है। सरकार ने यह छात्रावास की योजना छठी योजनावधि में आरम्भ की है। सातवीं योजना के दौरान भी हम छात्रावास, आश्रम स्कूलों तथा अन्य स्कूलों की ओर ध्यान दे रहे हैं। हम यह महसूस करते हैं कि आदिवासी छात्रों और बालकों को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि करनी होगी। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री कृपा सिंधु भोई : मेरा प्रश्न इससे भिन्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों से ऐसे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि राज्यों के बजट में योजना क्षेत्र में संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ये राज्य उक्त योजना के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ? क्या विभिन्न राज्यों से ऐसा कोई स्पष्ट ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : प्रश्न उड़ीसा में छात्रावास की सुविधाओं के सम्बन्ध में है। ऐसा नहीं है कि मुझे सभी राज्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। लेकिन जनजातीय बालकों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

श्री अरविन्द नेताम : महोदय, मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करेंगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : यह हमारी योजना है और हम बालिकाओं के लिए यह सुविधा बढ़ा रहे हैं। मैं सदन को यही बताना चाहती हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम यह सुविधा बढ़ा रहे हैं। सभी राज्यों में हमने इस सुविधा को बढ़ाया है।

श्री वसुदेव आचार्य : जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावासों की संख्या बहुत कम है।

इसीलिए जनजातीय लोगों में साक्षरता की प्रतिशतता बहुत ही कम है। मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जनजातीय बालकों और बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रत्येक समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम ब्लाक में जनजातीय छात्राओं के लिए आश्रम प्रकार के स्कूल और छात्रावास बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं इसमें वृद्धि करने के प्रस्ताव हैं। आंकड़ों से पता चलेगा कि आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1983-84 में 30 छात्रावास थे और उनमें 2400 छात्र थे। अब 36 छात्रावासों में 3700 छात्र हैं। असम में छात्रावासों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। बिहार में छात्रावासों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। गुजरात में यह संख्या 132 से बढ़कर 140 हो गई है और कर्नाटक में छात्रों की संख्या 180 से बढ़कर 250 हो गई है और छात्रावास 2 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं। केरल में छात्रावासों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है और मेघालय में 8 से बढ़ाकर 10 छात्रावास कर दिए गए हैं। मनीपुर मे···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे समापटल पर रख दें।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हम इन सभी में वृद्धि कर रहे हैं तथा और अधिक आश्रम प्रकार के स्कूल बनाने को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम ब्लाक को भी इसमें शामिल किया जाएगा ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जी, हां। हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, जनजातीय उत्थान में छात्रावासों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। गत 50 वर्षों में अनेक विश्राम गृह, सिंचाई बंगले, लोक निर्माण विभाग के बंगले और डाक बंगले बने हैं जिनका उपयोग वर्ष भर में केवल 3 दिन के लिए भी नहीं किया जाता है। यहां प्रश्न छात्रावासों के निर्माण के बारे में है। मैंने अपने राज्य, मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर जांच की है कि राज्य में ऐसे 400 बंगले हैं जो वर्ष भर में 3 दिन से अधिक प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। अत: केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह निदेश क्यों नहीं देती कि इन बंगलों को आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास में बदल दिए जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, इनसे पूछिए कि क्या ये लोग अपने स्थानों से दूर नहीं हो जाएंगे।

श्री कमल नाथ : बंगले हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। डाक बंगले हैं ..

(व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जी हां; जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में छात्रावासों की संख्या बढ़ाकर हम इस समस्या को हल कर रहे हैं। यह बंगलों की बात नहीं है

श्री कमल नाथ : उन्हें छात्रावासों में बदला जाना चाहिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इन बंगलों को छात्रावासों में बदलने से सहायता नहीं मिलेगी। इन ब्लाकों को इससे कोई लाभ नहीं होगा।

दिल्ली में स्वापक और मादक औषधों की अवैध बिक्री

*431. **श्री प्रताप राव जी० भोसले** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले छः महीनों के दौरान स्वापक और मादक औषधों की अवैध बिक्री के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ख) जब्त की गई औषधों की मात्रा कितनी है और वे कितने मूल्य की है;

(ग) क्या ऐसे भी कोई मामले पता चले है जिनमें पुलिस की सांठ गांठ पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा जून, 1985 से नवम्बर, 1985 तक स्वापक और मादक औषधों की अवैध बिक्री के दर्ज किए गए मामले तथा उनकी मात्रा और मूल्य विवरण में तालिकाबद्ध किए गए हैं जो सभापटल पर रखे जाते हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

जून 1985 से नवम्बर, 1985 तक स्वापक तथा मादक औषधों की अवैध बिक्री के दर्ज किए गए मामले तथा जब्त की गई मात्रा और उसका मूल्य।

	सूचित मामले	जब्त की गई मात्रा (कि० ग्राम में)	मूल्य (रुपए)
1. हिरोइन	151	11,812	9,19,178·00
2. स्मैक	392	6,915	2,71,912.00
3. चरस/गांजा/पोस्त/भांग	454	18,98,462	11,72,437·00
4. अफीम	102	51,220	1,37,306·00

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे ? नहीं।

श्री डी० एम० रेड्डी : महोदय, क्या सरकार को दिल्ली तथा अन्य बड़े नगरों में विदेशी सहायता के कारण बढ़ती हुई मादक औषध प्रवृत्ति की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान कानून से अधिक सख्त कानून बनाएगी जिससे यह घृणित व्यापार न्यूनतम किया जा सके।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि समस्त विश्व में औषध का अवैध व्यापार चल रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मादक औषधी को पहुंचाने में भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कारण सदन के पिछले सत्र में हमने एक कानून बनाया था और संगत उपबन्धों को और सख्त बनाया था।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाटी : मैं यह जानना चाहता हूं कि नरकोटिक औषध जो आते हैं वे बाहर से कहां से आते हैं और इनको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि किस जगह से आती हैं। ये अलग-अलग जगहों से इस देश के अन्दर आती हैं और दूसरे देशों को भेजने के लिए खास तौर से इनका इस्तेमाल होता है लेकिन वर्तमान में यहां पर नरकोटिक्स का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है, यह जानकारी गवर्नमेंट के पास है।

[अनुवाद]

पोलिएस्टर उद्योग के लिए कच्चे माल के बारे में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की सलाह

*434. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयागशाला ने हाल में इस आशय की लिखित सलाह दी है कि पोलिएस्टर उद्योग के लिए डी० एम० टी० और पी० टी० ए० अन्तः परिवर्तनीय कच्चे माल हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशाला ने यह सलाह किस मन्त्रालय/प्रतिष्ठान के अनुरोध पर दी हैं ;

(ग) इस प्रकार के अनुरोधों के लिए सामान्य तौर पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) क्या उक्त मामलों में इसका अनुपालन किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और इस मामले में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। यह सुविदित तथ्य है कि डी० एम० टी० या पी० टी० ए० में से किसी को भी पोलिएस्टर के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री संयंत्र की डिजाइन पर निर्भर करती है। कम्पनियों को विनिमयशीलता सम्बन्धी जन स्रोतों से प्राप्त सूचना उनकी पूछ-ताछ पर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन०सी०एल०) के एक वैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई है।

(ख) यह सूचना दो कम्पनियों द्वारा उल्लेख किए जाने पर एन० सी० एल० के एक वैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई है। किसी मन्त्रालय द्वारा एन०सी०एल० को इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) यदि सुविदित प्रकाशित स्रोतों से पूछताछ का उत्तर दिया जा सकता है तो आवश्यक सूचना दी जा सकती है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : महोदय, मैं माननीय मंत्री का बहुत आदर करता हूं और मुझे उनसे बहुत स्नेह है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और था और उत्तर बिल्कुल भिन्न है। प्रश्न यह था कि क्या डी० एम० टी० और पी० टी० ए० अन्तःपरिवर्तनीय हैं। प्रश्न यह नहीं था कि क्या वे एक दूसरे के विकल्प हैं। आप मुझसे सहमत होंगे कि ये दो भिन्न हैं हर कोई जानता है। इस प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया गया है जिससे कुछ शकाएं उत्पन्न होती हैं।

अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह राय दी गई थी अथवा क्या अन्य मंत्रालय ने भिन्न उत्तर दिया था। उक्त मंत्रालय ने इस बारे में पूर्णतया इंकार किया है। अभी दिये गए उत्तर में आंशिक सच्चाई दीखती हैं।

चूंकि यह बहुत आवश्यक मामला है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह राय भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा प्रतिष्ठान अथवा अन्य कहीं से सीधे पूछताछ के परिणाम स्वरूप दी गई थी। अतः क्या वे इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरा उत्तर विशिष्ट और स्पष्ट है। प्रश्न दो विषयों के बारे में थे। एक प्रश्न राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा दी जाने वाली राय से सम्बन्धित था और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में था।

जहां तक सलाह दिए जाने का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में अपने उत्तर में पूर्णतया स्पष्ट कर चुका हूं कि किसी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला से

कोई पूछताछ नहीं की गई थी। पूछताछ दो कम्पनियों ने की थी और उत्तर एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। उत्तर एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था क्योंकि इस प्रकार की सामग्री सार्वजनिक साहित्य में उपलब्ध होती है। यह कोई गोपनीय बात नहीं है। यह एक रासायनिक सच्चाई है और इसलिए उत्तर दिया गया था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या यह अन्त:परिवर्तनीय है अथवा विकल्प है आपने इस बारे में उत्तर नहीं दिया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं रासायनिक प्रक्रिया के बारे में बता चुका हूं। डी० एम० टी० और पी० टी० ए०... (व्यवधान)

श्री० के० पी० उन्नीकृष्णन् : प्रश्न वह नहीं है जिसका आप उत्तर दे रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे इस बारे में स्पष्टीकरण देने दीजिए क्योंकि यह वैज्ञानिक और रसायन से सम्बन्धित मामला है। डी० एम० टी० एक ऐसा पदार्थ है जिसका पोलिएस्टर के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जब डी० एम० टी० का प्रयोग किया जाता है तो मैथेनोज कल इथोल का प्रयोग किया जाता है और अन्तिम उत्पाद मैथेन और पोलिएस्टर होता है। इसके लिए एक विभिन्न प्रकार की जड़ का प्रयोग किया जाता है। यदि पी० टी० ए० का प्रयोग किया जाता है तो अन्तिम उत्पाद केवल जल होता है। लेकिन पी० टी० ए० का अम्लीय स्वभाव है। जब इस सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो संयंत्र में पदार्थ के, जिसे संयंत्र में डाला जाता है, अम्लीय स्वभाव को खींचने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है और इसलिए यहां-वहां मामूली परिवर्तन करके दोनों संयंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। उक्त रासायनिक सच्चाई का सदन् में उल्लेख करना मैं अपेक्षित नहीं समझता था।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) माननीय सदस्य 'अन्त: परिवर्तनीय शब्द के बारे में बाल की खाल निकाल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा:...

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे दु:ख है कि प्रधान मंत्री बाल की खाल निकालने की बात कर रहे हैं...

श्री राजीव गांधी : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न तैयार किया है वह स्पष्ट नहीं है। प्रश्न यह पूछा गया है कि "पोलिएस्टर उद्योग के लिए अन्त:-परिवर्तनीय कच्चे माल"। हां वे अन्त:परिवर्तनीय हैं। यदि उन्होंने विशिष्ट रूप से यह पूछा होता कि वह इस प्रक्रिया में अन्त:परिवर्तनीय हैं, तो इसका वही उत्तर होता जो माननीय मंत्री ने अभी दिया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं उन प्रयोगशालाओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि मुझे समझाने के लिए यहां कक्षा लगानी पड़ेगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यह वैज्ञानिक फोरम होना चाहिए। यह बहुत अच्छा सुझाव है। प्रश्न यह है कि क्या इन प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया जा सकता है—हवाला प्राप्त करना एक बात हुई—और इन प्रयोगशालाओं ने गैर-सरकारी व्यक्तियों को गैर-सरकारी सलाह देने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की हुई है अथवा क्या सलाह केवल सरकारी प्रतिष्ठानों और मंत्रालयों और विभागों को ही दी जाती है। इस बारे में प्रक्रिया क्या है ? क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इन सब प्रयोगशालाओं का उद्देश्य उद्योग की सहायता करना है और जब कभी सलाह मांगी जाती है और यदि वह सलाह अथवा राय सार्वजनिक साहित्य में, जो स्वतंत्र रूप से सबको उपलब्ध है, उपलब्ध है, तो जानकारी ग्रंथालय से भी दी जाती है, अथवा यदि यह जानकारी एक वैज्ञानिक से मांगी जाती है और यदि वह प्रकाशित रूप में उपलब्ध होती है, गोपनीय नहीं होती है, तो सलाह अथवा राय वैज्ञानिक द्वारा भी दी जा सकती है। लेकिन यदि सलाह मंत्रालय द्वारा मांगी जाती है, तो राय अथवा सलाह स्वयं निदेशक, प्रयोगशाला के निदेशक को देनी होती है, वैज्ञानिक को नहीं। निदेशक को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या प्रयोगशाला द्वारा मंत्रालय को दी गई राय अथवा सलाह सही है अथवा नहीं। यदि वह गोपनीय प्रवृत्ति की होती है, तो कुछ मामले में, राय अथवा सलाह केवल निदेशक द्वारा नहीं दी जाती बल्कि कभी-कभी उक्त मामला महानिदेशक को सौंपा जाता है और महानिदेशक इसकी जांच करता है और तब जानकारी दी जाती है। ऐसी प्रक्रिया है। इस मामले में चूंकि जानकारी सार्वजनिक दस्तावेजों में उपलब्ध प्रारम्भिक प्रवृत्ति की है, यह एक वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना

+

435. श्री अमर राय प्रधान :

श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कुल कितने रक्षा कर्मचारी सेवानिवृत हुए और उनमें से कितने व्यक्तियों को फिर से रोजगार पर लगाया गया ;

(ख) क्या फिर से रोजगार पर लगाये गये भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिशतता विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है ; और

(ग) यदि हां, तो जिन राज्यों में यह प्रतिशतता कम है, वहां पर भूतपूर्व सैनिकों को अधिक संख्या में फिर से रोजगार देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए रक्षा कार्मिकों की संख्या परिशिष्ट "क" में दी गयी है। रक्षा सेवाओं के जिन भूतपूर्व कार्मिकों को (जो कार्मिक जल्दी सेवानिवृत्त हो गए थे उन्हें मिलाकर) पिछले तीन वर्षों में फिर से रोजगार मिला है उनके बारे में उपलब्ध सूचना परिशिष्ट "ख" में दर्शायी गयी है।

(ख) विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या, रोजगार के अवसर, आरक्षण की सीमा और निर्धारित आयु और रोजगार के लिए अन्य अर्हताएं एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हैं इसलिए उन राज्यों में पुनः रोजगार पर लागए गए भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों की संख्या भी अलग-अलग हो सकती है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार पर लगाने का कार्य तेज करने के लिए हाल ही में जो कुछ कदम उठाए गए हैं उनका ब्यौरा परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए रक्षा कार्मिकों की संख्या।

	1982	1983	1984
थल सेना	24,571	25,902	25,222
नौसेना	1,102	2,296	2,463
वायु सेना	4,750	2,582	6,683
जोड़	30,423	33,780	34,368

परिशिष्ट "ख"

पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनः रोजगार पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या।

वर्ष	पुनः रोजगार पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या
1982	17,439
1983	29,627
1984	36,232

परिशिष्ट "ग"

सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर और बढ़ाने के संबंध में जो कदम उठाए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है :—

(1) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर नजर रखने की प्रणाली में सुधार :—

10 जुलाई 1085 को आयोजित केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री (अध्यक्ष) ने कुछ मुख्य मंत्रियों, मंत्रियों और राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों सहित सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि राज्यों में पदों व आरक्षण पर नजर रखने की प्रणाली तैयार की जाए ताकि राज्यों में आरक्षित विभिन्न रिक्तियों पर भूतपूर्व सैनिकों को तत्काल नियुक्त किया जा सके।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकार के विभागों में समूह "ग" और "घ" में पदों का आरक्षण।

राज्य सरकारों से भी बारबार कहा गया है कि वे भी केन्द्र सरकार के समान अपने राज्य के सरकारी विभागों/उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों के आरक्षण की व्यवस्था करें।

(3) शांति सेना में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति :—

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जहां उचित हो शांति सेनाओं का गठन करें और उनमें भूतपूर्व सैनिकों की काफी संख्या में नियुक्ति करने पर विचार करें। बिहार और असम में शांति सेनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और उड़ीसा राज्य में भी ऐसी सेनाएं स्थापित की जा रही हैं।

(4) रोजगार कार्यालयों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर उन्हें नामित करने के अधिकार :—

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित/अनारक्षित पदों पर भर्ती के लिए उनके नाम भेजने के अधिकार जिला सैनिक बोर्डों/राज्य सैनिक बोर्डों के अलावा 1 अगस्त, 1985 से रोजगार कार्यालयों को भी दे दिए गए हैं।

श्री अमर रायप्रधान : भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्वास की समस्या बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि हमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार जिन भूतपूर्व सैनिकों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है, अथवा जिन्हें स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी संख्या लगभग 40,000 है जिसमें से 35-45 आयु वर्ग के 7000 अधिकारी हैं। ये लोग हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के कितने लोगों का अभी पुनर्वास किया जाना बाकी है। उनमें से कितने सैनिकों को सरकारी क्षेत्र अथवा अर्ध-सरकारी संगठनों में रोजगार दिया गया है तथा उनमें से कितने सैनिकों को पुनर्वास योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया है तथा कितने अभी बेरोजगार हैं तथा कितनों को अभी रोजगार दिया जा रहा है ?

श्री अरुण सिंह : सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और पुनः रोजगार की आवश्यकता के प्रति बहुत सचेत है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु मैं सभा के समक्ष दो पृथक बातें रखना चाहता

हूं। एक यह कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं की जांच और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन। दूसरे, पिछले कुछ वर्षों में जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है, उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1982 में 17,439 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया था जबकि 1984 में 36,232 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है। दूसरे शब्दों में यह संख्या दुगुने से अधिक है। दूसरी बात यह है कि 1984 में पहली बार सेवानिवृत होने वाले सैनिकों की अपेक्षा रोजगार पाने वाले सैनिकों की संख्या अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कि पहली बार प्राप्त हुई है।

माननीय सदस्य का प्रश्न कुछ हद तक जटिल है। वे पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों में से कितनों को रोजगार दिया जाना था और कितनों को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मेरी भी अपनी समस्या है। समस्या यह है कि जिला सैनिक बोर्डों के पास कुल आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक बार कोई सैनिक सेवा निवृत्त हो जाता है और उसकी पेंशन तथा अन्य बकाया राशि का भुगतान हो जाता है, तो उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए सैनिक के संबंध में निगरानी रखने की कोई प्रणाली हमारे पास नहीं है। इसका कारण यह है कि सेवानिवृत्त सैनिक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सरकार को यह जानकारी दे कि सेवा-निवृत्त होने के बाद वह कहां गया है। दूसरे शब्दों में, यदि उन्हें जिला सैनिक बोर्ड के स्थान पर स्वयं अपने साधनों से रोजगार मिलता है, तो ये आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

रोजगार देने के लिए आठ विभिन्न तंत्र है। सरकारी विभाग हैं, केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के एकक तथा बैंक हैं। राज्य सरकारें हैं, जो विभिन्न स्तरों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों में आरक्षण करती हैं। पैरा-मिलिटरी बल हैं जिनमें विशेष रूप से पुनः रोजगार दिया जाता है जैसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। असम और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने विशेष शांति बल बनाए हैं जिनमें केवल भूतपूर्व सैनिक होते हैं, दो पारिस्थिति की कृतिक बल बनाए गए हैं। इनमें से एक मसूरी की पहाड़ियों में काम कर रहा है और दूसरा राजस्थान नहर पर काम कर रहा है। रक्षा सुरक्षा कोर में जो सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करती है, केवल भूतपूर्व सैनिक होते हैं। इनके अतिरिक्त दो और हैं। एक में स्वः रोजगार आता है जिसमें कुछ मामलों में सैनिकों को औद्योगिक प्लाट, ऋण और राजसहायता आदि दिए जाते हैं। अन्तिम रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र हैं, जिन्होंने पहली बार पिछले वर्ष जिला सैनि बोर्डों को रोजगार कार्यालय की तरह उम्मीदवार भेजने का अधिकार दिया है।

श्री अमर रायप्रधान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि वे भूतपूर्व सैनिकों के प्रति कितने उदासीन हैं क्योंकि उन्हें वह जानकारी नहीं है कि कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जाना है। यह बात सच है कि सरकार ने वर्ष 1958 में और वर्ष 1963 में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिए जाने के मामले में कुछ सुधार किया

है। यह भी सच है कि इसका पालन केवल भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम, तथा पी० ई० सी० द्वारा किया जाता है। अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नहीं।

भरती करते समय वे यह कहते हैं कि उन्हें भूतपूर्व सैनिकों की परवाह नहीं है। 1980 में सरकार ने बैंकों और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों मे उन सभी इमरजेंसी कमीशन और शार्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को रोजगार देने के लिए सैनिक सेवाओं का लाभ प्रदान किया था जो 1962-68 में सेना में भर्ती हुए थे। 1962-68 की छोटी अवधि को ही इसमें शामिल क्यों किया गया है ? इस प्रकार का भेदभाव क्यों है ? इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती का जितना प्रतिशत आवंटित किया गया था उसे भी वह पूरा नहीं करते।

(व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सरकार की सेवाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार दिया गया है या नहीं।

श्री अरुण सिंह : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य मूल रूप से सुझाव दे रहे हैं जिनसे हम पूरी तरह से सहमत हैं। मैं इस बात से साफ इंकार करता हूं कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकताओं के प्रति सजग नहीं है। यह मूलतः गलत है। मैंने वास्तव में दो अलग-अलग आंकड़े इसलिए दिए हैं कि यह सिद्ध हो सके कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतः सजग है।

जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सम्बन्ध है हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के लिए जो उपबंध किए गए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाएगा।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं यद्यपि वे ब्रिगेडियर, जनरल तथा कर्नल के पदों से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों का तो ध्यान रखते हैं, किन्तु ऐसे अनेक अधिकारी जिन्हें आपातकाल के दौरान भर्ती किया गया था और जिन्हें अल्पकालीन सेवा अवधि, इमरजेंसी कमीशन तथा अन्य सेवाओं के अधीन सेवा निवृत्त किया गया है, उन्हें अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है क्या सरकार का विचार उनके लिए भी कुछ करने का है ?

श्री अरुण सिंह : जैसा कि दूसरी ओर से माननीय सदस्य ने कहा कि वर्ष 1962 से 1968 में इमरजेंसी कमीशन अफसरों के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं तथा विशेष रूप से कुछ केन्द्रीय पुलिस संगठनों जैसे सीमा सुरक्षा बल में काफी बड़ी संख्या में अधिकारियों को भर्ती किया गया है। इसका एक कारण यह भी है कि इन सैनिकों ने भारत की ओर से दो युद्धों में भाग लिया है। जहां तक इमरजेंसी कमीशन अधिकारियों और शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों का संबंध है, माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया गया है और हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अजय मुशरान : मंत्री महोदय की बात से सहमत होते हुए कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ कर रही है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, किन्तु इस सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में एक ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने यह बताया था कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और नियोजन संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने 68 सिफारिशें की थीं जिनमें से 42 सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली थीं, किन्तु, यदि मंत्री महोदय उन 42 सिफारिशों को देखें तो वे केवल अनुशासनात्मक है जिनका राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय उन भर्ती एजेन्सियों को, जो न तो रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रतिशत का पालन करते हैं तथा न ही भूतपूर्व सैनिकों को भारत सरकार के निदेशानुसार पुन: रोजगार देते हैं, अपने पत्र में इनका अनिवार्य रूप से पालन करने के संबंध में उल्लेख करेंगे ?

श्री अरुण सिंह : महोदय, उच्चस्तरीय समिति ने 68 सिफारिशें की थीं और ध्यानाकर्षण सूचना से अब तक इस मामले में प्रगति हुई है। इनमें से 45 सिफारियों को पूरी तरह स्वीकार किया गया है। उनमे से दो सिफारिशें पारिणामिक स्वरूप की हैं और इसलिए वे भी स्वीकार कर ली गई हैं तथा तीन अन्य सिफारिशों को भी लगभग पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार कुल 50 सिफारिशों को लगभग पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। 18 सिफारिशें विचाराधीन हैं। सिफारिशों को प्रस्तुत करते समय समिति ने बताया था कि इनमें से कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने की प्रक्रिया अनिवार्यत: लम्बी होगी तथा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक अति विस्तृत प्रणाली की आवश्यकता होगी। इन 18 सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें, जैसा कि मैंने पहले कहा है, काफी जटिल हैं तथा सरकार इन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हम इन सिफारिशों को उसी रूप में जैसे कि सिफारिश की गई है अथवा उनमें संशोधन करके कार्यान्वित करने की संभावनाओं का पता लगायेंगे। जहां तक केन्द्र और राज्यों का संबंध है, हम राज्यों के मुख्य मंत्रियों से निरन्तर पत्र व्यवहार कर रहे हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सभी ने यह लिखा है कि वे इस आवश्यकता के प्रति सजग हैं तथा उन सिफारिशों के कार्यान्वयन का यथा संभव प्रयास करेंगे।

श्री हरभाई मेहता : महोदय, माननीय सदस्य श्री अमर रायप्रधान ने जो कहा है उसके विपरीत मेरे विचार से सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय हैं। किन्तु अभी भी कुछ समस्यायें हैं। उदाहरण के लिए, केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के बावजूद भी शार्ट सर्विस कमीशन, इमर्जेंसी कमीशन के भूतपूर्व सैनिक और अन्य भूतपूर्व सैनिकों को तुरन्त पुन: रोजगार अथवा पुनर्वास प्राप्त नहीं होता है। उन्हें फिर से रोजगार देने में काफी समय लग जाता है।

फिर वरीयता का प्रश्न आता है। जहां तक मेरी जानकारी है, केन्द्रीय सरकार ने वरीयता के संबंध में कोई स्पष्ट निदेश नहीं दिए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के कोई बाध्यकारी निदेश नहीं दिए गए हैं कि वे सेना में

उनके द्वारा की गई वास्तविक सेवा तथा अनैच्छिक रूप से बितायी गयी प्रतीक्षा अवधि को ध्यान में रखकर उन्हें समुचित वरीयता प्रदान करें। क्या सरकार का विचार इस प्रकार की बाध्यकारी कानून बनाने का है, जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों को राज्य की सेवाओं में भी पुनर्वास तथा पुन: रोजगार मिलने के मामले में समुचित वरीयता प्राप्त हो सके ?

श्री अरुण सिंह : महोदय, जहां तक मैं समझा पाया हूं, यह प्रश्न इमर्जेंसी कमीशन अधिकारियों तथा शार्ट कमीशन अधिकारियों के संबंध में है। वास्तविक समस्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और उन्हें पुन: रोजगार दिलाने की है। वास्तव में इसका संबंध अन्य रैंक के अधिकारियों से है, क्योंकि, उनकी संख्या अन्य रैंक के अधिकारियों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तथापि, माननीय सदस्य का सुझाव और इससे पहले दिए गए माननीय सदस्य का सुझाव भी नोट कर लिया गया है और हम इस पर विचार करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक विकास निगमों द्वारा टी० वी० की रंगीन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के लिए सहयोग

***436. श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब इलेक्ट्रॉनिक विकास निगमों को टी० वी० की रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करने हेतु विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृति दी गई है; और

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टी० वी० की रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जा रहा है और रंगीन टेलीविजनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक निगमों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता करने के लिये निदेश दिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार ने रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के क्षेत्र में विदेशी सहयोग संबंधी दो प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें से एक प्रस्ताव मेसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसेस लिमिटेड का है जो जापान के मेसर्स हिताची लिमिटेड के साथ सहयोग करेगा तथा दूसरा प्रस्ताव मेसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, लखनऊ का है जो मेसर्स तोशिबा कारपोरेशन, जापान और मेसर्स मित्सुबिशी कारपोरेशन लिमिटेड, जापान के साथ सहयोग करेगा।

विदेशी सहयोग के संबंध में मेसर्स आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) जी, नहीं। किन्तु इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग के लिए ऋण संबंधी आवेदन-

पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने में मदद देने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग के परामर्श से एक कार्य दल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ने अनुमति के लिए कोई आवेदनपत्र नहीं दिया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए उन्होंने आपके पास आवेदनपत्र भेजा है और आपने उसका निरकरण किया है, क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, अहम में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए अब लायसेंस की जरूरत नहीं है। अगर किसी बाहर के देश से हाथ मिलाकर कंपोनेंट बनाने का काम करना चाहते हों तो इसके लिए आवश्यकता है और मैंने लिखित रूप में कहा है कि हमारे पास को एप्लीकेशन उनकी नहीं आई है।

श्री सी० अंगा रेड्डी : अगर ए० पी० इलेक्ट्रॉनिक करपोरेशन केन्द्र सरकार को फारेन कोलाबरेशन से काम करने के लिए आवेदन करे तो क्या आप उनको अनुमति देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने समय-समय पर 4500 रुपए और 5000 का रंगीन टी० वी० देने के लिए समाचारपत्रों आदि के माध्यम से कहा है, लेकिन इम्पोर्टेड ट्यूब होने के कारण पैसा ज्यादा लग रहा है। अपने उत्तर के भाग वी० में बताया है कि आई०डी०वी०आई० को इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं दी है इसमें बताया है —

[अनुवाद]

"तथापि इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग के लिये ऋण संबंधी आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने में मदद देने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग से परामर्श से एक कार्य दल का गठन किया गया है।"

[हिन्दी]

मैं यह जानना चाहता हूं कि इपोर्टेड ट्यूब्स भारत वर्ष में तैयार करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, यह बताइए। और साथ ही साथ एप्लीकेशन्स को जल्दी से जल्दी प्रोसैस करके, भारत देश में ही ट्यूब्स के उत्पादन के लिए, सहायता कब तक उपलब्ध करवाने वाले हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, हमारी सरकार का मत है कि हम बाहर से कम्पोनैन्ट्स न मंगवा कर अपने ही देश में उनका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करें और इसीलिए दूसरी चीजों के लिए लाइसेंस की जरूरत है, कम्पोनैन्ट्स बनाने के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा हमने निमय बनाया है। इससे स्पष्ट होता है कि हम अपने देश में ही वे चीजें बनाना चाहते हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की अर्जी पर आर्डर देने का सवाल है, मैं

समझता हूं कि ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, मैं वह करने में असमर्थ हूं परन्तु उनकी अर्जी आने के बाद, उसको देखा जाएगा और सब कुछ औपचारिकताएं पूरा होने के बाद उनको न कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, हमारे डिपार्टमैंट के लोगों ने बैंकों के साथ बातचीत की है और उनसे पूछा है कि जितना पैसा हमें कम्पोनैन्टस बनाने के लिए लगता है, हमें जरूरत है, वह मिल सकता है या नहीं। हमने मिनिस्ट्री से और बैंकों से यह कहा है कि इस काम के लिए जितने भी पैसे की जरूरत है, वह लोन के रूप में उपलब्ध कराया जाए और इस सम्बन्ध में जितने एप्लीकेशन्स आती हैं, उनको दल्दी से जल्दी मंजूर करके लोन देने के लिए भी उन्होंने कहा है। यहां तक कि ऐसी एप्लीकेशन्स को प्रिफरेंस देने की बात को भी उन्होंने मंजूर करके किया है यह सारी चीजें, बताती हैं कि हम बैंकों से लोगों को लोन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे देश में रंगीन टी० वी० की कीमत 5500 रु० तक पहुंच चुकी है ··· (**व्यवधान**) ··· यदि आपको चाहिए तो हम आपको भी दिलवा सकते हैं, इस कीमत पर···

श्री सी० गंगा रेड्डी : अध्यक्ष जी, यू०पी० इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन और पंजाब इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन को···

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी तीसरी सप्लीमैंरी है, जो मैं एलाव नहीं कर सकता।

श्री सी० गंगा रेड्डी . अध्यक्ष जी, आपसे अनुमति लेने के बाद ही तो मैं उठा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो अनुमति देता है, वह अनुमति वापस भी तो ले सकता है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : देश में टी० वी० पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कब से किया जाने लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पहले ही बता दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह सच नहीं है कि निर्धारित सीमा तब हम मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : टी० वी० ट्यूबों का निर्माण करना एक जटिल कार्य है। हमें पहले कांच बनाना होगा, फिर दूसरे पुर्जे बनाने होंगे और तब ट्यूब का निर्माण करना होगा। हम चरणबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं, पहले हम ट्यूब प्राप्त करेंगे। हम कांच और अन्य पुर्जों का निर्माण करेंगे और फिर 2-3 वर्षों में हम चरणों में पिक्चर ट्यूब बना पायेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उत्तर जटिल है। वर्ष 1987 को अंतिम लक्ष्य बताया गया है। यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह होगा कि विदेशी मुद्रा व्यय होगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आतंकवाद के बारे में भारत-ब्रिटेन समिति

*438 **श्री चित्त महाता** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ब्रिटेन में आतंकवाद के कारणों की जांच करने के लिए दोनों देशों के विधि विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चित्त महाता : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी हाल की ब्रिटेन यात्रा के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री द्वारा आतंकवाद की समस्या का समाधान करने के लिए विधि विशेषज्ञों का एक पेनल बनाने का आश्वासन दिया गया था। यदि हां, तो उन्होंने ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री श्रीमती मार्गरेट थैचर से किन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण किया ? इसकी रेडियो तथा दूरदर्शन पर भी घोषणा की गई थी ।

श्री बी० आर० भगत : हमारे प्रधान मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान इस मामले पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि दोनों देशों के विधि विशेषज्ञ मिलकर इस मामले पर निर्णय करेंगे । यह निर्णय इस मामले के एक पहलू अर्थात राजनैतिक से संबंधित था । भगोड़ों तथा अन्य को रोकने से सम्बंधित ब्रिटेन के अधिनियम के अन्तर्गत राजनैतिक विचार का कोई उपबंध नहीं है । राजनैतिक विचार के आधार पर वे बच निकल सकते हैं । अतः इस मामले पर विधि विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाना था । विधि विशेषज्ञों की जनवरी में बैठक होने वाली है । लेकिन कोई पेनल नहीं बनाया गया है ? हम अपनी ओर से चाहते हैं कि ब्रिटेन में आतंकवाद के सभी पहलुओं को उसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए । हम इस प्रक्रिया में संलग्न हैं । जनवरी में होने वाली बैठक में भगोड़ों सम्बन्धी अधिनियम पर विचार किया जाएगा ।

श्री चित्त महाता : बैठक का परिणाम क्या निकला ?

श्री बी० आर० भगत : बैठक जनवरी में होने जा रही है । बैठक का परिणाम उसके बाद ही मालूम होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप परिणाम के बारे में पहले सूचना दे सकते हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि ब्रिटेन की सरकार, अमरीकी सरकार तथा कनाड़ा की सरकार जैसी कतिपय सरकारों की उनके देशों में आतंकवादियों से सांठगांठ है और उन देशों में आतंकवाद उनके प्रयासों के विपरीत नहीं बल्कि उन देशों की सरकारों के कारण बढ़ा है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता

हूं कि प्रस्तावित विधि विशेषज्ञों के पेनल के बारे में संभवतः केवल ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ बात-चीत हुई है क्या प्रधान मन्त्री ने हाल की अमरीका की यात्रा तथा कनाड़ा की अपनी यात्रा के दौरान इस मामले के बारे में उनके नेताओं के साथ भी बात थी की और उसका क्या परिणाम रहा ? क्या हम इन देशों में तथा उसके परिणामस्वरूप पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में कमी होने की आशा कर सकते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : महोदय, यह प्रश्न भारत-ब्रिटेन आतंकवाद पेनल से संबंधित है। अतः, मैं अपना उत्तर केवल ब्रिटेन तक ही सीमित रखूंगा। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं—इस मामले को विभिन्न स्तरों पर दृढ़तापूर्वक उठाया गया था परन्तु कोई पेनल नहीं बनाया गया था। (**व्यवधान**) विधि विशेषज्ञों के बारे में निर्णय दोनों देशों के विधि विशेषज्ञों की बैठक से सम्बद्धन्ति है, जिसका गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा दोनों देशों में से किसी से भी दूसरे देश को भाग जाने वाले व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन के लिए नई व्यवस्था तय करना, ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करना है तथा जिससे कि ऐसे व्यक्ति अपने बचाव में राजनैतिक आधारों का लाभ न उठा सकें।

तिहाड़ जेल में हेरोइन से हुई मौतें

+

440. **श्री कमला प्रसाद सिंह** :

श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अक्तूबर, 1985 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हेरोइन डैथस इन तिहाड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली की जेलों में मादक औषधों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) हाल में तिहाड़ जेल में दो दोष सिद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दोषसिद्ध श्री अमीर हुसैन की मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण हुई जबकि दोष सिद्ध श्री हंसराज की मृत्यु अपनी जेल की कोठरी में स्मैक के एवज में कोई जहरीली वस्तु खाने के बाद हुई। फिर भी इसकी पुष्टि केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोग शाला से आंत्र द्रव्य के सम्बन्ध में रसायनिक जांच का परिणाम प्राप्त होने के बाद ही होगी।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ग) दिल्ली प्रशासन ने तिहाड़ जेल में मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए

निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) विचारणाधीन कैदी जब विभिन्न न्यायालयों से वापिस आते हैं तो उनकी पूरी तलाशी ली जाती है।

(ii) मुलाकातियों की बाहरी प्रवेश द्वार पर तलाशी ली जाती है।

(iii) तलाशी की ड्यूटी पर मुख्य द्वार पर तैनात किए गए वार्डरों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(iv) बार-बार आकस्मिक जांच की जाती है। यदि किसी के पास मादक द्रव्य पाये जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(v) अधीनस्थ कर्मचारियों की तरफ से किसी सहापराधिता को रोकने के लिए कड़ी सतर्कता बरती जाती है। हाल ही में दो वार्डरों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था जो जेल के भीतर मादक द्रव्यों की तस्करी में कुछ कैदियों का सहयोग करते हुए पाए गए थे।

(vi) बेहतर प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने की दृष्टि से जेल में रहने वालों को तीन श्रेणियों में अलग-अलग कर दिया गया है अर्थात् (i) दोषसिद्ध (ii) विचारणाधीन, तथा (iii) बच्चे तथा महिला कैदी।

[हिन्दी]

श्री कमल प्रसाद सिंह : अध्यक्ष, जी, श्री हंसराज की मृत्यु कोई जहरीली वस्तु खाने से हुई। यह जहरीली वस्तु जेल की कोठरी तक कैसे पहुंच गई, क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करा रहे हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सर, जहरीली वस्तु जो कि वहां पर उन्होंने खाई, जब तक उसका कैमिकल एनालिसिस होकर रिपोर्ट नहीं आयेगी तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रिलिमिनरि इनफार्मेशन है कि उन्होंने वहां पर लिज़ड की टेल खाई थी।

श्री कमला प्रसाद सिंह : मान्यवर, कड़े नियन्त्रण के बावजूद भी किस प्रकार यह मादक पदार्थ अन्दर चले गए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह पूछ लो कि लिज़ड कैसे घुसी थी ?

(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं उन्हें बता रहा था कि लिज़ड का मतलब छिपकली होता है। छिपकली वहां पर पहुंच गई होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वीर सेन : मैं जानता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को इसकी जानकारी है कि छिपकली जहरीली नहीं होती है। अत: छिपकली की पूंछ खाने से किसी के मरने की संभावना नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसी कारण से मैंने लिखित उत्तर में इसका उल्लेख नहीं किया। जब माननीय सदस्य इस पर जोर देने लगे, तो मैंने अपने पास उपलब्ध सभी जानकारी उन्हें दी। हम रासायनिक जांच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर ही यह पता चलेगा कि क्या यह ठीक है अथवा गलत।

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि सभी छिपकलियों की पूंछ में हेरोइन नहीं होती, मैं जानना चाहती हूं कि उस छिपकली विशेष की पूंछ में हेरोइन कैसे पहुंची।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदया, मुझे जानकारी नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : छिपकली स्वयं एक हेरोइन है।

गोदावरी और कावेरी नदियों सम्बन्धी प्रदूषण-रोधी कार्यक्रम

*442. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण-रोधी कार्यक्रम के एक अंग के रूप में गोदावरी और कावेरी नदियों के लिए सरकार की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कितनेसमय में किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। जल अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं जो प्रदूषण नियंत्रण मानकों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय बोर्ड ने के अनेक प्रदूषक उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक बनाए हैं। राज्य बोर्डों की मदद से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, विभिन्न नदियों के फैलावों में उनके वर्तमान उपयोगों के लिए आवश्यक जल गुणवत्ता का पता लगाने के दृष्टिकोण से सभी प्रमुख नदियों को मण्डलों में विभाजन तथा वर्गीकरण पूरा कर दिया है। नदी जल गुणवत्ता प्रबोधन भी किया जा रहा है। केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहिस्राव उपचार इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्योगों को सहमत कर रहे हैं। नगर अपशिष्टों से प्रदूषण भार के उपचार की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है।

डा० चिन्ता मोहन : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि नदियों का वर्गीकरण तथा विभाजन पूरा हो गया है। नदियों के विभाजन तथा वर्गीकरण के लिए बोर्ड द्वारा क्या तरीका अपनाया गया है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, एक सर्वेक्षण किया गया है और वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और उसके आधार पर विभिन्न नदियों के विभिन्न फैलावों पर वर्गीकरण किया गया है और पानी को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात—

(क) पारम्परिक परिष्करण रहित परन्तु रोगाणुमुक्त किया गया पेयजल स्रोत;

(ख) बाह्य तल ;

(ग) पारम्परिक परिशोधन युक्त तथा रोगाणु मुक्त किया गया पेय जल स्रोत;

(घ) वन्य जीव तथा मत्स्य पालन का प्रबंधन, और (ङ) सिंचाई, पूल बनाना तथा अपशिष्ट निस्सारण पर नियंत्रण।

यह वर्गीकरण नदियों के विभिन्न फैलावों पर कतिपय वैज्ञानिक अध्ययन करके किया गया है।

डा० चिन्ता मोहन : नदियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के बीच कोई भेदभाव किया गया है।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, गोदावरी और कावेरी के साथ-साथ क्या भविष्य में यमुना नदी जो कि एक धार्मिक नदी है, उसकी प्रदूषण सम्बन्धी कोई योजना बन रही है। अगर विचाराधीन है तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, यह प्रश्न वास्तव में गोदावरी यथा कावेरी से सम्बन्धित है। परन्तु, निश्चय रूप से यमुना नदी भी उन 14 नदियों में से एक है जिनके लिए अध्ययन किया गया है। बजीराबाद तथा ओखला के पास नदी का पानी प्रदूषित है। उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

भारत और फ्रांस के बीच करार

*443. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 1984 में हुए करार के अनुसार वर्ष 1985 के अन्त तक कुछ परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पुष्टि की जानी है;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका कार्यान्वयन किस अवस्था में है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठते।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय को 18 जुलाई, 1984 को हस्ताक्षर किए गए करार की जानकारी है जिसके बाद ही भारत में स्थापित किए जाने वाला नदी प्रदूषण निगरानी प्राधिकरण तथा केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई। अतः, इस करार के परिणामस्वरूप इस वर्ष के अन्त तक तीन परियोजनाएं आरम्भ की जानी थीं। एक परियोजना वाराणसी से सम्बन्धित थी, जिसके लिए धन जुटाया जाना था, दूसरी परियोजना दिल्ली में वायु प्रदूषण नियन्त्रण की थी तथा तीसरी परियोजना राष्ट्रीय उद्यानों की निगरानी तथा प्रबन्ध के सम्बन्ध में जानकारी के आदान-प्रदान की थी। ऐसा क्यों सोचा गया कि इन परियोजनाओं पर निर्दिष्ट कालावधि में अनुवर्ती कार्रवाई न की जाए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, जब माननीय सदस्य उप मन्त्री थे तब उनके तथा फ्रांस सरकार के बीच पेरिस में एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए गए थे। कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और कोई परियोजना आरम्भ किए जाने के लिए कोई औपचारिक करार नहीं हुआ था। सरकार द्वारा हस्ताक्षरित की गई उस विज्ञप्ति में कोई कार्रवाई करने का जिक्र नहीं था।

श्री दिग्विजय सिंह : नव गठित केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण में क्या हम फ्रांस प्रबन्ध प्रणाली, जो विश्व में सर्वोत्तम है, का पूरा लाभ उठा रहे हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, हम दूसरे देशों की प्रत्येक अच्छी प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, गंगा को प्रदूषण रहित करने में अनेक देशों ने रुचि दिखाई है और हम निश्चित रूप से भारत से बाहर उपलब्ध सभी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएंगे बशर्ते वह प्रौद्योगिकी स्वदेश में उपलब्ध न हो। हम प्रत्येक अच्छी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे।

श्री श्यामलाल यादव : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण में वाराणसी के लिए कोई परियोजना फ्रांस को आवंटित की गई है, क्योंकि फ्रांस से कुछ व्यक्ति वाराणसी आए थे। उन्होंने व्यापक छानबीन की थी तथा विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि फ्रांस से कौन सी विशिष्ट परियोजना के बारे में करार हुआ है और उसमें उनकी भूमिका क्या होगी ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : फ्रांस सरकार को कोई विशिष्ट परियोजना आवंटित नहीं की गई है। प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है और हम इस पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों को ध्यान में रखकर विचार कर रहे हैं। इन बातों पर अभी विचार हो रहा है और अभी कोई विशिष्ट परियोजना आवंटित नहीं की गई है।

श्री आनन्द गजपति राजू : इस बात को देखते हुए कि फ्रांस का तीसरे विश्व तथा दक्षिण—

दक्षिण सहयोग के प्रति रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है। क्या भारत सरकार दक्षिण—दक्षिण सहयोग तथा विशेषकर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन, जो हाल में हुआ है, के बारे में कतिपय कार्यक्रम एवं नीतियों के सम्बन्ध में फ्रांस सरकार से सहायता लेने का निर्णय करेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हम निश्चय ही उन सभी देशों से सहायता की पेशकश का स्वागत करूंगा जो हमारी योजनाओं में रुचि रखते हैं। अलबता, जो प्रौद्योगिकी हमारे पास अपने देश में उपलब्ध है, उसे छोड़कर कोई अन्य प्रौद्योगिकी, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यदि कोई देश हमें इसकी पेशकश करता है तो हम उसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

1979 से पूर्व के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में वृद्धि

*432. **श्री एस० एम० मुरहडी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के 17 दिसम्बर, 1982 के निर्णय का लाभ अभी तक अनेक पेंशनभोगियों को नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय पेंशनभोगी संघ के अनुरोध पर कोई ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने में विलंब करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी, हां। उच्चतम न्यायालय के 17 दिसम्बर, 1982 के निर्णय के कार्यान्वयन के उद्देश्य से भारत सरकार के अक्तूबर, 1983 में जारी किए गए आदेशों के अनुसार संशोधित पेंशन को प्राधिकृत करने में विलम्ब के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पेंशन में संशोधन करने वाले प्राधिकारियों को मुख्यत: (i) पुराने सेवा रिकार्डों के उपलब्ध न होने और (ii) पेंशनभोगियों द्वारा शपथ-पत्र में भेजी गई सूचना में विसंगतियों के कारण, संशोधित पेंशन प्राधिकृत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिए रीतियां सुझाते हुए विद्यमान आदेशों के अलावा अब और अनुदेश जारी कर गए दिए हैं।

"गुजरात में औद्योगिक एककों द्वारा प्रदूषण"

*433. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, गुजरात रिफाइनरी और रसायन आधारित अन्य औद्योगिक एककों के कारण बड़ौदा में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु, जल और भूमि में भारी प्रदूषण हो रहा है ;

(ख) क्या आस-पास के गांवों के स्थानीय निवासियों ने इन उपक्रमों के कारण हो रहे प्रदूषण का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों को लागू करके दोषी औद्योगिक एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड, गुजरात रिफाइनरी सहित अनेक रसायन आधारित औद्योगिक एककों के कारण बड़ौदा में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु, और जल भूमि में प्रदूषण हो रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोषी उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सहित दोषनिवारक कदम उठाए गए हैं।

अर्धसैनिक बलों का सुव्यवस्थीकरण

*437. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत कुछ वर्षों में गठित अनेक अर्ध-सैनिक बलों का सुव्यवस्थीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक बल उसको सौंपा गया कार्य करता है और उनके सुव्यवस्थीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधिकरणों को अन्तरित सेवा सम्बन्धी मामले

*439. श्री मानिक रेड्डी :

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेवा सम्बन्धी मामलों पर विचार करने हेतु न्यायाधिकरणों की स्थापना इस बीच कर दी गई है ;

(ख) उन शहरों के नाम क्या हैं, जहां ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं; और

(ग) इन न्यायाधिकरणों की प्रत्येक पीठ को कितने मामले अन्तरित किए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, दिल्ली में इसकी प्रधान न्यायपीठ और अतिरिक्त न्यायपीठ-I और अतिरिक्त न्यायपीठ-II तथा इलाहाबाद, बम्बई कलकत्ता और मद्रास स्थित अन्य अतिरिक्त न्यायपीठों सहित, पहली नवम्बर, 1985 से हुई थी।

(ग) केन्द्रीय प्रशासन अधिकरण में विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा निचली अदालतों से मामलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी-अभी शुरू हुई है अतःअधिकरण को हस्तांतरण किए जा चुके मामलों की संख्या के बारे में सही सूचना देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

इंडोनेशिया के साथ आर्थिक सहयोग

*441. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और इन्डोनेशिया के बीच हुए व्यापार समझौतों का सहयोग के क्षेत्रों समेत ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) जी, हां, इस बातचीत के फल-स्वरूप व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के वातावरण में सुधार हुआ है।

(ग) भारतीय कम्पनियां इन्डोनेशिया में तीन बड़ी टर्नकी परियोजनाओं में शामिल हैं। ये हैं—एच० एम० टी० द्वारा 55 लाख अमरीकी डालर के मूल्य की टूल रूम व ट्रेनिंग सेन्टर परियोजना, पडान्ग में प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन। बालचन्द नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा। अरब 3 करोड़ डालर मूल्य का सीमेंट कारखाना तथा केमिग में त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा 2 करोड़ 90 लाख अमरीकी डालर मूल्य का चीनी कारखाना। इसके अलावा भारत से पलेट्स के निर्यात के लिए पीटी कराकटऊ स्टील तथा कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी

लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल है। हाल ही में 1985 में भारत को 50,000 टन स्पंज लोहे की बिक्री के लिए मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा पीटी क्राकटऊ स्टील ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

[अनुवाद]

रक्षा उत्पादन के लिए सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन

*444. **श्री अजय मुश्तराम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठानों के लिए सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई ठोस कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान जबलपुर में रक्षा उत्पादन कारखानों के लिए कितने सहायक उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में सहायक उद्योग कम संख्या में स्थापित किए गए हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन सहायक उद्योगों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन उद्योगों के विकास के लिए योजनाओं को कितना उदार किया गया है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) रक्षा उत्पादन स्थापनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा विभागीय उपक्रम दोनों शामिल हैं जो देश के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में लोक उद्यम कार्यालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कदम उठाए जाते हैं। जहां तक रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत आने वाली आयुद्ध निर्माणियों का सम्बन्ध है, वहां छोटी यूनिटें तथा आनुषंगिक यूनिटें स्थापित करने की कोई प्रथा नहीं है लेकिन आयुद्ध निर्माणियों इन औद्योगिक यूनिटों की क्षमता का उपयोग करती रही हैं बशर्ते इनकी दरें प्रतियोगी हों और इनकी कार्य-क्षमता संतोषप्रद हों। पिछले तीन वर्षों में जबलपुर की वाहन निर्माणी से 21 यूनिटों को आनुषंगिक यूनिट का दर्जा प्राप्त है लेकिन जबलपुर की वाहन निर्माणी ने किसी नई यूनिट को ऐसा दर्जा नहीं दिया है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सहायक उद्योगों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है क्योंकि बड़े और मझोले क्षेत्र के उद्योगों के लिए सहायक तथा सप्लाईकर्ता यूनिटों के रूप में लघु उद्योगों के विकास से देश में लघु उद्योगों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता रहेगा।

विदेश यात्रा के परिणाम

*445 **श्री सत्यपाल सिंह मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अक्तूबर, 1985 प्रथम सप्ताह में विदेश की यात्रा की है ?

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितने देशों की यात्रा की ;

(ग) उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी क्या-क्या बातचीत हुई ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेने के लिए मैंने 30 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 1985 न्यूयार्क की यात्रा की थी।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सेना परिचर्या (नर्सिंग) सेवा

*446. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से युवतियां सेना परिचर्या (नर्सिंग) सेवा में शामिल हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा का राज्य-वार गठन क्या है ; और

(ग) विशेषकर बिहार के पिछड़े क्षेत्रों, की युवतियों के लिए इस सेवा को आकर्षक बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सेना परिचर्या (नर्सिंग) सेवा में अफसरों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	6·52
असम	0·80
बिहार	0·72
गुजरात	0·32
हरियाणा	2.05
हिमाचल प्रदेश	1·65
जम्मू और कश्मीर	0·44
कर्नाटक	3.94
केरल	39.30
मध्य प्रदेश	2.21
महाराष्ट्र	4.38

1	2
मणिपुर	0·16
मेघालय	0·20
नागालैण्ड	—
उड़ीसा	0·56
पंजाब	5·95
राजस्थान	0·20
सिक्किम	0·50
तमिलनाडु	10·54
त्रिपुरा	0.0 :
उत्तर प्रदेश	6·92
पश्चिमी बंगाल	5·39
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0·04
अरुणाचल प्रदेश	—
चण्डीगढ़	—
दादरा और नागर हवेली	—
दिल्ली	6·64
गोवा, दमन और द्वीव	0·20
लक्षद्वीप	—
मिजोरम	0·04
पांडिचेरी	0·16

(ग) देश के सभी भागों की पात्र महिला उम्मीदवारों के लिए सेना परिचर्या (नर्सिंग) सेवा में भर्ती खुली है। सेना परिचर्या (नर्सिंग) सेवा में चयन राज्य-वार नहीं किया जाता। देश के सभी क्षेत्रों से उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में बड़ी संख्या में विज्ञापन दिए जाते हैं।

"पश्चिम बंगाल में गंगा सफाई योजना"

*447 श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा सफाई योजना में पश्चिम बंगाल के ऐसे क्षेत्रों की योजनायें भी शामिल

हैं, जहां से गंगा नदी में सीधे अपशिष्ट पदार्थ बहाये जाते हैं और वे इस प्रकार से प्रदूषण फैलाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या ;

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ; और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्माण कार्यों के कार्यक्रम में, श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के 36 शहरों के लिए 133. 5 करोड़ रुपये के काल्पनिक व्यय की स्कीमों का प्रस्ताव किया है। सूचीबद्ध स्कीमों में वर्तमान गन्दी नालियों/निकास नालियों का विकास, अन्तरोधकों तथा उपचार संयंत्रों का निर्माण करना, कम मूल्य की सफाई स्कीम, नदी मुहानों का विकास तथा चयनित स्थानों में क्षरण निरोधक स्कीमें हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से निर्माण कार्यों के कार्यक्रम में सूचीबद्ध स्कीमों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा प्रस्तुत करने को कहा गया है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक 39.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली स्कीमो के लिए प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्टें भेजी हैं।

कलकत्ता मेट्रोपोलिटन जिले के अन्तर्गत प्रस्तावित स्कीमें ये हैं—

श्रेणी-1 के और श्रेणी-2 के 24 शहरों में नदी मुहाना विकास, श्रेणी-1 के 4 और श्रेणी-2 के 12 शहरों में कम लागत वाली सफाई स्कीमें तथा 5 शहरों के लिए अपवर्तन तथा उपचार संयंत्र। 4 नगरों में 6.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 7 स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। 6.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इन स्कीमों को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु पश्चिमी बंगाल सरकार को 1 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी है।

"एल्ब्रुस" सुपर कम्प्यूटर के लिए सोवियत संघ से करार

*448. श्री बी० बी० देसाई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने "एल्ब्रुस" सुपर कम्प्यूटर की बिक्री के लिए कोई औपचारिक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ सुपर कम्प्यूटर का परमाणु ऊर्जा रक्षा और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में बिना शर्त प्रयोग करने हेतु भारत को इसकी बिक्री करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके अतिरिक्त सोवियत संघ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए भी तीन बड़े कम्प्यूटरों की सप्लाई करने लिए सहमत हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत को सुपर कम्प्यूटर देने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त करते समय सोवियत संघ ने उन कम्प्यूटरों के अन्य उपयोग संबंधी कोई शर्त नहीं रखी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तीन बड़ी भौतिकी कम्प्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति के लिए किए गए करार की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिए अनुसार हैं :—

(i) प्रणाली की पूरी लागत 13.46 करोड़ रु० है जिसमें से 10.48 करोड़ रु० का भुगतान भारतीय रुपए में होगा तथा शेष का भुगतान उपान्त-उपस्कों से (पेरिफरल) की खरीद के लिए दुर्लभ मुद्रा (हार्ड करेन्सी) में किया जाएगा ।

(ii) भौतिकी कम्प्यूटर प्रणाली की डिलीवरी करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से छः महीने के अन्दर शुरू कर दी जाएगी ।

(iii) दूसरी तथा तीसरी भौतिकी कम्प्यूटर प्रणालियों की डिलीवरी क्रमशः पहली तथा दूसरी भौतिकी कम्प्यूटर प्रणाली को स्वीकार करने की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद एक महीने के अन्दर की जाएगी ।

(iv) भौतिकी कम्प्यूटर प्रणालियों की समाश्वासन सेवा संबंधी दायित्व प्रणाली की स्वीकृति की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए होगा लेकिन यह अवधि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिलीवरी की तारीख से 22 महीने से अधिक नहीं होगी ।

(v) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों को भौतिकी कम्प्यूटर प्रणालीं के हार्डवेयर तथा सौफ्टवेयर के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

"अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बागान लगाना"

4477. **श्री सोडे रमैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायक कम्पनियों सहित कुछ विदेशी भारतीय कम्पनियां अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में बागान लगाने के क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के बागानों से पारिस्थितिकी असन्तुलन उत्पन्न होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवाउरंहमान अन्सारी) : (क) कुछ कम्पनियों ने अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में लाल पाम तेल बगान लगाने के लिए भूमि आवंटन के आवेदन किया है ।

(ख) इस प्रकार के बगान लगाने से द्वीप समूहों के पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) देश के हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाये जा रहे हैं तथा ये पारिस्थितिकी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे ।

साउथ ब्लाक से विदेश मंत्रालय का स्थानांतरण

4478. **श्री विनेश सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय को साउथ ब्लाक से स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विदेश मंत्रालय को किस नये स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री वी० आर० भगत): (क) मंत्रालय, साउथ ब्लाक और अन्य भवनों से अपने कुछ कार्यालयों का स्थान-परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है।

(ख) कार्यालय स्थान की घोर कमी ।

(ग) मुख्य मंत्रालय साउथ ब्लाक में ही रहेगा परन्तु इसका एक महत्वपूर्ण भाग नए स्थान पर चला जाएगा ।

परमाणु युद्ध

4479. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा की प्रथम समिति में परमाणु युद्ध के बारे में विश्व को चिंता संबंधी दो प्रस्ताव रखे थे ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों के प्रस्तावों और प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री वी० आर० भगत) : (क) जी, हां । भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में दो प्रस्तावों का प्रारूप रखा था जिनका शीर्षक था "नाभिकीय हथियारों पर रोक" तथा "नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर निषेध संबंधी अभिसमय ।"

उक्त दूसरे प्रस्ताव को कई अन्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। इसके अलावा, भारत ने दो प्रस्तावों के प्रारूप का भी सह-प्रायोजन किया जिनका शीर्षक था "नाभिकीय हथियारों को रोकना" तथा "नाभिकीय शीत सहित नाभिकीय युद्ध के जलवायु संबंधी प्रभाव।" इन प्रस्तावों को क्रमशः अर्जेन्टीना तथा मेक्सिको ने प्रस्तुत किया था।

(ख) उक्त प्रत्येक प्रस्ताव का पाठ संसद भवन के पुस्तकालय में रख दिया गया है। इन सभी प्रस्तावों को प्रथम उप-समिति द्वारा स्वीकार किया गया था और इन्हें अधिकांश राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हुआ था। नाभिकीय हथियार वाले देशों में से सोवियत संघ और चीन ने इन सभी चार प्रस्तावों के समर्थन में तथा संयुक्त राज्य अमरीका ने विरोध में मत डाला। यू० के० और फ्रांस ने "नाभिकीय शीत सहित नाभिकीय युद्ध के जलवायु संबंधी प्रभाव" नामक प्रस्ताव पर मत नहीं डाले तथा अन्य प्रस्तावों पर उन्होंने विरोध में मत डाला।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

4480. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशी प्रौद्योगिकी से भारत में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह उपकरण विद्यमान टेलीफोन उद्योगों में निर्मित किए जाएंगे अथवा कोई अलग एकक स्थापित किया जाएगा ;

(घ) क्या ये उपकरण गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अथवा लघु उद्योगों में निर्मित किए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिव राज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) देश में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन के विनिर्माण के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का चयन किया है :

(i) सीमेन्स (ए० जी० जर्मन संघीय गणराज्य)

(ii) एरिकसन (स्वीडन)

(iii) आई० टी० टी० फैस, इटली।

विदेशी सहयोग के लिए प्राप्त 14 आवेदन-पत्रों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा हाल ही में प्राप्त हुए 4 आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन का विनिर्माण विद्यमान टेलीफोन विनिर्माण इकाइयों के साथ-साथ नई इकाइयों में भी किया जाएगा।

(घ) और (ङ) सरकार की नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन का विनिर्माण संगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र की निजी इकाइयों द्वारा किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विभिन्न आसूचना सेवाओं के बीच समन्वय

4481. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की विभिन्न आसूचना एजेन्सियों के बीच समन्वय लाने के लिए सरकार ने कुछ वर्ष पहले उच्च पदों से सेवा निवृत्त हुए अधिकारियों को इस मामले की जांच करने और सुझावों सहित रिपोर्ट देने के लिए कहा था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जिला सैनिक बोर्डों का कार्यचालन

4482. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास और पुनर्रोजगार सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय/राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के कार्यचालन को सुसंगत बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में कितने जिला सैनिक बोर्ड कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने बोर्डों के पास अपना कार्यालय और परिवहन सुविधाएं हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अवध सिंह) : (क) और (ख) रक्षा मन्त्रालय द्वारा गठित एक समिति ने देश में सैनिक बोर्ड संगठनों को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें कीं। इनमें अतिरिक्त स्टाफ, परिवहन, टेलीफोन व्यवस्था आदि से सम्बन्धित सिफारिशें शामिल हैं। रक्षा मन्त्रालय ने इन सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया था और सभी संबंधितों से इन्हें कार्यान्वित करने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में काफी प्रगति कर ली गई है और वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है।

विवरण

दिसम्बर, 1985 को राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों की संख्या ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	रा० सै० बो०	जि० सै० बो०	जिला सै० बो० में टेलीफोन	प्रतिवहन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	11	8	शून्य
2.	असम	1	10	4	शून्य
3.	बिहार	1	13	4	शून्य
4.	गुजरात	1	04	3	शून्य
5.	हरियाणा	1	12	12	12
6.	हिमाचल प्रदेश	1	12*	12	01
7.	जम्मू और कश्मीर	1	10	01	01
8.	कर्नाटक	1	08	08	02
9.	केरल	1	12	08	10
10.	मध्य प्रदेश	1	12	04	04
11.	महाराष्ट्र	1	20	16	12
12.	मणिपुर	1	02	शून्य	शून्य
13.	मेघालय	1	01	01	शून्य
14.	नागालैंड	1	02	02	शून्य
15.	उड़ीसा	1	05	03	शून्य
16.	पंजाब	1	12	12	12
17.	राजस्थान	1	17	07	शून्य
18.	सिक्किम	1	शून्य**	—	शून्य
19.	तमिलनाडु	1	16	16	05
20.	त्रिपुरा	1	शून्य	—	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	1	54	46	30
22.	पश्चिम बंगाल	1	8	08	01
	केन्द्र शासित प्रदेश				
23.	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
24.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	शून्य	(रा० सै० बोर्ड का स्टाफ अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा दिया जाता है।	वही-
25.	चण्डीगढ़	शून्य	01	01	शून्य
26.	गोवा दमन एवं दीव	1	शून्य होता	लागू नहीं	लागू नहीं होता
27.	दिल्ली	1	शून्य	-वही-	-वही-
28.	मिजोरम	1	01	शून्य	शून्य
29.	पांडिचेरी	1	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		कुल : 28	243	179	94

टिप्पणी :—राज्य सैनिक बोर्डों के पास—

(क) टेलीफोन—28 के 28

(ख) परिवहन—(i) 22 में से 5 राज्यों के राज्य सैनिक बोर्डों के पास अलग से अपने वाहन नहीं हैं।

(ii) केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य सैनिक बोर्डों के लिए वाहन के सम्बन्ध में 3.9.85 को केन्द्र सरकार को मंजूरी दी गई थी।

*लाहौल एवं स्पीती में तदर्थ आधार पर स्थापित एक जिला सैनिक बोर्ड के अलावा।

**राज्य में राज्य सैनिक बोर्ड के लिए तीन शाखा अफसर हैं।

भूतपूर्व सैनिक संगठनों को सरकारी मान्यता

4483. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सरकारी प्रवक्ता के रूप में भूतपूर्व सैनिक संगठनों को मान्यता देने के लिए क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी प्रवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त कितने भूतपूर्व संगठन हैं;

(ग) सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक संगठन से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) ऐसी "मान्यता" अनिवार्य न होने के कारण कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(ख) केवल एक संगठन को मान्यता दी गई है।

(ग) और (घ) भूतपूर्व सैनिकों की राष्ट्रीय समन्वयन समिति से कुछ अभ्यावेदन/अभ्यावेदनों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। एक ऐसे संगठन के रूप में, जिनकी देश भर में शाखाएं हैं और जो भूतपूर्व सैनिकों के एक व्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, पहले ही मान्यता दे दी गई है और भूतपूर्व सैनिकों के किसी अन्य संगठन को "मान्यता" देना कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है, इसलिए यह निर्णय किया गया है कि "मान्यता प्राप्त" एजेंसियों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाए।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी

4482. **श्री आर० एम० भोये** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल में इस समय कुल कितने विचाराधीन कैदी हैं;

(ख) उनमें से उन कैदियों की संख्या कितनी है, जो एक वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं;

(ग) तिहाड़ जेल में दोषसिद्ध कैदियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि तिहाड़ जेल में इस समय क्षमता से अधिक कैदी हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(च) क्या उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार सामान्यतः एक सबडिविजनल मजिस्ट्रेट तिहाड़ जेल का निरीक्षण करता है और प्रतिवेदन देता है; और

(छ) यदि हां, तो अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-10-1985 को जेल में 2315 विचाराधीन कैदी थे।

(ख) 215 विचाराधीन कैदी।

(ग) 720 दोषसिद्ध कैदी।

(घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) तिहाड़ जेल में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:—

(i) लगभग 310 और कैदियों को रखने के लिए जेल की क्षमता को बढ़ा जा रहा है।

(ii) जमुना पार क्षेत्र में मन्डोली में एक नई जेल बनाई जा रही है।

(iii) निशुल्क विधि सहायता एकक स्थापित किया गया है तथा गरीब कैदियों को जमानत इत्यादि प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। इस उपाय से भी भीड़-भाड़ की समस्या को रोकने में सहायता मिली है।

(iv) विचाराधीन कैदियों के मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए सचिव, विधि तथा न्यायिक, दिल्ली प्रशासन की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है।

(च) जी हां, श्रीमान।

(छ) जेल के दौरे के समय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाई गई कैदियों की शिकायतें वहीं पर हल की जाती हैं।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकी विकास एजेन्सी में सेवा नियम

4485. **श्री अमल दत्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकी विकास एजेंसी सेवा-निवृत्ति की आयु के बारे में सरकारी नियमों का पालन करती है;

(ख) क्या इसके सेवा संबंधी कोई नियम हैं; यदि हां, तो क्या ये नियम सरकारी सेवा नियमों के समान हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इनसे सरकारी नियमों से क्या भिन्नता है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) वैमानिकी विकास एजेंसी के सेवा नियम तैयार किए जा रहे हैं और इनको विकास एजेंसी के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तब तक के लिए संविदा आधार पर कुछ नियत अवधि के लिए नियुक्त कार्मिकों को छोड़कर शेष कार्मिकों पर सरकारी नियमों को लागू किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

4486. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल में कोई उपाय किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आवेदनकर्त्ताओं की पुलिस द्वारा जांच करने में लगने वाले समय को कम करने हेतु जिन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) पासपोर्ट जारी करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सत्यापन प्रमाण पत्र समाप्त कर दिया है जिस पर संसद सदस्य या विधान सभा अथवा विधान परिषद् आदि के सदस्य के हस्ताक्षर करवाने होते थे। पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। इस सत्यापन से संबंधित सभी प्राधिकारियों से पुलिस सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र करने के लिए कहा गया है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं

4487. श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है ;

(ख) शेष सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सिफारिशों में कुछ विसंगतियों के बारे में अर्थात् पुनर्नियोजन के मामले में वेतन निर्धारण आदि में सैनिक सेवा का शामिल किया जाना, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने 68 सिफारिशें की थीं। इनमें से सरकार ने 45 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अन्य दो को अंशतः स्वीकार कर लिया गया है और एक और को स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है। दो सिफारिशें आनुषंगिक प्रकृति की हैं और वे अन्य सिफारिशों से जुड़ी है। शेष 18 सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन पर उनकी सेवा शर्तों, वेतन निर्धारण तथा वरिष्ठता आदि के बारे में भी सिफारिशें की थीं। इन मामलों

में समिति की सिफारिशों के विरुद्ध भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् लिया जाएगा।

"इमारती लकड़ी पर रायल्टी दर"

4488. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में इमारती लकड़ी की रायल्टी दरों में अन्तिम रूप से वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनमें कब संशोधन किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में चार दीर्घावधि कूपे पट्टेधारियों के सम्बन्ध में अनन्तिम रूप से रायल्टी दर निर्धारित किये हैं।

(ख) सरकार रायल्टी ढांचे की ओर आगे अध्ययन करने के पश्चात् अन्तिम रायल्टी दर तय करने का प्रस्ताव करती है। ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल कोस्ट्स एण्ड प्राइसेज को सौंपी गयी अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बेरुत में भारतीयों की सुरक्षा

4489. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरुत में कुछ भारतीयों की हत्या की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो बेरुत में कुल कितने भारतीय मारे गए ;

(ग) सरकार ने बेरुत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। भारत का राजदूतावास, बेरुत से प्राप्त सूचना के अनुसार, 6 भारतीय राष्ट्रिकों के एक दल को जब वे 28 जुलाई, 1985 की रात को ताहिता में अपने कार्य-स्थल के समीप अपने कमरे में सो रहे थे जो कि बोरज-आल-बजनेह शिविर के निकट था, नकाब पहने हुए कुछ शस्त्रधारी लोगों द्वारा जबरदस्ती ताहिता से दो किलोमीटर दूर अल काजी के समीप एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और उन पर गोलियां चलाई गईं। पांच भारतीय राष्ट्रिक मारे गए और छटा घायल हुआ।

(ग) जैसा कि सर्वविदित है, बेरुत में स्थिति कुछ समय से अस्थिर बनी हुई है और यह बात उस देश में आने वाले भावी आगन्तुकों को भी मालूम है। किसी भी देश में नागरिकों और विदेशियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होती है।

बेरुत में स्थित भारतीय मिशन ने भारतीय राष्ट्रिकों की हत्या के मामले को इस सूचना के प्राप्त होते ही तुरन्त सुरक्षा महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय के साथ जोरदार ढंग से उठाया। लबनान के प्राधिकारियों ने हमारे मिशन को आश्वासन दिया है कि बेरुत में भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के लिए यथासंभव हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।

बाल अपराधियों के कल्याण के लिए प्रावधान

4490. **श्री मुत्तलापल्ली रामचन्द्रम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल अपराधियों के कल्याण के लिए सातवीं योजना में कोई प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के सभी जिलों में बाल अधिनियम का विस्तार करने के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु और बाल अपराधियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने और उनकी देखभाल, उपचार और पुनर्वास के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु बाल समाज कुसमंजन की रोकथाम और नियंत्रण को एक नई योजना के लिए 2.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समाज रक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति, परामर्श, मार्गदर्शन, रचनात्मक कार्य प्रदान करना भी है। यह योजना प्रारूप स्तर पर है।

[हिन्दी]

पोत पर हेलीकाप्टरों के उतारने के लिए पट्टी (डेक)

4491. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खरीदे गए पोत "सागर सम्पदा" में हेलीकाप्टरों के उतरने के लिए एक पट्टी (डैक) की भी व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी भार वहन क्षमता कितनी है और किसी पट्टी (डैक) की भार वहन सामान्य क्षमता कितनी होती है जिस पर हेलीकाप्टर उतारा जा सकता है ;

(ग) क्या पोत "सागर सम्पदा" की भार वहन क्षमता हेलीकाप्टर के उतरने के लिए आवश्यक भार वहन क्षमता से कम है ; और

(घ) यदि हां, तो "सागर सम्पदा" जहाज को अधिक मूल्य पर खरीदने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 2·2 टन।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। "सागर सम्पदा" भारत-डेनमार्क सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों देशों की सरकारों द्वारा अनुमोदित सुलभ ऋण से प्राप्त किया गया है।

[अनुवाद]

निकारागुआ के विदेश मंत्री का दौरा

4492. श्री आनन्द सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकारागुआ के विदेश मंत्री ने नवंबर, 1985 के तीसरे सप्ताह में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) (क) जी, हां।

(ख) द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। इससे दोनों पक्षों को एक दूसरे के विचार जानने में सहायता मिली है।

पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलीबारी

4493. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुंछ क्षेत्र में भारतीय सीमा पर पाकिस्तान सैनिकों द्वारा गोली-बारी कम नहीं हुई है और उन्होंने 23 नवम्बर, 1985 को भी गोली-बारी की है ;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में भारतीय सीमा पर स्वामिहीन भूमि पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय सैनिकों पर इस प्रकार अकाराण गोली-बारी को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जम्मू और कश्मीर में पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हमारी चौकियों पर अकारण गोली चलाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। 23 नवम्बर, 1985 को भी इसी प्रकार की गोलाबारी की एक घटना हुई है।

(ख) जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सैनिकों के किसी असामान्य जमाव के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) जब भी आवश्यकता पड़ती है ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए क्षेत्रीय कमांडरों के स्तर पर ध्वज बैठकें आयोजित की जाती है और उच्च स्तर पर भी सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

कलकत्ता में भूमिगत रेल के लिए आटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली

4494. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने कलकत्ता की भूमिगत रेल के लिए एक निरंतर आटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की पेशकश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली को इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया गया है कि यह भूमिगत रेल के लिए अपेक्षित किस्म और तकनीकी मानदंडों के अनुरूप नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उचित परीक्षण के बिना इसकी पेशकश करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के किस्म नियंत्रण की कड़ी जांच की जाए और उनके बाद ही उसके उत्पाद आदि बाजार में उपलब्ध किए जाएं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाए गए गए उपस्कर को मैट्रो ने अपनी जून, 1980 की तकनीकी रिपोर्ट में अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया था। तथापि, मैट्रो रेलवे ने अब कहा है कि उस उपस्कर में कुछ परिवर्तन किए जाएं।

(ग) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने उस उपस्कर का विकास मैट्रो रेलवे के साथ गहराई से विचार-विमर्श के बाद किया है जो उस उपस्कर को मैट्रो रेलवे तथा ईसिल द्वारा संयुक्त रूप से दो वर्ष तक निरन्तर परखा और जांचा गया है।

(घ) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए उपस्करों को बाजार में भेजने से पहले उस कारपोरेशन द्वारा बारीकी से और कठोरतापूर्वक परखा जाता है।

"हिमालय के क्षेत्र में चरागाह"

4495. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के काफी बड़े क्षेत्र में चरागाह हैं जो 12 राज्यों में फैली हुई

हैं और कुल 6 करोड़ 15 लाख हेक्टेयर भू-क्षेत्र में है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसमें से कितने क्षेत्र में घास बहुत घनी है ;

(ग) इस क्षेत्र में यार्क सहित और कितने पशुओं को चारा मिलता है ; और

(घ) क्या हिमालय क्षेत्र में वनों और घास भूमि के बारे में अध्ययन किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) यह सच है कि हिमालय में अधिकांश सुगम्य चरागाह क्षेत्रों में अधिक चराई हुई है। बहरहाल, चराई की गहनता निर्धारण तथा हिमालय के वनों एवं चरागाहों की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणालीबद्ध अध्ययन नहीं किया गया है। 1977 की गणना के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम 12 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पशु धन की कुल संख्या 94,011,000 है।

"दावानल"

4496. **श्री पी० आर० कुमारमंगल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावानल वनों के लिए एक भारी खतरा है और यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वनों में कितनी बार आग लगी, उससे कितना क्षेत्र जला, कितना नुकसान हुआ ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान दावानलों, जले क्षेत्र तथा नुकसान की संख्या की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वनों की सुरक्षा के लिए राज्य क्षेत्र की योजनाएं हैं। जिनमें आग से सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। जांच की युक्ति निकालने एवं सिद्धांतों के प्रदर्शन एवं दावानलों के निवारण, खोज एवं दमन के लिए अप्रैल, 1984 से महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय क्षेत्र मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ की गयी है। परियोजना से अर्जित किया गया अनुभव अन्य राज्यों को मार्गदर्शन एवं प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

कानपुर में सफाई के लिए फ्लश (वाटर बोर्न) सिस्टम

4497. डा० वी० वेंकटेश : क्या रक्षा मंत्री कानपुर में सफाई के लिए फ्लस (वाटर बोर्न) सिस्टम के लिए निविदाओं के बारे में 4 दिसम्बर 1985 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2390 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या अन्य ऐजेंसियों के अलावा किसी राज्य सरकार की एजेंसियों ने भी उसके लिए निविदा दी है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रत्येक बोली लगाने वाले का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस मामले को अन्तिम रूप देने के लिए शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने हेतु कमान स्तर और सरकारी स्तर दोनों पर आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) इस समय सारी छावनी में कितने प्रतिशत क्षेत्र में फ्लश सिस्टम उपलब्ध है और पानी की सप्लाई कितने प्रतिशत अपर्याप्त है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) पांच।

(ख) जी, हां।

(ग) बोली लगाने वालों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) मैसर्स रहेजा एसोसिएट्स, कानपुर	परियोजना की अनुमानित लागत का 3.50 प्रतिशत
(2) मैसर्स के० एस० इंजीनियर्स एण्ड कंसलटेंट्स, लखनऊ	परियोजना की अनुमानित लागत 3.75 प्रतिशत
(3) मैसर्स यूनाइटिड कन्सलटेंट्स, नई दिल्ली	परियोजना की अनुमानित लागत का 4.00 प्रतिशत
(4) मैसर्स चावला ट्रेडर्स, नई दिल्ली।	कोई दरें नहीं दी।
(5) उत्तर प्रदेश जल निगम, कानपुर।	परियोजना की अनुमानित लागत का 4.00 प्रतिशत

(घ) परियोजना रिपोर्ट और विस्तृत अनुमान योजनायें तैयार करने के लिए संविदाओं की स्वीकृति के प्रस्तावों पर मध्य कमान लखनऊ मुख्यालय में विचार किया जा रहा है जिन्हें इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की सलाह दी गयी है।

(ङ) इस समय केवल 5.8 कि० मी० तक ही जमीन के अन्दर जल-मल निकासी की

व्यवस्था है और इसमें अभी लगभग 95 प्रतिशत की कमी है। पानी की व्यवस्था सिविल आबादी के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति 71 लिटर और मिलिटरी कार्मिक के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति 200 लिटर है।

विदेशों में मिशनों में सुरक्षा कार्मिक

4498. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों में सुरक्षा कार्मिक नियुक्त किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अपने परिवार साथ रखने की अनुमति है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा गार्डों को अपने परिवार साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) उनके कार्यात्मक दायित्वों तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है। तथापि, पड़ौसी देशों में स्थित हमारे मिशनों में तैनात सुरक्षा गार्डों को अपने परिवार साथ ले जाने की अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मंत्रालय विचार कर रहा है।

दिल्ली में बेनामी फर्मों द्वारा डाक व्यापार

4499. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :

श्री आर० एम० भोये : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में कुछ बेनामी फर्मों द्वारा लाभप्रद "डाक व्यापार" किया जा रहा है (इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 7 सितम्बर, 1985) और अखबारों में विज्ञापन/समाचार देकर बिना शुल्क प्रतियोगिता में शामिल होने का प्रस्ताव करके लोगों को धोखा दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों का पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस प्रकार के "मेल आर्डर फर्म" पुलिस के ध्यान में तभी आती हैं जब किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होती है। वर्ष 1984 और 1985 (31-10-1985 तक) के दौरान इन मेल आर्डर फर्मों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस ने 5 मामले दर्ज किए हैं। इन सभी पांच मामलों में जांच पड़ताल की जा रही है।

मध्य प्रदेश के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

4500. **श्री महेन्द्र सिंह** :

श्री आम्बह सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए क्षेत्र-वार और सेवा-वार कितने वार्षिक योजना परिव्यय का प्रस्ताव

रखा गया था और योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष (1985-86) के लिए क्षेत्र/सेवा-वार कितना योजना परिव्यय मंजूर किया गया है तथा परिव्यय में कितनी कटौती की गई है और इन कटौतियों के परिणामस्वरूप अपेक्षित लक्ष्यों में किस हद तक कमी होने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना 1985-86 के लिए योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शीर्षवार परिव्ययों का विवरण संलग्न है। विकास के किसी शीर्ष के अन्तर्गत यथा अनुमोदित परिव्यय प्रस्तावित परिव्ययों से कम नहीं है। बल्कि, विकास के अनेक शीर्षों के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय प्रस्तावित से अधिक हैं। इस प्रकार लक्ष्यों को कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य योजनाएं तैयार करने के अभ्यास में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव तैयार करना केवल पहला उपाय है। संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इन प्रस्तावों पर योजना आयोग में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाता है तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है। जहां तक संभव होता है, योजनाओं के आकार, क्षेत्रकीय परिव्यय तथा लक्ष्यों के संबंध में सहमत निर्णय लिए जाते हैं।

विवरण

वार्षिक योजना—1985-86—मध्य प्रदेश

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष	परिव्यय—1985-86	
	प्रस्तावित	अनुमोदित
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं		
अनुसंधान और शिक्षा	73	73*
फसल संरक्षण	2300	2500*
भू और जल संरक्षण	765	765*
पशु पालन	506	506*
डेरी विकास	94	94*
मछली पालन	157	157*
वन	1560	2100*
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	13	13*

1	2	3
विपणन	36	36x
जोड़—I	5504	6244
2. ग्रामीण विकास		
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2132	2132
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1971	1971
सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम	360	360
सामुदायिक विकास और पंचायतें	380	380
भूमि सुधार	366	366
एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	35	35
जोड़—II	5244	5244x
3. सहकारिता	1423	1423x
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		
बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	19744	21744
लघु सिंचाई	7339	7399x
नियंत्रण क्षेत्र विकास	2430	2430x
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (समुद्र कटाव को रोकना शामिल है।)	100	100
जोड़—4	29613	31613
5. विद्युत		
विद्युत	39091	43591
ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोत	220	220
जोड़—5	39311	43811

1	2	3
6. उद्योग और खनिज		
ग्राम और लघु उद्योग	1766	1766
मझोली और बड़े उद्योग	1645	1645
खनन	150	150
जोड़—6	3561	3561
7. परिवहन		
नागर विमानन	56	56
सड़कें और पुल	4220	4720
सड़क परिवहन	859	859
पर्यटन	165	165
जोड़—7	5300	5800
8. वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	106	106
पर्यावरणीय कार्यक्रम	517	517
जोड़ —8	623	623
9. सामाजिक और समुदायिक सेवाएं		
सामान्य शिक्षा	2615	3815
कला और संस्कृति	174	174
तकनीकी शिक्षा	335	335
खेल और युवा सेवाएं	63	63
उप जोड़ (शिक्षा)	3187	4387
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2360	2360
मल-व्यवस्था और जलपूर्ति	3929	5054
आवास	1551	1551

1	2	3
सार्वजनिक आवास	62	62
शहरी विकास	665	1140
राज्य निवेश परियोजनाएं	500	500
सूचना तथा प्रचार	49	49
श्रम और श्रमिक कल्याण	114	114
विशेष रोजगार स्कीम (राज्य कार्यक्रम)	41	41
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2458	2458
समाज कल्याण	106	206
पोषाहार	508	608
अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं		
1) गरीबों को कानूनी सहायता देना 2) युवा नेतृत्व के लिए संजय गांधी प्रशिक्षण संस्थान	29	29
जोड़-9	15559	18559
10. आर्थिक सेवाएं		
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	50	50
आर्थिक सलाह और सांख्यिकी	15	15
माप-तोल	3	3
अन्य (कम्प्यूटर केन्द्र)	30	30
जोड़-10	98	98
11. सामान्य सेवाएं		
लेखन सामग्री और मुद्रण	24	24
जोड़-11	24	24
कुल जोड़ —:	106260	117000

*निर्धारित परिव्यय ।

सेबोक और गंगटोक तक सड़क को अपग्रेड करना

4501. श्री के० राजगम्म रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम राज्य में सेवोक में गंगटोक को सड़क की खराब और खतरनाक हालत की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क को शीघ्र मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सेवोक में गंगटोक तक जाने वाली सड़क को कुछ स्थानों पर चौड़ा करके राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर की "सिंगल लाइन" सड़क बना दिया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने कुल 26 पुलों में से जिन्हें स्थायी पुलों में बदलना है, 11 को पहले ही स्थायी पुलों में बदल दिया गया है। और 5 पुलों का निर्माण चल रहा है। शेष 10 पुल अगले 6 वर्ष या इसके आसपास की अवधि में पूरे कर लिए जाने की योजना है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई ढालूदार क्षेत्र भी हैं। इस मार्ग में फिसलने वाले क्षेत्रों और अन्य रुकावटों को हटाने के लिए सीमा सड़क संगठन के साधनों का उपयोग किया जा रहा है। इसका रख-रखाव भी नियमित रूप से किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और उड़ीसा सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां

4502. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उपर्युक्त तीन राज्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त तीनों राज्यों में से किसी ने अपनी सीमाओं पर आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों से सरकार अवगत है। संबंधित राज्य सरकारें, स्थिति से निपटने के लिए सामान्य पुलिस व्यवस्था के अलावा पुलिस की विशेष तैनाती सहित विभिन्न कदम उठा रही है। बेहतर समन्वय और सहयोग रखा जा रहा है और सामयिक बैठकों इत्यादि के द्वारा इन राज्यों द्वारा आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 बटालियनों को तैनात करने की सहायता मांगी थी। तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की वर्तमान समग्र तैनाती और विशेष रूप से असम में चुनाव के कारण, राज्य सरकार को किसी बल को देना संभव नहीं पाया गया। तथापि उन्हें पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पुलिस बल मांगने की सलाह दी गई थी।

लक्षद्वीप में संसाधनों के बारे में चर्चा करने हेतु कोचीन में आयोजित सम्मेलन

4503. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रशासक लक्षद्वीप सागर में संसाधनों के बारे में चर्चा करने हेतु इस वर्ष के आरम्भ में कोचीन में आयोजित किसी सम्मेलन में मिले थे ;

(ख) उसमें किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई ;

(ग) क्या लक्षद्वीप सागर विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) लक्षद्वीप सागर के समुद्रीय तथा खनिज संसाधनों के बारे में 15 और 16 अप्रैल, 1985 को कोचीन में गोल मेज सम्मेलन हुआ था। बैठक में प्रशासन के कुछ अधिकारियों सहित लक्षद्वीप के तत्कालीन प्रशासक तथा विभिन्न संगठनों के 15 वैज्ञानिक उपस्थित हुए थे। बैठक में लक्षद्वीप सागर के संसाधनों को, व्यवहार्यता अध्ययन करने तथा परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिए प्रयाप्त सुरक्षा उपाय बरतने के बाद काम में लाने की सिफारिश की। बैठक में उठाये गये क्षेत्रों में मत्स्य पालन खनिज, सजावटी मछलियां, जल-संवर्धन इत्यादि शामिल थे। लक्षद्वीप प्रशासन बैठक में दिए गए सुझावों की जांच कर रहा है तथा इस संबंध में किए गए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों तथा प्रशासन द्वारा की गई जांच को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठावेगा।

राज्य और केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय

4504. श्री एम० डेनिस : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पुलिस की खुफिया एजेंसियां केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों के सहयोग से काम करती हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) निकट का सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

अमरीका एफ-20 टाईगरशार्क कम्बाट विमान के निर्माण के लिए अमरीकी फर्म के साथ समझौता

4505. श्री वाई० एस० महाजन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीकी एफ-20 टाईगरशार्क कम्बाट विमान का हिन्दुस्तान

एयरोनाटिक्स लिमिटेड में निर्माण करने के लिए एक अमरीकी फर्म के साथ समझौता करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी के अंतरण फालतू पुर्जों के निर्माण के संबंध में अन्य देशों में उपलब्ध विमानों तथा अमरीकी प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व उसकी वित्तीय शर्तें क्या हैं का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया है।

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल की यूनिटों को पुनः सक्षम बनाना

4506. **श्री अनिल बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम ने पश्चिम बंगाल में कार्यरत अपने अनेक यूनिटों को पुनः सक्षम बनाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को हाल ही में कोई कार्य योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) निगम ने अपनी विभिन्न इकाइयां चलाने के लिए अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया है। संशोधित अनुमानों के अनुसार कम्पनी को चालू वित्त वर्ष में परियोजना प्रभाग, सुकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, फल डिब्बाबंदी एकक और मालदा सिल्क कारखाना जिनमें क्षमता की संभावना है, पर अधिक ध्यान और बल देकर 1038.64 लाख रुपए का कुल उत्पादन करने की उम्मीद है। निगम को बजट में निर्धारित पहले ही दी गई 239 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त नवम्बर, 1985 में कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में 125 लाख रुपए की और राशि दी गई थी।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में पुंछ के नजदीक स्थायी खंदकों का निर्माण

4507. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** :

श्री टी० बशीर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और काश्मीर राज्य में पुंछ और राजौरी सीमा के नजदीक स्थायी खंदकों का निर्माण करने की कोशिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त खंदक किसकी जमीन पर बनाए जा रहे थे ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस संबंध में सुरक्षा कर्मचारियों ने किसी पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) पाकिस्तानी सैनियों द्वारा जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा और अन्तरराष्ट्रीय सीमा के आर-पार कोई अनियमित गतिविधि करने का कोई प्रमाण नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

निर्वाह व्यय की तुलना में पेंशन की धनराशि

4508. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन ऑफ पेंशनर ने सरकार से बार-बार मांग की है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के बारे में सरकार की नीति को उदार बनाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो पेंशनभोगियों के संगठनों ने पेंशन को निर्वाह सूचकांक से जोड़ने सहित पेंशन के बारे में क्या सुझाव दिए हैं ; और

(ग) पेंशनभोगियों के संगठनों से प्राप्त सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी हां, पेंशनभोगी तथा उनके संघ पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं को उदार बनाने के लिए सरकार से निवेदन करते रहे हैं । इन प्रसुविधाओं में पेंशनभोगियों के लिए एक अलग आयोग की स्थापना, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, छुट्टी यात्रा रियायत, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि शामिल हैं। अब सरकार ने चतुर्थ वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को संशोधित कर दिया है जिससे आयोग वर्तमान तथा भावी दोनों ही पेंशनभोगियों के लिए मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान प्रसुविधाओं सहित पेंशन के ढांचे की जांच कर सके और अन्य संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित तथा व्यवहार्य सिफारिशें कर सके ।

"आउट ले कट हिट्स सबमेरिन आर० एण्ड० डी०" शीर्षक से समाचार

4509. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 15 नवम्बर, 1985 के इकनामिक टाइम्स में "आउट ले कट हिट्स सबमेरिन आर० एण्ड० डी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है ;

(ख) यदि हां, तो आबंटन में की गई कटौती का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की कटौती से रक्षा विशेष रूप से समुद्री उत्पादन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और उक्त प्रयोजन के लिए पहले से आबटित की गई धनराशि को जारी करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (घ)

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र के कार्यकलापों के संबंध में प्रकाशित समाचार का संबंध अन्य बातों के साथ-साथ "समुद्री यातायात" से है पनडुब्बियों से नहीं जैसा कि बताया गया है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र रक्षा पनडुब्बियों के लिए अनुसंधान तथा विकास संबंधी कोई कार्य नहीं कर रहा है। अत: केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र के लिए किए गए आबंटनों में किसी कटौती से रक्षा उत्पादन एवं नौसेना पनडुब्बियों पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर को महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी बनाना

4510. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री मुकुल वासनिक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1956 के नागपुर समझौते के अनुसार विदर्भ क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि नागपुर शहर को महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी का दर्जा दिया जाएगा ;

(ख) क्या अभी तक नागपुर को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और नागपुर को ऐसा दर्जा कब तक दिए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) 1953 के नागपुर समझौते (1956 का नहीं) पर कुछ राजनीतिक नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। भारत सरकार इस समझौते से संबंधित नहीं है।

विदेशों के साथ प्रत्यापर्ण संधि

4511. **श्री ब्रज मोहन महन्ती :**

श्री रंजीतसिंह गायकवाड़ :

श्री विलास मुतेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत की प्रत्यापर्ण संधि है ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ऐसी संधि करने के लिए बातचीत कर रहा है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार के साथ प्रत्यापर्ण संधि के लिए कोई बातचीत चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां। भूटान नेपाल, बेल्जियम, युगांडा और संयुक्त राज्य अमरीका ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की प्रत्यापर्ण संधि है और ये देश प्रत्यापर्ण संधि अधिनियम, 1962 के अंतर्गत संधि देश के रूप में अधिसूचित हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बंगलौर में चालक रहित, लक्ष्य भेदी विमान का माडल तैयार करना

4512. **श्री माधव रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान बंगलौर चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान का माडल तैयार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या माडल परीक्षण उड़ानों के लिए तैयार हो गया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियां

4513. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-1984 के दौरान और 1985 के पहले आठ महीनों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण): 31-12-1983, 31-12-1984 और 31-8-1985 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

वर्ष 1983, 1984 और 1985 के लिए (अगस्त तक) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	31-12-1983 को	31-12-1984 को	31-8-1985 को
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	2	18
2.	असम	13	6	7
3.	बिहार	23	11	11
4.	गुजरात	—	17	6
5.	हरियाणा	—	1	—
6.	मध्य प्रदेश	53	38	63
7.	महाराष्ट्र	126	210	231

1	2	3	4	5
8.	मणिपुर	18	68	39
9.	उड़ीसा	9	8	14
10.	पंजाब	11	729	499
11.	राजस्थान	2	12	10
12.	तमिलनाडु	4	5	20
13.	उत्तर प्रदेश	75	244	234
14.	चण्डीगढ़	—	8	1
15.	दिल्ली	—	12	7
16.	मिजोरम	—	—	—
	जोड़	339	1371	1129

टिप्पणी :—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के बारे में सूचना शून्य है।

व्यय की योजना की और गैर योजना व्यय में विभाजित करने का आधार

4514. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यय की योजना और गैर-योजना व्यय में विभाजित करने के वैज्ञानिक आधार की जांच की है ;

(ख) क्या योजना के अन्तर्गत आने वाली बहुत सी परियोजनाओं पर बाद में अनेक अनुरक्षण और उन पर अन्य व्यय की आवश्यकता होती है ;

(ग) क्या यह परिहार्य व्यय है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसे गैर-योजना व्यय के रूप में वर्गीकृत करने और बाद में इसमें मनमानी कटौती करने का क्या आधार है ; और

(ङ) क्या व्यय को और अधिक युक्त संगत और वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां। योजना आयोग, सामान्यत: पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, व्यय की योजना और गैर-योजना में वर्गीकृत करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इस समय, योजना में सृजित राजस्व अर्जन न करने वाली परिसम्पत्तियों के रख रखाव के प्रावधान को, उस योजना की शेष अवधि में, योजना परिव्यय के भाग के रूप में रखा जाता है। लेकिन अनुवर्ती योजनाओं के बाद से, रख-रखाव के व्यय को, गैर-योजना व्यय माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि योजना में पूंजीगत माल जोड़ने के बाद, इसके रख-रखाव को वर्षानुवर्ष आधार पर, गैर योजना या राजस्व लेने में अन्तरित कर दिया जाता है। जैसा कि मालूम है, उत्तरोत्तर वित्त आयोग ऐसे सभी व्यय को पूरा आंकलन करते हैं और अपनी सिफारिशों में इसके लिए व्यवस्था करते हैं।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के सम्बन्ध में, व्यय के वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1985-90 की अवधि में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में, सातवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित व्यय के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाए जाएं।

(क) योजना व्यय

निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत सभी प्रस्तावित परिव्यय, योजना परिव्ययों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे :—

(1) सभी स्वीकृत योजना कार्यक्रम/स्कीमें, जो छठी योजना या इससे पहले स्वीकृत की गई थीं और जो 31-3-1985 तक पूरी नहीं हो सकी थीं, से सम्बन्धित परिव्यय। ये परिव्यय "स्पिल ओवर" स्कीमों पर योजना परिव्यय होंगे।

(2) कार्यक्रम/परियोजनाएं/स्कीमें, जो क्षमता में वृद्धि या विस्तार करने पर, या विद्यमान संस्थाओं/प्रतिष्ठानों का और विकास करने के लिए, या की वजह से हैं उन पर सभी परिव्यय। उनमें निहित निवेश, और उनसे सम्भावित अतिरिक्त क्षमताओं का उस समय निर्धारण किया जाए जब इस शीर्ष के अन्तर्गत परिव्यय निर्धारित किए जा रहे हों। ये निवेश, मोटे तौर पर, "उन्नयन" निवेश परिव्यय पर, योजना परिव्ययों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

(3) विद्यमान पूंजीगत, माल (31-3-1985 को) के निष्पादन स्तरों में सुधार करने के लिए निवेश परिव्यय, यदि वे बड़े स्वरूप के हों, ऐसे निवेश परिव्यय जब प्रस्तावित किए जाएं, तब उनके उत्पादन/निष्पादन का उपयुक्त इकाइयों में सम्भावित क्षमता उपयोग या निष्पादन में सुधार का परिणात्मक निर्धारण किया जाना चाहिए।

(4) घिसे-पिटे या पुराने पूंजीगत माल को बदलने के लिए आवश्यक निवेश परिव्यय। ऐसे निवेशों का प्रस्ताव करते समय, बदले जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत माल की क्षय और सुधार जिससे या तो उत्पादन/निष्पादन के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा या अनुरक्षणात्मक लागतों में कमी आएगी, जहां सम्भव हो, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और साथ ही उन्नत संसाधन सृजन या उन्नत पूंजीगत उत्पादन अनुपात के बारे में भी बताना चाहिए।

(5) पूंजीगत लेखे पर नए विकास कार्यक्रम/परियोजनाएं/स्कीमें।

(6) राजस्व लेखे पर नए विकास कार्यक्रम/परियोजनाएं/स्कीमें।

सभी योजना परिव्ययों को सकल आधार पर दिखाना चाहिए अर्थात स्वायत्त निवेशों सहित (उदाहरण के लिए—आंतरिक संसाधनों से) राजस्व सृजित करने वाली परिसम्पतियों के सभी मामलों में (अर्थात् जो राजस्व—चालू लेखे में हैं), सामान्य या चालू प्रतिस्थापन और रखरखाव लागतें सामान्य चालू प्रचालन का भाग होती हैं। राजस्व संचालन में इस प्रकार के पूंजीगत माल का अच्छी हालत में रख-रखाव करना योजना परिव्ययों का भाग नही होगा और उसे चालू राजस्व व्यय का भाग दिखाया जाना आवश्यक है जिसकी पूर्ति सृजित राजस्व से की जानी है।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत योजना परिव्ययों को दिखाने के बाद, सफल प्रस्तावित योजना परिव्यय के वित्त-पोषण के साधनों को, अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए।

(ख) वचनबद्ध गैर-योजना व्यय

गैर-योजना व्यय को वचनबद्ध माने जाने वाली परिव्यय/व्यय की मदें निम्नलिखित हैं :—

(1) 31-3-1985 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि में पूरी की गई विकास स्कीमों के रख-रखाव से सम्बन्धित सभी व्यय।

(2) अग्रेनीत विकास स्कीमों के लिए, परिसम्पतियां पहले ही सृजित की जा सकी हों अथवा सेवाएं सुविधाएं स्थापित कर दी गई हों। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव अथवा सेवाओं/सुविधाओं को वचनबद्ध व्यय माना जाता है।

(3) उन कार्यक्रमों/स्कीमों/कार्यकलापों के मामले में जिन्हें प्रावस्थाबद्ध तरीके से कार्यान्वित करना होता है, पहले से ही इनके अन्तर्गत लिए गए खण्डों के क्षेत्रीय स्टाफ पर व्यय को, मुख्यालय के स्टाफ पर व्यय सहित, वचनबद्ध व्यय माना जाता है, इसमें उन स्कीमों को शामिल नहीं करना है जिनके बारे में समय-समय पर विशिष्ट रूप से बताया गया है।

(4) वर्तमान संस्थाओं और प्रतिष्ठानों के रख-रखाव से सम्बन्धित सभी व्यय।

(5) उन कार्यक्रमों/स्कीमों और कार्यकलापों के मामले में जो आवर्ती अथवा जारी रहने के स्वरूप की है, जैसे भू-संरक्षण, भूमि सुधार, स्वास्थ्य के टीके, मलेरिया की रोकथाम के उपाय, सर्वेक्षण और व्यवस्था आदि के मामले में, केवल मुख्यालय के स्टाफ पर व्यय को ही वचनवद्ध गैर-योजना व्यय माना जाता है।

(6) वर्तमान अनुसंधान स्कीमों का रख-रखाव सम्बन्धी व्यय।

(7) वर्ष 1984-85 के अन्त में, प्राप्त स्तर तक सभी सहायता अनुसंधान।

(8) 1984-85 के अन्त तक, हुए व्यय के स्तर पर, छात्रवृत्तियों और शिक्षावृत्तियों पर होने वाला व्यय।

"जहां वचनवद्ध व्यय के अन्तर्गत, योजना से गैर योजना में अन्तरण से, स्टाफ को जारी रखना शामिल होता है, वहां उसके लिए किसी भी प्रस्तावित सततता के लिए, विशेष सावधानी सहित पूर्ण औचित्य देते हुए उस सम्बन्ध में छानबीन की आवश्यकता होगी।

अनुसंधान (शोध) स्कीमों के सम्बन्ध में, वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान (योजना और गैर-योजना लेखा दोनों ही पर) समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

वचनवद्ध व्यय की देयता, केन्द्रीय योजना स्कीमों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा और राज्य योजना स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। जहां तक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का सम्बन्ध है, समय-समय पर अन्यथा विशेष रूप से बताई गई स्कीमों को छोड़कर, राज्य सरकारें वचनवद्ध व्यय देयता के वहन की व्यवस्था करेंगे।

(ग) पूंजी निर्माण के लिए ऋण

पूंजी निर्माण के लिए सभी ऋणों को योजना में शामिल करना होगा। इनमें सरकारी कर्मचारियों को आवास के लिए तथा उद्योग, कृषि, आदि के विकास के लिए सभी दीर्घावधि और मध्यावधि ऋण शामिल होंगे। तथापि, अल्पावधि ऋण योजना से बाहर रहेंगे, इसके अलावा, उपभोग प्रयोजन के लिए, जैसे स्थानीय निकायों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए ऋणों को योजना के बाहर रखा जाएगा।

(घ) राज्य योजनाओं से बाहर, इस समय में व्यय किए जाने वाले विकास परिव्यय।

वह सभी परि व्यय, जो कि वह समय राज्य योजनाओं से बाहर व्यय किया जा रहा है, जैसे सी० एम० डी० ए० प्रोग्राम तथा अन्य विशिष्ट परियोजनाओं पर होने वाला परिव्यय, राज्य योजना का भाग होगा।

(ङ) प्रशासनिक तथा आवासीय भवन

प्रशासनिक तथा आवासीय भवन में पर होने वाला सभी व्यय राज्य योजनाओं में शामिल

करना होगा। केन्द्रीय ऋणों द्वारा वित्तपोषित पुलिस आवास पर होने वाला व्यय इत्यादि केन्द्रीय योजना परिव्यय का भाग होगा।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के संबंध में उन स्कीमें/कार्यक्रमों के मामलों को छोड़कर जो किसी निश्चित समयावधि तक चलाए जाने हैं, उपर्युक्त खण्ड क-ङ में निर्धारित मापदंड अपनाए जाने चाहिएं। परवर्ती मामले में, 1984-85 के अन्त तक राजस्व तथा निदेश लेखे दोनों ही में व्यय न किए गए कुल परिव्यय को 1985-90 का योजना के लिए योजना परिव्यय माना जाए।

अन्तरिक्ष में खगोलीय उपकरण भेजा जाना

4515. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक का सबसे लंबा और सर्वाधिक सूक्ष्म खगोलीय उपकरण को जल्दी ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वेधशाला विश्व के लिए खुली रहेगी;

(ग) इससे भारत को कितना लाभ होगा ; और

(घ) इसके मुख्य कार्य क्या होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) माननीय सदस्य शायद संयुक्त राज्य अमरीका की नासा एजेन्सी द्वारा अगले वर्ष भेजी जाने वाली अंतरिक्ष दूरबीन के विषय में जानना चाहते हैं ; यदि ऐसा है तो अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली यह प्रथम परिशुद्ध प्रकाशिकी खगोलीय दूरबीन हैं।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका की राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि विश्व के अनेक इच्छुक वैज्ञानिकों को वेधशाला से प्राप्त आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं। पर्यवेक्षण का समय और आंकड़ों की उपलब्धता आदि का चयन इस संबंध निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। बड़ी संख्या में वैज्ञानिकगण अंतरिक्ष दूरबीन से प्राप्त आंकड़ों के प्रयोग की योजना बना रहे हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष दूरबीन से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग पर विचार कर रहे हैं।

(ग) अंतरिक्ष दूरबीन से उपलब्ध प्रकृति के किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक आंकड़े निश्चित रूप से खगोल विज्ञान संबंधी ज्ञान को बढ़ायेंगे। भारतीय वैज्ञानिक भूमि, राकेटों, गुब्बारों से विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए तथा साथ ही विदेशी उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग द्वारा खगोल विज्ञानीय और खगोल भौतिकी संबंधी अध्ययनों में लगे हुए हैं भारतीय उपग्रहों में कुछ खगोलीय नीताभारों को भी लगाने की भी योजना है। जहां तक

अंतरिक्ष दूरबीन का प्रश्न है चूंकि अंतरिक्ष में यह एक बहुत बड़ा उपकरण है, ऐसे प्रयास में भाग लेने से निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। ऐसे प्रयासों में होने वाले आर्थिक लाभों की मात्रा का तत्काल पता नहीं लगाया जा सकता।

(घ) अंतरिक्ष दूरबीन एक उच्च-विभेदन की 2.4 मीटर की प्रकाशीप दूरबीन है, जिसे 1986 के मध्य तक अमरीकी अंतरिक्ष शटल द्वारा भूमध्यरेखा पर 28.50 के झुकाव सहित 590 कि० मी० की ऊंचाई पर पृथ्वी की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस दूरबीन का डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है जिससे अंतरिक्ष शटल के माध्यम से ही कक्षा पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, और नाभीय समतल उपकरणों के प्रतिस्थापन ने विभिन्न खगोलीय पिण्डों और घटनाओं के बड़ी मात्रा में आंकड़ों को एक करना सम्भव कर दिया है। अंतरिक्ष दूरबीन कार्यक्रम का समग्र वैज्ञानिक उद्देश्य अब तक एकत्र किए गए पर्यवेक्षणात्मक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ब्रह्माण्ड के भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है। प्रथम प्रेक्षणात्मक दौर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ नाभीय समतल उपकरणों का विकास यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है।

भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों के लिए हिंदी का ज्ञान

45।6. **श्री रेणु पद दास** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावासों/मिशनों में कार्यरत अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा हिन्दी का संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग सम्बन्धी विधायी उपबंधों की अपेक्षित जानकारी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो वे अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग कैसे करते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों/केन्द्रों को भारत सरकार की राजभाषा नीति से सम्बन्धित उन नियमों और विनियमों के बारे में पूरी तरह जानकारी दी जाती है जिन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय समय-समय पर जारी करता है। अत: विदेशों में स्थित हमारे मिशन/केन्द्र इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह सजग हैं।

(ख) और (ग) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में तैनात अधिकारी मुख्यालय के साथ अपने पत्राचार में तथा विदेशों में स्थित भारतीय राष्ट्रिकों या भारत मूल के लोगों द्वारा आयोजित समारोह में यथासंभव हिन्दी का प्रयोग करते हैं। मंत्रालय भी विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए विदेशों में स्थित अपने मिशनों के जरिए बराबर कोशिश कर रहा है। जिन देशों में भारतीय मूल के लोग काफी संख्या में रहते हैं, उनमें इस दिशा में विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन विदेशों में स्थानीय सरकारों तथा अन्य अधिकरणों के साथ पत्राचार में जहां भी संभव होता है स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना आवश्यक होता है क्योंकि इससे संप्रेषण में सुविधा रहती है जो कि विदेशों में स्थित हमारे मिशनों का मुख्य कार्य है।

राकेट के लिए ईंधन और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उसका प्रयोग

4517. **श्री अख्तर हसन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावी अन्तरिक्ष कार्यक्रमों में प्रयोग करने के लिए देश में पहली बार राकेट के ईंधन का विकास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस ईंधन का उपयोग दिन प्रतिदिन के शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु रिएक्टरों में प्रयोग किया जा सकता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र त्रिवेन्द्रम में उच्च ऊर्जा वाला एक ठोस प्रणोदक ईंधन प्रयोगशाला स्तर पर विकसित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

सिकन्दराबाद छावनी

4518. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद और देश का अन्य छावनियों में नागरिक प्रशासन में गतिरोध आ गया है, जो कि नागरिक निकायों के कई वर्षों से चुनाव न होने से स्पष्ट है और यदि हां, तो प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्र के विधान सभा और संसद सदस्यों को छावनी बोर्डों में नामित कर छावनी बोर्ड के कार्यक्रम में सुधार लाने का है ;

(ग) क्या सिकन्दराबाद में सफाई और सड़कों रहित अन्त नागरिक सुविधाओं की स्थिति काफी खराब हो गई है ; और

(घ) क्या सरकार अपेक्षित गंदी बस्तियों में आवास, शैक्षिक और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर इनमे शीघ्रता से सुधार सुनिश्चित करेगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। नागरिक और अन्य आवश्यक सुविधाओं में सुधार के लिए किए गए विकास कार्यों के वास्ते छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद को मार्च 1985 में सेवा शुल्क के रूप में 90 लाख रुपए की अदायगी की गई।

स्वतंत्रता सेनानियों को वर्ष 1985 में दिए गए लाभ

4519. **श्री राम भगत पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को वर्ष 1985 के दौरान और अधिक लाभ दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब से लागू किया जा रहा है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के लिए पेंशन की मासिक राशि बढ़ा कर 1-6-1985 से 500 रुपए कर दी गई है। पेंशन की राशि के संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए पेंशन अदायगी आदेशों को संशोधित करने हेतु महालेखाकारों को पहले ही विस्तृत अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

2. सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क रेलवे पास देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है। इस योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रथम श्रेणी के कम्पलीमेंटरी चैक पास जारी किए जाएंगे। यह पास रेलवे समय सारणियों में दिए गए सकुंलर पास सहित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच के लिए एक बार के लिए होगा। स्वतंत्रता सेनानी को अपनी पत्नी/पति अथवा एक परिचारक को निःशुल्क उसी श्रेणी में ले जाने की अनुमति भी होगी। यह योजना 1 दिसम्बर, 1985 से लागू हो गई है।

एल० एन० मिश्र मामले में दोषी व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए तिहाड़ जेल में

4520. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेल मंत्री श्री एल० एन० मिश्र की 2 जनवरी, 1975 को हुई हत्या में शामिल कथित व्यक्तियों को इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने के बाद भी बिना किसी मुकदमा चलाए पिछले 10 वर्षों से केन्द्रीय तिहाड़ जेल मे हिरासत में रखा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाए जाने में इतनी देर करने के क्या कारण हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। एल० एन० मिश्र की हत्या के मामले में अन्तर्ग्रस्त पाए गए संबंधित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने में कोई देरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवास सुविधाएं

4521. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छावनी बोर्डों के कर्मचारियों/भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई सहकारी आवास समितियों के माध्यम से छावनी बोर्डों के अन्तर्गत आने वाली भूमि का आबंटन करती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार को आवास कार्य के लिए भूमि आबंटन हेतु नसीराबाद छावनी बोर्ड, राजस्थान के कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों से सहकारी समिति के माध्यम से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाई की गई है और क्या सरकार का विचार इस समिति को भूमि आबंटित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार को छावनी बोर्ड के कर्मचारियों/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी आवास समितियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) उनका आवेदन सरकार की नीति के विरुद्ध होने के कारण रद्द कर दिया गया था ।

[अनुवाद]

"अलार्मिंग राईज इन ड्रग्स एब्यूज" शीर्षक से समाचार

4522. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में "अलार्मिंग राईज इन ड्रग्स एब्यूज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि बम्बई में मादक औषधियों के व्यसनियों की संख्या बढ़कर 80,000 हो गई है ;

(ग) क्या फेरी लगाकर इन औषधियों को बेचने वाले पान वालों के रूप में नियमित रूप के स्कूलों और कालेजों के क्षेत्रों में ये औषधियां बेचते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक नया कानून बनाने का है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। फिर भी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के स्वरूप की बदलती हुई प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए इस मंत्रालय ने जनवरी, 1985 में "छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित बहु-केन्द्रित अध्ययन" आरम्भ किया है। यह अध्ययन 4 महानगरों (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली) और 5 गैर महानगरों (वाराणसी, जबलपुर, जयपुर, हैदराबाद और मंगलौर), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०) नई दिल्ली के समन्वय केन्द्र के सहयोग से अनेक संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसके परिणाम 1986 में उपलब्ध होने की आशा है।

(ग) और (घ) हाल में नारकोटिक ड्रग एण्ड साइकोट्रापिक सबस्टानसिज अधिनियम, 1985 बनाया गया है और 14 नवम्बर, 1985 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और बेचने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।

आदिवासियों के कल्याण के लिए माइक्रो परियोजनाएं

4523. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राचीन जनजातियों के कल्याण लिए कुछ माइक्रो परियोजनाएं आरम्भ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कितनी माइक्रो परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ग) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में ये परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और कब से ; और

(घ) मध्य प्रदेश में अब तक कितने आदिवासी परिवारों को इस प्रकार की योजनाओं से लाभ पहुंचा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में 6 जनजाति समुदायों का आदिम जनजातियों के रूप में पतालगाया गया है। उनके विकास के लिए पांचवीं योजना अवधि से विशेष कार्यक्रम लागू-न्वित किए जा रहे हैं। ऐसी परियोजनाओं के अधीन शामिल किए गए जिले संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राज्य सरकार से ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया है जो सभा पटल पर रखे जायेंगे।

विवरण

क्रम सं०	आदिम जनजाति परियोजनाएं	आबाद क्षेत्र/जिला
1.	अबूझमारी	बस्तर
2.	बैगा	मांडला
3.	पाटलकोट के भारिया	छिन्दवाड़ा
4.	पहाडी कोरवा	रायगढ़ तथा सुरगुजा
5.	कमार	रायपुर (छठी योजना में पता लगाया गया)
6.	सहारिया	ग्वालियर जिला तथा चम्बल खण्ड

कोचीन में नोवियोनिक्स प्रयोगशाला की स्थापना

4524. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोवियोनिक्स प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कोचीन, केरल में स्थापित की जाएगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) इस समय भारत सरकार का एक नई नोवियोनिक्स प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"सोशल इन्फारमेशन इन इंडिया ट्रेंड एण्ड स्ट्रक्चर" नामक प्रकाशन

4525. **श्री अनादि चरण दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में सामाजिक सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त परियोजना के रूप में सामाजिक चलन के रुख का वार्षिक पुनरीक्षण (अर्थात् सामाजिक सर्वेक्षण) किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सामाजिक चलन के रुख की समय-समय पर जानकारी देने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 1983 के प्रारम्भ

में "सोशल इन्फारमेशन इन इंडिया ट्रेड एण्ड स्ट्रक्चर" नामक एक पत्रिका प्रकाशित की थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके बाद इसका कोई और भी संस्करण निकाला गया ; और

(ङ) क्या वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के साथ-साथ प्रति वर्ष सामाजिक सर्वेक्षण भी संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 1975 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से सामाजिक सांख्यिकी, संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी ने अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक स्थिति का विश्लेषण और सामाजिक प्रवृत्ति का वार्षिक पुनरीक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सिफारिश की कि इस प्रकार का पुनरीक्षण कार्य भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संयुक्त परियोजना के रूप में किया जाए। पुनरीक्षण सुगमता से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित होना था और इसका विषय क्षेत्र यथा-समय उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त आंकड़ों के आधार पर धीरे-धीरे बढ़ाया जाना था। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1983 में एक "सोशल इन्फारमेशन इन इंडिया ट्रेंड एण्ड स्ट्रक्चर" नामक प्रकाशन निकाला। जिसमें केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने भी सहयोग दिया। प्रकाशन उस समय उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित था। सम्भाव्यत: इसका प्रयोजक सामाजिक सांख्यिकी तथा सामाजिक संकेतकों के विषय में आर्थिक सर्वेक्षण के समान कार्य करना था। प्रकाशन में सामाजिक सम्बद्धों के मुख्य क्षेत्रों से प्राप्त 43 सामाजिक संकेतकों के बारे में समय शृंखला आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसी स्वरूप का कोई प्रकाशन 1983 के पश्चात् अब तक नहीं निकाला गया है। तथापि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 43 सामाजिक संकेतकों को अद्यतन बनाने का प्रयास किया है। भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को ये पुष्टि करने के लिए लिखा गया है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रस्तुत अद्यतन समय शृंखला आंकड़े अद्यतन तथा सही हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पुष्टिकरण आते ही अद्यतन संकेतक परिचालित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) इस समय वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के साथ-साथ नियमित सामाजिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि सामाजिक संकेतक अद्यतन किए जायेंगे और आवधिक अंतरालों में परिचालित किये जायेंगे।

[हिन्दी]

धनी और निर्धन लोगों के बीच आय में अन्तर

4526. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय समाज के सबसे अधिक निर्धन और धनी व्यक्तियों के बीच किस सीमा

तक आर्थिक असमानता विद्यमान है और दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों की आय के अन्तर की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस असमानता को सरकार किस सीमा तक कम कर सकेगी और सातवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए किन मुख्य बातों पर जोर दिया जाएगा और किसको प्राथमिकता दी जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पंजा) : (क) सबसे गरीब तथा सबसे धनी व्यक्तियों की आय में अंतर अथवा आर्थिक असमानता के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा, आय वितरण के आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से, घनेलू उपभोग के वितरण से संबंधित सूचना उपलब्ध है। 1977-78 तथा 1983 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए दो अद्यतन सर्वेक्षणों के आधार पर, 1977-78 तथा 1983 के लिए अनुमानित, असमानता के मानदंड, लारेंज अनुपात, नीचे दिए गए हैं :—

लारेंज अनुपात

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1977-78	0·3369	0·3447
1983	0·2966	0·3253

यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण तथा शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में उपभोग व्यय की असमानता में कमी आई है।

(ख) सातवीं योजना में आर्थिक असमानता कम करने के लिए कोई भी परिमाणात्मक लक्ष्य नहीं रखा गया है। परन्तु, गरीबी तथा असमानता में कमी करना सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य का अनुपालन करने के लिए, गरीबी पर सीधा प्रहार करने से लेकर, योजना प्राथमिकताओं के विकल्प और संसाधनों के क्षेत्रकीय आवंटन सहित, विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष उपकरणों का उपयोग किया गया है और अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष राजकोषीय उपाय किए गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, इन नीतियों तथा कार्यक्रमों को एकीकृत करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। योजना में, परिसम्पत्तियों और कुशलताओं का मुख्यतः अंतरण करके, और वर्ष के खाली रहने के मौसम में रोजगार उपलब्ध कराकर, गरीबी दूर करने के अनेक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना की भी व्यवस्था की गई है, जिसके लिए, विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में, योजना में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। गरीबों को जीवन की मूल सुख सुविधाएं उपलब्ध कराकर, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यता कार्यक्रम से, उनके रहन-सहन के स्तर में, प्रत्यक्ष रूप से, सुधार होने की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन की कार्यकारिणी में भारत का निर्वाचन

4527. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन की कार्यकारिणी के लिए निर्वाचित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यकाल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां, 19 अक्तूबर, 1985 को सोफिया में यूनेस्को के महासम्मेलन द्वारा भारत के प्रतिनिधि, श्री स्वर्ण सिंह, भूतपूर्व विदेश मंत्री 51-सदस्यीय युनेस्को के कार्यकारिणी बोर्ड में चुने गए थे ;

(ख) श्री स्वर्ण सिंह को कुल 149 में से 146 मत प्राप्त हुए थे जो किसी भी अभ्यर्थी को प्राप्त हुए मतों की तुलना में सबसे अधिक थे। उनका कार्य-काल 9 नवम्बर, 1985 से 4 वर्ष के लिए होगा।

सातवीं योजना के दौरान जिला योजना का संकल्प

4528. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिला योजना का संकल्प प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या जिलों और राज्यों के मध्य कार्य संबंधों को निर्धारित कर लिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) योजना के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर एक योजना से दूसरी योजना में बल दिया जाता रहा है और जिला योजना की संकल्पना को, जिसकी 1969 में ही राज्य सरकारों से संस्तुति की गई थी, सातवीं योजना में पुरजोर तरीके से प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है।

(ख) जिला योजना निकायों को, जिले के लिए योजनाएं तैयार करनी होगी और उन योजनाओं को, राज्य योजना निकायों/राज्य योजना विभागों को, भेजना होगा ताकि राज्य योजनाएं तैयार करते समय इन्हें ध्यान में रखा जा सकें। तथापि, जिला योजना निकायों और राज्य योजना निकायों के बीच वास्तविक कार्यात्मक संबंध का ब्यौरा प्रत्येक राज्य सरकार को ही तैयार करना होगा जिसके लिए उसे विकेन्द्रीकरण के निमित्त अपनी तैयारी को देखना होगा, और जिला योजना में संबंधित कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिशों पर गौर करना होगा, जिस की प्रतियां पहले ही सभी राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी हैं।

उच्च प्रौद्योगिकी का आयात

4529. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किन क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी का आयात करने जा रहा है ; और

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इन उच्च प्रौद्योगिकियों को हमारी प्रौद्योगिकी में समाविष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जिन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जाती रहेगी वे क्षेत्र है जो परिष्कृत तथा उच्च प्राथामिकता क्षेत्र में हैं तथा जिन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास करने से हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में विलम्ब होगा। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि आयात की गई प्रौद्योगिकी को आत्मसात किया जाए तथा उनमें सुधार के लिए आगे प्रयास किए जाएं।

आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानियों के अनिर्णित आवेदन

4530. **श्री टी० बशीर** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानियों के राज्यवार कितने आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) अनिर्णीत मामलों को जल्दी निबटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) चूंकि अधिकांश मामले आवेदकों और/अथवा रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं इसलिए आवेदकों और रक्षा मंत्रालय को अपेक्षित दस्तावेज शीघ्र भेजने के लिए सावधिक रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

विवरण

30-11-1985 भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों के लम्बित मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लम्बित मामले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	28
2.	असम	7

1	2	5
3.	अण्डमान तथा निकोबार	6
4.	बिहार	26
5.	चण्डीगढ़	4
6.	दिल्ली	37
7.	गुजरात	19
8.	हिमाचल प्रदेश	99
9.	हरियाणा	55
10.	जम्मू तथा कश्मीर	123
11.	कर्नाटक	9
12.	केरल	506
13.	मणिपुर	276
14.	महाराष्ट्र	10
15.	मध्य प्रदेश	9
16.	उड़ीसा	147
17.	पांडिचेरी	18
18.	पंजाब	1085
19.	राजस्थान	94
20.	तमिलनाडु	390
21.	उत्तर प्रदेश	201
22.	पश्चिमी बंगाल	23
	जोड़	3172

इंजीनियरी छात्रों को ई० एम० आई० पाठ्यक्रम

4531. **श्री नरसिंह सूर्यवन्शी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी छात्रों के लिए इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इंटरफीरेंस (ई० एम० आई०) और इलेक्ट्रोमेग्नेटिक कम्पेटीबिलिटी (ई० एम० सी०) पाठ्यक्रमों मे सहन पाठ्यक्रम शामिल

करने का सुझाव दिया गया है, जैसाकि 19 नवम्बर, 1985 के दक्कन हैरल्ड में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस प्रश्न का संबंध अध्यक्ष, इलैक्ट्रानिकी आयोग द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 1985 को बंगलौर में आयोजित वैद्युत् चुम्बकीय संगतता पर अखिल भारतीय सम्मेलन तथा कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर दिए गए भाषण से है । वैद्युत् चुम्बकीय व्यतिकरण/वैद्युत चुम्बकीय संगतता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता पर जोर देते हुए अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में यह सुझाव दिया था कि हमारे देश के शैक्षणिक संस्थानों को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए।

इंजीनियरी के छात्रों के पाठ्यक्रम में वैद्युत् चुम्बकीय व्यतिकरण तथा वैद्युत् चुम्बकीय संगतता विषय शामिल करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव इलेक्ट्रानिकी विभाग को नहीं भेजा गया है । किन्तु, इलैक्ट्रानिकी विभाग इलैक्ट्रानिकी पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य रूप से सभी संबंधित संस्थाओं को पहले से ही सलाह दे रहा है और संबंधित संस्थानों से चर्चा करते समय इस सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा ।

प्रादेशिक सेना कार्मिकों को पेंशन देना

4532. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना के कार्मिकों के लिए पेंशन मंजूर की है ;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना के कार्मिकों के लिए पेंशन की विद्यमान योजना में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है ; और

(ग) उक्त योजना में कब तक संशोधन किए जाएंगे ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अर्धसैनिक कार्मिकों की कार्य दशा में सुधार के लिए कदम

4533. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में अर्धसैनिक कार्मिकों की कार्य दशा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) सामान्य रूप से, अर्धसैनिक बलों के और विशेषकर निम्नस्तर अधिनस्थ और वरिष्ठ अधिनस्थ कर्मचारियों के वेतन तथा, अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) अर्ध सैनिक बलों का मनोबल बढ़ाने तथा उनकी लोक छवि सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) इस समय चौथा वेतन आयोग अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों समेत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के वर्तमान ढांचे से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कल्याण कार्यों के लिए किए गए 50 लाख रुपए के प्रावधान के अतिरिक्त ऐसे कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त धन राशि की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है।

केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिक उत्कृष्ट वीरता, साहस कर्तव्य परायणता का परिचय देने पर वीरता पदक प्राप्त करने के पात्र हैं। वे प्रतिष्ठित/प्रशंसनीय सेवा के लिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेवा पदक प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के दौरान पुलिस और जनता के बीच उचित सम्बन्ध सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

4534. श्री कुंवर राम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण किसानों और दस्तकारों द्वारा सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली भाषा में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी साहित्य तैयार करने और उसे उनमें वितरित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना तैयार की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

कृषि :

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी० ए० आर०) प्रगतिशील कृषकों के लिए कृषि पर "खेती", "फल-फूल", "कृषि चयनिका" जैसी पत्रिकाओं के रूप में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक साहित्य हिन्दी में प्रकाशित करता है एवं "आई० सी० ए० आर० टैक्नोलोजीस फार बैटर क्राप्स" शीर्षक —बुलेटिन निकालता है। आई० सी० ए० आर० संस्थान/कृषि विश्व-विद्यालय अपने-अपने क्षेत्रों की संगति के विषयों पर क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तार बुलेटिन प्रकाशित करते हैं।

(2) कृषि मन्त्रालय अपने विस्तार निदेशालयों के माध्यम से कृषकों के लिए हिन्दी में तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन प्रकाशित करता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र :

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई०सी०एम०आर०) जन-सामान्य के उपयोग के लिए जन स्वास्थ्य की महत्ता के चुनिन्दा विषयों पर साहित्य प्रकाशित करता है। कुछ आई० सी० एम० आर० संस्थान हिन्दी में तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तिकाओं तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन करते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्र :

(1) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) नेशनल रिसर्च डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जैसी कई सरकारी एजेन्सियां जन सामान्य के बीच वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक जानकारी को फैलाने के लिए हिन्दी में तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, न्यूज लैटर आदि प्रकाशित करते हैं।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं सी० एस० आई० आर० भी हिन्दी में और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लोकप्रिय वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य को पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशित करने के लिए समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर्स

4535. श्री निरंजन्न मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर्स स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा में कोई रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर स्थापित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कब तथा स्थापना से लेकर अब तक इस सेंटर द्वारा क्या-क्या विभिन्न कार्य किए गए हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जिन राज्यों में सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र/यूनिटें/सेल स्थापित किए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं : उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान और केरल। जिन राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों ने सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र/यूनिटें/सेल स्थापित करने की मंजूरी दे दी है उनके नाम इस प्रकार हैं : हरियाणा, बिहार, जम्मू और काश्मीर तथा मणिपुर।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (ओ० आर० एस० ए० सी०) को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अन्तर्गत अप्रैल 24, 1984 को पंजीकृत किया गया है। अपनी स्थापना के समय से ही उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र कई सुदूर संवेदन संबंधी उपयोगों में लगा हुआ है और यह केन्द्र भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह —उपयोग परियोजना (आई० आर० एस०—यू० पी०) जैसे फसल की पैदावार की पूर्व सूचना और मृदा मानचित्रण सम्बन्धी कार्य भी कर रहा है। उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के सहयोग से एक संयुक्त मृदा मानचित्रण परियोजना शुरू की है।

"परिस्थितिकीय संतुलन का बिगड़ना"

4536. **श्री जी० एस० सिंघ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिस्थितिकीय संतुलन विशेषकर वन क्षेत्रों में, के बिगड़ने के क्या प्रमुख कारण हैं ;

(ख) परिस्थितिकीय संतुलन के बिगड़ने के क्या परिणाम हुए हैं ; और

(ग) संतुलन को बिगड़ने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा करने की योजना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउररहमान अन्सारी) : (क) भूमि का अपवर्तन जिसे कि वन आवरण के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए, सहित अनुपयुक्त भूमि उपयोग, गैर-कानूनी कटाई, अत्यधिक चराई, झूम खेती तथा आग प्रमुख कारण हैं जो पारिस्थितिकी संतुलन विशेषकर वन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

(ख) मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और प्राणी तथा पादप जात का ह्रास

हुआ है। मानव आवश्यकताएं जो कभी वनों से पूरी होती थीं उनकी आपूर्ति में या तो कमी आयी है या पूर्णतः गायब हो गयी है। बाढ तथा भूमि कटाव अधिक होने लगे हैं।

(ग) उठाये गये तथा उठाये जाने वाले कदम ये हैं—

(1) सुधारी गई भूमि प्रयोग प्रणालियां।

(2) विद्यमान वनों का बचाव।

(3) वनस्पति आवरण के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए वन-रोपण।

(4) परती भूमि का विकास।

(5) समन्वित नदी घाटी तथा पारिस्थितिकी विकास परियोजनायें।

(6) महत्वपूर्ण जल-विभाजकों में मृदा संरक्षण।

(7) वन्यप्राणी वास-स्थलों तथा प्रकृति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संरक्षण तथा बेहतर प्रबन्ध।

योजना आयोग के कार्यकरण में सुधार करने हेतु कदम

4537. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :**

श्री राधाकान्त डिगाल : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का योजना आयोग के कार्यकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में निवेश योजना तथा नीति विश्लेषण के लिए योजना आयोग की क्षमता में सुधार करने का निर्णय किया गया है। ऊर्जा/परिवहन क्षेत्रकों में दीर्घावधि क्षेत्रकीय प्रतिमान (मॉडलिंग) की शुरूआत करने के लिए कार्यवाई की गई है और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त अनुभव और पृष्ठ-भूमि रखने वाले विशेषज्ञों का एक दल गठित करने का प्रस्ताव है। नीति विकल्पों और व्यवहार्य विकल्पों का विकास करने सम्बन्धी योजना आयोग के विश्लेषणात्मक कार्य की क्षमताओं के उन्नयन के निमित्त, विभिन्न अध्ययन दल गठित करने का भी निर्णय किया गया है। योजना आयोग की क्षमताओं का उन्नयन करने तथा इन्हें आयोग के आदेश के अनुरूप बढ़ाने के लिए आयोग के सचिवालय में स्टाफ की पुनः विस्तार/तैनाती करने का प्रस्ताव है।

राजपत्रित कर्मचारियों को अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन चिट्ठों में लाने का प्रस्ताव

4538. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या रक्षा मंत्री राजपत्रित कर्मचारियों को अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन चिट्ठों में लाने के प्रस्ताव के बारे में 6 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2151 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालयों के राजपत्रित कर्मचारियों को अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन चिट्ठों में लाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राजपत्रित कर्मचारियों को अराजपत्रित कर्मचारियों की तरह अपना वेतन नकद लेने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतिम कार्य दिवस पर उनका वेतन उनके लेखे में जमा कर दिया जाए ;

(ग) क्या अग्रिमों और अदायगी की मंजूरी के मामले में अत्याधिक विलम्ब होता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रशासन और सी० डी० ए० मुख्यालय की प्रक्रियाओं को सरल और सुचारू बनाने के कोई प्रस्ताव हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) वायुसेना मुख्यालय में कार्यरत राजपत्रित कर्मचारियों के लिखे "वैयक्तिक चालू खाता लेखा प्रणाली" के अनुसार रखे जाते हैं इसलिए उनके वेतन पत्र (पे बिल) तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेना मुख्यालय तथा अंतर सेवा संगठन में कार्यरत ऐसे राजपत्रित कर्मचारियों के वेतन-पत्र, जिनके कार्यालय साथ-साथ हैं, नियंत्रक रक्षा लेखा, नई दिल्ली को समेकित वेतन-पत्र के रूप में भेजे जाते हैं। संबंधित बैंकों के नाम और इन कर्मचारियों की लेखा संख्याएं वेतन-पत्र में दर्शाई जाती हैं और उन्हें देय धनराशि प्राप्त होने के प्रमाणस्वरूप वेतन-पत्रों पर उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। नियंत्रक, रक्षा लेखा (मुख्यालय), नई दिल्ली वेतन-पत्र में दर्शाए गए संबंधित बैंकों के नाम सीधे "वेतन-चैक" भेजता है।

जिन राजपत्रित कर्मचारियों के कार्यालय अलग-अलग जगहों पर और एक-दूसरे से दूर हैं तथा जो नौसेना मुख्यालय में काम कर रहे हैं उनके वेतन-पत्र अलग-अलग बनाए जाते हैं।

अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में संबंधित स्थापना ग्रुप आहरण एवं संवितरण प्राधिकारी के रूप में काम करता है इसलिए नियंत्रक, रक्षा लेखा (मुख्यालय), नई दिल्ली को वेतन-पत्र भेजने से पहले उन पर अराजपत्रित कर्मचारियों के दस्तखत नहीं लिए जाते हैं।

राजपत्रित कर्मचारियों को अपना वेतन चैक द्वारा अथवा नकद लेने का विकल्प है। लेकिन इस समय कोई भी राजपत्रित कर्मचारी अपना वेतन नकद नहीं ले रहा है। ऊपर बताई गई मौजूदा कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रक, रक्षा लेखा (मुख्यालय), नई दिल्ली संबंधित बैंकों को पहले ही चैक भेज देता है और उन पर यह टिप्पणी अंकित होती है— "महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले देय नहीं।"

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पनडुब्बी परियोजना में देरी

4539. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनडुब्बी परियोजना के लिए के० आई० ई० एल० पश्चिमी जर्मन में एच० डी० डब्ल्यू० डाक में प्रशिक्षित अनेक अधिकारी माझगांव डाक० लि० को छोड़ गए हैं ;

(ख) क्या इससे तथा अन्य समस्याओं के परिणामस्वरूप परियोजना में अनिश्चित विलम्ब हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो अत्याधिक विलम्ब का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) तेजी से परिणाम प्राप्त करने के लिए परियोजना के प्रबंध के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाए किए गए हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) इस परियोजना की प्रगति पर सरकार और मैसर्स माझगांव डाक लि० द्वारा नियमित रूप से नजर रखी जाती है ताकि इसमें आने वाली कठिनाइयों और अड़चनों का पता लगाया जा सके और उन्हे दूर करने के उपाय किए जा सकें। ऐसा अनुमान है कि माझगांव डाक लि० द्वारा इसे सौंप देने का जो समय नियत किया था उसका मोटे तौर पर पालन किया जाएगा। आरम्भ में, अत्याधुनिक तकनालाजी के उपयोग और इसमें विहित जटिल प्रक्रिया के कारण कुछ देरी हुई लेकिन माझगांव डाक लि० ने इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की है।

भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार देना

4540. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास निदेशालय ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार देने में सहायता की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में निदेशालय में रोजगार के लिए कितने भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे और प्रत्येक वर्ष कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया ;

(ग) छठी योजनावधि के दौरान वस्तुतः कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया और 1 अप्रैल, 1985 को कितने भूतपूर्व सैनिक रोजगार के लिए पंजीकृत थे ;

(घ) निदेशालय द्वारा तेजी से रोजगार का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और क्या निदेशालय को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से पर्याप्त सहयोग मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार का सहयोग मिला है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निदेशालय अपने यहां केवल भूतपूर्व सैनिक अफसरों का पंजीकरण करता है और नियोक्ताओं की मांग के अनुसार उनके नाम रोजगार के लिए भेजता है। रोजगार के लिए विवरणियां पंचांग वर्ष के आधार पर संकलित की जाती हैं न कि वित्तीय वर्ष के आधार पर। वर्ष 1980 से 1985 (जून तक) प्रत्येक वर्ष पंजीकृत तथा रोजगार प्राप्त अफसरों की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर में कैलेण्डर वर्ष 1980-84 तथा जून 1985 तक रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिक अफसरों और अन्य रैंकों की संख्या 115226 है। एक अप्रैल, 1985 को पंजीकृत अन्य रैंकों के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय अन्य बातों के साथ-साथ—

(क) भूतपूर्व सैनिकों/सेवा निवृत्त हो रहे कार्मिकों को रोजगार के लिए अच्छी तरह से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है ;

(ख) नौकरियों में सीधे ही अफसरों के नाम भेजता है ;

(ग) केन्द्र तथा राज्य एजेंसियों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के वास्तविक रोजगार पर निगरानी रखता है ;

(घ) राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों के आरक्षण के प्रश्न पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत पुनर्वास महानिदेशालय निम्नलिखित कार्य भी कर रहा है :—

(1) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उचित नीतियों के प्रस्ताव रखना ;

(2) केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना ;

(3) इससे संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के कार्यों पर नजर रखना और उनके साथ समन्वय स्थापित करना।

अपने कार्य को पूरा करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय सरकार और साथ ही राज्य सरकारों के विभागों से समर्थन, सहयोग और सहायता प्राप्त करता है। इस महानिदेशालय और रक्षा मंत्रालय का सदैव यह प्रयास रहा है कि इस सहयोग को और बढ़ाया जाए।

विवरण

वर्ष 1980-85 के दौरान पंजीकृत और रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों का विवरण

वर्ष	पंजीकरण	रोजगार
1980	294	125
1981	459	184
1982	406	152
1983	545	171
1984	419	176
1985 (जून तक)	208	102

विक्टोरिया क्रास और परमवीर चक्र विजेताओं के गांवों का विकास

4541. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विक्टोरिया क्रास और परमवीर चक्र विजेताओं के गांवों को आदर्श गांव घोषित करने और उनका आदर्श गांवों के रूप मे विकास करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं और किस संभावित तारीख तक इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया जाएगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों का प्रकाशन

4542. श्री एस० एम० गुरुडी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों का प्रकाशन कब किया गया था ;

(ख) क्या ये आंकड़े सामान्यत: दो अथवा तीन वर्षों के अत्याधिक विलम्ब के बाद प्रकाशित किए जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जनवरी, 1984 में प्रकाशित किया गया था जिसमें 1981-82 तक विस्तृत अनुमान तथा 1982-83 के समाहार स्तर पर शीघ्र अनुमान दिए हुए थे और 1982-83 तक इसी प्रकार के अनुमान तथा वर्ष 1983-84 के शीघ्र अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में जनवरी, 1985 में प्रकाशित किए गए थे ;

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सातवीं योजना में गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए अनुसूचित जातियों के परिवारों के लिए अपेक्षित अनुमानित वित्तीय सहायता

4543. श्री अनंत प्रसाद सेठी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी योजना आयोग के एक अध्ययन दल ने अनुमान लगाया है कि अनुसूचित जातियों के 1.50 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुमानत: 11,130 करोड़ रु० की आवश्यकता है ; और

(ख) क्या देश में सबसे पिछड़े राज्य उड़ीसा में इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जातियों के निमित्त विशेष संघटक योजना (1985-90) पर अपने योजना दस्तावेज में बताया है कि, ऐसा कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

[हिन्दी]

इलाहाबाद जनरल अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति

4544. श्री महेन्द्र सिंह : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के सेना चिकित्सा कोर का एक मात्र जनरल अस्पताल इलाहाबाद में स्थित है ;

(ख) क्या 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान इस अस्पताल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ;

(ग) यदि हां, तो क्या सेना मुख्यालय तथा मंत्रालय के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद जनरल अस्पताल में पांच कमीशन प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों में से किसी को भी वहां नियुक्त नहीं किया है जिसके कारण इस अस्पताल का कार्य लगभग रुक गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन पांच कमीशन प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों जो आजकल उत्तर प्रदेश में ही नियुक्त हैं, में से एक या अधिक को इलाहाबाद जनरल अस्पताल में तैनात करने का है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) प्रादेशिक सेना के सात जनरल अस्पताल हैं और इनमें से एक इलाहाबाद में स्थित है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इलाहाबाद के जनरल (प्रादेशिक सेना) में चिकित्सा अधिकारियों की स्वीकृत संख्या पांच है। इनमें से तीन चिकित्सा अधिकारी इस समय इस अस्पताल में नियुक्त हैं। अन्य दो अफसरों में से एक ने हाल ही में प्रादेशिक सेना कमीशन से त्यागपत्र दे दिया है और दूसरे को राज्य सरकार ने इलाहाबाद से बाहर स्थानान्तरित कर दिया है। इन रिक्तियों के कारण जनरल अस्पताल (प्रादेशिक सेना) के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

[अनुवाद]

"सामाजिक वानिकी को एक जन आन्दोलन बनाने की योजना"

7545. श्री प्रियरंजन दास मुंशी :

श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक वानिकी को एक जन आन्दोलन बनाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) जनता की नर्सरियां-नर्सरियों का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा और छोटे और सीमान्त किसानों, स्कूलों, औरतों के दल इत्यादि द्वारा नर्सरियां लगायी जाएंगी।

(2) वृक्ष उगाने के लिए जमीन को पट्टे पर दिए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

(3) फार्म वानिकी को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों का गठन।

(4) परती भूमि का विकास करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(5) जलाने की लकड़ी, चारा तथा अन्य वृक्ष तथा घासों को, जिनकी महिलाओं को आवश्यकता होती है, को बढ़ावा देने के लिए महिला मण्डलों तथा अन्य महिला संगठनों का उपयोग किया जाएगा।

(6) जहां कहीं भी परिस्थितियां अनुकूल हैं, वहां बीज बोये जायेंगे।

(7) वृक्ष फसलों के साथ घास और अन्य चारे को उगाया जाएगा।

(8) फार्म वानिकी के अनुपात को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(9) कुछ चुने हुए जिलों में गहन परती भूमि विकास।

(ग) उपर्युक्त कार्य पद्धति के आधार पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पुनः निर्धारित हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

रेडियो धर्मिता से उत्पन्न बाधाओं के लिए सुरक्षा उपाय

4546. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतुलित परमाणु नीति संबंधी समिति द्वारा 19 अक्तूबर, 1985 को वाई० एम० सी० ए० में आयोजित परमाणु नीति के बारे में 19वीं अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में बताया गया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) विचारगोष्ठी में अन्य क्या सुझाव दिए गए ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सरकार ने इस बारे में प्रैस रिपोर्ट देखी है। इन रिपोर्टों में जो कहा गया है वह सही नहीं है। परमाणु

ऊर्जा विभाग के सभी संस्थापनों में विकिरण से संबंधित सभी मामलों में सुरक्षा संबंधी उन मानकों को अनुपालन सख्ती से किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय विकिरण बचाव आयोग ने निर्धारित किए हैं।

दिल्ली में वैमानिक विकास एजेंसी के लिए किराए पर आवास

4547. **श्री अमल दत्त** :क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैमानिकी विकास एजेंसी के अपने मुख्यालय और कार्यालय हैं ; और

(ख) क्या वैमानिकी विकास एजेंसी ने दिल्ली में आवास खरीदा है/किराए पर लिया है यदि हां, तो इस आवास का क्या उपयोग किया गया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) वैमानिकी एजेन्सी का पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कार्यालय दिल्ली में है। वैमानिकी विकास एजेन्सी के महा-निदेशक और अन्य अधिकारियों के कार्यालय बंगलौर में हैं।

(ख) जी, नहीं।

वैमानिकी विकास एजेंसी को सौंपे गए कार्य

4548. **श्री अमल दत्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैमानिकी विकास एजेंसी को क्या विशेष कार्य सौंपे हैं ; और

(ख) वैमानिकी विकास एजेंसी के संगठन ढांचे और इसके प्रमुख कार्मिक विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है और जिन्हें उक्त कार्य पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है, वैमानिकी के क्षेत्र में उनका पिछला अनुभव तथा उपलब्धियां क्या हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) वैमानिकी विकास एजेन्सी का मुख्य कार्य हल्के लड़ाकू विमान कार्यकलापों से संबंधित कार्यक्रमों पर नजर रखना और उनका प्रबंध करना होता है।

(ख) वैमानिकी विकास एजेन्सी एक पंजीकृत संस्था है और रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसका संगठन तीन स्तरीय है अर्थात्, महासभा, प्रशासी निकाय और कार्यकारी निकाय। इसका प्रधान कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक है। इस समय मुख्य वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक ये हैं :—

डा० कोटा हरिनारायण, हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के निदेशक ; श्री बी०, गोपालन निदेशक (प्रणोदन) और कैप्टन एस० के० राय, भारतीय नौसेना, उपनिदेशक (पद्धति) इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० के डिजाइन ब्यूरो के मुख्य डिजाइनर श्री एच० शिवमूर्ति, वैमानिकी विकास एजेन्सी के तत्वाधान में मिलेजुले हल्के

लड़ाकू विमान डिजाइन दल के प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री के अरावमुदन वैमानिकी विकास एजेन्सी में प्रशासन, वित्त तथा संविदा निदेशक हैं। श्री अरावमुदन, डा० कोटा हरिहरण, श्री वी० गोपालन, कैप्टन एस० के० राय और श्री डी० एच० शिवमूर्ति के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

अनुभव तथा उपलब्धियां

1. डा० कोटा हरिनारायण

वैमानिकी विकास एजेन्सी के हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के निदेशक।

डा० कोटा हरिनारायण 42 वर्ष के हैं और उनके पास भारतीय विज्ञान संस्थान से वैमानिकी में स्नानकोत्तर डिग्री है तथा वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से पी० एच० डी० हैं।

डा० कोटा हरिनारायण जो इस समय वैमानिकी विकास स्थापना बंगलौर के निदेशक हैं एक वैमानिकी इंजीनियर हैं। उन्हें विमान परियोजना के क्षेत्र में, पहले नासिक डिवीजन की हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० में चीफ रेजीडेंट इंजीनियर के रूप में और फिर चीफ डिजाइनर के रूप में कई अनुभव प्राप्त हैं। एक बड़ी विमान परियोजना के विकास में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान को आधुनिक बनाने में बहुत प्रगति हुई है। वैमानिकी में एरोडाइनामिक अध्ययनों और विमान की कार्यक्षमता के विश्लेषणों जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के अतिरिक्त डा० हरिनारायण को लड़ाकू विमानों की कार्यक्षमता और उड़ान पद्धतियों के एकीकरण तथा उनमें लगने वाले हथियारों का व्यापक अनुभव है।

2. श्री वी० गोपालन

वैमानिकी विकास एजेंसी के परियोजना निदेशक (प्रणोदन) :

श्री वी० गोपालन के पास बी० ई० (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) डिग्री है और उन्हें प्रक्षेपास्त्र और विमान प्रणोदन पदति में विशेषज्ञता प्राप्त है।

श्री गोपालन ने ए० डी० ई०, डी० आर० डी० एल०, जी० टी० आर० ई०, सी० वी० आर० डी० ई०, आर० एस० आर० ओ०, और आई० ए० टी० में 27 वर्षों से भी अधिक सेवा की है और डिजाइन/विकास के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया है :—

(क) लड़ाकू विमान के लिए हवाई हथियार।

(ख) प्रक्षेपास्त्रों, विमानों, लड़ाकू टैंकों आदि के लिए आर० ए० ओ० (राकेट असिस्टिड टेक आफ) की प्रणोदन पद्धति।

(ग) देशी विमान गैस टरबाइन इंजन परियोजनाएं ।

3. कैप्टन (भारतीय नौ सेना) एस० के० राय

वैमानिकी विकास एजेन्सी में उप परियोजना निदेशक (पद्धति)

कैप्टन एस० के० राय के पास जादवपुर विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है । उनके पास क्रानफील्ड इन्स्टीट्यूट आफ टेकनोलोजी यू० के० से फ्लाइट "कन्ट्रोल" में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रीकल एवं कन्ट्रोल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है ।

कैप्टन एस० के राय ने 25 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है और अप्रैल 1972 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में आने से पहले उन्होंने भारतीय नौसेना में विभिन्न ओहदों पर कार्य किया । रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की वैमानिकी विकास स्थापना में कैप्टन राय फ्लाइट कन्ट्रोल पद्धतियों के प्रधान रह चुके हैं और वे मानवरहित उड़ने वाले वाहनों के लिए फ्लाइट कन्ट्रोल पद्धति के डिजाइन एवं विकास के लिए जिम्मेवार रहे हैं ।

4. श्री डी० एच० शिवमूर्ति

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के डिजाइन ब्यूरों के ऊपर मुख्य डिजाइनर ।

श्री डी० एच० शिवमूर्ति के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी० ई० डिग्री है और उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान से डी० आई० आई० एस० सी० (एरोनाटिकल इंजीनियरिंग) में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है । उन्होंने अक्तूबर, 1955 में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० में कार्यभार संभाला और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० में चल रही कई परियोजनाओं में विभिन्न पदों पर रहे । इस समय श्री शिवमूर्ति एयरक्राफ्ट डिजाइन ब्यूरो में अपर मुख्य डिजाइनर हैं और उन पर हल्के लड़ाकू विमान के संरूपण डिजाइन से संबंधित कार्यकलापों का दायित्व है ।

5. श्री के० अरवमुदन

वैमानिकी विकास एजेन्सी के निदेशक (प्रशासन, वित्त एवं संविदाएं)

श्री के० अरवमुदन भारतीय रक्षा लेखा परीक्षा सेवा अधिकारी हैं और वैमानिकी अनुसंधान तथा विकास तथा उद्योग से संबंधित वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबंध में उन्हें काफी अनुभव प्राप्त है । उन्होंने रक्षा मंत्रालय में कई पदों पर कार्य किया जिनमें "एकीकृत वित्त सलाहकार" और "अपर सचिव (रक्षा अनुसंधान)" शामिल हैं । रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव (अनुसंधान, तथा विकास) के रूप में सेवानिवृत्त होने पर श्री अरवमुदन को 2 वर्ष की अवधि के लिए वैमानिकी विकास एजेन्सी में नियुक्त किया गया है ।

भारतीय नौसेना के लिए विमान वाहक पोत

4549. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना को एक नए विमान वाहक पोत की आवश्यकता है

क्योंकि विक्रांत की 1995 में इसके उपयोग की अवधि समाप्त हो जाएगी तथा देश को ऐसा विमान वाहक पोत बनाने का कोई अनुभव नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा पोत प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो ऐसे पोत चयन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय, जो युद्ध पोतों के निर्माण के लिए मूलत: जिम्मेदार है के प्रमुख एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, क्योंकि उपयुक्त योग्यता और अनुभव का कोई नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ अधिकारियों की एक सूची तैयार करने और उन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) रक्षा मुख्यालयों में ऐसे और कितने निदेशालय हैं जो सेवानिवृत्त अधिकारियों के अधीन हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) आई० एन० एस० विक्रांत की कार्यावधि 1990 में समाप्त होनी है इसलिए उसका विकल्प ढूंढने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए कई विकल्पों का पता लगाया जा रहा है/मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस समय नौसेना डिजाइन निदेशालय के प्रधान अधिकारी नौसेना के सेवानिवृत्त अफसर हैं जिन्हें इस संबंध में अपेक्षित अनुभव प्राप्त हैं। इस कार्य के लिए उन्हें सबसे योग्य व्यक्ति समझा गया है। सेवारत नौसेना कार्मिक भी इस डिजाइन दल में काम कर रहे हैं। नौसेना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ङ) नौसेना मुख्यालय के किसी अन्य निदेशालय में सेवानिवृत्त अधिकारी उसके प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं हैं।

अनुसूचित जातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव

4550. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा, इंजीनियरी, कृषि और पशु पालन पाठ्यक्रमों में प्रथम श्रेणी पाने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नकद प्रोत्साहन देने के बारे में एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) ऐसा कोई विचार इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में नेत्रहीनों के लिए नौकरियों में आरक्षण

4551. **प्रो० मधु दण्डवते :**
श्री कुंवर राम :
श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेत्रहीनों की संस्था को विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नेत्रहीनों के लिए नौकरियों में आरक्षण किए जाने के बारे में आश्वासन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सरकारी विभागों में नेत्रहीनों के लिए कितने प्रतिशत नौकरियों का आरक्षण निर्धारित किया गया है ; और

(ग) उक्त आरक्षण नीति को लागू करने में कितनी प्रगति हुई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नेत्रहीनों के लिए अभिज्ञात समूह "ग" और "घ" पदों में 1 प्रतिशत पद आरक्षित हैं ।

(ग) 1984 में की गई प्रगति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :—

1984

अभिज्ञात पदों की कुल संख्या	अभिज्ञात पदों का 1 प्रतिशत	भरे गए पद
	केन्द्रीय सरकार	
समूह "ग" 3397	34	34
समूह "घ" 1657	17	17
	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	
समूह "ग" 2818	28	54
समूह "घ" 1104	11	15

भर्ती पर प्रतिबंध के कारण संघ राज्य क्षेत्रों के योजना व्यय पर प्रभाव

4552. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती पर प्रतिबंध होने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों में योजना व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और बजट में उपबंध किए जाने के बावजूद, पदों के सृजन पर प्रतिबंध न उठाए जाने के कारण आबंटित धनराशि खर्च नहीं की जा सकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के बारे-में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1984-85 के योजना आबंटनों का उपयोग कर लिया है।

पर्वतीय क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना

4553. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान देने हेतु पर्वतीय क्षेत्र विकास बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र के समक्ष यह विचा रखा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा): (क) और (ख) हिमालय क्षेत्र की समस्याओं को, समन्वित रूप से देखने के लिए और विस्तृत नीति संबंधी मार्गदर्शन तथा निदेश देने के लिए, एक हिमालय पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के ब्यौरे, जैसे उसका गठन, विचारार्थ विषय आदि का कार्य चल रहा है।

(ग) जी, नहीं ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ई० पी० ए० बी० एक्स० और टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

4554. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र ने साल (शार्टलिस्टेड) प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ई० पी० ए० बी० एक्स० और टेलीफोन उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) और (ख) सरकार ने ई० पी० ए० बी० एक्स के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए तीन विदेशी सहयोगकर्ताओं तथा इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए तीन अन्य विदेशी सहयोगकर्ताओं का चयन किया है। विदेशी सहयोगकर्ताओं के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

ई० पी० ए० बी० एक्स०

(i) ज्यूमॉन्ट स्वनीडर, फ्रांस

(ii) ओ० के० आई० इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्री कं०, जापान

(iii) जी० टी० ई०, बेल्जियम ।

टेलीफोन उपकरण

(i) मेसर्स सीमेन्स ए० जी०, पश्चिम जर्मनी

(ii) मेसर्स एरिकसन इन्फार्मेशन सिस्टम्स, स्वीडन

(iii) मेसर्स आई० टी० टी० फेस, इटली ।

ई० पी०ए०बी० एक्स० तथा इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की अनेक इकाइयों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं । ई० पी० ए०बी० एक्स के विनिर्माण के उद्देश्य से विदेशी सहयोग के लिए निजी क्षेत्र की 8 इकाईयों को अनुमोदन पहले ही जारी कर दिए गए हैं तथा इलेक्ट्रॉनिकी टेलीफोन उपकरण के विनिर्माण के उद्देश्य से विदेशी सहयोग के लिए निजी क्षेत्र की 5 इकाइयों को अनुमोदन जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरणों के लिए विदेशी सहयोग के अनुमोदन के मामले में निजी क्षेत्र की 4 इकाइयों के प्रस्तावों पर कार्यवाई की जा रही है । निजी क्षेत्र उद्योग द्वारा ई० पी० ए० बी० एक्स० तथा टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण का कार्य वर्ष 1986 के मध्य तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में थाल में भारी जल संयंत्र

4555. **श्री बी० बी० देसाई :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में थाल में स्थापित किये जा रहे भारी जल संयंत्र को शुरू करने से पूर्व कार्यकलाप शुरू हो गए हैं ;

(ख) क्या उक्त संयंत्र, जो परमाणु बिजलीघरों में प्रयोग होने वाले भारी जल का उत्पादन करेगा, यांत्रिक कार्य के इस वर्ष पूरा होने की आशा है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत आएगी ; और

(घ) उससे रसायन और उर्वरक कारखानों को कितनी सहायता मिलेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) आशा है कि दो धाराओं में से एक धारा के यांत्रिक पक्ष का काम चालू वित्त वर्ष के अंत तक और दूसरी धारा के यांत्रिक पक्ष का काम अगले वर्ष के मध्य तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार पूरा हो जाएगा जांच-परख का काम शुरू किया जा चुका है ।

(ग) आशा है कि व्यय की राशि 187 करोड़ रुपए की संस्वीकृत लागत की सीमा में ही रहेगी।

(घ) भारी पानी संयंत्र उर्वरक संयंत्र से निकली अमोनिया सिथेसिस गैस से ड्यूटीरियम अलग करता है तथा उस प्रक्रिया में अमोनिया सिथेसिस गैस को बहुत ऊंची सीमा तक शुद्ध कर देता है तथा यह अमोनिया परिवर्तक उत्प्रेरक की आयु को बढ़ाने में सहायक रहता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनके राज्य से बाहर जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

4556. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति द्वारा अप्रैल, 1982 में अपने 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन दिल्ली में रहने वाले अन्य राज्यों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों अब जाति प्रमाण-पत्र जारी कर रहा है;

(ख) क्या इन प्रमाणपत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे छात्र, जो दिल्ली में स्थायी रूप से बस भी गए हैं, दिल्ली प्रशासन से मिलने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा केन्द्रीय सरकार द्वारा 18 नवम्बर, 1982 को अस्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सुस्पष्ट निर्देश कब जारी किए जाएंगे ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख)) संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) संघ शासित क्षेत्र आदेश 1951 के जारी होने से पूर्व जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति दिल्ली में रह रहे हैं वे संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं और जो व्यक्ति उपयुक्त आदेश के जारी होने के बाद राज्यों से दिल्ली में आए, वे, रोजगार, शिक्षा आदि के उद्देश्य के लिए अपने मूल राज्य, जो उनका साधारणतः निवास स्थान है (स्थायी आवास), से लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं और न कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से, जहां वे आकर बसे हैं।

(ग) और (घ) गृह मन्त्रालय के तारीख 18 नवम्बर, 1982 के पत्र में निहित निर्देश स्पष्ट हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप्रवसित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक है। ये निर्देश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संसदीय समिति के साथ विचार-विमर्श करने के बाद जारी किए गए थे।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के पद को भरना

4557. **श्री प्रतापराव जी० भोसले** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पद कितने समय से रिक्त है ; और

(ख) उक्त पद को न भरने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पद 19 जनवरी, 1985 को खाली हुआ था और उसे 23 सितम्बर, 1985 को भर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यों के विधेयक

4558. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-85 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित (राज्यवार) कितने और कौन से विधेयक, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे गए और वे भारत सरकार द्वारा किन-किन तारीखों को प्राप्त किए गए, ;

(ख) कितने मामलों (राज्य वार) में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान की गई तथा अनुमति प्रदान करने की तारीख क्या थी; और

(ग) इन विधेयकों के (राज्यवार) नाम और संख्या क्या है जिनमें इस प्रकार की अनुमति नहीं दी गई और संबंधित सरकारों को इस प्रकार के निर्णय किस-किस तारीख को भेजे गए ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दी में सरकारी कार्य करने के लिए केन्द्रीय सापेक्ष अनुदान

4559. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** :

श्री एन० वेंकट रत्नम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय अथवा राजभाषा विभाग ने अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों और संगठनों को सलाह दी है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों और स्वायत्त-शासी निकायों को केन्द्रीय अनुदान अथवा वित्तीय सहायता सरकारी कार्य हिन्दी में किए जाने पर ही दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस निर्णय का आधार क्या है; और

(ग) क्या यह निर्णय संघ की राजभाषा के संबंध में भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों द्वारा दिए गये आश्वासनों में विरुद्ध नहीं है और उनका उल्लंघन नहीं करता है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति द्विभाषिता पर आधारित है। अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि केन्द्र सरकार से पर्याप्त अनुदान पाने वाली स्वशासी संस्थाएं/समितियां भी सरकार की राजभाषा नीति का पालन करें। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अब ये अनुदेश रद्द कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए वन अधिनियम के प्रावधानों में छूट

4560. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वन अधिनियम लागू होने से पूर्व कितने निर्माण कार्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पूरे हो गए थे जिनके सम्बन्ध में वन अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि के उपयोग में परिवर्तन किए जाने के प्रस्ताव मंत्रालय को अपेक्षित मंजूरी देने हेतु प्राप्त हुए थे ;

(ख) क्या सरकार उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के लिए अधिनियम के प्रावधानों में छूट देने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) : अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पूर्णत: या आंशिक रूप से पूरे हो गए निर्माण कार्यों के लि वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 को लागू किए जाने से पूर्व राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वनों की कटाई और अपवर्तन/वन भूमि के आरक्षण को समाप्त करने के वैध आदेश दिए जा चुके थे, वहां वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम में ऐसी छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे प्रत्येक मामले पर, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृति पाना आवश्यक है, मामले के गुण-दोष तथा कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर, विचार किया जाएगा।

रानीखेत, उत्तर प्रदेश में मोटर सड़कों का निर्माण

4561. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीखेत में रक्षा विभाग की भूमि से होकर मोटर सड़कों का निर्माण करने की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा मन्त्रालय द्वारा यह भूमि राज्य सरकार को अन्तरित न किए जाने के कारण इन सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या रक्षा मन्त्रालय इन सड़कों के निर्माण के लिए छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि को उचित दर पर उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगी ;

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ङ) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यवाहक अभियन्ता से रक्षा सम्पदा अधिकारी बरेली को प्राप्त अनुरोध के आधार पर रक्षा मन्त्रालय ने 3 अगस्त, 1981 को 16,22,545 रु० की लागत पर उप भूमि के अन्तरण की पेशकश की थी । राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अभी तक सूचित नहीं किया है । राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

पिथौरागढ़ में मोटर सड़कों का निर्माण

456 . **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के स्थानीय प्रतिनिधियों से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वहां की कुछ प्रस्तावित मोटर सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा कराया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों के नाम क्या हैं तथा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाएगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) टनकपुर तवाघाट सड़क को तवाघाट से आगे बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं । टनकपुर से तवाघाट जाने वाली सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया था । इस सड़क को तवाघाट से आगे बढ़ाने की संक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है, इसलिए सीमा सड़क विकास बोर्ड की निधियों से यह काम नहीं किया जा सकता ।

"चौकुटिया-तड़ागताल और गनाई-जेरासी मोटर सड़क का निर्माण"

4563. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को वन अधिनियम के अन्तर्गत चौकुटिया-तड़ागताल और

गनाई-जेरासी मोटर सड़क के निर्माण अथवा स्वीकृति प्रदान करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुए थे ;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अत्याधुनिक बड़े कम्प्यूटरों का निर्माण

4564. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्याधुनिक बड़े कम्प्यूटरों के निर्माण हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की स्थापना का निर्णय लिया गया है; और

(ख) क्या यह हैदराबाद-आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सूक्ष्म तथा जटिल किस्म के बड़े कम्प्यूटरों के विनिर्माण का आरम्भिक कार्यकलाप भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद में शुरू करने का निर्णय किया गया है।

आदिवासी और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा

4565. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूलों में भेजने में असमर्थ हैं क्योंकि इससे उनकी जीविका में विघ्न पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने में सहायता के लिए प्रतिपूर्ति लागत अथवा अन्य प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई योजनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कई मामलों में, आर्थिक कारणों से गरीब जनातियों के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं।

(ख) और (ग) अभिभावों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में उनका जो नुकसान होता

है उसके लिए उन्हें मुआवजा देना एक प्रोत्साहन है। तथापि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना नहीं है। कर्नाटक और गुजरात जैसे कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार की योजनाओं को अपनी राज्य योजनाओं में सम्मिलित किया है। स्कूलों में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के दाखले में वृद्धि करने के लिए अन्य प्रोत्साहन जैसे दोपहर का खाना, मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें, मुफ्त वर्दी, छात्रावास सुविधाएं और छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

भूतपूर्व सैनिकों का मांग-पत्र

4566. **श्री अमर राम प्रधान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों ने सरकार का अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या निर्णय किए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों के विभिन्न संगठनों ने समय-समय पर सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं जिनमें मोटे तौर पर निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :—

(i) सेवानिवृत्ति के पश्चात् रोजगार के अच्छे अवसर ;

(ii) सेवानिवृत्ति बाद के रोजगार की अधिक लाभ-कारी शर्तें और निबन्धन ; और

(iii) अधिक पेंशन।

इन मामलों और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए मार्च, 1984 में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की थी। समिति द्वारा सुझाई गई 68 सिफारिशों में से 45 को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और कुछ अन्यों को या तो अंशतः स्वीकार कर लिया गया है या स्वीकार किए जाने की संभावना है। शेष 18 सिफारिशों पर अभी निर्णय लिया जाना है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

4567. **डा० वी० वेंकटेश** :
श्री एच० जी० रामुलू :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में ओ० ई० एफ०, एफ० जी क०, ओ० पी० एफ० ओ० एफ० तथा एस० ए० एस० जैसे आयुध कारखाना संगठनों ने पर्यवेक्षी पदों पर कार्य करने वाले विभिन्न सेनाओं के सभी भूतपूर्व सैनिकों के उचित पुनर्वास के लिए और अधिक कुछ नहीं किया है ;

(ख) उक्त कारखानों में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पर्यवेक्षकों के रूप में तीन साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके हैं और जिन्हें चार्जमेंट आदि के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है; और

(ग) उन्हें अविलम्ब उच्चतर पदों पर पदोन्नत करने और परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सेना में उनकी प्रत्येक सेवा अवधि को ध्यान में रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) कानपुर की आयुध निर्माणियों में केन्द्रीय सिविल पदों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए रिआयत देने संबंधी सरकारी नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों की पदोन्नति के मामलों पर उनके ग्रेडों के अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं में उनकी पहले की सेवा से उन्हें कोई अतिरिक्त वरिष्ठता नहीं मिलती।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय भेज दी जाएगी।

"प्रत्येक जिले में पर्यावरण समिति की स्थापना"

4568. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण के प्रति चेतना और जागरुकता को प्रेरणा देने के लिए और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में पर्यावरण समिति गठित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव शामिल किया गया है ; और

(ग) इसके लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधन प्रतिबन्धों के कारण यह शामिल नहीं किया जा सका।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहन

4569. **श्री आर० एम० भोये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अधिकांश उच्च अधिकारी और अन्य कर्मचारी गांवों में विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां समुचित सुविधाओं की कमी के कारण, जाने से कतराते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के पिछड़े क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों को कुछ अधिक भत्ता और अन्य सुविधाएं देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) चूंकि पूरे देश में आवास, शिक्षा आदि जैसी सुविधाएं एक समान नहीं हैं, इसलिए ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों और साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी संभावना होती है कि सरकार कर्मचारियों को अन्य अच्छी तरह से विकसित क्षेत्रों के मुकाबले असुविधा महसूस करनी पड़े। ऐसे मामलों में अरुचि का होना संभव है।

(ख) और (ग) इन स्थानों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पहले ही पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते, शीतकालीन भत्ता, विशेष प्रतिपूरक (दूर दराज क्षेत्र) भत्ता, अनुपयुक्त जलवायु/अस्वास्थ्यकर स्थान भत्ते, अनुसूचित/आदिवासी क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता, लघु अवधि की तैनाती/प्रतिनियुक्ति, विशेष छुट्टी यात्रा रियायतें आदि जैसे विशेष भत्ते तथा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार, आदिवासी क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को एक मुश्त प्रोत्साहन दिए जाने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के साथ-साथ उन्हें सलाह भी दे रही है। स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश को समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि

4570. **श्री अजय मुशरान** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को वर्ष 1984-85 के दौरान समाज कल्याण योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1,83,83,630·00 रुपये।

(ख) 3,19,78,420·00 रुपये।

टिप्पणी :—(1) 1-4-1984 की स्थिति अनुसार, इस धनराशि में वह भी शामिल है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान उपयोग में लाई गई।

(2) उपयोक्त धनराशि के अतिरिक्त 1-4-84 की स्थिति अनुसार प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता (फला) योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध 22·66 लाख रुपये की बचत भी वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त में लाई गई थी।

अजमेर, राजस्थान में नसीराबाद छावनी का क्षेत्र

4571. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के अजमेर जिले में नसीराबाद छावनी का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप रिहायशी क्षेत्र घट रहा है और यहां के निवासियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नसीराबाद के निकटवर्ती क्षेत्र में खनिजों के भण्डार हैं और छावनी क्षेत्र बढ़ाने से इन खनिजों के विकास में बाधा पड़ेगी जो कि इस क्षेत्र के निवासियों को आजीविका का मुख्य साधन है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नसीराबाद के निकट खाली पड़ी भूमि को छावनी अधिनियम के अनुच्छेद 108 के अन्तर्गत सिविल भूमि घोषित करने का है ताकि इस क्षेत्र के निवासियों को रिहायश की समस्या न होने पाए और इसका उचित विकास हो सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी विस्तृत कारण क्या हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए विदेशों के साथ समझौता

4572. **श्री एस० एम० भट्टम** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से देश भारत को पिछले वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए सहमत हुए हैं ; और

(ख) विभिन्न देशों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत): (क) और (ख) विदेशी सहयोग का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक न्यूज लैटर के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है जिसमें प्रौद्योगिकी का अंतरण भी शामिल होता है तथा भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, निर्मित वस्तुओं के नाम तथा सहयोग का स्वरूप भी दर्शाया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

भारत-चीन वार्ता

4573. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री टी० वशीर :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन के बीच सीमा सम्बन्धी मामलों पर वार्ता का अगला दौर कब होगा ;

(ख) क्या अगली बैठक के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) भारत और चीन के बीच सरकारी स्तर की वार्ताओं के अगल दौरे की तारीखें अभी निश्चित नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) सीमा के प्रश्न पर क्षेत्र-दर-क्षेत्र के आधार पर वास्तविक विचार-विमर्श बातचीत के अगल दौर में जारी रखने की सम्भावना है।

जैसलमेर में उपग्रह केंद्र

4574. **श्री बुद्धिचन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री जैसलमेर में उपग्रह केन्द्र के बारे में 15 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7871 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर में एक उपग्रह केन्द्र स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन्सेट दूरसंचार उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर में एक उपग्रह भू-केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इसके योजनानुसार 1986-87 तक चालू होने की सम्भावना है।

छठी योजना के दौरान राज्य का कार्यनिष्पादन

4575. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने छठी योजना अवधि के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य-निष्पादन के मान-दण्डों के आधार पर राज्यों के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल का वित्तीय निष्पादन कैसा रहा है ;

(घ) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को सातवीं योजना अवधि में अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार करने के लिए योजना आयोग द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं ; और

(ङ) 1985-86 के प्रथम छः महीनों के दौरान मामले में प्रगति, यदि कोई हुई है, तो क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पन्जा) : (क) और (ख) राज्यों की सातवीं योजना तैयार करते समय, छठी योजना में उनके वित्तीय निष्पादन की जांच की गई थी । इस सम्बन्ध में, ब्यौरे सातवीं योजना के दस्तावेज में दिए गए हैं जो सदन के सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है ।

(ग) पश्चिम बंगाल की छठी योजना के वित्त-पोषण के लिए, राज्य के मूल रूप में, अनुमानित 2819.74 करोड़ रु० के अपने संसाधनों के मुकाबले, राज्य सरकार ने अनुमानतः केवल 930.86 करोड़ रु० ही जुटाए जो कि मूल अनुमानों का 33 प्रतिशत होता है । विशेष इतर श्रेणी के शेष राज्यों के मामले में, समकालीन निष्पादन 56 प्रतिशत से 105 प्रतिशत के बीच रहा है ।

(घ) राज्यों की अनुमोदित योजना के वित्त-पोषण के लिए, यथा-आंकलित संसाधन जुटाने के लिए सातवीं योजना के दस्तावेज में आवश्यक उपाय बताए गए हैं ।

(ङ) पश्चिम बंगाल के 1985-86 के लिए वित्तीय संसाधनों की समीक्षा से यह पता चलता है कि राज्य सरकार, अनुमोदित वार्षिक योजना के परिव्ययों के वित्त-पोषण के लिए, अपेक्षित मात्रा में अपने संसाधन जुटा सकेगी ।

"मर्सीनरी स्कूल्स" के सम्बन्ध में भारत की चिन्ता के बारे में साधारण सभा की विधि समिति की सिफारिशें

4576. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की विधि समिति के समक्ष कई देशों में उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाए जा रहे "मर्सीनरी स्कूल्स" के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत की चिन्ता पर साधारण सभा की विधि समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने "अपने सैंतीसवें अधिवेशन के कार्य के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट" नामक मद 138 पर एक वक्तव्य दिया था । इस रिपोर्ट में एक अध्याय शामिल है जिसे "मानवता की शान्ति और

सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की प्रारूप आचार संहिता" के नाम से जाना जाता है। यह विषय महासभा की 40वें अधिवेशन की कार्यसूची में मद 133 के रूप में शामिल किया गया था। "मानवता की शांति और सुरक्षा के विरुद्धअपराधों की प्रारूप आचार संहिता" पर टिप्पणी करते हुए भारतीय प्रतिनिधि श्री रामकृष्णन संसद सदस्य ने कहा भारत अनेक देशों द्वारा किए गए इस अनुरोध का समर्थन करता है कि सशुल्क बातों का प्रश्न भावी प्रारूप आचार संहिता में एक अलग प्रावधान का विषय होना चाहिए क्योंकि इसका एक विशेष स्वरूप है और इसलिए भी कि अनेक देश अब प्रत्यक्षतया अप्रत्यक्षत: भाड़े के सैनिकों के लिए स्कूल चलाने की अनुमति दे रहे हैं जहां पर कि उग्रवादियों को प्रशिक्षित किया जाता है। यद्यपि कुछ देश उग्रवाद की निन्दा करने का दावा करते हैं और अपने आप को विश्व में शान्ति और मेल-मिलाप स्थापित करने वाले आन्दोलन का अग्रणी मानते हैं।"

(ख) समिति में विशेषकर इस विषय पर कोई चर्चा या कार्रवाई नहीं की गई। समिति द्वारा जो एकमात्र कार्रवाई की गई वह थी मद 138 पर आम सहमति से एक संकल्प पारित करवाना जिसमें इस बात की सिफारिश की गई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग को इस विषय पर अपना काम जारी रखते हुए महा-सभा की विवाद गोष्ठियों में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखना चाहिए। छठी समिति ने भी एक संकल्प में इसी प्रकार की सिफारिश की थी जिसे "मानवता की शान्ति और सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की आचार संहिता" सम्बन्धी मद 133 पर मत डाल कर स्वीकार किया गया था।

बंगला देश से अवैध आप्रवास रोकने हेतु बाड़ लगाना

4577. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बंगला देश को इस बारे में सूचित किया है कि यदि अवैध आप्रवास को रोकने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए तो यह बंगला देश की सीमा पर बाड़ लगाने की योजना पर पुनर्विचार करने को तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगला देश सरकार ने अवैध आप्रवास रोकने के लिए कोई नये प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में कहां तक समझौता हो पाया है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वोत्तर परिषद की बैठक

4578. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान पूर्वोत्तर परिषद् की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं, और

(ख) बैठक में निर्मित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 28 अगस्त, 1985 को शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की 25वीं बैठक हुई थी।

(ख) उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव 675.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत अनुमोदित किए गए थे जिनमें कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं जल तथा विद्युत विकास उद्योग तथा खनिज, जनशक्ति विकास, परिवहन तथा संचार, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं और सामान्य सेवाएं शामिल हैं। परिव्यय में 55868.54 लाख रुपए चालू योजनाओं और 11631.46 लाख रुपए नई योजनाओं के लिए है।

दिल्ली में पिस्तौल और आग्नेयास्त्र बनाने का कारखाना

4579. **श्री कमल नाथ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस अधिकारियों ने ऐसे कारखाने का पता लगाया है, जहां पर पिस्तौल और अन्य आग्नेयास्त्रों का निर्माण किया जाता था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पुलिस ने दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास सीमापुरी क्षेत्र में अवैध रूप से आग्नेयास्त्र बनाने में लगे व्यक्तियों का पता लगाया है।

(ख) शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के अधीन तीन मामले तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 7 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और इन मामलों से संबंधित व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह के अन्य संबंधित व्यक्तियों को पकड़ने तथा अपराधियों के पते तथा रहने के स्थानों को मालूम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनको अवैध अग्नेयास्त्र बेचे गए हैं।

भुवनेश्वर को "साफ्टवेयर सिटी" घोषित करना

4580. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :
श्री लक्ष्मण मलिक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ने भुवनेश्वर को "साफ्टवेयर सिटी" घोषित करने का निर्णय किया है ;

(ख) उक्त निर्णय के अन्तर्गत वहां पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी ; और

(ग) भुवनेश्वर में साफ्टवेयर उद्योग विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भुवनेश्वर में इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर उद्योग, जिसमें कम्प्यूटर साफ्टवेयर शामिल है, का सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा इलेक्टॉनिकी आयोग के अध्यक्ष के बीच बैठक का आयोजन किया गया।

(ख) भुवनेश्वर में नीचे दी गई सुविधाएं तैयार की जा रही हैं :—

(i) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र ;

(ii) उड़ीसा सरकार के अन्तर्गत उड़ीसा कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और उड़ीसा सरकार के बीच विचार-विमर्श हुए और उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के सुपर कम्प्यूटर को स्थापित करने के लिए एक भवन निर्धारित कर दिया है। उड़ीसा सरकार ने इलेक्टॉनिकी, कम्प्यूटर उपान्त-उपस्करों तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास करने के लिए भुवनेश्वर में चन्देका नामक स्थान पर 100 एकड़ भूमि भी निर्धारित की है।

छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा पेटेंट कराई गई औद्योगिक प्रक्रियाएं

4581. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा कितनी नई औद्योगिक प्रक्रियाएं पेटेंट करायी गयीं ;

(ख) इनमें से कितने पेटेंटों को उद्यमियों द्वारा उद्योगों में प्रयोग किया गया ;

(ग) क्या इनमें से कई पेटेंट असफल रहे हैं, क्योंकि इन्हें उद्यमियों को दिये गये जाने से पूर्व इनका प्रायोगिक संयंत्रों में परीक्षण नहीं किया गया था ;

(घ) क्या इस दिशा में कोई उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या इन प्रौद्योकियों को उद्यमियों को दिये जाने के लिए अत्याधिक शुल्क लिया जाता है ; और

(च) यदि हां, तो शुल्क को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आइ० आर०) प्रयोगशालाओं द्वारा 215 नवीन औद्योगिक प्रक्रम विकसित किए गए थे। इनमें से, 40 प्रक्रम भारतीय पेटेन्टों के अन्तर्गत रखे गये थे। इसी अवधि के दौरान, लगभग 200 भारतीय पेटेन्ट सी० एस० आइ० आर० को स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) इन प्रक्रमों में से, 150 प्रक्रमों को वाणिज्यिक उपयोग के लिये उद्यमियों में पहले ही विमोचित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आइ० आर०) द्वारा विकसित किये गए प्रक्रम तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आइ० आर०) प्रौद्योगिकियों के लाईसेंस हेतु शुल्क साधारण है तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध समान या वैसी ही तकनीकों की जानकारियों के शुल्क से आमतौर पर कम है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

'पर्यावरणीय सुरक्षा के कार्य में जनता को शामिल करना"

4582. **श्री भीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण के संक्षरण और सुरक्षा में जनता के शामिल होने की भावना पैदा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरणा देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) अलग-अलग व्यक्तियों तथा सामूहिक निकायों को पर्यावरणीय संरक्षण और सुरक्षा में उनकी भागीदारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं :—

(1) किसी करदाता द्वारा किसी संघ या संस्थान, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों के आरम्भ करना है, को अपनी कर योग्य आय के परिकलन के समय कटौती करने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि ऐसे संघ/संस्थान तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रम निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गये हों।

(2) वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण के लिए विशेष प्रकार

की मशीनरी तथा संयंत्र स्थापित करने हेतु 15 प्रतिशत की सामान्य दर के मुकाबले में 30 प्रतिशत की उच्च दर पर अवमूल्यन की अनुमति दी जाती है।

(3) नई मशीनरी तथा संयंत्र को, जो प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता करेंगे और जिन्हें इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, को 25 प्रतिशत की सामान्य दर के मुकाबले में 35 प्रतिशत की उच्च दर पर विशेष भत्ते की स्वीकृति दी जाती है।

(4) जहां किसी कम्पनी के पास किसी शहरी क्षेत्र में कोई औद्योगिक उपक्रम है, वह उसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की पूर्व अनुमति से दूसरे क्षेत्र में ले जाती है, उसे मशीनरी तथा संयंत्र, भूमियों तथा भवनों के रूप में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के स्थानान्तरण से होने वाली पूंजी लाभ पर कर योग्य धनराशि के संदर्भ में कर ऋण प्रमाण पत्र की स्वीकृति दी जाती है।

(5) यदि कोई व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत उपकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, मलजल या व्यापारिक बहिस्राव के उपचार के लिए कोई संयंत्र स्थापित करता है, ऐसा व्यक्ति या प्राधिकरण वास्तविक उपकर में 70 प्रतिशत की छूट के लिए पात्र है।

निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों की लुआंडा में बैठक

4583. **श्री आनंद सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1985 में निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों की लुआंडा में हुई बैठक में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी है कि परमाणु हथियारों की होड़ न केवल परमाणु शक्तियों के बीच है, बल्कि पाकिस्तान जैसे गैर-परमाणु देश भी इस होड़ मे शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से प्रस्ताव पारित किए गए ; और

(ग) इन प्रस्तावों के अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों ने सितम्बर, 1985 में लुआंडा मे हुई बैठक में जो घोषणा स्वीकार की थी उसमें हथियारों की दौड़ में, विशेषकर नाभिकीय हथियारों और महाविनाश के अन्य हथियारों की दौड़ में निरन्तर हो रही वृद्धि के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई थी। इसमें नाभिकीय शस्त्र वाले देशों से यह अपील की गई थी कि वे इसे रोकने तथा इसे विपरीत दिशा प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

(ग) भारत सरकार का बराबर यह विचार रहा है कि हथियारों की दौड़ को अवश्य रोका जाना चाहिए और उसे विपरीत दिशा में मोड़ा जाना चाहिए तथा नाभिकीय

निरस्त्रीकरण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निरस्त्रीकरण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों तथा विभिन्न स्तरों पर हुई द्विपक्षीय बातचीत में भी अपने इस विचार की जोरदार ढंग से अभिव्यक्ति की है।

"पंचमहल जिले में गोमा नदी सिंचाई योजना"

4584. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंच महल जिले में गोमा नदी सिंचाई योजना सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गयी हैं ;

(ख) क्या उक्त योजना लम्बे समय से पर्यावरण विभाग के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है ; और

(ग) योजना की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह परियोजना सीधे गुजरात राज्य सरकार से अगस्त, 1983 में प्राप्त हुई थी। पर्यावरण विभाग की पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा इस पर दो बार विचार किया जा चुका है परन्तु केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी टिप्पणी न आने कारण निर्णय नहीं लिया जा सका। आयोग ने राज्य सरकार से आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध किया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

4585. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व संसद में यह आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने और उन्हें छात्रवृत्ति देने के लिए आयु सीमा पर पुनर्विचार किया जा रहा था ;

(ख) क्या फरवरी 1983 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान सरकारी प्रतिनिधि ने कहा था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के होस्टल में रहने वाले एक छात्र का प्रतिमाह खर्च लगभग 350 रु० था और यह इस बात से सहमत थे कि छात्रवृत्ति की राशि अपर्याप्त है इसलिए उसे बढ़ाया जाना चाहिए ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले एक वर्ष अथवा उससे पूर्व सरकार ने विभिन्न श्रेणियों की छात्रवृत्तियां, फैलोशिपों और इन्टर्नशिपों की दरें बढ़ाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाली मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के बारे में समुचित कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत दरों की बढ़ोत्तरी और अधिकतम आय सीमा में वृद्धि करने के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) जहां तक छात्रवृत्तियों और फैलोशिपों का संबंध है पिछला संशोधन 1 जुलाई, 1981 से किया गया था। इन्टर्नशिप के लिए स्टाईपेंड को 1 जनवरी, 1985 से संशोधित किया गया है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की दरों और अधिकतम आय सीमा में वृद्धि करने के बारे में अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से उत्तर प्राप्त होने के बाद इस मामले में कोई अन्तिम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान

4586. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कल्याण मंत्री जनजाति अनुसंधान के बारे में दिनांक 15 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय संस्थान की स्थापना के प्रश्न पर इस बीच जांच की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई ;

(घ) क्या अनेक केन्द्रीय एजेंसियां भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण करने पर केन्द्रीय सरकार की धनराशि व्यय कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो व्यवस्थित और नियोजित ढंग से समन्वित अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय संस्थान की स्थापना के लिए इन सभी संसाधनों को एकत्रित करने में क्या कठिनाई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया गया था

लेकिन इसे आवश्यक नहीं समझा गया। विकल्प के तौर पर मंत्रालय के जनजातीय विकास प्रभाग के अनुसंधान स्कन्ध को सुदृढ किया गया था।

(ग) एक वितरण संलग्न है।

(घ) कल्याण मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए राज्यों को सहायता देता है। फिर भी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जैसे शिक्षा तथा समाज कल्याण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के संबंध में चुने हुए अध्ययनों का प्रायोजन करते हैं।

(ङ) राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान अध्ययन, कार्यक्रमों का मूल्यांकन, वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और मोनो ग्राफ तैयार करते हैं। वे आंकड़े एकत्र करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजित कार्यक्रम तैयार करके नियोजन प्रयासों में योगदान भी करते हैं। स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी होने के कारण ये कार्य करने में सक्षम हैं। भारत का मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भी जनजातीय समुदायों के वैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक अध्ययन करता है। इस दृष्टि से इस समय कोई केन्द्रीय संस्थान स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए वार्षिक सहयता अनुदान।

(रुपए लाखों में)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1982-83	25·00	51·39
1983-84	25·00	54·51
1984-85	25·00	52·22

पांच दिन के सप्ताह में कार्यकरण

4587. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिन का सप्ताह लागू किए जाने के बाद मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के समयोपरि भत्ते के बिल में वृद्धि हुई है ; कर्मचारी अधिक सुस्त हो गए हैं और इस प्रणाली से अकुशलता और असुविधाएं बढ़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो काम के घंटों की क्षमता का मूल्यांकन करने का कोई विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 5 दिन के सप्ताह की योजना 3-6-1985 से भारत सरकार के सिविल प्रशासनिक कार्यालयों में लागू किया गया था। यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारी पहले की तरह प्रति सप्ताह साढ़े सैंतीस घंटे काम करेंगे। यद्यपि योजना की प्रगति का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, परन्तु यह महसूस किया गया है कि योजना का व्यापक स्वागत हुआ है तथा अकुशलता की कोई शिकायत अथवा आम जनता को असुविधा का कोई विशिष्ट मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। सिविल प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिन के सप्ताह को लागू करने के कारण मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के समयोपरि भत्ते के बिल में भी वृद्धि की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ऐसे कार्यालयों में जिन कर्मचारियों को रविवार को अथवा अन्य किसी छुट्टी के दिन कार्य करना होता है उनकी प्रतिपूर्ति सामान्यतः प्रतिपूरक छुट्टी मंजूर करके की जाती है। तथापि मंत्रालयों/विभागों के समयोपरि भत्ते के बिलों के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ख) इन समय इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार का मूल्यांकन जब कभी आवश्यकता महसूस होगी, किया जा सकता है।

कोचीन में तट रक्षक स्टेशन की स्थापना

4588. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन में निकट भविष्य में तट रक्षक स्टेशन की स्थापना करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केरल का कितना समुद्र तट इस स्टेशन के अन्तर्गत आएगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ। कोचीन में एक तट रक्षक जिला मुख्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) तट रक्षक जिला मुख्यालय के अन्तर्गत केरल का सारा समुद्र तट आएगा।

नौसेना अकादमी को कोचीन से गोआ ले जाना

4589. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौसेना अकादमी को कोचीन से हटाकर गोआ ले जाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त स्थानान्तरण स्थायी होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे पुनः कोचीन कब स्थानान्तरित किया जाएगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) कोचीन स्थित नौसेना अकादमी को अस्थायी रूप से गोवा में स्थानान्तरित किया जा रहा है। कोचीन के वर्तमान स्थान पर मूलभूत सुविधाएं सीमित हैं और यह सेना के प्रशिक्षण की बढ़ाती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।

(ग) गोवा में इसका स्थानान्तरण एक अन्तरिम व्यवस्था है।

(घ) एझीमाला (जिला-कण्णनूर) में एक स्थायी नौसेना अकादमी स्थापित करने की योजना है। यह परियोजना 1992 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

विदेशों में दूतावासों के लिए सम्पत्ति की खरीद

4590. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में हमारे दूतावासों के लिए आवास और कार्यालय प्रयोजन हेतु कितनी सम्पत्ति खरीदी गई है ;

(ख) योरोपीय और पश्चिमी देशों तथा अफ्रीकी और एशियाई देशों में अलग-अलग कितनी संपत्तियां खरीद गयी हैं ; और

(ग) प्रत्येक खरीद पर किए गये भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के ग्रेड में पदोन्नति

4592. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों की भारत प्रशासनिक सेवा और सहायक सेवाओं में पदोन्नति से पूर्व उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अकादमी आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा और सहायक सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन करने के क्या मापदण्ड और चयन प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ग) इस संबंध में विद्यमान प्रक्रिया क्या है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारी पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के पात्र हैं और इसी प्रकार राज्य पुलिस सेवाओं

और राज्य वन सेवाओं के सदस्य पदोन्नति द्वारा क्रमश: भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के पात्र हैं ।

2. राज्य सिविल सेवा के सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1954 में दिए गए उपबन्धों के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 4(ख) तथा 8 के परन्तुकों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया जाता है । चयन समिति की जिसमें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य, राज्य के मुख्य मंत्री तथा 2-3 अन्य परिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी और भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे स्तर का न हो, मामान्यत: प्रत्येक संवर्ग के लिए वर्ष में एक बार बैठक होती है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए राज्य सिविल सेवा के उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करती है । यह समिति सभी पात्र अधिकारियों के संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए सम्पूर्ण सेवा रिकार्डों पर विचार करती है : समिति सभी पात्र अधिकारियों को अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत करती है जैसे कि "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" अथवा "अयोग्य" । समिति द्वारा तैयार की गई सूची में अपेक्षित संख्या में सर्वप्रथम उन अधिकारियों के नाम शामिल किए जाते हैं जिन्हें अंतिम रूप से "उत्कृष्ट" वर्ग में रखा गया है और फिर उन व्यक्तियों को जिन्हें "बहुत अच्छा" वर्ग में रखा गया है और इसके बाद उन व्यक्तियों को जिन्हें "अच्छा" वर्ग में रखा गया है और प्रत्येक वर्ग के भीतर परस्पर नामों का क्रम राज्य सिविल सेवा में उनकी वरिष्ठता के क्रमानुसार रखा जाता है । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन कर देने के बाद ऐसी सूची प्रवर सूची बन जाती है और इस सूची से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्तियां संवर्ग में उपलब्ध होने वाली मूल रिक्तियों के लिए की जाती हैं ।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (5) के अनुसार, प्रवर सूची में शामिल किए गए प्रत्येक व्यक्ति को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, राज्य प्रक्षिण संस्थाओं तथा देश के अन्य सुस्थापित प्रशिक्षण संस्थाओं में सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अवधि के लिए प्रशिक्षण लेना होगा । इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण की आवश्यकता को भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में भी शामिल कर लिया गया है और इस प्रकार राज्य सिविल सेवा के ऐसे प्रत्येक अधिकारी को जिसने पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति कीतारीख को 52 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही सेवा में स्थायी किया जाता है ।

अकाली नेताओं के पारपत्रों को जब्त किया जाना

4593. **श्री त्रिलोचन सिंह तुर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीर्ष अकाली नेताओं के पारपत्र जब्त किए गए थे ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो पारपत्र के नवीकरण के लिए 1983 में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय चण्डीगढ़ को प्रस्तुत पारपत्रों को नवीकरण करने और उनकी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना देने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पासपोर्ट कार्यालय, चण्डीगढ़ को अकाली दल के अध्यक्ष या महासचिव से 1983 में पासपोर्टों के नवीकरण के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

"राकेट्स फराम एन्टार्कटिक" शीर्षक से समाचार

4594. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" (बम्बई संस्करण) में प्रकाशित "राकेट फराम एन्टार्कटिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो एन्टार्कटिक अध्ययन कार्यक्रम के दीर्घ कालीन उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राकेट छोड़ने का भी एक उद्देश्य है ;

(घ) एन्टार्कटिका अध्ययन कार्यक्रम के लिए किन बुनियादी वस्तुओं, साधनों की आवश्यकता है और इसकी वित्तीय और अन्य कठिनाइयां क्या हैं ; और

(ङ) इस बारे में अब तक क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारत सरकार ने अन्टार्कटिक अनुसंधान के लिए विस्तृत दीर्घ कालीन कार्यक्रम तैयार करने के लिए उच्च समिति का गठन किया है।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत में अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं के अंतर्गत भारत में अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए एक अन्टार्कटिक अध्ययन केन्द्र की स्थापना करना सम्मिलित है। वैज्ञानिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना तथा अभियानों को सुप्रचालनिक सहायता प्रदान करना इस केन्द्र के मुख्य उद्देश्य होंगे। केन्द्र की स्थापना के लिए गोवा में भूमि पहले ही प्राप्त कर ली गई है और ब्यौरों की जांच की जा रही है आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्टार्कटिक अध्ययन केन्द्र की स्थापना हो जाएगी।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पीले रंग के पाउडर का पकड़ा जाना

4595. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सितम्बर, 1985 के दूसरे सप्ताह के दौरान चाकोरी गांव में पीले रंग के पाउडर से भरे पांच थैले मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पकड़े गये पाउडर का कोई विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और क्या इस बात का पता लगाया है कि पश्चिम पाकिस्तानी कपड़ा चिन्ह युक्त थैले भारत की सीमा पर कैसे पहुंचे ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 14 सितम्बर, 1985 की सेना गस्ती दल ने चाकोरी गांव के धान के खेतों से पीले पाऊडर के ५ थैले बरामद किए थे ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) जब्त किए गए पाउडर के नमूनों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था । प्रयोगशाला का मत है कि इन थैलों में बसन्ती-पीला रंगद्रव्य पाया गया । जिांच पड़ताल से यह प्रतीत होता है कि इन थैलों की सीमा पार से तस्करी की गयी । अपराधयों का पता लगाने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा माले की जांच की जा रही है ।

आदिवासियों के लिए योजनायें

4596. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** :

श्री सुभाष यादव :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कोई विशेष समेकित विकास योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सरकार जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए 181 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं, 245 एम०ए०डी०ए० पाकेटों तथा 72 आदिम जनजाति क्षेत्रों में चलाने के लिए 17 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों के लिए, जनजाति उपयोजनाएं बनाती हैं । अनुसूचित

जनजाति समुदायों के लिए, 20 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों के लिए विशेष संघटक योजनाएं बनायी जा रही हैं तथा उन्हीं उद्देश्यों को लेकर कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) 1985-86 के दौरान प्रत्येक राज्य का जनजाति उपयोजना तथा विशेष संघटक योजना के लिए आबंटन संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

विवरण-1

1985-86 के दौरान जनजाति उप योजना का परिव्यय तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटन।

(रु० लाखों में)

सं०क्रम०	राज्य संघ शासित क्षेत्र का नाम	1985-86 प्रस्तावित जनजाति उप-योजना परिव्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन 1985-86
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3696.98	720.20
2.	असम	7163.17	624.89
3.	बिहार	27494.49	1945.39
4.	गुजराज	11266.56	1118.25
5.	हिमाचल प्रदेश	1598.00	204.90
6.	कर्नाटक	429.74	1.8.13
7.	केरल	655.85	69.57
8.	मध्य प्रदेश	20128.41	3924.00
9.	महाराष्ट्र	8855.19	939.92
10.	मणिपुर	4585.54	249.21
11.	उड़ीसा	20808.28	1884.23
12	राजस्थान	9778.45	903.13
13.	सिक्किम	528.00	38.99
14.	तमिलनाडु	761.37	145.39
15.	त्रिपुरा	5541.23	227.37
16.	उत्तर प्रदेश	282.00	27.34

1	2	3	4
17.	पश्चिम बंगाल	2777·64	571·09
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	232·38	30·00
19.	गोवा, दमण और दीव	40·00	5·00
	जोड़	126617·28	13747·00

विवरण-2

1985-86 के दौरान विशेष संघटक योजना का परिव्यय तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटन ।

(रु० लाखों में)

सं० क्र०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित विशेष संघटक योजना का परिव्यय 1985-86	विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन 1985-86
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12166·00	1223·64
2.	असम	1044·45	197·00
3.	बिहार	5732.44	1688·94
4.	गुजरात	2587.35	361·68
5.	हिमाचल प्रदेश	1949.00	158·74
6.	जम्मू और कश्मीर	786.03	78.54
7.	हरियाणा	2982·50	354·10
8.	कर्नाटक	7622.08	841.84
9.	मध्य प्रदेश	6332.00	1172·82
10.	केरल	2956·85	389·74
11.	महाराष्ट्र	4287.13	648.44
12.	मणिपुर	95.12	3·30

1	2	3	4
13.	उड़ीसा	3650·63	613.80
14.	पंजाब	2643·00	639·20
15.	राजस्थान	6665.00	912·78
16.	सिक्किम	8.08	3·30
17.	तमिलनाडु	12616·00	1361.58
18.	त्रिपुरा	1594.85	48.52
19.	उत्तर प्रदेश	17267·00	3809.52
20.	पश्चिम बंगाल	5675.58	1808·74
21.	दिल्ली	1639.25	157.40
22.	चण्डीगढ़	198.05	8.90
23.	पांडिचेरी	521.00	14·52
24.	गोआ, दमन और दीव	83·30	2·96
	जोड़ :	101102·69	16500·00

नेलसन मंडेला को रिहा किया जाना

4597. **श्री ए० ए० डोरा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा नेलसन मन्डेला की रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : भारत सरकार ने अनेक अवसरों पर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। इस वर्ष 19 अगस्त को (और राज्य सभा में दूसरे दिन) लोक सभा संकल्प में की गई मांगों में एक मांग यह थी कि प्रीटोरिया शासन द्वारा नेल्सन मण्डेला और उसके साथियों को बिना शर्त रिहा किया जाए। प्रधान मंत्री ने भी अगस्त, 1985 में नेल्सन मण्डेला को बिना शर्त रिहा करने की मांग करते हुए एक अपील जारी की थी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में परिचालित किया गया था। राष्ट्रमंडल समझौते, जिसे तैयार करने में प्रधान मंत्री ने अभी हाल में हुई नसाऊ राष्ट्रमंडल राज्या ध्यक्षों की बैठक के दौरान सक्रिय रूप से कार्य किया था, में भी यह मांग की गई थी। राष्ट्रमण्डल समझौते के संदर्भ में नियुक्त प्रमुख व्यक्तियों के ग्रुप में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भारत सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति में जुटी रहेगी।

रेल, डाक एवं तार तथा रक्षा उत्पादन के कर्मचारियों के मामले में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम लागू होना

4599. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री तम्पन थामस : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का विचार रेल, डाक एवं तार तथा रक्षा उत्पादन विभागों के कर्मचारियों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) पहली नवम्बर, 1985 को स्थापित किए गए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी आते है। तथापि, रेलवे, डाक, दूरसंचार तथा रक्षा उत्पादन जैसे सरकारी विभागों में कार्य कर रहा कर्मचारी, जो औद्योगिक विवाद द्वारा शासित होता है, ऐसे मामलों के बारे में जिनमें कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन शासित होता है, प्रशानिक अधिकरण अधिनियम की धारा 2(ख) के कारण केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर है। सरकार का, ऐसे कर्मचारी को भी केन्द्रीय प्रशासनिक के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में लाने का प्रस्ताव है।

नेपाल सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था करना

4600. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेपाल की सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए 27 पुलिस स्टेशन खोलने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन स्टेशनों के लिए 27 जीपें खरीदी गई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे सभी 27 जीपें पटना में खड़ी हुई हैं;

(घ) क्या यह सच है कि किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त नए पुलिस स्टेशनों का कभी भी दौरा नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पुलिस स्टेशनों को क्रियाशील बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) बिहार सरकार ने अप्रैल, 1985 में भारत-नेपाल सीमा पर 27 नये पुलिस थाने स्थापित किये हैं।

(ख) बिहार सरकार 27 नयी जीपें खरीदने के लिए 24,30,000 रु० मंजूर किये थे जिनमें से कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण केवल 26 जीपें खरीदी जा सकीं। एक और जीप खरीदने का विचार राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जीपें 17 नये पुलिस थानों को आवंटिक की गयी हैं यथा संबंधित जिलों को भेज दी गयी हैं। अनेक नये बनाये गये पुलिस थाने पूरी तरह से अस्थायी कामचलाऊ आवासों में कार्यरत हैं। इसलिए, जीपें वहां नहीं भेजी गयी हैं। शेष जीपें, पुलिस थानों के लिए सन्तोष जनक आवास उपलब्ध होने पर यथा शीघ्र भेज दी जायेंगी।

(ख) यह ठीक नहीं है। पुलिस अधीक्षक नये पुलिस थानों का पहले ही दौरा कर चुके हैं।

(ङ) पुलिस थानों के लिए उचित आवास उपलब्ध कराने तथा उन्हें उचित ढंग से क्रियाशील करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

अरूणाचल-असम सीमा के संबंध में सीमा आयोग की मांग

4601. **श्री वागफा लोवांग** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल अरूणाचलम विद्यार्थी संघ ने 7 और 8 नवम्बर, 1985 को "अरूणाचल-बन्द" का आह्वान किया था जिसमें अरूणाचल-असम सीमा की समस्याओं को देखने के लिए भारत सरकार से सीमा आयोग स्थापित करने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सीमा समस्याओं की जांच करने के लिए एक सीमा आयोग अथवा त्रिपक्षीय समिति नियुक्त करने का है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अखिल अरूणाचल प्रदेश विद्यार्थी संघ (ए० ए० पी० एस० यू०) ने असम-अरूणाचल सीमा संबंधी मामले के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की मांग सहित मांगों पर जोर देने के लिए 7-8 नवम्बर, 1985 को एक जुलूस निकाला था।

(ख) और (ग) भारतीय सर्वेक्षण, असम तथा अरूणाचल प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय समिति 1979 में स्थापित की गई थी। भारतीय सर्वेक्षण अविवादास्पद क्षेत्रों में स्तम्भ लगाने का कार्य कर रहा है। फिर भी, कुछ क्षेत्रों के निर्धारण के संबंध में कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है। त्रिपक्षीय समिति की बैठकें ऐसे समायोजनों से सीमा निर्धारण के उद्देश्य से सावधिक रूप से की जा रही है जिनमें आपस में सहमति हो जाए।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्य-स्थल

4602. **श्री शांता राम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के लागू होने के बाद से देश में कितने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य सरकार से अपने-अपने राज्यों में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :(क)प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केवल एक ही केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित नई दिल्ली में इसकी प्रधान न्यायपीठ और अतिरिक्त न्यायपीठों तथा इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अतिरिक्त न्यायपीठों के साथ 1-11-85 से की गई है।

(ख) और (ग) राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाने संबंधी अनुरोध गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा केरल सरकारों से प्राप्त हुए हैं।

सातवीं योजना के दौरान तेलगु गंगा परियोजना का पूरा किया जाना

4603. **श्री जी० भूपति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेलगु गंगा परियोजना को पूरा करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) तेलगु गंगा परियोजना के तकनीकी पैरामीटरों की जल-संसाधन मंत्रालय में अभी जांच की जा रही है और उन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए इस परियोजना की योजना आयोग द्वारा स्वीकृति की स्थिति अभी नहीं आई है।

लाटरी व्यापार में लगी राज्य सरकारें

4604. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाटरी व्यापार में लगी राज्य सरकारों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 25 प्रतिशत लाटरी टिकट जाली होते हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इस लाटरी व्यापार को समाप्त करने का है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) बिहार, जम्मू और काश्मीर और त्रिपुरा की राज्य सरकारों के अलावा सभी राज्य सरकारें राज्य लाटरियां चला रही हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना से यह पता नहीं चलता है कि 25 प्रतिशत टिकटे जाली हैं।

(ग) अभी तक जाली/झूठी लाटरियों के 12 मामले सूचित किए गए हैं।

(घ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दूतावासों और मिशनों का व्यय

4605. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने दूतावासों और विदेशों में सप्लाई मिशनों के व्यय में कमी करने के बारे में कदम उठाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस से क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आयोजना भिन्न खर्चे की समीक्षा तथा उनके कार्यकरण को सुचारू रूप देने की दृष्टि से विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों के स्वरूप और गतिविधियों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

मुनीरका में बुद्ध-बिहार का गिराया जाना

4606. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुनीरका में बुद्ध-बिहार के गिराये जाने के कारण बौद्धों में व्याप्त व्यापक असन्तोष पर ध्यान दिया है और क्या सरकार को इस संबंध में बौद्ध सन्यासियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को वह ज्ञापन कब प्राप्त हुआ था और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और उस पर किस तारीख तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मुनीरका में बुद्ध बिहार धार्मिक परिसर को नहीं गिरया गया। बुद्ध बिहार से कुछ दूरी पर किए गए अतिक्रमण को

हटाया गया था। सरकार बौद्धों की प्रतिक्रिया से अवगत है और इस संबंध में अखिल भारत भिक्षु संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) ज्ञापन की एक प्रतिलिपि, अक्तूबर, 1985 के प्रथम सप्ताह में श्री पराशर, सांसद के माध्यम से गृह मंत्रालय में प्राप्त हुई थी।

(ग) घटना की जांच की गयी। 18 अगस्त, 1985 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का, मुनीरका में 315 अस्थायी ढांचों को गिराते समय, 200-250 पुरुषों और महिलाओं की भीड़ द्वारा विरोध किया गया था, जिन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया था। अश्रुगैस और लाठियों के प्रयोग का सहारा लेना पड़ा। इस घटना में कुछ कांस्टेबल और 10 व्यक्ति जख्मी हुए। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

मेघालय में शुरू किया गया बाहरी व्यक्ति विरोधी आंदोलन

4607. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में आसाम की किस्म का "बाहरी व्यक्ति-विरोधी" आन्दोलन शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन सी ताकतें जिम्मेदार हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेघालय में बसा किसी भी राज्य का भारतीय नागरिक ऐसे आन्दोलन का शिकार न बन पाए, सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अखिल मेघालय छात्र संघ (ए० एम० एस० यू०) ने 20 तथा 25 सितम्बर, 1985 को विदेशियों के निष्कासन की मांग के संबंध में एक बंध का आयोजन किया था।

(ग) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कानून और व्यवस्था भंग न हो, आवश्यक कदम उठा रही है।

मध्य प्रदेश से विदेशी मिशनरियों को निकालना

4608. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री कमल नाथ :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री साइमन तिग्गा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सरगुजा और अन्य जिलों में काम कर रहे कुछ विदेशी मिशनरियों को निकालने के आदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से परामर्श लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश मेंद्र कुछ विदेशी मिशीनरियों को आगे समय वृद्धि देने से मना किया गया था। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, मध्य प्रदेश सरकार मामले की आगे जांच करना चाहती है और इस उद्देश्य के लिए 6 महीने की अवधि की मांग की गयी है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

"फारवर्ड इन दि नेशनल एकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स-सोसिज एण्ड मेथड्स" नामक पत्रिका

4609. **श्री तम्पन थामस** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की पत्रिका "फारवर्ड इन दि नेशनल एकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स-सोसिज एण्ड मेथड्स" की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अमुख में कहीं गई इस बात से सहमत है कि प्राक्कलनों के अनुमानों तथा लेखाओं को बहुत अधिक स्पष्ट करना व्यवहार्य नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार स्वतंत्र अनुसंधान ग्रुपों को मूल स्रोत से सीधे समग्र आंकड़ों के संकलन में बाधक नहीं है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रकाशन आंकड़ा स्रोतों, अपनाए गए रीति विधान तथा विभिन्न समाहारों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने हेतु अनुसंधान कार्यकर्ता को समर्थ बनाता है। प्राक्कथन में "इतना अच्छी तरह" शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि प्रकाशन में उल्लिखित रीति विधान तथा स्रोत सामग्री का अनुसरण करके स्वतंत्र अनुसंधान कर्ताओं द्वारा विस्तृत एवं मोटे तौर पर अनुमान तथा लेखे तैयार किए जा सकते हैं फिर भी सभी समाहारों तथा लेखों के वास्तविक अनुमान तैयार करना व्यवहार्य नहीं है। यह इंगलैंड जैसे विकसित देशों द्वारा प्रकाशित रीतिविधान संबंधी इसी प्रकार के प्रकाशनों के बारे में भी सच है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदम

4610. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में ऐसी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है जिनमें जान और माल की हानि होती है ;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक उठाए गए कदम लगभग प्रभावहीन रहे हैं ;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस को सड़क दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए सार्वजनिक

निकायों और व्यक्तियों से अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और यदि हां, तो प्राप्त सुझावों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निकायों के प्रतिनिधियों/सड़क प्रयोक्ताओं/प्रमुख व्यक्तियों के साथ समय-समय पर बैठक किए जाने की कोई प्रणाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दिल्ली में प्रति हजार वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं की दर की तुलना से मालूम होता है कि दुर्घटनाएं लगातार कम हो रही हैं जो इस प्रकार हैं :—

वर्ष	दुर्घटना की संख्या	प्रति हजार वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं की दर
1980	4300	8.04 प्रतिशत
1981	4384	7.45 प्रतिशत
1982	4877	7.38 प्रतिशत
1983	5477	7.30 प्रतिशत
1984	5809	7.13 प्रतिशत

(ख) और (ग) दिल्ली यातायात पुलिस को सड़क दुर्घटनाओं के निवारण के लिए लोगों से सुझाव प्राप्त हुए। जब भी संभव होता है, सुझावों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है। अधिकतर सुझाव, सड़कों की हालत सुधारने, सड़क पर रोशनी करने, चौराहों पर डिजाईन तैयार करने तथा अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने से संबंधित है।

(घ) यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठक किए जाने की प्रणाली है। ये बैठकें व्यापारी संघों, यातायात वार्डनों, आवासीय संगठनों इत्यादि के साथ की जाती हैं।

नम्बर प्लेटों में कमी के कारण मोटर चालकों पर जुर्माना

4611. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नम्बर प्लेटों पर छोटे अक्षरों और नम्बरों पर भारी जुर्माना किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अभियोगों की संख्या क्या है और कितनी धनराशि वसूल की गई है ;

(ग) क्या नये नम्बर प्लेट लगाने की अन्तिम तिथि अब बढ़ा दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो पहले चालान क्यों किए गए और क्या वसूल की गई धनराशि वापस की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री एन० बी० चव्हाण) : (क) यह सही है कि छोटे अक्षरों और अंकों के नम्बर प्लेटों वाले मोटर चालकों पर जुर्माना किया गया। उन पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना अनुसूची के अनुसार जुर्माना किया गया।

(ख) लत और फैंसी नम्बर प्लेटों के लगाने के लिए कुल 46,158 मुकदमें चलाए गए और 1965 के दौरान प्रशमन शुल्क के रूप में 1,02,198 रु० की राशि वसूल की गयी।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में बिना लाइसेंस के हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी

4612. **श्री रामाश्रय प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बिना लाइसेंस के 2 लाख से अधिक हथियार और गोला बारूद बरामद हुए ; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार बिहार में विभिन्न रेलवे स्टेशनों तथा अन्य स्थानों पर 50,000 रु० मूल्य के 9,618 कारतूस बरामद किए गए। मामले दायर किए गए हैं और पांच पड़ताल प्रगति पर है।

पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सेवाओं का आबंटन

4 13. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1966 को पंजाब को तीन भागों में बांटे जाने के परिणामस्वरूप वरीयता और पदोन्नति सहित सेवाओं के आबंटन से सम्बन्धित मामले इस बीच सुलझा लिए गए हैं ;

(ख) क्या उनमें से कुछ मामले समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार के पास अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या क्या है और इन्हें किस सम्भावित तारीख तक सुलझा दिया जायेगा और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक और सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अन्तिम आबंटन आदेशों के जारी किए जाने के बाद इस विषय का सम्बन्ध मूलत: राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ रह जाता है। अत: इसके बाद उत्पन्न होने वाली समस्याएं सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र की समस्याएं होती हैं। ऐसे मामले में केन्द्रीय सरकार की भूमिका तभी होती है जबकि राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन आदि द्वारा कोई विशिष्ट मामला भेजा जाता है तथा जहां कोई मामला न्यायालयों में उठाया जाता है और उनमें भारत संघ को एक पार्टी बना दिया जाता है। फिलहाल जिन मामलों में भारत संघ किसी न किसी रूप में अन्तर्ग्रस्त है और जो न्यायालयों राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र आदि में अनिर्णीत पड़े हैं उनकी संख्या 19 है। तथापि इस सम्बन्ध में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक मामले में अलग-अलग है। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे मामले को राज्य सलाहकार समिति के समक्ष रखे और अन्तिम निर्णय के लिए सिफारिशें भारत संघ को भेज दें। जहां तक न्यायालयों मे अनिर्णीत पड़े मामलों का सम्बन्ध है, न्यायालयों द्वारा उनकी सुनवाई उनकी बारी आने पर की जाती है।

चाइबासा के अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में असन्तोष

4614. श्री सी० पी० ठाकुर : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चाइबासा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में असन्तोष है और उन्होंने उनकी समस्याओं की उपेक्षा किए जाने की शिकायत है;

(ख) क्या विगत में उन्होंने पृथक कोल्हन राज्य की मांग की थी ; और

(ग) उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आर्थिक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) कोल्हन क्षेत्र में, जिसमें बिहार में चाईबासा सम्मलित है, कोल्हन रक्षा संघ नामक एक संगठन कोल्हन जनजाति क्षेत्र की स्वतन्त्रता की मांग कर रहा है। संघ का दावा है कि क्षेत्र अभी भी "विलकिनशन नियम 1837" द्वारा शासित होता है जो मनकी और मनडाओं जैसे ग्रामीण कार्य-वर्त्ताओं को विशेष अधिकार देता है जो उन्हें स्वायतता प्रदान करता है।

(ग) क्षेत्र में विकास गतिविधियों को तेज किया गया है, विशेष रुप से पेय जल उपलब्ध कराने, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा और उचित दर की दुकानों की सुविधाओं के लिए। विकास और विनियमन क्षेत्र दोनों में, स्थानीय प्रशासन में जनजातियों की प्रभावी भागीदारी के लिए विलकिनशन नियमों को संशोधित करने और पुन: व्यवस्थित करने के लिए बिहार के राजस्व बोर्ड के सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

इस क्षेत्र के विकास को तेज करने के लिए कोल्हन क्षेत्र के लिए एक विशेष सघन क्षेत्र कार्यक्रम बनाया जा रहा है। उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए क्षेत्र में आदिम जनजातियों के लिए विशेष परिवारोन्मुख कार्यक्रम बनाया जा रहा गया है। बिहार सरकार के कार्यक्रमों की अनुपूर्ति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता को जो 1984-85 में 18·23 करोड़ रु० थी, बढ़ाकर 1985-86 के दौरान 19·45 करोड़ रु० कर दिया गया है।

भूमिगत नागाओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के युवकों का अपहरण

4615. **श्री वांगफा लोवांग** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई/अगस्त, 1985 में भूमिगत नागाओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के जिराय जिले में लाजू और वक्का मण्डलों के विभिन्न गांवों में 24 युवकों का अपहरण किया गया था और उनमें से कुछ अधिकांश युवक वापस आ गए हैं परन्तु कुछ अभी भी लापता हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति अभी भी लापता हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) लापता व्यक्तियों का गांव-वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) 2/3 जुलाई, 1985 को अरुणाचल-प्रदेश के पक्का और लाजु सर्किल के गावों से भूमिगत नागाओं द्वारा 16 युवक (न कि 24) का अपहरण किया गया था। नागलो गाँव के4 युवकों को छोड़कर शेष सभी वापस आ गए हैं। बर्मा के प्राधिकारियों से अपहरण किए गए व्यक्तियों का पता लगाने और उनकी रिहाई में सहायता करने का अनुरोध किया गया है तथापि इन व्यक्तियों का अभी तक पता नहीं लगा है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां

4616. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनेक कमियां हैं'

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कसियों का पता लगाया है, और

(ग) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छठी योजना के दौरान विशेष संघटक योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुसूचित जाति विकास निगमों को सम्मिलित करके एक एकीकृत नीति तैयार की गई है जो सातवीं योजना में जारी है। काफी अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 20 राज्य तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी विशेष संघटक योजनाएं बनायी हैं, इसी प्रकार अनुसूचित

जनजातियों के विकास के लिए जनजाति उप जनजाति उप योजना की नीति तैयार की गयी है। 17 राज्य तथा 2 संघ शासित क्षेत्र अपनी जनजाति उप योजनाएं बना रहे हैं तथा कार्यान्वित कर रहे हैं। राज्यों की विशेष संघटक योजना जनजाति उप योजना के मसौदेपर वार्षिक रूप से कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव के स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। विचार-विमर्श के दौरान व्यय में कमी, कठिनाइयां तथा पिछड़े क्षेत्रों, कमियों के कारण, कार्यान्वयन स्तर इत्यादि पर पेश आने वाली समस्याएं तथा कठिनाइयां दूर की जाती है। इसका उद्देश्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समेत रूप से सुधार करना है।

राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अन्य अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के हित के लिए शुरू की गयी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति पर नजर रखने के उद्देश्य से राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन इस प्रयोजन से बनायी गयी सार्वधिक विवरणियों में सूचना भेज रहे हैं।

उक्त प्रबंधों को मानिटर करने के अलावा, कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के वास्तविक प्रभाव का जायजा लेने तथा उनके कार्यान्वयन को सुधारने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से राज्यों के दौरे पर भेजा जाता है

कार्यक्रम कार्यान्वयन की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका उद्देश्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सतत सुधार लाना है।

चीन द्वारा भारतीयों को आमंत्रित किया जाना

4647. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने भारत के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चीन आने का निमंत्रण भेजा था, जिस पर उन्होंने चीन सरकार के अतिथि के रूप में वहां की यात्रा की है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) ये यात्राएं मुख्यत: सद्भावना उद्देश्यों से या चीन के सामाजिक आर्थिक विकास का अध्ययन करने के लिए की गई है । उन्होंने शिक्षा, जनसंख्या और आर्थिक विकास जैसे मशीनों के बारे में बातचीत संवर्धित करने में सहायता की है जो भारत और चीन दोनों के लिए समान महत्व के है।

पारियों के भेष में भारत में विदेशी एजेन्ट

4618. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि कुछ विदेशी एजेंटों मैसर्स मैकेंजी कम्पनी (प्राइवेट)

लिमिटेड, संसद मार्ग, नई दिल्ली के साथ व्यापार करने के नाम पर भारत आने में सफल हो गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये विदेशी एजेंट राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सहायता कर रहे हैं ; और

(ग) इस कम्पनी के माध्यम से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और भारत में उनके रहने की अवधि का ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पो० ए० संगमा) : (क) मैसर्स मैकेंजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड का मुख्य कार्यालय बम्बई में है और इसकी क्षेत्रीय शाखा बैंक आफ बड़ौदा भवन के भूतल पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में है। प्राधिकारियों के ध्यान में कम्पनी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं आयी है। इसकी दिल्ली शाखा में कोई विदेशी कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों के ध्यान मे कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं आयी है।

संविधान के अनूदित संस्करण का अधिप्रमाणीकरण

4619. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान के अनूदित संस्करण को संसद के विधान द्वारा अधिप्रमाणित करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या संविधान का पहले संस्कृत, तेलगू, मलयालम और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था ;

(ग) क्या सरकार का विचार उस पर आवश्यक अधिप्रमाणिकता दिलाने के लिए उचित कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दी तथा 11 अन्य भारतीय भाषाओं जैसे मलयालम, कन्नड, तेलगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, बंगला, उड़ीया, उर्दू तथा संस्कृत में संविधान का अनुवाद उपलब्ध है।

(ग) और (घ) 1970 तथा 1978 में सरकार द्वारा प्राधिकृत करने की कार्रवाई की गई थी। परन्तु अपरिहार्य कारणों से उसे पूरा नहीं किया जा सका।

विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

4620. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ला फोन्टेन समिति की सिफारिशें कार्यान्वियन करने के बाद भी भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस समिति के प्रतिवेदन में की गई सभी सिफारिशों पर कार्यवाही की है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष हुई दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों के बारे में निष्कर्ष क्या हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ला-फोन्टेन समिति की कई सिफारिशें पूरी तरह से कार्यान्वित की जा चुकी हैं और कुछ को कार्यान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि शेष सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

भारत सेवक समाज को दिया गया अनुदान

4621. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त वर्षों के दौरान भारत सेवक समाज के लेखों की लेखा परीक्षा की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो लेखापरीक्षा रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी जल्दी सम्भव होगा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

4622. **श्री पी० मानिक रेड्डी :**

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अक्तूबर, 1985 को पश्चिमी सैक्टर में भारतीय वायुसेना का एक विमान कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(घ) क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच अदालत के गठन के आदेश दिए गए हैं। जांच अदालत की रिपोर्ट अन्तिम रूप से पूरी होने पर ही इस दुर्घटना के कारणों और उसमें हुए अनुमानित नुकसान का पता चलेगा।

"सिक्किम में विदेशज तथा अन्य तितलियां"

4623. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में भारी संख्या में विदेशज तथा अन्य तितलियां हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की प्राकृतिक देन के प्रदर्शन के लिए कोई केन्द्रीय संग्रहालय स्थापित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या एक ऐसा संग्रहालय शीघ्र स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान/विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग इस विषय पर एक सचित्र लेख प्रकाशित करेगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सिक्किम में देशज तितलियों की 423 तथा विदेशज की भारी संख्या में प्रजातियां हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पालघाट में अंगली और अट्टाप्पेडी में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की स्थिति पर रिपोर्ट

4624. **श्री मल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की केरल यात्रा के बाद पालघाट जिले में अंगली और अट्टाप्पेडी में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी थी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट के बाद उन्हें कोई विशेष सहायता दी हुई है ; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अनुसूचित जनजातियों के हजारों लोग दयनीय स्थिति में रह रहे हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त आबंटन नहीं किया गया है ।

(ग) सरकार अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन की दशा से परिचित है । अट्टाप्पेडी आई० टी० डी० पी० में जनजाति उप योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त अट्टाप्पेडी खण्ड में कुरुम्बाओं आदिम जनजाति के रूप में पता लगाए गए जनजाति समुदाय, के लिए विशेष विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है । आदिम जनजाति के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है ।

प्रमुख युद्ध टैंक के लिए इंजन का आयात

4625. **श्री अमल दत्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख युद्ध टैंक के लिए इंजन आयात करने का निर्णय किया है यदि हां, तो उस देश तथा कम्पनी का क्या नाम है जहां से इस इंजन का आयात किया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार का विचार सी० वी० आर० डी० ई० में एम० बी० टी० के इंजन का विकास न करने के कारणों का पता लगाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं तो, एसा न करने के क्या कारण है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह): (क) जी नहीं । लेकिन इसके आरम्भिक आदि रूपों और टैंकों की उत्पादन पूर्व की कुछ श्रृंखलाओं के लिए पश्चिम जर्मनी की मैसर्स मोटोरेन-उंड-टरबाइन यूनियन (एम० टी०यू०) से कुछ इंजन आयात किए गए हैं ।

(ख) मुख्य युद्धक टैंक के लिए देशी इंजन का विकास आयुध वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापना में किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल मेघालय छात्र संघ (ए० एम० एस० यू०) द्वारा विदेशियों को निष्कासित करने के लिए आन्दोलन

4626. **श्री एस० एम० भट्टम** :

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल मेघालय छात्र संघ (ए० एम० एस० यू०) ने विदेशियों के निष्कासन

के लिए आसाम की किस्म का आन्दोलन करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या अखिल मेघालय छात्र संघ (ए० एम० एस० यू०) अवैध आप्रवासियों का पता लगाने तथा निर्वासन के लिए 1951 को आधार वर्ष के रूप में निर्धारित करने पर बल दे रहा है ; और

(ग) कौन से मामलों पर अब समझौता करने की आवश्यकता है और इस समय बातचीत किस अवस्था में है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अखिल मेघालय छात्र संघ (ए० एम० एस० यू०) ने 20 तथा 25 सितम्बर, 1985 को विदेशियों के निष्कासन की मांग के संबंध में बंध का आयोजन किया था।

(ख) और (ग) ए० एम० एस० यू० ने 1951 को आधार वर्ष के रूप में मानने की मांग की थी। मेघालय सरकार द्वारा विदेशियों का पता लगाने के लिए कारगर उपायों के सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गयी है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भारतीय उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी

4267. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने भारतीय उद्योग द्वारा प्राप्त किसी भी विदेशी तकनीकी के समकक्ष स्वदेशी तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए गत पांच वर्षों के दौरान कोई पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी को अस्वीकृत करने के कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विदेशी तकनीकी के मुकाबले स्वदेशी तकनीकी को अनुचित ढंग से अस्वीकृत न किया जाए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। भारतीय उद्योग द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है जबकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) द्वारा वाणिज्यिक स्तर की समानांतर प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रौद्योगिकी के निरंतर आयात की अनुमति केवल चयन के आधार पर यही दी जाती है जहां आवश्यकता सिद्ध हो गई है और समानांतर प्रौद्योगिकी देश के अंतर्गत प्राप्त नहीं है।

आदिवासी विकास के लिए नया दृष्टिकोण

4628. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदि वासी विकास के लिए नया दृष्टिकोण, जो न केवल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए ही है बल्कि फैले हुए आदिवासियों पर भी लागू है, का अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के विकास के मामले में अनुसरण किए जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पहले विभिन्न राज्यों में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी जहां अनुसूचित जाति यों के व्यक्ति जनगणना आंकड़ों से 20 प्रतिशत कम संख्या में हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुसूचित जनजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित हैं के विपरीत अनुसूचित जातियां सामान्य जनसंख्या के साथ-साथ सारे देश में फैली हुई हैं। इसलिए सरकार उनके विकास के लिए पहले ही एक नीति का अनुसरण कर रही है जो क्षेत्र-आधारित नीति पर नहीं बल्कि परिवार प्रधान कार्यक्रमों पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से 20 राज्य सरकारें और 4 संघ शासित क्षेत्र पहले ही छठी पंचवर्षीय योजना से अपने विशेष कम्पोनेंट योजनाएं बना रही हैं। विशेष कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत तैयार किए कार्यक्रमों में मुख्यत: (क) अनुसूचित जातियों की आय बढ़ाने के लिए लाभ प्राप्त कर्त्ता प्रधान कार्यक्रमों द्वारा उनका आर्थिक विकास (ख) मूल सरचनात्मक विकास के लिए बस्ती प्रधान योजनाएं (ग) मैला सफाई का उन्मूलन (घ) शैक्षिक विकास, और (ङ) प्रशासनिक और कार्मिक सुधार पर बल दिया जाता है। राज्य सरकारों के अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए भी अपनी विशेष कम्पोनेंट योजनाएं तैयार करना आवश्यक है। परिवार प्रधान कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल अनुसूचित जाति परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना ही नहीं हो सकता बल्कि जहां तक सम्भव हो लाभ प्राप्त कर्त्ताओं के पारम्परिक पेशों में परिवर्तन लाने में उनकी मदद करना भी है। भिन्न पेशेवर श्रेणियों विशेषकर कृषि मजदूरी, सीमान्त और लघु किसान, चमड़ा कामगार, मछुओं और असुरक्षित ग्रुपों (अनुसूचित जातियों में सफाई वाले और मैला साफ करने वाले बंधक मजदूरों, खानाबदोश, अर्ध खाना-बदोश और विमुक्त जनजातियों) के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से "समूह नीति" जो छठी योजना के दौरान तैयार की गई थी में सातवीं योजना में सुधार होने का अनुमान है ताकि अनुसूचित जाति जनसंख्या की सचनता वाले पता लगाए गए समस्त समूहों को शामिल किए जाने को सुनिश्चित किया जा सके। अन्य शब्दों में इसके "समूह सतृप्ती नीति" बनाया जाना है ऐसी नीति के अलग अलग परिवार के विकास और अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों के मूल संरचना के विकास पर व्यय को एकीकृत रूप से वहन किया जाएगा ताकि इसका उपयोगी प्रभाव हो।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बात पर विचार रखा गया है

कि 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों (दिल्ली और चण्डीगढ़) में इस समय पहले से कार्य कर रहे अनुसूचित जाति विकास निगम, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे। इन अनुसूचित जातियों के विकास निगम की फील्ड एजेंन्सियां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों का पता लगाती और इन परिवारों के विकास के लिए एक विशेष क्षेत्र में उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए आय उत्पन्न करने वाली उपयुक्त योजनाओं का भी पता लगाती है। अनुसूचित जाति विकास निगम के अतिरिक्त राज्य सरकारों के समाज कल्याण विभाग भी अपने फील्ड संगठनों, के माध्यम से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विकास कार्य करते हैं।

कोटा परमाणु बिजलीघर से ऊर्जा

4629. **श्री मूल चन्द डागा** :क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के प्रत्येक तिमाही तथा 1985-86 के दो तिमाहियों में परमाणु बिजलीघर कोटा में विद्युत का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ तथा प्रत्येक यूनिट की अलग-अलग कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक मामले में मरम्मत पर कुल कितनी राशि व्यय हुई तथा विद्युत के उत्पादन न होने के कारण कुल कितना नुकसान हुआ ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को उसकी एंड शील्ड का रिसना बंद करने के बाद 1 फरवरी, 1985 से पुनः चालू किया गया था और वह यूनिट 20 मई, 1985 के उस समय तक काम करता रहा था जब उसकी एंड शील्ड एक अन्य स्थान से रिसने लगी। तब से वह यूनिट बंद पड़ा है। 1-2-1985 से 20-5-1985 की अवधि में उस यूनिट में 260 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई थी जबकि लक्ष्य 342 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन का था।

राजस्थान परमाणु बिजली के दूसरे यूनिट में वर्ष 1984-85 में 1,034 मिलियन यूनिट के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 994 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई थी। वर्ष 1985-86 के पहले छः महीनों में दूसरे यूनिट में 441 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई थी जबकि लक्ष्य यह था कि 469 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की एंड शील्ड की मरम्मत पर लगभग 30 लाख रुपए लागत आई थी। राजस्थान परमाणु बिजली का पहला यूनिट भारत में बनाया गया अपने किस्म का पहला रिएक्टर था तथा इस कारण ऊर्जा का उत्पादन न होने के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परिवहन प्रणाली

4630. **श्री अजय विश्वास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने एन० सी० ए० ई० आर० के क्षेत्र में परिवहन प्रणाली आरम्भ करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में परिवहन प्रणाली की योजना तैयार करने सम्बन्धी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) एन० सी० ए० ई० आर० की परिवहन सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्र की परिवहन क्षमता में संवर्धन का सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट में विशेषत: सड़कों, सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(ग) योजनाओं को तैयार करते समय, इस प्रकार की रिपोर्टों में दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाता है।

"ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए शहरों के चारों ओर हरी पट्टियां

4631. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास के रूप में दस शहरों के चारों ओर हरी पट्टियों का विकास करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों की क्या टिप्पणियां हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड जलाने की लकड़ी पैदा करने की दृष्टि से शहरों के चारों ओर हरी पट्टियां विकसित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है।

(ख) व्यवहार्यता अध्ययन जारी है और इस समय इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

"काल टूरी-ओरियंट टेकनोलोजी शीर्षक से समाचार

4632. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों के पिछले चार

दशकों के दौरान देश प्रौद्योगिकी संबंधी सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है क्योंकि सामग्री और सेवाओं के स्वरूप को सुधारने के लिए राष्ट्रीय जीवन में कोई महत्व नहीं दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सातवीं योजना में विशेषरूप से किन उपचारी उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान तथा विकास पर एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए प्रावधानों में पर्याप्त रूप से बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए सातवीं योजनावधि में भी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई और भूमि सुधार योजनाएं

4633. **श्री कुंवर राम** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की सिंचाई और भूमि सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा इस बीच शुरू हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बिहार की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी पुनरीक्षा का कार्य शुरू हो गया है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा की गई समीक्षा और प्रबोधन के अतिरिक्त, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बिहार की सिंचाई और भूमि सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई विशेष समीक्षा नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता

4634. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं जिनमें केन्द्र सरकार राज्यों को बराबर का अनुदान अर्थात् जिनमें 50 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारें और 50 प्रतिशत उक्त खर्च केन्द्र सरकार सहन करेंगी ;

(ख) क्या उक्त सूत्र सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के संबंध में बराबर के अनुदान सूत्र को, क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की दृष्टि से केन्द्र के हिस्से को 75 प्रतिशत और राज्य के हिस्से को 25 प्रतिशत निर्धारित करके परिवर्तित करके उस पर निर्णय लेने का है और यदि हां, तो कब तक ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन में सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पश्चिमी बंगाल में सड़कों के विकास संबंधी योजना

4635. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लिए 90 करोड़ रुपए परिव्यय की 1980-85 की अवधि के छठी-पंचवर्षीय सड़क विकास योजना को अंतिम रूप दिया गया था और उसमें से लगभग लिए 60 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कें के निर्माण पर व्यय किए जाने थे तथा छठी योजनावधि के दौरान 1500 किलो मीटर लम्बी सड़कों और कई बड़े पुल बनाए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों परिव्यय की तुलना में मौलिक और वित्त रूप में वास्तविक उपलब्धियों का उपयोग क्या रहा ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय सड़क विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल की कार्य निवृत्ति कैसी रही ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की छठी पंचवर्षीय योजना में, 104.6 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया था जिसमे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, 37.50 करोड़ रु० शामिल थे। इसके अलावा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम संघटक के बाहर, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रु० का प्रावधान था।

छठी योजना के शुरू में, राज्य में सड़क लम्बाई 12834 कि० मी० थी और इसे छठी योजना के अंत तक, 1625 कि० मी० बढ़ाने का लक्ष्य था जिससे कुल सड़क लम्बाई 14459 कि० मी० हो जानी थी।

(ग) छठी योजना में, राज्य क्षेत्रक में सड़क विकास के लिए, 104.6 क. रु० के प्रावधान के मुकाबले, छठी योजना में व्यय का अनुमान 80,60 करोड़ रु० लगाया गया है जिसमें न्यूनतम

आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, 31 करोड़ रु० शामिल हैं। वास्तविक पक्ष की ओर, सड़कों के 14459 कि० मी० के लक्ष्य के मुकाबले 14285 कि० मि० उपलब्धि की प्रत्याशा की गई है।

(घ) संलग्न विवरण 1 से 4 तक में, वित्तीय और वास्तविक दोनों ही रूपों में, राज्य-वार छठी योजना उपलब्धियां दिखाई गई हैं।

विवरण-1

सड़कें और पुल

छठी योजना-परिव्यय और प्रत्याशित व्यय

(लाख रु०)

राज्य	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय के उपयोग का प्रतिशत
1. आन्ध्र प्रदेश	5500	6748	122·7
2. असम	8400	8796	104.7
3. बिहार	22735	27360	120.3
4. गुजरात	22000	24855	113.0
5. हरियाणा	11000	6935	63·0
6. हिमाचल प्रदेश	10000	6984	99.8
7. जम्मू और कश्मीर	6400	7485	117·0
8. कर्नाटक	6600	10460	158·0
9. केरल	6600	5901	89·4
10. मध्य प्रदेश	1300	16614	127·8
11. महाराष्ट्र	25000	27109	108·4
12. मणिपुर	3200	3394	106·1
13. मेघालय	4000	361	109.0
14. नागालैंड	5000	4669	93·4
15. उड़ीसा	8900	6733	75.6
16. पंजाब	7000	6140	87·0

1	2	3	4
17. राजस्थान	10000	9351	93.5
18. सिक्किम	2420	7800	115.7
19. तमिलनाडु	13900	13026	93.7
20. त्रिपुरा	2800	3344	119.4
21. उत्तर प्रदेश	31932	57844	181.1
22. पश्चिम बंगाल	13500	8157	60.4
जोड़	239887	272066	113.4

विवरण-2

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें)
छठी योजना-परिव्यय और प्रत्याशित व्यय

(लाख रुपए)

राज्य	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय उपयोग का
1. आन्ध्र प्रदेश	1,500	1587	112.5
2. असम	3,600	3315	92.1
3. बिहार	14,000	17224	123.0
4. गुजरात	12,500	13518	100.1
5. हरियाणा	350	12	3.4
6. हिमाचल प्रदेश	3,500	3592	102.6
7. जम्मू और कश्मीर	1,600	2256	141.0
8. कर्नाटक	4,300	4301	95.6
9. केरल	1,3000	2295	176.5
10. मध्य प्रदेश	4,000	5801	145.0
11. महाराष्ट्र	9,400	8199	87.2
12. मणिपुर	1,000	1112	111.2
13. मेघालय	520	478	91.9
14. नागालैंड	325	300	92.3
15. उड़ीसा	3,000	2769	93.2

1	2	3	4
16. पंजाब	2,000	1834	91.7
17. राजस्थान	6,500	4191	64.5
18. सिक्किम	900	2129	236.6
19. तमिलनाडु	7,000	4627	66.1
20. त्रिपुरा	1,100	1402	127.5
21. उत्तम प्रदेश	31,500	38749	123.0
22. परिचम बंगाल	3,750	2100	82.7
जोड़	114,845	122918	107.0

विवरण-3

गांवों को सड़कों से जोड़ना

1500 और अधिक कुल संख्या वाले समूह

छठी योजना—लक्ष्य और उपलब्धियां

(1980-85)

राज्य	लक्ष्य	संभावित उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्यों की उपलब्धि
1. आंध्र प्रदेश	220	360	263.6
2. असम	292	201	68.8
3. बिहार	2250	2079	92.4
4. गुजरात	1223	1132	92.4
5. हरियाणा	34	34	100.0
6. हिमाचल प्रदेश	16	34	212.5
7. जम्मू और कश्मीर	34	35	102.9
8. कर्नाटक	259	821	317.7
9. केरल	—	—	—
10. मध्य प्रदेश	520	366	70.4
11. महाराष्ट्र	2555	1474	57.7
12. मेघालय	22	17	77.3
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—

1	2	3	4
15. उड़ीसा	1188	950	80.0
16. पंजाब	—	—	—
17. राजस्थान	600	411	68.5
18. सिक्किम	—	—	—
19. तमिलनाडु	1264	1264	100.0
20. त्रिपुरा	44	44	100.0
21. उत्तर प्रदेश	2642	1559	59.0
22. पश्चिम बंगाल	70	1 23	175.7
जोड़	13235	1090	82.4

विवरण-4

1000-1500 तक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना
छठी योजना-लक्ष्य और उपलब्धियां

(1983-85)

क्रम० सं० राज्य	लक्ष्य	संभावित उपलब्धि	लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि
1. आंध्र प्रदेश	—	37	—
2. असम	199	188	94.5
3. बिहार	481	373	77.5
4. गुजरात	781	1130	144.7
5. हरियाणा	60	60	100.0
6. हिमाचल प्रदेश	36	17	47.2
7. जम्मू और कश्मीर	43	42	97.7
8. कर्नाटक	103	171	166.0
9. केरल	—	—	—
10. मध्य प्रदेश	220	469	213.2
11. महाराष्ट्र	360	1299	360.8
12. मणिपुर	23	19	82.6

1	2	3	4
13. मेघालय	28	2	7.1
14. नागालैंड	4	उ० न०	—
15. उड़ीसा	180	180	100.0
16. पंजाब	—	—	—
17. राजस्थान	258	164	63.6
18. सिक्किम	67	101	150.7
19. तमिलनाडु	372	351	94.4
20. त्रिपुरा	76	76	100.0
21. उत्तर प्रदेश	265	2047	772.5
22. पश्चिम बंगाल	80	95	118.8
जोड़	3636	6821	187.6

"किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि-वानिकी प्रणाली"

4636. **श्री अतीश चन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में छोटे तथा सीमान्त किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु उपयुक्त कृषि-वानिकी प्रणाली अपनाकर किसी फसल समूह से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु ईंधन तथा बागान योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो छठी पचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल में 1980-85 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां क्या रहीं ; और

(ग) कमियां, यदि कोई हों, के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मियाउरंहमान अन्सारी) : (क) पश्चिम बंगाल में दो स्कीमों के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त किसानों की भूमि पर जलनेकी लकड़ी तथा फलदार वृक्षों की मिश्रित पौधरोपण के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार से है

(जहां ब्लाक पौधरोपण नहीं की गई थी, 2000 पौधें एक हेक्टेयर के बराबर माना गया है)।

लक्ष्य	उपलब्धियां
(हेक्टेयर)	(हेक्टेयर)
38,920	46,482

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हाईड्रोजन न्यूक्लीय के नियंत्रित संयोजन से कम लागत पर ऊर्जा

4637. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कम कीमत में ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने की दृष्टि से विकसित देशों के वैज्ञानिकों द्वारा हाईड्रोजन न्यूक्लीय नियंत्रित संयोजन तैयार करने के लिए काफी कार्य किया गया है ;

(ख) इस शताब्दी के अन्त तक 12,0,000 मेगावाट विद्युत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने ऊर्जा के इस स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक इस विषय से संबंधित घटनाक्रम से आपको पूरी तरह अवगत रख रहे हैं।

(ख) और (ग) नियंत्रित संलयन अभी विकास के दौर में है और नियंत्रित न्यूक्लियर संलयन की सहायता से बिजली का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर करने में अभी कुछ और दशकों का समय लगेगा। 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली के उत्पादन के कार्यक्रम को ऐसे न्यूक्लियर संयंत्रों की सहायता से पूरा करना होगा जो व्यावसायिक स्तर पर अच्छे सिद्ध हो चुके हों।

बी०सी०आर० और बी०सी०पी० का निर्माण

4638. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी०सी०आर०, बी०सी०पी० तथा माइक्रोवेव चूल्हे आदि के निर्माण के लिए आज तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) दिनांक 25

दिसम्बर, 1985 को प्रेस नोट सं० 30 (1985 का अनुक्रम) जारी करने के बाद, जिसमें वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों, जिसमें डेक मैकेनिज्म शामिल है, तथा सूक्ष्म तरंग चूल्हों के विनिर्माण के लिए आवेदन-पत्र मंगवाए गए थे, इन उत्पादों के लिए मिले-जुले दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर कार्रवाई की जा रही है।

मानव खोपड़ियों का अवैध व्यापार

4639. **श्री अनिल बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बच्चों के गुम होने के बारे में खबरें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार खोपड़ियों को बिहार में मानव खोपड़ियों, विशेष रूप से बच्चों की खोपड़ियों के अवैध व्यापार की जानकारी है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार पुलिस द्वारा पकड़े गए बच्चों की खोपड़ियों, अस्थियों से भरे सन्दूकों को जांच के लिए फौरेंसिक विभाग को नहीं भेजा गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि मानव खोपड़ियों, कंकालों और हड्डियों के व्यापार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 29 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों को छोड़कर, कोई कानून नहीं है ;

(ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की खोपड़ियों पर अनुसंधान की बहुत गुंजाइश है, क्या सरकार बच्चों की खोपड़ियों के निर्यात के पीछे वास्तविक उद्देश्यों का पता लगाने हेतु कोई जांच कर रही है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (च) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मानव खोपड़ियों के गुप्त व्यापार की कोई घटना उनके ध्यान में नहीं आयी है। राज्य सी० आई० डी० के मुख्य कार्यालय ने पुलिस द्वारा बरामद की गयी हड्डियों को परीक्षण के लिए राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने के निर्देश जारी किए हैं।

बच्चों की खोपड़ियों के निर्यात के पीछे वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी प्रकार की जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मानवीय खोपड़ियों तथा उनके भागों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति

4639-क. **चौधरी रहीम खां :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिक श्रेणी-परीक्षा,

1984 में उत्तीर्ण हुए 5000 उम्मीदवारों को विभिन्न मंत्रालयों और दिल्ली नगर निगम जैसे अन्य सरकारी विभागों में नियुक्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर जिन 91 उम्मीदवारों के नाम दिल्ली प्रशासन को भेजे गए थे, उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय दिल्ली प्रशासन को भेजे गए उक्त उम्मीदवारों को नियुक्त करने पर सहमत हुआ है अथवा नहीं ;

(घ) क्या उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को वित्त मन्त्रालय में नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) क्लर्क ग्रेड परीक्षा 1984 के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग ने प्रायोक्ता विभागों में नियुक्ति के लिए 4640 सफल उम्मीदवारों की सिफारिश की है। चूंकि नियुक्ति के वास्तविक प्रस्ताव विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाते हैं इसलिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वस्तुतः नियुक्त किए गए सफल उम्मीदवारों की संख्या से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के लिए जो 96 उम्मीदवार नामित किए गए थे, उनकी नियुक्ति अभी की जानी है।

(ग) वित्त मन्त्रालय ने भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और दिल्ली प्रशासन में होने वाली नियुक्तियां उक्त प्रतिबन्ध के अधीन आती हैं।

(घ) तथा (ङ) वित्त मंत्रालय संवर्ग में अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्ति के लिए नामित किए गए 104 उम्मीदवारों में से 51 ने पहले ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है और शेष कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं।

दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता

4639-ख. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पश्चिम बंगाल सरकार को दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए न्योरा घाटी जल आपूर्ति योजना हेतु 22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है/दिए जाने का विचार है ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता इस्तेमाल की गई है ;

(ङ) केन्द्रीय सहायता के इस्तेमाल में यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) योजना में क्या प्रगति हुई हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही न्योरा खोला जल आपूर्ति योजना की पूंजीगत लागत हेतु 10·45 करोड़ रुपए का एक ऋण मन्जूर किया है। इसमें से 50 लाख रुपए की पहली किश्त पहले ही दे दी है।

(घ) से (ङ) सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋण की पहली किस्त का उप्रयोग कर लिया है।

(च) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग ने कानिमपोंग के ऊपर दियोला जलाशय और छावनी क्षेत्र के बीच तथा थाकन्चू क्षेत्र से नगरपालिका क्षेत्र तक पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है।

कालीकट के निकट अमरीकी गेहूं का नष्ट किया जाना

4639-ग. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी गेहूं के 35,000 बोरों को मानव उपयोग के योग्य न रहने के कारण कालीकट के निकट बेपुर में समुद्र में नष्ट कर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस गेहूं को नष्ट करने के अन्य कारण क्या हैं ;

(ग) अमरीका ने किस प्रयोजन के लिए गेहूं दिया था ; और

(घ) क्या यह सच है कि बन्दरगाह प्राधिकारियों ने इस गेहूं को उतारने की अनुमति नहीं दी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) अप्रैल, 1984 में बेपुर पर उतारे गए उपहार के 1444 टन गेहूं को 5 मार्च, 1985 से 5 अप्रैल, 1985 तक समुद्र में फेंक दिया गया था। बेपुर पर यह गेहूं उतारते समय बुरी तरह से खराब था और स्वास्थ्य निरीक्षक ने इसे खाने के अनुपयुक्त घोषित कर दिया था और इसे नष्ट करने की सिफारिश की थी।

2. यह गेहूं इंडो-यू० एस० करार के अन्तर्गत भारत में कैथोलिक रिलीफ सर्विस द्वारा मुफ्त वितरण के लिए अमेरिका ने उपहार के रूप में दिया था।

3. अमरीकी जहाज जो कोचीन पतन पर उतारने के लिए यह गेहूं लाया था

26-12-83को बम्बई पतन पर पहुंचा। जहाज यह गेहूं 4 जनवरी, 1984 को आगे सिंगापुर ले गया। 6 अप्रैल, 1984 को इसे एक अन्य जहाज द्वारा वापिस लाया गया जबकि भारत में कई पत्तनों पर आम हड़ताल थी। जहाज बेपुर चला गया जो एक छोटा पत्तन है और जो भारत अमरीकी करार के अन्तर्गत उपहार का माल प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं था और यह गेहूं वहां 19 अप्रैल, 1984 को उतार दिया गया था।

4. कैथोलिक रिलीफ सर्विसिज (सी० आर० एस०) माल प्राप्तकर्त्ता संस्था ने "अमेरिकन प्रेजीडेन्ट लाइन" कम्पनी से सर्वेक्षक और एक तरफा निर्णय लेने का विरोध किया था।

12.00 मध्याह्न

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती मीरा कुमार (बिजनौर)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : भोपाल गैस दुर्घटना की न्यायिक जांच समाप्त करने के निर्णय के बारे में जो आज समाचार प्रकाशित हुआ है, वह केन्द्रीय सरकार के कहने पर किया गया है (**व्यवधान**) हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाए। केवल दो दिन बकाया है। (**व्यवधान**) सारे मामलों के छिपाने के लिए प्रयास किया गया है (**व्यवधान**)। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। दो हजार व्यक्ति अपना जीवन गवां चुके हैं। यह कोई मजाक नहीं है। किसी तकनीकी आधार पर इन सभी बातों को छिपाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**) हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को क्या परामर्श दिया है (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ? (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इसे मुझे दे देना चाहिए। मैं इसका पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक गंभीर मामला है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यूनियन कार्बाइड के साथ कोई षड़यन्त्र किया गया है ? क्या कोई सक्रिय लॉबी कार्य नहीं कर रही है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह मिलगया है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने यह मांग की है कि ज्योतिर्मय समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा था। मुझे कल मंत्रीजी से पूरा उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं इसका अध्ययन करूंगा और मैं कल अपना निर्णय दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : कल आप कोई निर्णय लेंगे। क्या आप इसको सभा पटल पर रखने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन करूंगा। यदि सब बातों के आधार पर ···

प्रो० मधु दंडवते : महोदय आप एक मन्त्री की भांति बात कर रहे हैं (**व्यवधान**) आप एक मन्त्री की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हैं। आप एक मन्त्री की भांति क्यों उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मुझे इन सभी बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको जवाबदेह देना पड़ेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आर्य समाज से सम्बन्धित प्रसिद्ध भारतीयों का एक दल दक्षिण अफ्रीका गया है (**व्यवधान**) यह स्पष्ट है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उत्तर प्राप्त करने का इंतजार कर रहा हूं और मैं उस पर अपना निर्णय लूंगा। मैंने पहले ही इस ओर ध्यान दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह पूर्णतः हमारी नीति के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही मन्त्री महोदय से कह चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय तीन दिन पहले आपने कहा था··· (**व्यवधान**)। विदेश मन्त्री यहां पर बैठे हुए है। वह क्या कर रहे हैं ? आप लोगों को दक्षिण अफ्रीका जाने की अनुमति क्यों देते हैं? आर्यसमाज के एक शिष्टमण्डल को दक्षिण अफ्रीका जाने की कैसे अनुमति दी गई ? हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए चिंतित हैं और आप लोगों को वहां पर जाने की अनुमति दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय मैंने नोटिस दिया है ··· (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मन्त्री महोदय को कोई टिप्पणी करने दो।

अध्यक्ष महोदय : नहीं हम निर्णय ले सकते हैं। मैंने लिखा है ··· (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप एक वक्तव्य दे रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : मैं कल वक्तव्य दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय कल कोई स्पष्टीकरण देने वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसलिए तो मैं कह रहा हूं···हां, अब श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ·····में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी आप एक पुराने माननीय सदस्य हैं। यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसके लिए चुनाव आयोग मौजूद है।

श्री बसुदेव आचार्य : सिल्चर निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जाली मतदान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने पांच तारीख को कॉलिंग ऐटेंशन दिया था दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में कि हिन्दी की प्लेट न हटाने पर जुर्माना कर रहे हैं।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि जब हम किसी विषय पर चर्चा करने का निर्णय करते हैं, तब मुझे यह देखकर बहुत खेद होता है कि जब वह विषय सभा में चर्चा के लिए आता है तब बहुत ही कम सदस्य सदन में मौजूद होते हैं। मैंने भोपाल गैस दुर्घटना पर चर्चा की अनुमति दी थी लेकिन सदन में केवल बारह अथवा तेरह ही सदस्य मौजूद थे। मैं ऐसी स्थिति पसन्द नहीं करता हूं। और अब आप इसके लिए कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको चेतावनी देता हूं यह ठीक बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गैस दुर्घटना पर चर्चा ध्यानाकर्षण के रूप में हुई थी।

प्रो० मधु दंडवते : किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसके लिए सहमत हैं। महोदय, हम सहमत हुए थे कोई समस्या नहीं है। शासक दल की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया था। इसका निर्णय कार्य मन्त्रणा समिति करती है। आप वहां पर नहीं थे। यह निर्णय कार्य मन्त्रणा समिति में किया गया था।

प्रो० मधु दंडवते : पत्र समाप्त होने से पूर्व ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इस पर चर्चा न करने का निर्णय किया गया था। आप मेरे पास आइए मैं आपको जो कुछ हुआ उसके बारे में बताऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हिन्दी के नाम पर···

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है।

[अनुवाद]

मैं उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहा हूं। उसको संशोधित कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह पेपर है, जिसमें कार्यकारी पार्षद ने कहा है कि दिल्ली की पुलिस लुटेरी हो गई है। हजारों-हजार आदमियों पर जुर्माना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस अविलम्ब कार्यवाही करें। यह प्रशासन कह रहा है कि दिल्ली की पुलिस लुटेरी है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, सदस्यों के उपस्थित न रहने के बारे में आपकी आलोचनात्मक टिप्पणी के बारे में जहां तक मुझे याद है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां महोदय, मैंने यह कहा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक मेरी सही जानकारी है भोपाल मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की गई थी जिसमें केवल पांच सदस्य ही भाग ले सके थे अन्य सदस्य इच्छुक होते हुए भी भाग नहीं ले सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा कहा है। मैंने सदस्यों को यह चेतावनी देने के इरादे से कहा है ताकि वे दिलचस्पी ले सकें। मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह चर्चा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जायेंगे।

12.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पुनर्वास उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पुनर्वास उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पुनर्वास उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1677/85]

राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1984-85 तथा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैंटली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1678/85]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट फार दि मैंटली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट फार दि मैंटली हैंडिकैप्ट, सिकंदराबाद, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1679/85]

सम्प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सम्प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सम्प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1680/85]

नौसेना छुट्टी (पहला संशोधन) विनियम, 1985 और इन्हें सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों का विवरण, छावनी (मध्यस्थता समितियों की प्रक्रिया का विनियमन) नियम, 1985, लखनऊ छावनी कुत्तों का पंजीकरण और नियंत्रण तथा अलर्क रोग निवारण (संशोधन) उप-विधि, 1984, आदि

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्री अरुण सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना छुट्टी (पहला संशोधन) विनियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 15 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 117 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1681/85]

(3) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 281 की उपधारा (3) के अन्तर्गत छावनी (मध्यस्थता समितियों की प्रक्रिया का विनियमन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 16 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 235 में प्रकाशित हुए थे।

(4) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 284 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लखनऊ

छावनी कुर्तों का पंजीकरण और नियंत्रण तथा अलर्क रोग निवारण (संशोधन) उप-विधि, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 17 अगस्त 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 1/2/189 में प्रकाशित हुई थी।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1082/85]

(6) (एक) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1683/85]

(7) (एक) 62 छावनी बोर्डों के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) 62 छावनी बोर्डों के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक समेकित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) 62 छावनी बोर्डों के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी अर्ध-वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1684/85]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 900(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 11 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आस्ट्रेलिया के शिलिंग, बेल्जियम के फ्रैंक, डैनिश क्रोनरों, ड्यूश मार्कों, डच गिल्डरों, फ्रांस के फ्रैंकों, इटली के लियर तथा स्वीडन के क्रोनरों के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा के उन मुद्राओं में विनिमय की पुनरीक्षित दरों के बारे में है सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1685/85]

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1984-85 इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 ; इलैक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेक्नालोजी डिवेलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल

पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा, का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1686/85]

(ख) (एक) इन्डियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इन्डियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1687/85]

(ग) (एक) इलैक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेक्नालोजी डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इलैक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेक्नालोजी डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1688/85]

(घ) (एक) सी० एम० सी० सीमित, सिकंदराबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सी० एम० सी० सीमित, सिकंदराबाद का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1689/85]

(2) (एक) भारतीय साइंस अकादमी, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय साइंस अकादमी, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1 90/85]

(3) (एक) टाटा मैमोरियल सेन्टर, बम्बई, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मैमोरियल सेन्टर, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1691/85]

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय साइंस अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय साइंस अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1692/85]

(5) (एक) रमण अनुसंधान, संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1693/85]

(6) (एक) भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1694/85]

(7) (एक) भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1695/85]

(8) (एक) इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रापीकल मैटरालोजी, पुणे, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ ट्रापीकल मैटरालोजी, पुणे, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इन्डियन इन्स्टीच्यूट आफ ट्रापीकल मैटरालोजी, पुणे, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1695/85]

(9) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल, रीमोट सेंटिंग एजेंसी, हैदराबाद, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1697/85]

(10) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण(की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1698/85]

आन्ध्र वैज्ञानिक कम्पनी सीमित लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1984-85, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आंध्र वैज्ञानिक कम्पनी सीमित (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम 1982 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अन्ध्र वैज्ञानिक कम्पनी सीमित (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) (किसी सम्पत्ति में बन्धक, भार, धारणाधिकार अथवा अन्य हित के बारे में सूचना) नियम, 1985, जो 1 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आन्ध्र वैज्ञानिक कम्पनी सीमित (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) निधि प्रशासन नियम 1984, जो 1 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1699/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1700/85]

(ख) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1701/85]

(ग) (एक) गार्डन रीच शिप बिलडर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) गार्डन रीच शिप बिलडर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1702/85]

(घ) (एक) प्रागा टूल्ज लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) प्रागा टूल्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1703/85]

(ङ) (एक) मिश्र-धातु निगम लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मिश्र-धातु निगम लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1704/85]

नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एंड चाइल्ड डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डिवेलपमेंट, नई दिल्ली, का 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डिवेलपमेंट, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1706/85]

पद्मजा नायडू हिमालयन जुओलाजिकल पार्क, दार्जिलिंग का वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पद्मजा नायडू हिमालयन जुओलाजिकल पार्क, दार्जलिंग, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) (क) पद्मजा नायडू हिमालयन जुओलाजिकल पार्क, दार्जलिंग, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए, विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1705/85]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय असैनिक सेवायें खेल बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1985, जो 4 दिसम्बर, 1985 की भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 884 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1985, जो 30 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1111 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1707/85]

(2) (एक) केन्द्रीय असैनिक सेवायें खेल बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) केन्द्रीय असैनिक सेवायें खेल बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्य-करण की समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1708/85]

12.08 ब०व०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों

संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं परमाणु ऊर्जा विभाग-विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 82वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० [illegible] रेड्डी (कुरनूल) : मैं भारत संघ सरकार (डाक तथा तार)—किरायों का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि—के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं गृह मंत्रालय—आसाम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण तथा रोजगार के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति (सातवीं लोक सभा) के 46वें

प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में इस समिति का छठा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.10 म०प०

मध्याह्न भोजनकाल का निलंबन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : आज हमें कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे करने हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज मध्याह्न भोजन अवकाश समाप्त कर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन अन्य मध्याह्न भोजन अवकाश समाप्त करने के लिए सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

शिक्षकों की सेवा-शर्तों को सुधारने के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच हुए समझौते को कार्यान्वित न किए जाने के परिणामस्वरूप शिक्षकों में असंतोष का समाचार

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

> "शिक्षकों की सेवा शर्तों को सुधारने के सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच जनवरी, 1983 में हुए समझौते को कार्यान्वित न किए जाने के समाचार से उत्पन्न स्थिति, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों में असंतोष फैला है तथा इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए पग" ।

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने अपने मांगों को मनवाने के लिए 10 दिसम्बर, 1985 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी है । उनकी मुख्य मांगें हैं (1) योग्यता पदोन्नति योजना को समाप्त करने से सम्बन्धित वि० अनु० आयोग के अनुदेशों को वापिस लेना; (2) मकान सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार ; (3) कालेजों में प्रवरण ग्रेड के लेक्चररों के लिए निश्चलता को दूर करने के लिए वेतनवृद्धियों की मंजूरी; और (4) कालेजों में प्रोफेसर ग्रेड लागू करना ।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने 12 अक्तूबर, 1982 से एक लम्बी अवधि की हड़ताल कर दी थी जिसे 29 जनवरी, 1984 को समाप्त कर दिया गया था। उस समय अध्यापकों की मुख्य मांगें थीं (1) सभी अध्यापकों के लिए समयबद्ध पदोन्नति को लागू करना ; और (2) विश्वविद्यालय तथा इसके कोलेजों में अध्यापकों लिए मकान सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करना।

3. नवम्बर-दिसम्बर, 1942 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के लिए योग्यता पदोन्नति योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिये प्रत्यावेदनों पर इसने योजना की समीक्षा की और विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के मामले में पदोन्नतियों एक समान सीमा 33 1/3 प्रतिशत तक लागू करने का निर्णय किया। बाद में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के सम्बंध में योजना को लागू करने में कुछ लचीलापन के लिए सहमत हो गया। इसी आधार पर हड़ताल समाप्त कर दी गई थी।

4. योग्यता पदोन्नति योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक छठी योजनागत योजना के रूप में तैयार किया गया था। छठी योजना को समाप्ति के साथ आयोग ने विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि योग्यता पदोन्नति योजना भी समाप्त हो गई। इस बीच आयोग ने कोलेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों की परिलब्धियों के वर्तमान ढांचे और उनकी सेवा-शर्तों की जांच करने तथा अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति के लिए अवसरों की व्यवस्था करने के साथ तत्सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए प्रो० आर० सी० मेहरोत्रा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। क्योंकि समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सलाह दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वेतनमानों के संशोधन और सम्बंधित मामलों को अन्तिम रूप दे दिये जाने तक योग्यता-पदोन्नति योजना जारी रहेगी।

5. जनवरी 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सलाह दी गई थी कि वह विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए 3 करोड़ रुपये और कालेज-कर्मचारियों के लिए 6 करोड़ रुपये की लागत पर स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक योजना तैयार करे। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की इस योजना को अब मंजूरी दे दी गई है और निर्माण-कार्य चल रहा है। दिल्ली में कालेजों की संख्या क्योंकि बहुत बड़ी है, अतः कालेज कर्मचारियों की योजना को तैयार करने में कुछ विलम्ब हो किया था। फिर भी, इस योजना को तैयार कर लिया गया है र यह अन्तिम रूप दिए जाने तथा अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

6. जहां तक कालेजों में निश्चलता को दूर करने और प्रोफेसर ग्रेड लागू करने वाली मांगों का सम्बन्ध है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 28 जनवरी, 1983 को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यपाक संघ को सूचित किया था कि ये मामले विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे और उनकी सिफारिशों को विद्यालय अनुदान आयोग के साथ लागू

करने के लिए उठाया जाएगा। विश्वविद्यालय ने अप्रैल, 1983 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दिल्ली स्थित कालेजों में प्रोफेसरों के पदों के सृजन के लिए स्वीकृति देने का अनुरोध किया। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकार करने में कालेजों की स्टाफ प्रणाली में भारी परिवर्तन शामिल था, अत: आयोग ने इस प्रस्ताव को मेहरोत्रा समिति को भेज दिया है।

7. प्रवण ग्रेड के उन लेक्चररों को, जो पहले ही अपना अधिकतम वेतन ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पांच वेतनवृद्धियों तक हर तीसरे वर्ष एक वेतनवृद्धि मंजुर करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की सिफारिशें नवम्बर, 1983 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भजी गई थीं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापकों में अध्यापकों के वेतनमान और भत्ते क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अत: निश्चलता दूर करने के लिए वेतनवृद्धि देने से सम्बन्धित प्रस्ताव की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर सरकार द्वारा जांच की गई थी। सरकारी सेवा में निश्चलता को दूर करने के लिए वेतनवृद्धि देने की धारणा को केवल उन कर्मचारियों के संबंध में स्वीकार किया गया है जो ऐसे वेतनमानों में हैं जिनका अधिकतम 1200/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है। प्रवरण ग्रेड के लेक्चररों के वेतनमान का अधिकतम 1900/- रुपये प्रतिमाह है।

8. सरकार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मकानों के निर्माण के लिए धन जुटाने के वैकल्पिक स्रोतों के सम्बन्ध में स्वयं विचार करती रही है। आवास-गृह विकास वित्त निगम जैसी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया गया। आवास-गृह विकास वित्त आयोग के साथ किए गये विचार विमर्शों में दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय को भी प्रस्ताव तैयार करने के लिए सहयोजित किया गया था। क्योंकि इस योजना में वित्त पोषण की सामान्य पद्धति का काफी उल्लघंन शामिल है, अत: इस सम्बन्ध में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने तथा उनके अनुमोदन की आवश्यकता है। हम इस मामले में कार्रवाई कर रहे है। यह योजना जनवरी, 1983 में हड़ताल के समझौते का अग नहीं थी।

9. जनवरी 1983 में, योग्यता पदोन्नति योजना के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट वचन-बद्धताओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए तीन करोड़ रु० की लागत से स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है। कालेज कर्मचारियों के लिए छ: करोड़ रुपये की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

10. दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के 10 दिसम्बर, 1985 को हड़ताल पर जाने से पूर्व मैं उनके प्रतिनिधियों से मिली थी और उन्हें यह आश्वासन दिया था कि हम उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए सदा तैयार हैं और सरकार द्वारा की गई सभी विशिष्ट वचनबद्धताओं का आदर किया जाएगा। यह एक निराशाजनक बात है कि इस आश्वासन के बावजूद उन्होंने हड़ताल कर दी। हड़ताल के शुरू हो जाने के बाद भी इन मामलों के सम्बन्ध में किए गये उपायों को शिक्षकों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया गया, परन्तु हड़ताल अभी तक

जारी है। सदन इस बात से सहमत होगा शिक्षण समुदाय की समस्याओं के प्रति सरकार की सहानुभूति रही है और उनकी उचित मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार आशा करती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हड़ताल शैक्षिक समुदाय के व्यापक हित में समाप्त कर दी जाएगी।

12.18 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री अजित कुमार साहा : मन्त्री महोदय का वक्तव्य युक्ति-युक्त नहीं है। सबसे पहले मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध हैं कि वे इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गतिरोध समाप्त हो जाए। इसे नौकरशाही पर मत छोड़ें।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मजबूर किया गया था कि वे अनिश्चित काल के लिए "काम बन्द" कार्यक्रम को पुनः शुरू करें क्योंकि शांतिपूर्वक समझौते के प्रयास विफल हो गए थे। 13 जनवरी, 1983 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाश नारायण और न्यायाधीश श्री जैन की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक छात्र के पिता द्वारा दायर किए गए सार्वजनिक मुकदमे के माध्यम से इसमामले में हस्तक्षेप किया था। उस न्यायालय ने भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को समन किया और सुनवाई शुरू हुई। 20 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाश नारायण ने सभी सम्बन्धित पक्षों की सहमति से एक फार्मूला तैयार किया। 23 जनवरी को सभी पक्षों ने उस फार्मूले को स्वीकार कर लिया परन्तु भारत सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी।

25 जनवरी, 1983 को शिक्षा मन्त्री श्रीमती शीला कौल ने एक संवददाता सम्मेलन में हड़ताली शिक्षकों को कुछ निश्चित आश्वासन दिया जिसमें आधार पर "काम बन्द" आन्दोलन वापस ले लिया गया। परन्तु माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का पालन करने के बजाय इसका अतिक्रमण किया गया। "चैलेंज ऑफ एज्यूकेशन" दस्तावेज में, जिस पर हाल ही में चर्चा हुई है, शिक्षा को राजनीति से दूर रखने पर बार-बार बल दिया गया है। शिक्षा को राजनीति से दूर रखने के नाम पर शिक्षा मन्त्रालय शायद यह चाहता है कि शिक्षक मूकदर्शक बने रहें चाहे उनके साथ अन्याय ही क्यों न हो रहा हो।

देश की राजधानी में 6000 शिक्षकों ने काम बन्द कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप 1 लाख 50 हजार से भी अधिक छात्रों को नुकसान हो रहा है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखकर मैं निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कालेज के शिक्षकों को प्रोफेसर का वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यवसायिक कालेजों (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन) के शिक्षकों को वे लाभ क्यों नहीं मिलते जो अन्य शिक्षकों को मिल रहे हैं। मैं

जानना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यादेश संख्या 12 इन कालेजों पर लागू क्यों नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि व्यवसायिक कालेजों के शिक्षकों को 58 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त क्यों किया जाता है ? यही मेरे प्रश्न है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : माननीय शिक्षा मन्त्री बहुत बड़े विद्वान हैं और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं को जानते हैं। वे आन्ध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध शिक्षा मन्त्री रहे हैं और उन्होंने कई मामलों को सुलझाया है। परन्तु दुर्भाग्यवश दिल्ली विश्वविद्यालय में यह सब कुछ हो रहा है। दो वर्ष की अवधि में शिक्षक दूसरी बार हड़ताल पर गए हैं। शिक्षक पदोन्नति और आवास सुविधाओं के अभाव से ग्रस्त हैं। पी०एच०डी० डिग्री के अभाव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन्हें लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1983 में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के बीच कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है। क्या उस अवधि में कोई पदोन्नति के अवसर, विशेषकर कालेजों के शिक्षकों के लिए, उपलब्ध किए गए थे ? क्या इन कालेज शिक्षकों के लिए कोई प्रोफेसर ग्रेड बनाया गया था ? मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षकों के लिए कोई आवास सुविधाएं उपलब्ध की गई थीं ? यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ? भविष्य में आप कितनी धनराशि खर्च करेंगे ? मन्त्री महोदय से मैं यह सब बातें जानना चाहता हूं।

श्री अनिल बसु (आराम बाग): मंत्री महोदय का वक्तव्य विसंगतियों से भरा हुआ है, आप इस वक्तव्य को पढ़कर देखिए। मैं वक्तव्य के पृष्ठ 5 को पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि :—

"शिक्षण समुदाय की समस्याओं के प्रति सरकार की सहानुभूति रही है और वह उनकी उचित मांगों को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।"

"उचित मांग" कहकर वह दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की समस्या के समाधान में हुए विलंब की स्थिति से बचना चाहती हैं। उन्होंने यह नहीं कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मांगों के प्रति उनकी सहानुभूति है। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। अन्य सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कालेजों के शिक्षकों को संकाय शिक्षक माना जाता है और उन्हें वही वेतनमान दिया जाता है और उन्हें पदोन्नति के और अन्य लाभ मिल रहे हैं। परन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कि राजधानी में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, कालेजों और विश्वविद्यालय के व्यवसायिक शिक्षकों को ये लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक गत छः वर्षों से अपने सम्बन्धित ग्रेड में एक ही वेतन पर रुके हुए हैं? यदि हां, तो क्या वे उचित समझती हैं कि एक शिक्षक

बिना किसी राहत के इस प्रकार ग्रेड में एक ही वेतन पर रुका रहे ? शिक्षकों के मनोबल पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ग्रेड में इस गतिरोध को दूर करने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है और क्या वे गतिरोध दूर करने के प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं, जिसमें एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष एक वेतनवृद्धि देने की व्यवस्था है ? क्या यह सच है कि मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार दिल्ली स्कूल शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को गत दो वर्षों से गतिरोध राहत दी जा रही है ? क्या यह भी सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 11 और 12 जिसे कुलाध्यक्ष और मानव संसाधन मन्त्रालय की विश्वविद्यालय की सभा की कार्यकारी परिषद और विद्या परिषद में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सहमति मिली हुई है, में 'मैरिट प्रमोशन स्कीम' (गुणवत्ता के आधार पदोन्नति योजना) को शामिल किया गया है ? यदि हां, तो क्या शिक्षकों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले इन अध्यादेशों को यदि मनमाने ढंग से निष्फल कर दिया जाए तो क्या नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं होता है ?

महोदय, आप जानते हैं कि अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और शिक्षकों को कुल संख्या के 40 प्रतिशत को आवास सुविधा उपलब्ध की जाती है। परन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय के 5 प्रतिशत कर्मचारियों और शिक्षकों को भी आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है, यद्यपि मन्त्री महोदय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक आश्वासन दिए गए हैं। क्या मन्त्री महोदया दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण पर विचार करेगी ? दिल्ली विश्वविद्यालय ने आवास पर 20 करोड़ रुपए खर्च करने का एक प्रस्ताव मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे सातवीं योजना अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। यदि नहीं, तो आवास उपलब्ध कराने के लिए इसे कब क्रियान्वित किया जाएगा। मैं इन प्रश्नों का सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य पर अपने विचार रखने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक नौ दिन से हड़ताल पर हैं। 10 दिसम्बर से हड़ताल है। कल उन्होंने निर्णय किया है कि जब तक जनवरी, 1983 के समझौते को क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की जाए। इस हड़ताल से पहले एक और हड़ताल हुई थी, जो 109 दिन चली थी। मैं समझता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में यह सबसे लम्बी हड़ताल थी और इस हड़ताल के बाद एक समझौता हुआ था और जनवरी, 1983 में हुए उस समझौता को क्रियान्वित न किए जाने के कारण यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। समझौते में तीन या चार बातें हैं —पहली शिक्षकों की पदोन्नति, दूसरी आवास, तीसरी ग्रेड में गतिरोध दूर करने और चौथी कालेजों में प्रोफेसर ग्रेड लागू करने के बारे में है।

वक्तव्य में कहा गया है कि समझौते की अधिकतर शर्तों को कम से कम समय में पूरा कर दिया गया है और सरकार समझौते की सभी शर्तों को पूरा करने और लागू करने के लिए इच्छुक है ? परन्तु यदि आप वक्तव्य में कहीं गई बातों का बारी-बारी से अध्ययन करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि सरकार ने किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है।

आवास योजना के बारे में यह निर्णय किया गया था कि इन प्रोफेसरों को आवास दिया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली में आवास का अत्याधिक अभाव है । परन्तु सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय कालेज शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराने की परवाह नहीं की । दिल्ली विश्वविद्यालय में आवास की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखकर मन्त्रालय वर्ष 1984 में आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए देने हेतु सिद्धान्त रूप से सहमत हुआ था । सरकार द्वारा ये आश्वासन अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं । मन्त्री महोदय कैसे यह कह सकते हैं कि सरकार ने समझौते की शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया है । अत: यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि समझौते की शर्तों को पूरा किया गया है ।

यदि आप पदोन्नति और गतिरोध दूर करने के मामलों को लें, तो पता चलेगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक को लाभ नहीं मिला है । दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक और पूरे देश के शिक्षक यह महसूस करते हैं कि पदोन्नति के अवसर होने चाहिएं क्योंकि यदि कोई शिक्षण के इस व्यवसाय को अपनाता है, तो पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं । अत: लेकचरार और अन्य कालेज शिक्षकों के रैंक में पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए । कुछ लेकचरार को प्रोफेसर ग्रेड में पदोन्नत किया जा सकता है और यह उदार ढंग से किया जाना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने मांग की थी कि सरकार को "ऑन गोइंग" और "कोटा फ्री" पदोन्नति योजना लागू करनी चाहिए जैसाकि सहमति हुई थी । इस योजना को जुलाई, 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 11 और 12, जिससे कालेज शिक्षकों की सेवा शर्तें शासित होती हैं, में भी शामिल किया गया था । ये सब दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के बारे में हैं । परन्तु सरकार ने इन परिनियमों, अर्थात् अध्यादेश 11 और 12 के उपबन्धों को मानने से इन्कार करना बेहतर समझा ।

इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11वें और 12वें अध्यादेशों में किए गए उपबन्धों का पालन किया जाए । किन्तु मन्त्री महोदया ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इन उपबन्धों का पालन किया गया है और प्राध्यायकों और अध्यापकों की सभी उचित मांगे मान ली गई है । किन्तु यह सत्य नहीं है । मेरा यह मत है कि मंत्री महोदया के वक्तव्य में कही गई बातें सत्य नहीं है । अत: मैं उस बारे में उनसे पूछना चाहूंगा ।

1973 में सरकार ने अध्यापकों के वेतनमान के संशोधन करने के लिए सेन समिति नियुक्त की । सेन समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् वेतनमानों में संशोधन किया जाना चाहिए । क्या यह सच नहीं है कि यदि समय रहते यह संशोधन किया होता तो गतिरोध की समस्या ही न उठी होती ? वेतन संशोधन समिति के गठन में छह वर्ष का विलम्ब क्यों हुआ है जिसके कारण गतिरोध की समस्या उत्पन्न हुई ? इसलिए सेन समिति की सिफारिश का पालन किया जाना चाहिए और एक वेतन संशोधन समिति बनायी जानी चाहिए और यह प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् किया जाना चाहिए ।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इन प्रश्नों के उत्तर दें ।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की हड़ताल का 9वां दिन है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने अचानक हड़ताल नहीं कर दी। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मन्त्रालय को यह समझाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया कि वर्ष 1983 में किया गया समझौता लागू किया जाए, किन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा लम्बी हड़ताल कर दी गई। तत्कालीन मन्त्री श्रीमती शीला कौल द्वारा भी इसकी घोषणा की गई। किन्तु सरकार द्वारा तीन प्रमुख मांगों को नहीं माना गया। उन्होंने तीन वर्ष तक प्रतीक्षा की। कुछ प्रस्ताव मेहरोत्रा समिति को भिजवाए गए किन्तु मेहरोत्रा समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं की है।

जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राधिकारी और शिक्षा मन्त्रालय इसे कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गए हैं तो इतना समय क्यों लग रहा है ? यदि सरकार को हमारे देश के शिक्षक समुदाय से इतनी ही सहानुभूति है तो विश्वविद्यालय, जो कि हमारे देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक है, के अध्यापकों की उचित मांगों को मान क्यों नहीं लेती ?

गतिरोध को समाप्त करना और कालेजों में प्रोफेसर ग्रेड देना विश्वविद्यालय के अध्यापकों की एक प्रमुख मांग है और शैक्षणिक परिषद और विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा मन्त्रालय को भेजा गया और इस समय यह प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालय में लम्बित पड़ा है।

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में पृष्ठ 3 पर कहा है :

गतिरोध समाप्त करने की परिकल्पना को उन्हीं कर्मचारियों के मामले में स्वीकार की गई है जिनके वेतनमान न्यूनतम 1200 रुपए प्रतिमास से अधिक नही हैं।"

जिस समय यह समझौता किया गया था उस समय गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार भी इसे लागू करने के लिए सहमत थी और उस समय उन्होंने यह नहीं सौंपा था कि इससे गतिरोध को दूर करने में रुकावट आएगी।

मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं—वह स्पष्ट करेंगे इस प्रमुख मांग को लागू करने में और इस गतिरोध को समाप्त करने से शिक्षा मन्त्रालय को किसने रोका है। इसके कारण लगभग 500 अध्यापकों को उनकी वेतनवृद्धि नहीं मिल रही है।

जहां तक सेवा सम्बन्धी नियमों का सम्बन्ध है सेवा की शर्तें समान होनी चाहिए। किन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय में सेवा नियम समान नहीं है। सामान्य कालेजों के लिए अलग सेवा नियम हैं और पेशेदर कालेजों के लिए अलग है। पेशेदर कालेजों के अध्यापक 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होते हैं किन्तु अन्य कालेजों के अध्यापक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत

होते हैं और 60 वर्ष के बाद भी, अधिवार्षिकी के बाद भी दो या तीन वर्ष के लिए पुनः नियोजित होते हैं, इसका अर्थ है पांच वर्ष अधिक—इस प्रकार का भेदभाव क्यों है? ऐसा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या विश्व भारती में नहीं है। कितने ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, किन्तु किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है ; इस प्रकार का भेदभाव केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में है। ऐसा क्यों है ?

विश्वविद्यालय का लोकतंत्रीकरण करने की सिफारिश करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट काफी समय पहले दे दी। किन्तु कार्यकारी दल की सिफारिश को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद में अध्यापकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दो सत्रों का प्रतिबन्ध लगा रहे हैं।

मेरे मित्र श्री आर० पी० दास० ने पहले ही सेन समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में पूछा है कि प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतन आयोग का गठन किया होता तो यह समस्या ही न उठती।

मैं माननीय, मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तुरंत हस्ताक्षेप करे क्योंकि इससे केवल 6000 अध्यापक ही प्रभावित नहीं हैं बल्कि हजारों छात्र भी इससे प्रभावित हैं; दिल्ली में उच्च शिक्षा ठप्प पड़ी है। इसलिए, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वह तुरन्त हस्तक्षेप करें और दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के साथ बैठकर बातचीत करें और उन तीन मांगों को तत्काल कार्यान्वित करें जिसके लिए वह तीन वर्ष पूर्व सहमत हो गए थे।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय मेरे साथी द्वारा यह वक्तव्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जो कि बिल्कुल स्पष्ट था उत्तर में दिया गया था। उन्होंने जनवरी 1983 में किए गए एक समझौते का कार्यान्वयन न किए जाने के बारे में कुछ पूछा था। अब, जो कुछ भी समझौते में अन्तर्विष्ट नहीं है वह इस मुद्दे से अलग है। हम इसके ब्यौरे, गुणावगुण आदि के बारे में चर्चा कर सकते हैं परन्तु इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के सम्बन्ध में नहीं। मैं समझता हूं यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमने इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि यदि 1983 में कोई समझौता हुआ था और जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने कोई वायदा किया था तो हम वायदे को मानते हैं और हम उस आश्वासन को पूरा करेंगे। परन्तु उससे पूर्व हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि ऐसा कोई वायदा किया गया था या नहीं। श्री आचार्य का कहना है कि यह वायदा किया गया था जबकि मेरा कहना है कि ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया था और इस प्रकार फैसला नहीं हो पाएगा। मैं वायदे को मानता हूं। 1983 में किए गए किसी भी वायदे से पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह सभी को स्पष्ट कर दिया गया है। (व्यवधान)

अब प्रश्न यह है कि यह कहा जा रहा है कि हमने मना कर दिया है या हम वायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं सभी संबंधितों को बताना चाहता हूं कि हम किसी वायदे से मुकर नहीं रहे हैं। मैंने इस मामले से संबंधित सभी लोगों से पूछा है कि क्या वायदे किए गए थे। केवल कुछ लोगों के कहने से कि वायदा किया गया था वायदा किया गया नहीं माना जा सकता है। इसका विवरण हमारे रिकार्ड में अथवा पत्राचार में होना चाहिए। क्योंकि उस समय हम नहीं थे अथवा हमारे ध्यान में यह लाया गया कि सही तरीके से कोई वायदा किया गया था। मैंने पहले ही कहा है कि हमारे अनुसार क्या वायदे किए गए थे और उन पर किस प्रकार कार्यान्वयन किया जा रहा है।

किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में, यदि आज यह सिद्ध हो जाता है कि कोई वायदा किया गया था। मैं अभी, इसी समय यह कहता हूं कि हम वायदे को पूरा करेंगे। परन्तु मुझे आपसे यह कहना है कि हम अभी उस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं।

(व्यवधान)

क्या हम इस पर बाद में चर्चा करें ? क्या हम सदन में इस पर चर्चा करें ? आपने मेरे ध्यान में एक बात लाई है जिसका जवाब मैं दे रहा हूं। आप और हम इससे संबद्ध नहीं है। एक जन-प्रतिनिधि के रूप में आपने यह बात मेरे ध्यान में लाई है।

श्री वसुदेव आचार्य : हमें इस मामले में अत्याधिक चिंता है इसलिए हम इसे आपके ध्यान में लाए हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बहुत अच्छा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भी आपसे कम चिंतित नहीं हूं। वरन् आपसे थोड़ा अधिक ही क्योंकि मुझे ही यह सब करना है। उसमें भी अन्तर है। यदि ऐसा कोई वायदा किया गया है तो चाहे जो भी हो मैं इसका पालन करने के लिए तैयार हूं। परन्तु मुझे पता चला है कि वास्तव में ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह आपसे पहले के मंत्री श्रीमती शीला कौल ने एक प्रेस वक्तव्य में किया गया था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम इसकी जांच करेंगे।

(व्यवधान)

मुझे बोलने से रोकने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। हमें यह समझ लेना चाहिए।

श्री रेणुपद दास : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वायदा किया था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं श्रीमती शीला कौल के वक्तव्य का अध्ययन करूंगा। मैंने पहले भी इसे देखा है। मैंने रिकार्ड देखा है, मैंने वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर को

भी देखा है, और यह भी पता लगा रहा हूं कि हमने क्या किया है और अभी मामला किस अवस्था में है। मैंने अपने वक्तव्य में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे यह पता लगे कि हम इसे अस्वीकार कर रहे हैं। मैंने वास्तविक तथ्यों को ही व्यक्त किया है।

अब, मुद्दा हड़ताल के बारे में है। मुझे नहीं मालूम कि हम वास्तव में हड़ताल के बारे में चर्चा कर रहे हैं अथवा मांगों के बारे में। क्योंकि यह कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप (व्यवधान) मुद्दा यह है कि मुझे हड़ताल और इन मांगों के मध्य कोई सम्बन्ध मालूम नहीं देता है। कुछ स्वीकार कर ली गई है कुछ स्वीकार किए जाने की स्थिति में हैं और कुछ पर विचार किया जा रहा है। यही सब कहा गया था।

हमने इस पर एक बार नहीं, दो बार विचार नहीं वरन् हमने वित्त मन्त्रालय से बार-बार यह पूछा है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। परन्तु तथ्य यह है कि समग्र रूप से सरकार एक है। शिक्षा मन्त्रालय में कोई मन्त्री वायदा नहीं कर सकता है, ऐसा वायदा जिसे आप कह रहे हैं और जिस पर सभी सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा सरकार के स्तर पर विचार न किया गया हो। अतः किसी वायदे से हमारे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं होता है। श्री आचार्य, मैं आपसे जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि आप यह बतायें कि यह वायदा कैसे हुआ। मैंने अपने रिकार्ड देख लिए हैं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने उपकुलपति से उनके पास मौजूद वे सभी पत्र देने को कहा है जो इस मामले से संबद्ध हैं। उन्होंने कुछ पत्र भेजे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उनमें कोई वायदा किया गया है और मुझे विश्वास है कि वह भी सहमत नहीं होंगे। व्याख्या का प्रश्न है।

श्री रेणुपद दास : उपकुलपति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मध्य स्पष्ट समझौता हुआ है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कृपया इसे प्रस्तुत कीजिए। मैं इसे प्रस्तुत करने के लिए न केवल आपसे कह रहा हूं जिन्होंने यह समझौता कराया है।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं यह मामला हल हो गया है। हम इसका समाधान यहां कर रहे हैं। यदि कोई आश्वासन दिया गया है तो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूं। यह उतना ही आसान है।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : मंत्री जी समझौता प्रस्तुत करने को कह रहे हैं, हम इसे सभा पटल पर रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। पटल पर कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कृपया इसे मुझे दीजिए। मैं इसे आपसे ले लूंगा। मैं यदि आवश्यक हो तो आपके साथ बैठकर बातचीत करने के लिए भी तैयार हूं।

(व्यवधान)

हम समझौते की जांच करेंगे।

श्री रेणुपद दास : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय की एक एजेन्सी है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह शिक्षा मंत्रालय की एजेन्सी नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसके अपने नियम हैं और काम करने का अपना ढंग है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मंत्रालय की एजेन्सी मानते हैं?

(व्यवधान)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रति इतने अधिक कठोर न बनिए। आप के अत्यधिक उत्साह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकार की एजेन्सी नहीं हो सकती।

श्री रेणुपद दास : यदि यह सरकार की एजेन्सी नहीं है, तो फिर यह एक आयोग है जो शिक्षा मंत्रालय के मार्ग-निर्देश में काम कर रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वायत्तशासी निकाय है। इसमें अपने नियम हैं। हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हर समय निर्देश नहीं देते हैं। **(व्यवधान)** हम मुख्य मुद्दे से अलग हो रहे हैं। मैं वर्ष 1983 में किए गए वचन का पालन करता हूं। इस बारे में मुझे आश्वस्त होना है कि मुद्दा (क), मुद्दा (ख), मुद्दा (ग) और मुद्दा (ग) पर वादे किए गए हैं। मैं इस पर अडिग हूं। इस बात को सदन में दुबारा कहने की जरूरत नहीं हैं। आपको केवल स्पष्टीकरण के लिए कुछ प्रश्न पूछने चाहिएं। मैं यह बात फिर कहता हूं कि यदि कोई वादा किया गया है तो वह मुझे मान्य है। मैं उसे पूरा करूंगा।

श्री रेणुपद दास : यह एक समझौता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह एक समझौता है फिर भी इसका मतलब है कि कोई वायदा किया गया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि कोई समझौता हुआ है तो उसका मतलब यही है कि कुछ वादे भी किए गए हैं। बाल की खाल निकाल कर हम किसी बात पर नहीं पहुंचेंगे। यदि कोई समझौता हुआ है, जिसके अनुसार कोई वादा किया गया है तो मैं उसका पालन करता हूं। हमने इस पर विचार किया है। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा वादा किया गया है जिसे तत्काल कार्यान्वित किया जाए। जहां तक गत्यावरोध का सम्बन्ध है, इस पर सरकारी स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। हमने वित्त मंत्रालय से यह मामला उठाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि यह संभव नहीं है। **(व्यवधान)** सारी सरकार एक है। यहां तक कि मुझे आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस मंत्रालय ने क्या कहा है। असल बात यह है कि हम अभी तक

कोई अनुकूल निर्णय नहीं ले पाए हैं और ना हीं कोई अनुकूल निर्णय लेने का वादा किया गया था। हमने जो कुछ कहा है वह यह है कि हम इस पर विचार करेंगे। उस पर विचार करूंगा। जो तत्काल आप के पक्ष में होगा वह समझौते का एक हिस्सा नहीं था। इसलिए, मैं नहीं कह सकता कि मैं इसे जहां अभी करने जा रहा हूं। स्थिति यह है। कृपया समझने की कोशिश कीजिए और प्रत्येक के हित में अपने साथियों को बताइये। हम इस पर इस तरह विचार कर रहे हैं,। इस पर लटक रही हड़ताल की तलवार को ध्यान में रखते हुए किसी भी सरकार के लिए यह अत्यन्त कठिन हैं कि वह किसी के साथ शान्त वातारण में बैठे और इन समस्याओं का हल निकाले। विचारधीन बात पर, हम उस पर विचार करेंगे। जो वादा किया गया है हम उसे कार्यान्वित करेंगे। यदि किसी ऐसी बात, जिस पर निर्णय लिया जा चुका है, के संबंध में आदेश जारी किये जाने हैं तो वे आदेश जारी किये जायेंगे। हम यह भी नहीं पूछेंगे कि क्या वे हड़ताल जारी रखेंगे नहीं या जहां तक हमारे निर्णयों का सम्बन्ध है, हम उन पर उचित समय पर विचार करेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री महोदय इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठा सकते हैं। आखिर यह कुछ लाख रुपए का मामला है।

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव आपने अपनी बात कह दी है और मैंने अपनी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा की कार्य सूची के अगले मद पर विचार करते हैं। अब, नियम 377 के अधीन मामले हैं।

12.56 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश में नैनपुर रेल जंक्शन या मंडल कार्यालय पुनः स्थापित करने की आवश्यकता

श्री एम० एल० शिकराम (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में छोटी लाइन मध्य पूर्वी रेलवे का सबसे बड़ा जंकशन नैनपुर है जहां पर पहले रेलवे का डिवीजनल मैनेजर का आफिस था। इस कारण इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का प्रबन्ध और देख-रेख बराबर होती रहती थी किन्तु नैनपुर से डिवीजनल आफिस हटा लेने से प्रबन्ध एवं देख-रेख में बाधा तो पड़ी ही है, हजारों लोगों की रोजी रोटी भी चली गई है। इस कारण लोगों में क्रोध एवं आक्रोश की भावना बढ़ रही है। समुचित व्यवस्था एवं निरीक्षण के अभाव में गत वर्ष चरेगांव स्टेशन के पास भयंकर रेल दुर्घटना घटी थी जिसमें सैकड़ों लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा था। इस दुर्घटना के कारण एवं डिवीजनल आफिस के हटाए जाने के कारण लोगों ने आन्दोलन

भी किया था। तत्कालीन माननीय रेलवे मन्त्री अब्दुल गनी खां चौधरी के इस आश्वासन पर कि डिवीजनल आफिस पुनः खोल दिया जायेगा, आन्दोलन शांत हुआ था, किन्तु डिवीजनल मैनेजर की जगह ए० डी० एम० की मात्र नियुक्ति कर देने से लोगों में पुनः आक्रोश बढ़ रहा है एवं ज..-चर्चा का विषय बना है। अतः असिस्टेन्ट डिवीजनल मैनेजर के आफिस के बदले डिवीजनल मैनेजर का आफिस खोलने की शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

(बी) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद स्थित दूरदर्शन केन्द्र की रिले क्षमता बढ़ाने और फैजाबाद जिले में दूसरा दूरदर्शन केन्द्र अकबरपुर नगर में स्थापित करने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी विकसित एवं विकासशील देश में विकास की समुचित जानकारी सम्पूर्ण देशवासियों को देने हेतु दूरदर्शन का विशेष महत्व है और भारत जैसे तीव्रगति से विकासोन्मुख देश में तो इसका महत्व और ज्यादा ही बढ़ जाता है। वस्तुतः शासन की उपलब्धियों की जानकारी ग्रामीणांचल में जनसामान्य तक पहुंचाने एवं ग्रामीण जनता को साक्षरता की तरफ उन्मुख करते हुए कृषि, स्वास्थ्य नई तकनीक एवं अन्य दैनिक कार्यक्रमों की जानकारी कराने के लिए दूरदर्शन की सब से ज्यादा आवश्यकता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में भी एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना गत दिनों में की गई है। परन्तु उसको क्षमता मात्र 15 कि० मी० तक ही है, जिसमें जनपद का आधा हिस्सा भी लाभान्वित नहीं होता है। इस प्रकार से यह प्रदर्शित कर देने से कि अमुक जिले में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना कर दी गई है, यह मात्र औपचारिकता है और इससे शासन की मंशा फलीभूत नहीं होती है। जब तक संपूर्ण जनमानस उससे लाभान्वित नहीं। जनपद फैजाबाद में ही अयोध्या स्थित है, जिसकी ख्याति संपूर्ण विश्व में है क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। इसी जनपद के पूर्वांचल में स्थित दरगाह कि छोटा शरीफ है, जहां विदेशों के लोग भी अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं। जनपद की पूर्वी तहसीलें अकबरपुर एवं टाण्डा सबसे बड़ी तहसीलें हैं और अकबरपुर जनपद के मध्य में स्थित हैं। इन्हीं दोनों तहसील में स्थित अकबरपुर टांडा व जलालपुर नगरपालिका क्षेत्र एवं कछोटा शरीफ व सदर तहसील में गोशाइगंज टाउन एरिया स्थित है तथा काफी संख्या में लोग टेलीविजन सेट लगा रहे हैं। परन्तु उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसी क्षेत्र के दक्षिण में सटा हुआ क्षेत्र व जिला सुल्तानपुर भी है। ऐसी स्थिति में या तो फैजाबाद स्थित दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता बढ़ाई जावे अथवा अकबरपुर में एक अन्य दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जावे जिससे समपूर्ण जनपद लाभान्वित हो सके। अस्तु मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र जनपद फैजाबाद (उ० प्र०) के अकबरपुर तहसील मुख्यालय पर एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जावे जिससे अकबरपुर एवं टांडा तहसील तथा आसपास के अजमगढ़, बस्ती, जौनपुर, सुल्तानपुर जनादों के लोग भी लाभान्वित हो सकें।

[अनुवाद]

(तीन) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में आवश्यक संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता.

श्री के० कुन्जम्बु (अट्टूर) : महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने की मांग की जा रही है ताकि उसमें कतिपय समुदायों और जातियों को शामिल किया जाये। जो जातियां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं, उन्हें सूची में शामिल करने हेतु उनकी पहचान करना एक निरंतर प्रक्रिया है। मूल सूची पूरी नहीं थी और इसीलिए उसमें समय-समय पर संशोधन करने पड़े। यह सर्वविदित बात है कि देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियां अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं और इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह सूची में से कुछेक जातियों को निकाला जाना है। किन्तु संशोधन किए बिना यह नहीं किया जा सकता।

समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन जातियों, जो अत्यन्त सामाजिक और आर्थिक आयोग्यताओं के कारण इस सूची में दर्ज नहीं हैं, को सूची में शामिल करने और जिन जातियों को सूची में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है उन्हें सूची में से निकालने हेतु अविलम्ब अपेक्षित संवैधानिक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(चार) राजस्थान में अलवर में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उपग्रह नगर है। अलवर एक प्रगतिशील औद्योगिक नगर है। अलवर शहर में इस समय केवल 25 कि० वा० क्षमता का दूरदर्शन ट्रांसमीटर है। इससे अलवर शहर के केवल 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहने वाले दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं।

अलवर के महत्वपूर्ण नगरों जैसे राजगढ़, थानागाजी, किशनगढ़-बास, खैड़थल, तिजारा, मन्डावार और बानसुर को दूरदर्शन की सुविधाओं से वांचित रखा गया है। दूरदर्शन शिक्षा, सामाजिक जागरुकता और आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में जानकारी देने का माध्यम है। वर्तमान युग के लोगों के लिए यह आवश्यक है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अलवर, राजस्थान में दूरदर्शन के लिए एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित किया जाए।

(पांच) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा करों के उद्ग्रहण में समानता लाने की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लगाए जा रहे करों में समानता लाए जाने की बहुत आवश्यकता है। इस प्रश्न पर आयुक्तों की बैठक तथा 1982 में बंगलौर में हुए क्षेत्रीय परिषदों के सम्मेलन में विस्तृत चर्चा हुई थी। तथापि, इस सम्बन्ध में अब तक कुछ नहीं किया जा सका है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में सामान पर बिक्री कर तथा अन्य लेवी बहुत कम है इससे पड़ोसी राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए केरल में मोटर कार आदि पर 15 प्रतिशत लेवी लगायी जाती है जबकि पड़ोसी क्षेत्र पांडिचेरी में यह केवल 6 प्रतिशत है। केरल सरकार ने लेवी में समानता लाने हेतु इसे घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन हाल ही में पांडिचेरी सरकार ने इसमें पुनः कटौती करके इसे 3 प्रतिशत कर दिया है। इससे केरल राज्य के व्यापार और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस तरह एकपक्षीय करों में कटौती करने से रोकने के लिए कदम उठाये।

(छः) किसान अपने धान को समर्थन मूल्य पर बेच सकें, इस हेतु उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में और अधिक क्रय केन्द्र खोलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की घोषणा के बावजूद धान की सपोर्ट प्राइज क्रमशः 142, 146, 155 होगी। मिर्जापुर जनपद (उत्तर प्रदेश) में परचेज सैन्टर न खुलने के कारण 100 रु० से भी कम मूल्य पर धान की बिक्री हो रही है। दुखद बात यह है कि इस मूल्य पर भी आवश्यकतानुसार किसान अपने धान की उपज समय से नहीं बेच पा रहा है। फलस्वरूप मिर्जापुर के किसानों में बेचैनी और गहरा क्षोभ उत्पन्न हो गया है। दूसरी ओर किसानों से कड़ाई से बकाया की वसूली हो रही है, जबकि पिछले कई वर्षों से लगातार बाढ़-सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहा है।

अतः मैं इस सूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान अविलम्ब अपेक्षित संख्या में, खासकर नारायणपुर, अदरहाट, जमालपुर, अहरोरा, रामगढ़, राबर्टसगंज, राजगढ़, बोरावल आदि स्थानों में, परचेज सैन्टर खोलने की मांग करता हूं और आशा करता हूं कि अविलम्ब परचेज सैन्टर किसानों के हित में खोल दिए जायेंगे।

[अनुवाद]

(सात) आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिले कुडप्पा में उपलब्ध अधिक कैलशियम वाले चूना-पत्थर का उपयोग करने के लिए वहां कागज का एक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

श्री डी० एन० रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, कुडप्पा जिले में अधिक कैलशियम वाला चूना-पत्थर काफी मात्रा में उपलब्ध है। इसका उपयोग अधिकतर कागज के कारखाने में किया

जाता है, सीमेन्ट के कारखानों में नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में हर प्रकार के कागज बनाने का एक कारखाना लागाने के के लिए कदम उठाए। इससे वहां न केवल चूना-पत्थर के विशाल भण्डार का उपयोग होगा बल्कि पिछड़े हुए राज्य सीमा क्षेत्र का विकास भी होगा।

(आठ) परिस्कृत चीनी की बजाय अपरिष्कृत चीनी का आयात करने और उसे देश में ही पुनः संसाधित करने की मांग

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : पिछले कुछ वर्षों में चीनी का उत्पादन कम होने के कारण भारत सरकार को देश में आवश्यकता को पूरा करने हेतु चीनी की भारी मात्रा का आयात करने को बाध्य होना पड़ा है। इस समय परिष्कृत चीनी का आयात किया जत है और उसे विक्रय एजेन्सियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। परिष्कृत चीनी का आयात करने के स्थान पर यदि 96 प्रतिशत अपरिष्कृत चीनी का आयात किया जाए (जिसका मूल्य परिष्कृत चीनी के दो तिहाई होगा), तो उसे स्वदेशी उद्योग द्वारा उचित लागत पर परिष्कृत किया जा सकता है। इस नीति से उद्योग की क्षमता का बेहतर उपयोग होगा और बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रस्ताव से देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगा और साथ ही देश में आयात की जाने वाली चीनी के प्रति टन में 700 से 800 रुपये की दर से कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 10 लाख टन के हिसाब से वर्तमान आयात स्तर पर 70 से 80 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही हजारों मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होगा।

गत वर्षों में भी इसी तरह की नीति निर्णय लिया गया था और चीनी उद्योग में परिष्कृत चीनी को परिस्कृत किया गया था। अभी भी कारखानों में भारत सरकार की तरफ से आसान प्रतियोगितात्मक दर पर चीनी को पुनः परिष्कृत करने की स्थिति है जिससे श्रमिकों, सरकार, उपभोक्ताओं और साथ ही उद्योग का हित होगा।

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक

1.05 म० प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 18 को लेंगे।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 निक्षेप बीमा

और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1978, बैंककारी कम्पनी उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण अधिनियम, 1980, भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981, और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनिम, 1981 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी ढांचे का विस्तार करने से लिए बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 के माध्यम से कुछ उपबन्धों का अधिनियमित करना चाहती है। इस विधेयक में कुछ अन्य अधिनियमों में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि दोनों सदनों के सभा पटल पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रतिवेदन रखने में एकरूपता लाई जा सके, जैसी कि राज्य सभा की सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का नाम बदल कर यूको बैंक करने का भी प्रस्ताव है ताकि हमारे बैंक और बंग्लादेश में मिलते-जुलते नाम का बैंक होने के कारण कोई भ्रांति न रहे। कुछ और संशोधन भी हैं जिनमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन और निर्यात और आयात बैंक के चैयरमैन और प्रबन्ध निदेशक की पदावधि को अन्य वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बराबर करने का प्रस्ताव है। विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में मुख्य उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है।

1.06 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

सभा को मालूम है कि गत 16 वर्षों में हमारी हमारी बैंकिंग प्रणाली का काफी विस्तार हुआ है। इसकी शाखाएं जो जून 1966 में 8262 थीं; मार्च 1985 के अन्त में बढ़कर 50, 982 हो गईं। कुल जमा की राशि, जो वर्ष 1969 में 4,646 करोड़ रुपए थी 22 नवम्बर, 1985 को 79, 815 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। उसी प्रकार इस अवधि के दौरान उसके ऋणों की राशि 3,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 51,827 करोड़ रुपए हो गई है। सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों ने अधिक विस्तार किया जिन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक सहायता करके समाजिक-आर्थिक दायित्व का उत्तर दायित्व भी अपने ऊपर लिया है, जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए ऋणों की यह राशि जून, 1985 में 18,691 करोड़ रुपये थी, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की कुल बकाया राशि के 61.2 प्रतिशत है।

निरंतर बढ़ते इस कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक का पूंजी ढांचा अपेक्षाकृत छोटा हो रहा है। बैंककारी (कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियमों 1970 और 1950 में, वे आज जिस स्थिति में हैं, अधिकतम 15 करोड़ रुपए की प्रदत पूंजी का प्रावधान है। यह ढांचा इन बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशि के आकार की तुलना में बहुत अपर्याप्त

है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में, विशेषकर जहां किसी संस्थान को ऋण देने की उपयुक्तता निर्धारित हेतु प्रकाशित तुलना-पत्र की जांच की जाती है और जहां संस्थान को ऋण देने की उपयुक्तता के लिए सरकारी स्वामित्व को ध्यान में नहीं रखा जाता है, वहां पूंजी का जमा की राशि की तुलना में उपयुक्त अनुपात में होना आवश्यक समझा जाता है। इसलिए इस विधेयक में इस अधिकतम सीमा को 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि सदन में गत सत्र में अनुपूरक अनुदान के रूप में 400 करोड़ रुपए की मन्जूरी दी थी ताकि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत पूंजी में समुचित वृद्धि कर सके।

पूंजी ढांचे के विस्तार से बैंकों की लाभकारिता में भी कुछ सीमा तक सुधार होगा। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बैंकों की शाखाओं की संख्या में द्रुत विस्तार होने के साथ-साथ कार्यों की लागत में वृद्धि और प्रशासित ब्याज की दर तथा छोटे ऋण लेने वालों को रियायती दर पर सुविधाएं उपलब्ध करने के कारण बैंकों की लाभकारिता पर प्रभाव पड़ा है। वित्तीय संस्थान होने के कारण हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए न केवल कार्य की लागत उपलब्ध कराने अपितु पर्याप्त जमाराशि रखने के लिए आंतरिक राजस्व पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। थोड़े समय पहले इस विशेष पहलू के सम्बन्ध में विशेष प्रयास किये गए थे। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की दरों में वृद्धि करने खाद्य ऋण पर ब्याज की दरों में वृद्धि करने ब्याज पर लागू कर समाप्त करने भारतीय रिजर्व बैंक में नकद जमाराशि पर अधिक ब्याज देने, बैंकों को ब्याज के रूप में देय राशि के भुग-तान की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों और इस तरह के अन्य उपायों से बैंकों द्वारा अधिक लाभ कमाए जाने में सुधार होने की संभावना है। पूंजी ढांचे का विस्तार इस तरह का एक अन्य उपाय है। इन उपायों के साथ ही हमें बैंकों से भी आशा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके व्यय में यथा संभव किफायत की जाये और उनकी जनशक्ति की उत्पादकता में सुधार किया जाए।

बैंकों से कार्यों में हर संभव दृष्टिकोण से सुधार करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्राहक सेवा मे सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने ग्राहकों की शिकायतें दूर करने हेतु एक तन्त्र बनाया है। महानगरों और राज्यों की राजधानियों में ग्राहक सेवा केन्द्रों के रूप में केन्द्रीकृत पद्धतियों का गठन किया जा रहा है। बैंकों ने भी ग्राहकों की शिकायतें दूर करने का उपाय किया है। दैनिक कार्य के निपटान के लिए मानदंड तैयार किए गए हैं और बैंकों से अपनी शाखाओं में उन्हें समुचित रूप में प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसरण में बैंकों के प्राधिकारी सभी स्तरों पर जन संपर्क बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बैंकों की शाखाओं में चयनात्मक तंत्र और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निपटान की गति तेज करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रबन्ध की गुणवत्ता में सभी स्तर पर सुधार करने के उपाय किए जा रहे हैं।

हमने व्यवस्था लाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इन प्रयासों के सुपरिणाम दिखाई देने लगे हैं। फिर भी ऐसी आशा करना व्यवहारिक नहीं होगा कि व्यवस्था पुन: स्थापित करने की प्रक्रिया में कोई चमत्कार होगा। परन्तु मुझे विश्वास है कि ग्राहक जल्दी ही बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार महसूस करेंगे और देखेंगे।

मैं सदन से बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार करने और उसे पारित करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और आन्तरण) अधिनियम 1970, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1978, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 भारतीय, निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद): महोदय, मैं इस बैंककारी विधि विधेयक पर कुछ टिप्पणियां करने को खड़ा हुआ हूं, जो वास्तव में 10 विधेयकों का मिश्रण है। यह खेद की बात है कि सरकार ऐसे समय विधेयकों को ला रही है, जब हमारे पास शायद ही दो दिन हैं। इसे कल पुर:स्थापित किया गया और सदस्यों को आज सुबह ही वितरित किया गया। अनेक सदस्य विधेयक के उपबन्धों को पढ़ नहीं पाए। यद्यपि कुछ संशोधन मामूली से हैं, कुछ संशोधनों के व्यापक प्रभाव होंगे, जैसाकि माननीय मंत्री ने अभी बताया है यदि हमें पर्याप्त समय दिया जाए तो हम अवश्य ही इन प्रस्तावों का गहराई से अध्ययन करना चाहेंगे। मैं यह भी देखता हूं कि इस विधेयक को कार्य मंत्रणा समिति के पास समय के आवंटन के लिए नहीं भेजा गया है। इस विधेयक पर वाद विवाद के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया है। इसमें दस विधेयकों का समावेश मेरे विचार में इस विधेयक पर विचार करने के लिए 10 घंटे चाहिए। यदि सभा सहमत है तो ठीक है, अन्यथा, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को अगामी सत्र तक स्थगित किया जाए। जैसाकि मैं देख रहा हूं इस विधेयक के संबंध में कोई जल्दी नहीं है। यह कोई अविलम्बनीय उपाय नहीं है जिसे इसी सत्र में ही जल्दी में पारित किया जाए। मैंने देखा है कि इन वित्तीय विधेयकों को पुर:स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति ली गई है। परन्तु अनुमति दस दिन पहले ली गई थी और विधेयक को कल ही सभा में लाया गया है।

दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष महोदय काफी मेहरबान थे जिन्होंने दो दिन पहले नोटिस देने से छूट देकर इस विधेयक को लाने की अनुमति दी। मैंने यह भी देखा है कि अध्यक्ष द्वारा न केवल इस विधेयक को लाने की बल्कि अन्य पांच विधेयकों को लाने की भी इस प्रकार अनुमति दी गई है। अध्यक्ष यदि नियमों के अनुसार पर्याप्त नोटिस के बिना विधेयकों को लाने की अनुमति देते हैं, तो मुझे इसमें कोई अपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा केवल 1 अथवा विधेयकों के मामले में होना चाहिए और न कि एक ही सूत्र में बहुत से विधेयकों के मामले में ऐसा होना चाहिए। मैंने देखा है कि सीमा शुल्क टैरिफ संशोधन विधेयक तथा अन्य कई विधेयकों के बारे में, जोकि इस सदन में विचाराधीन थे, सदस्य अपने संशोधन नहीं दे सके क्योंकि उन्हें इन विधेयकों की अध्ययन करने का समय उपलब्ध नहीं किया गया। इस बात को देखते हुए। मुझे डर है कि मैं सरसरी तौर पर ही टिप्पणी कर सकता हूं क्योंकि मैं विधेयक उनके विभिन्न उपबंधों का गहराई से अध्ययन नहीं कर सका।

इस विधेयक पर टिप्पणी करते समय, यह बात मेरे ध्यान में आई है कि भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार उद्योग के लिए, ऋण साम्य पूंजी अनुपात में हाल ही मे संशोधन किया है ; मैं नहीं जानता कि ऐसा किन कारणों से किया गया है। मैं केवल उसके बारे में अनुमान लगा सकता हूं। इससे पहले उद्योगों के लिए, औद्योगिक बिल के लिए ऋण साम्य पूंजी अनुपात 2:1 था अर्थात 2 हिस्से ऋण और एक हिस्सा साम्य पूंजी। हाल ही में इसे घटाकर 1-1/2 : 1 कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक उद्यमी को पहले कुछ महीने किए जाने वाले निवेश की तुलना में आज कहीं अधिक निवेश करना पड़ेगा। इससे कई उद्योगों के विकास को विशेषकर मध्यमक्षेत्र में जहां उद्यमियों के लिए अपना साधन जुटाना कठिन है, धक्का लगा है। इसमें उद्यमियों को काफी कठिनाई हो रही है। तर्क यह दिखाई देता है कि विभिन्न रियायतों और उदार शर्तों के कारण जनता के पास धन उपलब्ध है, और पूंजी सरलता से उपलब्ध है। इसलिए इन कम्पनियों का जनता के पास जाना और संस्थाओं से ऋण लेने की बजाय जनता से अधिक धन एकत्र करना सम्भव होगा। बहुत ही प्रशंसनीय उद्देश्य है। लेकिन बाधाएं क्या हैं ? कठिनाइयों को समझने के लिए हमें बाधाओं को जानना होगा।

किसी कम्पनी के जनता के पास जाने के लिए, उन्हें नई शर्तें पूरी करनी होती हैं। मुख्य शर्तें यह हैं कि जब तक वित्तीय संस्थाओं अथवा दलालों द्वारा शेयरों की हामीदारी नहीं की जाती, कोई भी शेयर जनता को बिक्री के लिए नहीं रखे जा सकते। अब मध्यम दर्जे की कम्पनियों के लिए यह हामीदारी सुविधा प्राप्त करना काफी कठिन है। जैसाकि आप जानते हैं कि टाटा और बिरला तथा अन्य बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा कई कम्पनियां चलाई गई हैं और उनके लिए यह बहुत ही आसान बात है क्योंकि उन्हें बिक्री के लिए रखे गये शेयरों से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं मध्यम दर्जे की कम्पनियों के मामले में ऐसा नहीं है। उनके लिए हामीदारी सुविधा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है क्योंकि कोई भी संस्था किसी ऐसी कम्पनी के लिए हामीदारी के लिए आगे नहीं आएगी जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके

कार्य करने का कोई रिकार्ड नहीं है और वह एक नई कम्पनी है। जबकि मैं जानता हूं कि लोग पब्लिक कम्पनियों के शेयरों में धन लगाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास धन है, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कम्पनियां उनके सामने नहीं आ रही है अर्थात् क्योंकि जनता को बिक्री के लिए रखे गए इन कम्पनियों के शेयरों की वित्तीय संस्थाओं अथवा दलालों द्वारा हामीदारी नहीं दी गई है। यही कठिनाई है। इसी कठिनाई के कारण उनके लिए जनता से अथवा अपने साधनों से अधिक धन जुटाना संभव नहीं है।

उद्यमियों में तीव्र असन्तोष व्याप्त है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिए जाने से उद्यमियों को वास्तव में काफी कठिनाई हो रही है तत्काल इसका उपाय होना चाहिए।

अब मैं ऋण गारंटी योजना के प्रश्न पर आता हूं क्योंकि जिन अधिनियमों का संशोधन किया जा रहा है, उनमें से एक ऋण गारंटी निगम अधिनियम भी है। लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी प्रणाली काफी समय से प्रचलित थी। लगभग 15 वर्ष या कुछ कम अथवा उससे अधिक समय पहले विशेषज्ञ जापान गए थे और उनके द्वारा जापान में ऋण गारंटी प्रणाली और उनके कार्यकरण के बारे में अध्ययन करने के बाद देश में आंशिक रूप से उसे लागू किया गया था। यह केवल लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध है। इसका कार्यकरण कैसा रहा है ? ऋण गारंटी कार्यों के क्या परिणाम हैं ? जिन विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने इस ऋण गारंटी प्रणाली को अपनाया है उनके समक्ष क्या समस्याएं आई है। यही मामले हैं जिन का थोड़ा सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा।

मेरे विचार में यह ऋण गारंटी प्रणाली इस देश में अधिक सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है; उनका सीधा-साधा कारण यह है कि ऋण गारंटी निगम, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था है, और यह लगभग रिजर्व बैंक की तरह ही है, यह वित्तीय संस्थाओं को ऋण गारंटी देने की एजेन्सी है। वित्तीय संस्थाए और बैंक जोकि उद्यमियों को सावधि ऋण दे रहे हैं, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध है। इस तरह के सभी ऋण स्वत: ही ऋण गारंटी के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उद्यमियों को सावधि ऋण के रूप में दिया गया कोई अन्य ऋण, ऋण गारंटी के अन्तर्गत आता है और यदि उद्यमियों द्वारा ऋण वापस नहीं किया जाता है, तो वित्तीय संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं होगा, संस्थाएं उद्यमियों को दुर्भाग्यवश उदार वित्तीय सहायता नहीं देती हैं। इस योजना के बावजूद भी ये संस्थाएं ऋण आवेदनों को स्वीकार करने में काफी समय ले रही है। इन्होंने इन आवेदनों को स्वीकार करने में अपने व्यवहार को उदार नहीं बनाया है। कभी-कभी उद्यमियों को मंजूरी लेने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऋण गारंटी निगम, भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षी निगम है। यह भारतीय रिजर्व बैंक से बिल्कुल अलग संस्था नहीं हैं हालांकि यह रिकार्ड में अलग दिखाई गई है, क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था है। जापान में, ऋण गारंटी संगठन पूरी तरह से अलग संगठन है। इसका उस देश के मुख्य बैंक में कुछ लेना-देना नहीं है। अब इसके कारण क्या होता है ? प्रत्येक आवेदन की यह देखने के लिए सावधानीपूर्वक जांच की

जाती है कि वह सभी शर्तें पूरी करता है और उसके साथ उन्हें समय पर धनराशि वसूल होनी चाहिए। धन वापस न करने के मामले में, गारंटी का उपयोग नहीं किया जाता। उनका तभी उपयोग किया जाता है जब ऋण वसूल करने के लिए सभी प्रयास असफल हो जाते हैं। ऋण कई वर्षों तक वसूल नहीं हो पाता है। केवल ऐसी स्थिति में ऋण गारंटी देने वाले से भुगतान करने के लिए कहा जाता है। यद्यपि यह स्वत: उपलब्ध है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अथवा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आमतौर पर इसको उपयोग नहीं किया जाता है। इसी वजह से ऋण गारंटी प्रणाली उस प्रकार कार्य नहीं कर रही है जैसाकि इसको करना चाहिए था।

अब मैं ऋण देने के प्रश्न पर आता हूं। माननीय मन्त्री के लिए यह पर्याप्त है कि उन्होंने हमें जमा तथा ऋणों, जो हमारी बैंकिंग संस्थाएं देश में ग्राहकों को दे रही है और इसके साथ ही जो ग्राहक सेवाएं दे रही हैं, उनके बारे में आंकड़े दिए हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां दो किस्म के ऋण हैं, जोकि लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों को दिए जाते हैं। एक सावधि ऋण हैं, जिनके लिए ऋण गारंटी लागू होती है। दूसरा कार्यचालन पूंजी ऋण। यह ऋण का बड़ा हिस्सा है और इस कार्यचालन पूंजी ऋण के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के ऋण आते हैं। व्यवहार में, कार्यचालन पूंजी ऋणों की बहुत सी सुविधाओं का बड़े गृहों बड़े, औद्योगिक गृहों तथा दुस्साहसी उद्यमियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

अब उदाहरण के लिए, उद्यमियों को उपलब्ध नकद ऋण प्रणाली का आमतौर पर दुरुपयोग होता है। और मण्डी किस्म के ऋणों, बिल पर बट्टा देने की सुविधाएं, इन सभी सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। कभी-कभी गोदामों में उनका कोई स्टॉक नहीं होता, लेकिन गिरवी के आधार पर अथवा "लॉक एण्ड की" आधार पर ऋण दिया जाता है अथवा स्टॉक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और यही कारण है कि कुछ खाते अनियमित क्यों हैं और बैंक केवल इस प्रकार के ऋणों से नुकसाद उठा रहे हैं। उद्योगपतियों के लिए कार्यचालन पूंजी ऋण सुविधाओं की वर्तमान प्रणाली की यह देखने के लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए कि कोई भी दुस्साहसी उद्यमी इन सुविधाओं का दुरुपयोग न कर सके। इस सदन में बैंक ऋणों के दुरुपयोग के बहुत से मामलों पर हम चर्चा करते रहे हैं।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि इस तरह का अधिकतर दुरुपयोग केवल कार्यचालन पूंजी ऋणों से संबंधित है, क्योंकि बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दिए गए सावधि ऋणों के मामले में मशीनों को गिरवी रखा जाता है, भूमि और इमारत को बंधक रखा जाता है और संस्था के नाम पर्याप्त मार्जिन होता है। वित्तीय संस्था के लिए ऋण वसूल करना हमेशा ही आसान होता है। लेकिन कार्यचालन पूंजी ऋण के मामले में, जहां माल का मूल्य घटता बढ़ता रहता है, अथवा मण्डी किस्म के ऋणों के मामले में, अथवा हुण्डियों आदि को बट्टे पर भुलाने में बहुत ही धांधली की जाती हैं। कई मामलों में यह देखा गया है कि उद्यमियों द्वारा चैक जारी

करदिए जाते हैं जबकि उनके खाते में कोई रकम नहीं होती है। बैंकों द्वारा इस तरह के चैकों को खरीद लिया जाता है और ये चैक हमेशा बिना कार्यवाही के दो अथवा तीन महीने तक पड़े रहते हैं। उद्यमियों को यह सुविधा इसलिए दी जाती है कि उनके पास नकद राशि बनी रहे। इस तरह देश में नकदी ऋण प्रणाली के कार्यकरण में काफी खामियां हैं और वाणिज्यिक बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वैंकिंग संस्थाएं इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाती हैं। मुझे खेद है कि मैं इस पहलू के विस्तार की ओर नहीं जा सकता। लेकिन मैंने इसका सरसरी तौर पर उल्लेख किया है, सरकार को बैंकिंग कार्यों, विशेषकर इस देश में नकदी ऋण और कार्यचालन पूंजी ऋण के क्षेत्र की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करनी चाहिए।

मन्त्री महोदय ग्राहक सेवा के बारे में उल्लेख कर रहे थे। निश्चय ही ग्राहक सेवा में पहले से काफी सुधार हुआ है। इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत से छोटे ग्राहकों, पेन्शन भोगी और अन्य लोग, जो बैंकों में जाते हैं, को परेशान किया जाता है। कभी-कभी उनको अपना चैक भुनाने तथा अपना खाते से पैसा निकालने में काफी समय लग जाता है। यह कहना एक अलग बात है कि ग्राहक सेवा बहुत अच्छी क्योंकि जब हमारे जैसे लोग वहां जाते हैं तो हमारे साथ तो अच्छा बर्ताव किया जाता है।,यहां तक कि हमें नकदी लेने के लिए काउंटरों पर भी नहीं जाना पड़ता है। लेकिन यह ग्राहक सेवा नहीं है। मैं चाहता हूं कि छोटे से छोटा आदमी जिसे अपने खाते से केवल 5 रुपए निकलवाने हों, उसकी ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह की सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं जोकि एक स्वागत योग्य कदम है यद्यपि मैं चाहता हूं कि हमें अधिक व्यापक विधेयक लाना चाहिए। हालांकि यह विधेयक आ गया है, इस स्तर पर भी, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस सत्र में इस विधेयक को पास करने के लिए जोर न दें। अब इस पर आंशिक रूप से चर्चा की जाए और फिर इस पर स्थगित कर दी जाए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर): सभापति महोदय, मैं अपने विपक्ष के मित्र के इस प्रस्ताव से तो सहमत नहीं हूं कि इस बिल पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा इतना निवेदन जरूर है कि इस तरह का बिल बहुत जल्दी में लाया गया है जिसके कारण सदस्यों को इसके अध्ययन करने का, डैप्थ में स्टडी करने का मौका नहीं मिला है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के काफी समय पहले लाए जाने चाहिएं ताकि सदस्यों को विचार करने का खूब अवसर मिल सके।

मैं, इस बिल के बारे में दो-तीन बातें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो आपने इसके आब्जैक्टिव्स में लिखा है कि :

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण-विकास बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्य अवधि सहित उपबन्धों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारियों के बारे में इन मामलों से सम्बंधित उपबन्धों के समान बनाना"

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थीं। यदि अलग-अलग भी होता उससे आपका कोई बड़ा घाटा नहीं था क्योंकि यहां आपने लिखा है कि :

[अनुवाद]

"अध्यक्ष तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से की जाएगी :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार प्रबन्ध निदेशक के पद पर किसी नियुक्ति (प्रथम बोर्ड की नियुक्ति के सिवाए) के सम्बन्ध में बोर्ड से भी परामर्श करेगी।"

[हिन्दी]

और उसके बाद लिखा है कि :

[अनुवाद]

"जिस मामले में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्वबैंक और बोर्ड के साथ परामर्श करने के बाद संतुष्ट हो जाती है कि नियुक्ति करनी आवश्यक है तो वह समुचित पदनाम के साथ एक अथवा एक से अधिक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर सकती है तथा इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई भी पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड का सदस्य भी होगा :"

[हिन्दी]

तो मैं कहता हूं कि आप बोर्ड को केवल कंसल्ट करने दें। ऐसी बात तो नहीं थी कि बोर्ड कहने पर ही आप कुछ करना चाहते थे। चेयरमैन और डायरेक्टर की 5 साल की टर्म हो, यह कोई जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं कि 3 साल की टर्म सबसे अच्छी है। जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है। जितने कम समय के लिए अपाइंटमेंट होगी उतनी ही एफीश्येंसी आएगी। बड़ी-बड़ी कम्पनियों में लोग 3 साल के लिए अपाइंट किए जाते हैं। क्योंकि आदमी सोचता है कि यदि काम ठीक हुआ, तो री-अपाइंटमेंट हो सकती है, नहीं तो आदमी निश्चिंत होकर बैठ जाता है कि 5 साल तक तो मुझे कोई निकालने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इनकी अपाइंटमेंट तीन साल के लिए होनी चाहिए।

दूसरी, बात आपने यह कही है कि आप युनाईटेड कॉमर्शियल बैंक को यू० को० बैंक में बदल देंगे क्योंकि बंगलादेश ने इस तरह का एक बैंक बना दिया है। महाशय यह तो बहुत

विचित्र बात है। कल को अगर पाकिस्तान एक पंजाब नेशनल बैंक बना लेगा, तो आप पंजाब नेशनल बैंक का नाम बदल देंगे, कल को अगर श्रीलंका अपने यहां स्टेट बैंक बना ले, तो आप स्टेट बैंक का नाम बदल देंगे। तो यह दलील चूंकि बंगला देश ने अपने यहां इस तरह का एक बैंक बना दिया है इसलिए आपको आपरेशन्स में या इंटरनेशनल अफेयर्स में दिक्कत न हो, इसलिए आप इस बैंक का नाम यू० को० बैंक कर दें, यह बात कोई जंचती नहीं है। जो लोग बैंकों से ताल्लुकात रखते हैं, वे जानते हैं कि युनाईटेड कॉमर्शियल बैंक को यू०को० बैंक कहते हैं। दिल्ली में आप किसी से भी पूछ लीजिए सब को पता है। आप पार्लियामेंट स्ट्रीट में चले जाइए, कोई आप से पूछे और आप उससे कहें कि पी०एन०बी० बैंक जाएंगे या यू०को० बैंक जाएंगे, तो वह फौरन कहेगा कि यू० को० बैंक जाना है। इसलिए जिस लोगों का बैंकों से सम्बन्ध है, वे जानते हैं कि इस बैंक को यू० को० बैंक कहते हैं। इसलिए मेरे विचार से इससे कोई खास अन्तर नहीं पड़ता है। उस तरह से चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिला दिया है, यह बात भी मेरी समझ में नहीं आई।

अन्त में, मैं एक-दो बातें और कहूंगा। मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा कि हम ये जो बिल ला रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, ये बैंकों में एफीश्येंसी लाने के लिए कर रहे हैं। महोदय शनिवार को मैं आसाम में, "सन-प्रार्क" कलकत्ते से निकालने वाले एक अखबार को पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश में बैंक के एक चपरासी ने एक आर० एन० गुप्ता के नाम से अकाउण्ट खोल दिया और वह छः साल तक बैंक को चूना लगाता रहा और बड़े ठाट से बैंक में बना रहा और लाखों रुपया निकाल लिया उसी बैंक से जिसमें वह चपरासी था, करोड़ों रुपया तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन लाखों रुपया निकाल लिया। जब उसका स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ता गया और 5-6 साल जब हो गए, तो किसी ने सी० बी० आई० को खबर दी कि यह आदमी स्मगलिंग करता है क्या ? तब सी० बी० आई० ने पता लगाया कि यह आदमी स्मगलिंग नहीं करता है बल्कि इस इसने फर्जी नाम से अकाउंट खोला है और दूसरे अकाउंट्स में से पैसा लेकर इसमें जमा करना है और अपने उस फोर्ज्ड अकाउंट् में से चैक से पैसा निकाल लेता है और आराम से रह रहा है। चार-चार गाड़ियां, चार-चार मकान उसके थे और वह बैंक में चपरासी था और 6 साल उसको इस फोर्जरी को करते हुए हो गए और किसी को इसका पता नहीं लगा, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और आप कहते है कि एफीश्येंसी है। उसके घर से जांच में कुछ भी पैसा नहीं निकला, थोड़ा सा पैसा उसकी सिस्टर के घर से निकला। आप उसका क्या कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा जेल दे दीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। मगर यह पैसा जाता किस का है, हमारा और आपका, डिपोजीटर्स का पैसा जाता है और उसके ऊपर आप कहते हैं कि बैंकों में एफीश्येंसी हैं, तो भगवान के लिए आप ऐसा न कहिए। एफीश्येंसी नहीं डेफीश्येंसी कहिए। स्टेट्स में बैंकों की हालत अच्छी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत बदतर हालत है और बहुत कम इंस्टीट्यूशन्स देश में होंगे जिनकी हालत इतनी बदतर होगी जितनी बैंक्स की है। ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं ये सब हमारी कॉस्ट पर हो रहे हैं और यह कहना कि हमारे बैंक्स बहुत अच्छ चल

रहे हैं, ये जनता को गुमराह करने की बात है क्योंकि हमारे बैंक्स की हालत बहुत खराब है। आप एक आर्डिनरी कस्टमर बनकर बैंक में जाइए, आप घंटों खड़े रहेंगे, आपके बाद आए हुए को अटेंड किया जाएगा, लेकिन आपको अटेंड नहीं किया जाएगा। वहां लोग गौसिप करते रहते हैं और कस्टमर को अटेंड नहीं करते हैं। मैं चेलेन्ज के साथ कहना हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे साथ आर्डिनरी कस्टमर होकर चलें, मैं दिखा दूंगा कि बैंकों में किस तरह कस्टमर के साथ व्यवहार हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि व कृपया मेरा उत्तर भी सुनें।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं आपका उत्तर सुनने के लिए प्रतीक्षा करूंगा।

[हिन्दी]

मैं कहता हूं कि बैंक की एफीशियेन्सी बहुत ज्यादा गिर गई है। बैंक में जितने फ्राड हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इकनामी करेंगे, आप बिल इसलिये ला रहे हैं कि एक्सपेंडीचर में और मैन-पावर में इकनामी करेंगे, लेकिन मेरी छोटी-मोटी अक्ल में जो बात आई है, इस सारे बिल में एक्सपेंडीचर में कमी की कोई बात दिखलाई नहीं देती है।

[अनुवाद]

मैं यहां बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के सम्बंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में मंत्री महोदय द्वारा दी जाने वाली जानकारी की प्रतीक्षा करूंगा। मैं यह भी सुनना चाहूंगा कि व्यय में कमी कैसे होगी। मैं माननीय मंत्री का उत्तर सुनने की प्रतीक्षा करूंगा धन्यवाद।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : यह संशोधन विधेयक राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि करने और उनका लाभ बढाने की दृष्टि से लोक सभा में लाया गया है। इतना ही नहीं है। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के अध्यक्षों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने की बात कही गई है। फिर एक वाणिज्यिक बैंक का नाम बदल कर यू० सी० ओ० बैंक रखा गया है। परन्तु सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य प्रणाली के बारे में हमारा क्या अनुभव है? हम देखते हैं कि ये बैंक केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देते हैं जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली होते हैं। यही कारण है कि राजेन्द्र सेथिया जैसे लोगों को भारी ऋण दिया जाता है। परन्तु गरीब व्यक्ति, कम आय वर्ग वाले व्यक्ति, उद्यमी अथवा छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों को बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने बताया कि ग्राहकों को बैंकों में घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आदि जैसे कार्यक्रम बैंकों की निष्क्रियता के कारण असफल हो गए। विगत 2 अथवा 3 वर्षों के दौरान ऋण मेले आयोजित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री इन मेलों की अध्यक्षता कर रहे हैं और वे यह ऋण लाभ अपने दल के कार्यकर्त्ताओं में वितरित कर रहें हैं क्योंकि उन्हें निजी तौर पर यह आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें ऋण वापस करने की आवश्यकता

नहीं है। बैंक अधिकारियों को निष्ठावान होना चाहिए और उन्हें निर्धन और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु, चूंकि वहां बहुत धोखाधड़ी हैं इसलिए लोगों का बैंको से विश्वास उठ गया है। यह पाया गया है कि वर्तमान वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान धोखाधड़ी के 1151 मामले हुए। 25.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। यह जानकारी स्वयं मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखी थी। केवल इतना ही नहीं है। हम यह भी देखते हैं सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रायः उन औद्योगिक घरानों को अधिक ऋण सुविधाएं देते हैं जो रुग्ण घोषित किए जाते हैं। गैर-सरकारी उद्योगों के स्वामी अपने नियंत्राधीन अन्य प्रतिष्ठानों में पूंजी लगा देते हैं। बैंक कर्मचारी बेइमान उद्योगपतियों के साथ साठ-गांठ करके प्रायः बैंकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। यह आचरण तुरंत रोका जाना चाहिए और बेईमान बैंक अधिकारियों को दंड दिया जाना चाहिए। हमें पता लगा है कि इस वर्ष पहले ही 176 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई है।

तीसरे मैं यह बताना चाहता हूं कि विगत में देश में निजी चिट फंड एजेंसियों की संख्या मशरूम की तरह बढी है और साधारण व्यक्तियों की नजर में उनकी छवि बड़ी लुभावनी है और कुछ समय बाद ये गरीब लोग ठगे जाते हैं। परन्तु सरकार ने इस व्यवहार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। कलकत्ता में संचयिता नाम की एक चित फंड एजेंसी थी और पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को संचयिता नामक इस चिट फंड एजेंसी के संचालकों के विरुद्ध कुछ कदम उठाने का अनुरोध किया था परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए में मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ ऐसे उपाय करें जिससे इन चिट फंड एजेंसियों को नियंत्रित किया जा सके, जो 48 प्रतिशत ब्याज देने का झांसादेकर लाखों व्यक्तियों को ठग रही हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) माननीय सभापति महोदया, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 1985 का/समर्थन करता हूं। थोड़े दिन पहले बैंकों के सम्बन्ध में बोलते हुए मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि जो स्माल, मार्जिनल फार्मर्स और गरीब परिवार हैं, उनको जो बैंक लोन देते हैं, उसके बदले में तथा उनसे कई गुणा पैसा वसूल किया जाता है। आशा है मंत्री जी को इस सम्बन्ध में अवश्य जानकारी होगी। पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे कई नेशनलाइज बैंक हैं जिन्होंने गरीब लोगों को कर्जा दिया और उसके बदले में कई गुणा पैसा वसूल किया। पंजाब नेशनल बैंक में करीब ढाई-सौ लोग ऐसे हैं जिनको 3-3 हजार रुपया जमीन के लिए कर्जा दिया और उसके बदले में 10-12 हजार रुपया वसूल किया। इस सम्बन्ध मेंस्टेट्स में कानून भी बना हुआ है। एक सिविल प्रोसीजर कोड है, इसमें प्रावधान है कि दुगने से ज्यादा पैसा/वसूल कोई भी बैंक संस्था नहीं कर सकती। दूसरा मनी लैन्डिंग ऐक्ट है, उसके अन्दर भी प्रावधान है कि दुगने से ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जाए। इस संबंध में पूछने पर आपने बताया था कि इस प्रकार का कोई

प्रावधान बैंकों के अन्दर नहीं है इसके लिए एक कमेटी बैठाने का हाउस में आश्वासन दिया था। मैं समझता हूं कि आपने कमेटी बैठायी होगी और कोई न कोई निर्णय ले लिया होगा जिससे इस प्रकार का जो अत्याचार और अन्याय उन गरीब और छोटे किसानों के साथ हो रहा है, उसको रोकने की आप व्यवस्था कर सकें।

जिले की डी० आर० डी० ए० कमेटी है, उसमें भी मैंने इस व्यवस्था को उठाया था। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट को लिखा था। स्टेट गवर्नमेंट ने आपको लिखा है कि इस प्रकार से उन गरीबों से पैसा वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसी व्यवस्था होने से आज किसानों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। गरीब किसानों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन है, वह भी नीलाम हो रही है। तो उसके ऊपर एक गारंटी देते हैं। उसके बावजूद भी सिविल कोर्ट्स में केसेज दर के इन लोगों से इतनी बड़ी तादाद में यह रुपया वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने आप का ध्यान आकर्षित किया था और आप ने वादा किया था, एश्योर किया था कि हम इसके बारे में कमेटी बिठा कर इस व्यवस्था को रोकने के लिए उपाय करेंगे। लेकिन अब तक इसके संबंध में कोई उपाय नहीं हुआ।

इस कानून में यह प्रावधान आ जाना चाहिए था। लेकिन इसको इस में शामिल नहीं किया जिसकी वजह से हिन्दुस्तान में किस किस तरीके से छोटे किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा हैं, इसकी जानकारी मंत्री महोदय को मिली होगी। यही बैंक अधिकारी नोटिस देते हैं, उसमें पांच रुपया खर्च होता है तो वह पांच रुपया भी उन के खाते में जाता है। उसने पैसा वसूल करने के लिए बैंक के अधिकारी जीप लेकर जाते हैं, उसमें 500 रुपया खर्च करते हैं तो वह रुपया भी उस गरीब के खाते में जाता है इस तरह से ऐश और आराम तो आप के आफिसर्स करते हैं और वह सारा पैसा उन गरीबों के खातों में जाता है। इस तरह का अन्याय आज उन गरीब किसानों के साथ हो रहा है। जहां हमारे प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि हम इन फाइनेंशियन इंस्टीच्यूशंस से पैसा देकर उन गरीबों लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने का काम कर रहें हैं, वहां आप के ये बैंक्स उसे मजबूत बनाने का काम करने के बजाय उन गरीब लोंगों को इस तरीके से लूट रहे हैं और उनके साथ आज इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हो रहा है। एक तरफ तो उनको पावर्टी लाइन से ऊपर उठाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ ये लोग प्राय: प्रावर्टी लाइन के और नीचे चले जा रहे हैं। इस प्रकार जो यह काम इन बैंकों के द्वारा हो रहा है इस संबंध में आप निश्चित तरीके से कोई कदम उठाइए ताकि इस अन्याय और अत्याचार से ये गरीब लोग बच सकें। तभी जो आप का 20 प्वाइंट प्रोग्राम है उस के तहत इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम भी ठीक तरह से सम्पन्न हो सकेगा मगर मुझे अफसोस है कि आपके वादा करने के बावजूद भी इस

अमेंडमेंट बिल में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं लाया गया जिससे ये गरीब लोग, स्माल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं इनको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इसके बारे में बार-बार निवेदन करने के बाद भी भारत सरकार की तरफ से और वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई। इसलिए अफसोस के साथ आपसे निवेदन करना पड़ रहा है कि इस संबंध में निश्चित तरीके से कोई न कोई व्यवस्था आप कीजिए जिससे हिन्दुस्तान के अन्दर इतना एग्जार्बिटेन्ट इन्टरस्ट इन लोगों से वसूल न हो। किसी भी इंस्टीच्यूशन के द्वारा उन से दुगुने से ज्यादा किसी भी हालत में वसूल नहीं होना चाहिए जो कि सूद आफ दि लैंड है।

सेल्फ एम्पलायमेंट की भारत सरकार की स्कीम है उस में जो कर्ज दिया जाता है नेशनलाइज्ड बैंक के जरिये से उसमें किस तरह की धांधली और किस तरह का भ्रष्टाचार होता है, जो ब्रांच मैनेजर को खुश कर लेता है उसको तो पैसा मिल जाता है चाहे वह जेनुइन आदमी हो या न हो चाहे उसकी अप्लीकेशन जेनुइन हो या न हो, लेकिन उसको पैसा मिल जाता है लेकिन जो जेनुइन आदमी होता है उसको दुतकार दिया जाता है। उसकी अप्लीकेशन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाही नहीं होती। शिकायत करने पर उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि बैंक मैनेजर इसको लोन दिया जाना उचित नहीं समझता क्योंकि उसके वापस होने की गारंटी नहीं है। यह बहुत बड़ा बहाना उस को मिल जाता है। इस तरह से जो जेनुइन लोग हैं जिनको वास्तव में पैसे की जरूरत है वे लोग इस व्यवस्था से महरूम रह जाते हैं। इस व्यवस्था को भी माकूल बनाने के लिए कोई कानून आप बनाएं जिससे उन को पैसा मिल सके वह अपनी रोजी रोटी कमा सकें और उनके साथ न्याय हो सकें।

मैंने पिछली दफा भी कहा था कि आपने डी० आर० डी० ए० में बैंकों की जिला लेवल पर अधिकारियों की एक कमेटी बना रखी है ताकि बैंकों की कोई शिकायत हो तो उन अधिकारियों के सामने वह शिकायत जाए लेकिन आप जानते हैं शिकायतें जनप्रतिनिधियों के पास आती हैं न कि अधिकारियों के पास आती हैं इसलिए किसी जनप्रतिनिधियों को भी बैंकों की जिला कमेटी लेवल कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए जो कि अभी तक नहीं किया गया है। इसीलिए अभी बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाती है। पिछली दफा इस संबंध में आश्वासन भी दिया गया था। फाइनेन्स मिनिस्टर, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि वे उसके संबंध में कार्यवाही करेंगे लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। किसी भी जनप्रतिनिधि को जिला लेवल की बैंक सम्बन्धी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। यह तुरन्त होना चाहिए ताकि वहां पर जो फ्राडुलेन्ट ऐक्टस होते हैं, जो गड़बड़ियां और बेइमानियां होती हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके। इसके संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही न करने का नतीजा यह है कि बैंकों के अधिकारियों को खुलेआम लूट करने की छूट दे रखी है। उन पर किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है।

इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने आई० आर० डी० पी० का जो कार्यक्रम चलाया हुआ है वह बहुत बड़ा कार्यक्रम है और जिसके द्वारा लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों के लिविंग स्टैन्डर्ड को उठाने के लिए बैंकों के द्वारा लोन दिए जाते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइब के लोगों को सब्सीडी दी जाती है लेकिन वहां पर जो हालत हो रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके संबंध में जगह-जगह से शिकायतें मिली हैं कि बैंक के अधिकारी इस सब्सीडी को मुफ्त का पैसा समझकर लूट-पाट करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने जिले की लेवल पर इस प्रकार के कई मामले उठाए जिनमें कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई लेकिन आजकल यह आम बात हो गई है कि इस प्रकार की जो भी सब्सीडी गरीब लोगों को दी जाती है, उनका अलविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठाने के लिए, उसमें गड़बड़ी करने पर उन बैंक अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंन्ट की तरफ से किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए ताकि गरीब लोगों को ठीक प्रकार से पैसा प्राप्त हो सके और सरकार के जो कार्यक्रम गरीब लोगों को ऊपर उठाने के हैं उनका सही प्रकार से इंप्लीमेंटेशन किया जा सके।

यहां पर कहा गया कि आपके ऐक्शन के बाद बैंकों के कर्मचारियों के व्यवहार में फर्क आया है लेकिन हमें मजबूर होकर कहना पड़ता है कि हम बैंकों के नेशनलाईजेशन में तो पूरा विश्वास करते हैं लेकिन जब ये बैंक प्राइवेट लोगों को हाथ में थे तब वहां पर इस प्रकार के फ्राड्लेन्ट ऐक्टस नहीं होते थे। दो-दो सौ करोड़ रुपए लन्दन की शाखा से उठा लिए जाएं लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होती है बड़े-बड़े लोग अनुचित तरीके से पैसा ले रहे हैं लेकिन उस संबंध में कोई भी कार्रवाही नहीं की जाती है जबकि गरीब लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार का भेदभाव चलता है। बैंकों के जो बड़े-बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर्स तथा अन्य अधिकारी पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, वे बैंकों के पैसे का अधिक से अधिक दुरुपयोग करते हैं। वे पूंजीपतियों को ही सारा पैसा दे रहे हैं।

मैं बात को तो मानता हूं कि नेशनलाईजेशन के बाद बैंकों की शाखाएं बड़ी तादाद में खोली गई हैं लेकिन बैंकों का व्यवहार भी सही होना चाहिए, पैसा मिलने का काम भी व्यवस्थित होना चाहिए और बैंकों के ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली गई हैं, गरीब लोगों को ऊपर उठाने की स्कीम्स को चलाने के सम्बन्ध में, उन स्कीम्स का सही रूप में इप्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि बैंकों में जो फ्राड होते हैं आपने 22 करोड़ की बात कही है, लेकिन मैं समझता हूं हजारों करोड़ के ऊपर के फ्राड के मामले हो रहे हैं लेकिन लाइट में बहुत कम आते हैं क्योंकि उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। पार्लियामेंट के सामने उनके सम्बन्ध रिपोर्ट रखने और डिस्कशन करने की कोई व्यवस्था नहीं है अगर यह सारी व्यवस्था हो जाए तो यह सारे गड़बड़-घोटाले जो होते हैं वह सामने आ सकेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ठीक प्रकार की व्यवस्था हो तो बैंकों की कार्यवाईयों के सम्बन्ध मे पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट आनी चाहिए तभी यह व्यवस्था ठीक हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सारे बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो प्वाइन्ट्स मैंने यहां पर उठाए हैं उन पर मन्त्री जो निश्चित तरीके से ध्यान देंगे और नये कानून में या सम्भव हो तो इसी में इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिन लोगों से आज एग्जामिटेन्ट रेट पर से इन्ट्रेस्ट वसूल किया जाता है उसके सम्बन्ध में कोई न कोई उचित उपाय हो जाए ।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा लाए गए बैंक कानून (संशोधन) विधेयक के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

आरम्भ में तो मैं महत्वपूर्ण विधानों को सदन में लाने के तरीके के बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं । गत तीन दिनों से मैं यह देख रहा हूं कि उस सदन में करोड़ों रुपए के अन्तर्ग्रस्त महत्वपूर्ण विधेयक सदस्यों को तैयारी के लिए समय दिए और मूल्यवान योगदान देने का पर्याप्त समय दिए बिना ही पारित किया जा रहा है । यह अध्यक्ष अथवा सभापति का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे भविष्य में ऐसा न होने दें ।

जहां तक इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का प्रश्न है मुझे कोई आपत्ति नहीं है ; बहुत से उपबन्ध स्वागत योग्य हैं । परन्तु जिस ढंग से यह विधेयक लाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं । मैं बैंकों को सार्वजनिक धन का न्यासी मानता हूं । इस सदन में सरकार द्वारा बैंक कानूनों में संशोधन करने के प्रस्ताव बहुत बार रखे गए हैं । सरकार ने संशोधन के कुछ प्रस्ताव 1983 में किए थे और अब पुनः 10 संशोधन वाला एक विधेयक लाया गया है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार एक दो दिन में अपनी दीर्घावधि राजकोषीय नीति की घोषणा करने वाली है और मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन संशोधन को प्रस्तुत करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है क्योंकि जिस उद्देश्य से ये संशोधन लाए जा रहे हैं वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए ।

जहां तक संशोधनों का प्रश्न है मैं पहले संशोधन का वास्तव में स्वागत करता हूं जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वार्षिक प्रतिवेदन को दोनों सदनों के सभा पटल पर रखने के बारे में राज्य सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए है । यह अच्छी बात है । यद्यपि इस सभा में मैं एक नया सदस्य हूं परन्तु पिछले रिकार्ड से मुझे पता चला है कि इस सदन के सदस्य गण यह मांग करते रहे हैं कि बैंकों को इस सदन के प्रति जवाबदेह होना चाहिए । सरकार ने इस दिशा में सही कदम उठाया है और मैं उसका स्वागत करता हूं ।

जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया ? जब तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो सभी

ने सोचा कि सामाजिक न्याय होगा। परन्तु मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। यहां तक कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी इस बारे में बोले हैं। अब इसका उत्तर मन्त्री महोदय को देना है कि यह उद्देश्य कहां तक पूरा नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है जिस उद्देश्य के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह पूरा नहीं हुआ। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्धन, ऋण पाने के अधिकारी और जरूरतमंद व्यक्तियों को बैंकों से ऋण प्राप्त हो रहा है ?

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बैंक प्रभावपूर्ण और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं ?

1.59 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में कोई ठगी नहीं हो रही है ? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब यह समाचार न हो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में धोखाधड़ी अथवा लूट-पाट हुई है। यह तो प्रतिदिन की कहानी बन गई है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि उसने गरीब और जरूरतमन्द लोगों के लिए कितने प्रतिशत धनराशि निर्धारित की है। क्या एकाधिकार घराने इन राष्ट्रीयकृत बैंकों से सार्वजनिक धन प्राप्त नहीं कर रहे हैं ? मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री महोदय, श्री जनार्दन पुजारी वास्तव में निष्ठावान और परिश्रमी हैं; मैं यह बात जानता हूं। वे मेरे राज्य के हैं ...

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इसलिए वे निष्ठावन हैं : (व्यवधान)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने राज्य में अपनाकार्य निष्पादन देख रहे हैं। इसलिए वे कह रहे हैं।

2.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : उस तर्क पर मैं बाद में आऊंगा। मुझे उनकी नेक नियती पर सन्देह नहीं है। वर्ष 1983 के एक प्रतिवेदन में मैंने देखा है कि लगभग 614 उद्योगों को ऋण दिया गया तथा प्रत्येक उद्योग ने एक करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया। 1983 में उस तारीख तक 1913 करोड़ रुपया बकाया थे। उनमें से अधिकांश उद्योग सूची में हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि बैंकों की भारी राशि अब भी एकाधिकार घराने ले रहे हैं।

जब गरीब लोग कुछ सौ रुपए के लिए बैंक जाते हैं तो उनको बहुत सी रुकावटें का सामना करना पड़ता है। उनके लिए ऋण लेना आसान नहीं है। हां ऋण-मेलों में उन्हें ऋण मिलता है। अतः सामान्य नागरिक को ऋण मिलना असम्भव है। राष्ट्रीयकरण बैंक के बावजूद उससे सामाजिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। यह सरकार की नीति के कारण है।

ये राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार के निदेशों के अधीन कार्य करते हैं। सेठिया के मामले में क्या हुआ ? इस पर भी इस सदन में चर्चा हुई थी।

उसने तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों से लगभग 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। आप क्या सोचते हैं कि इन बैंकों के चेयरमैनों ने ऋण अपने आप दिया है ? मैं ऐसा नहीं समझता मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ दबाव कहीं से आया होगा। यह मन्त्री महोदय बता सकते हैं कि ऐसे दबाव कहां से आए। परन्तु कई सौ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है।

इसी प्रकार जब हम धोखाधड़ी के मामले देखें तो पता चलता है कि गैर-सरकारी बैंक भी यही कर रहे हैं। हम इस सदन में चर्चा कर चुके हैं कि लक्ष्मी बैंक तथा कोचीन बैंक ने लोगों को किस प्रकार धोखा दिया है।

अब सभी बैंकों के लिए निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक नियुक्त करता है। निस्सन्देह राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सरकार यह सब कुछ करती है। गैर-सरकारी बैंकों के लिए निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक नियुक्त करता है। बोर्ड की बैठकों में ये निदेशक क्या करते हैं ? क्या उन्हें इन बैंकों के क्रियाकलापों के बारे में कुछ पता है ? क्या ये इन बैंकों के खातों की जांच नहीं करते ? इन बैंकों में इन निदेशकों को भेजने का प्रयोजन क्या है ? इसका आशय यह सुनिश्चित करना है कि ये बैंक कुशलता तथा ईमानदारी से कार्य करें। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि तभी अपनी आंखें खोलते हैं जब सारी धारक-पूंजी तथा जमा राशि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह सब होता है।

सेठिया के मामले में भी यही हुआ। लक्ष्मी बैंक के मामले में भी यही हुआ है। यदि केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि सावधान होते तो ऐसा नहीं होता। उनका कार्य यह देखना है कि बैंक नियमानुसार कार्य करें।

कुछ बैंकों द्वारा करोड़ों रुपया अग्रिमधन के रूप में उचित जमानत के बिना ही दे दिया जाता है। वे इतनी भी परवाह नहीं करते कि जमानत की प्रक्रिया पूरी हो गई है या नहीं। केवल गैर-सरकारी बैंकों में ही नहीं अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी बेनामी लेन-देन हो रहा है।

मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मन्त्री महोदय के प्रयासों के बावजूद बैंकों की छवि में सुधार नहीं आया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह छवि बिल्कुल ही निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। मन्त्री महोदय ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में कहा है कि सरकार बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। यह वक्तव्य तो सही है। परन्तु बैंकों में व्याप्त वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए।

महोदय, इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य सहकारी-क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

उन्हें सहकारिता तथा इस सदन का लम्बा अनुभव है। मैं भी इस क्षेत्र में एक साधारण सहयोगी हूं। महोदय, दक्षिणी राज्यों में शहरी सहकारी बैंक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अकेले कर्नाटक राज्य में ही 250 में से, आधे दर्जन बैंकों को छोड़कर बाकी सभी बैंक शेयरधारियों को अनुज्ञेय अधिक लाभांश दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है चूंकि इन बैंकों में अवैतनिक कार्यकर्ता तैनात हैं। यह उनकी ईमानदारी के कारण है। मैं चाहता हू कि राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य गैर सरकारी बैंक भी ऐसी ईमानदारी दिखाएं। विशेष रूप से जब आप राष्ट्रीयकृत अथवा गैर-सरकारी बैंक में किसी उच्च अधिकारी की नियुक्ति करें तो आप यह सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति की आप नियुक्ति करने जा रहे हैं वह बिल्कुल ईमानदार है। साथ ही मैं मन्त्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि वह यह देख लें कि शहरी सहकारिता को सभी प्रकार का और अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए। गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यह बहुत आसान है कि वह सहकारी बैंक से सम्पर्क कर ऋण ले सकता है परन्तु केनरा बैंक जैसे वाणिज्य बैंक के बड़े भवन को देखकर वह उस भवन में प्रवेश करने का साहस नहीं करता है।

अन्त में, जहां तक ऋण मेलों का सम्बन्ध है ऋण देने के सिद्धान्त पर कोई भी आपत्ति नहीं करेगा परन्तु हम यह कहना चाहते हैं कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मेरे एक प्रश्न का जवाब देते हुए पिछले सत्र में मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि संसदों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा कि लाभ पाने वालों का किस तरह चयन किया जाता है। महोदय, हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ऋण मेला लगा था। वहां आने के लिए मुझे एक पत्र भेजा गया था। मैं वहां गया भी था। मन्त्री महोदय ने मेरी अनुपस्थिति का उल्लेख किया था। परन्तु मुझे केवल निमंत्रण मिलने की आशा नहीं थी। मैं केवल यह चाहता था कि मुझे उसमें शामिल किया जाए। कृपया लाभग्राहियों के चयन करने के लिए मानदण्ड तथा दिशानिर्देश स्पष्ट किए जाएं। आपके कुछ मानदण्ड अवश्य होंगे। ये बेतुके नहीं होने चाहिएं।

अन्त में भर्ती के बार में यह देख लें कि निचले स्तर पर भर्ती करते समय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि ये वह लोग हैं जो वहां की जनता के सम्पर्क में रहते हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के हमारे दो मंत्री, जिनका नाम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री जनार्दन पुजारी है, अपना कार्य बहुत ही लगन से करने का प्रयास कर रहे हैं। मेहनत से कार्य कर रहे हैं। यह स्पष्ट है। परन्तु यह हमें कहां ले जाएगा ? महोदय, ये पूंजीवादी-प्रणाली की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं यहां तक कि आज के समाचार पत्र भी यही कहते हैं कि बहुत से अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए तथा तलाशी ली गई। यह उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। बबूल के पेड़ से आम नहीं मिल सकते। मुझे तीन अथवा चार अनुरोध करने हैं।

महोदय, सुपात्र उमीदवारों को बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा। सुपात्र लोगों को ऋण लेने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने मन्त्री महोदय को एक

विशेष मामला बताया है। मैं समझता हूं यह उनके पास है। यदि मोची, बैल-गाड़ी वाले जैसे छोटे तथा सुपात्र लोगों को सांसदों के पास जाना पड़ता है तथा अपनी कठिनाइयां मन्त्री महोदय के ध्यान में लानी पड़ती हैं तो सामान्य लोगों को ऋण मिलना असम्भव ही है। संसदों से सम्पर्क करना उनके लिए बहुत ही कठिन कार्य है। हाल ही में खड़कपुर में इण्डियन बैंक ने एक मोची को ऋण नहीं दिया। मुझे यह मामला अधिकारियों के ध्यान मे लाना पड़ा तथा उसे ऋण दिलाया। परन्तु बैंक के गलती करने वाले अधिकारी को कोई दण्ड नहीं दिया गया।

महोदय, बैंकों से अपात्र व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है। मैं यह तथ्य भी अधिकारियों के ध्यान में ला चुका हूं। गांवों तथा कस्बों के भ्रष्ट लोग, बैंकों के भ्रष्ट लोगों से मिल जाते हैं तथा लाखों रुपया अपात्र लोगों को दे दिया जाता है और वह ऋण कभी वसूल नहीं हो पाता। खड़गपुर में पंजाब तथा सिंध बैंक में हो रहे ऐसे मामलों को मैं अधिकारियों के ध्यान में एक बार नहीं बल्कि तीन बार ला चुका हूं तथा पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बैंक के अधिकारियों से सम्पर्क किया, परन्तु बैंक अधिकारियों ने उन लोगों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की और उनका यह धन्धा अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि वे जाली नामों से ऋण दे रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि गांवों और कस्बों में बैंक अधिकारी क्या कर रहे हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि यदि एक सेनिया का पता लग गया है तो केवल वह ही पर्याप्त नहीं है। सारे देश में सेठिया जैसे सैंकड़ों लोग हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे यह बातें नोट कर लें तथा इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करें।

महोदय, कुछ महीने पहले, श्रीमती गीता मुखर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक बैंक मेला लगा था और हाल ही में एक अन्य मेला जलपाइगुड़ी में भी लगा था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे बैंक मेलों में स्थानीय विधायकों, सांसदों और पंचायत बोर्ड के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। शायद ये उन्हें पहले बता दिया करते थे। अब, फिर बैंक मेले हो रहे हैं तथा मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सांसदों और विधायकों को मेले से सम्बद्ध किया जाता है। हाल ही में हुए ऐसे एक मेले में युवक कांग्रेस के असंख्य लोगों ने भाग लिया। मैं सोचता हूं कि यह पूर्व निश्चित मेला था। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऋण उचित लोगों को ही दिया जाए और उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो ऋण वापस न करें। इसके साथ, आपको यह भी देखना चाहिए कि ऋण मंजूर करते समय कोई राजनीतिक उद्देश्य उसमें न हो। मुझे डर है कि यह सब राजनीतिक उद्देश्य से होता है और इसे रोका जाए। मेरा सुझाव है कि भविष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित विकास कार्यक्रम आदि जैसी योजनाओं में ग्रामीण स्तर पर 2000 रुपए या 5000 रुपए या 10,000 रुपए तक छोटा ऋण देते समय सांसदों को तो शामिल करना ही पड़ेगा और यह प्रक्रिया आवश्यक रूप से लागू की जानी चाहिए ताकि सभी कुछ बैंक के अधिकारियों पर न छोड़ा जा सके। यह मेरा दूसरा निवेदन है।

जैसे कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जिस तरह में बैंक कार्य करते हैं, वह रुग्ण

यूनिटों में लगी धनराशि से व्यापक रूप से सिद्ध हो गया है। यह राशि कई हजार करोड़ रुपए हैं। दूसरी ओर, निर्धन कृषि श्रमिक या किसान 5000 रु० का ऋण भी प्राप्त नहीं कर सकता हैं। मेरे विचार में, रुग्ण यूनिटों में लगी राशि लगभग 300 करोड़ रुपए है। आप इसे रुग्ण यूनिटों के मालिकों से किस प्रकार वसूल करेंगे।

उसके पश्चात्, ग्राहक सेवा के बारे में, मेरे विचार में मन्त्री महोदय ने इस ओर पहले ही ध्यान दिया है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों से किस तरह से व्यवहार किया जाता है। यह समाचार पत्रों में भी आया है कि उन्होंने इस ओर गंभीरता के साथ ध्यान दिया है और कुछ अधिकारियों, जिन्होंने ग्राहकों से उचित बर्ताव नहीं दिया है, के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की है हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के समर्थन में हैं और निजीबाद के विरुद्ध है परन्तु कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो कुछ बहानों के आधार पर निजीबाद का समर्थन कर रही हैं। यह अति आवश्यक है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोगों को बेहतर सेवा देनी चाहिए। जैसा मैंने कहा है कि बैंकों में कुछ लोग ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैंक में एक लाख रुपए जमा कराने जाता है और यदि उसके पास 100 रु० के नोट नहीं हैं तथा उसके पास यदि 10 रुपए के या पांच रुपए के नोट है तो अधिकांश बैंक इन्हें लेने से मना कर देते हैं। कुछ शोर मचाने या मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाने के पश्चात् वे इन्हें स्वीकार करते हैं। आज हमारे देश में मैले नोटों की भरमार है। कार्य कर रही 'स्वच्छ' सरकार की कार्य-कुशलता के लिए धन्यवाद है। मेरे विचार में आपके पास एक रुपए या दो रुपए का ऐसा कोई नोट नहीं होगा जो मैला न हो। यद्यपि, खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, तथापि हमें अपनी कार्य-कुशलता के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि हम अपने देश में छोटे सिक्कों का अपेक्षित मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। आज हम 25 पैसे या 50 पैसे के छोटे सिक्के ब्रिटेन, कनाडा या अन्य स्थानों से प्राप्त कर रहे हैं। हमारी टकसालें किस लिए हैं ? ऐसी स्थिति में, यदि कोई व्यक्ति गन्दे नोटों को लेकर बैंक जाता है और बैंक इन्हें लेने से मना करता है तो आप समझ सकते हैं कि ग्राहक को कितनी कठिनाई आती है।

इसके अलावा, हमारी सरकार कम्प्युटरों का आयात कर रही है और बहुत से बैंकों में प्रतिष्ठापित कर रही है। मैं इससे सहमत हूं कि आल इण्डिया बैंक एम्प्लोयीज यूनियन ने 1983 में कोई समझौता किया था, परन्तु यह समझौता कम्प्यूटरों का केवल कुछ कार्यों में ही प्रयोग करने के बारे में था। जिस तरह से सरकार सभी स्थानों पर कम्प्यूटरों को स्थापित कर रही है उससे अन्ततः भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था में केवल यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बैंकों का कार्यकरण किस तरह चलाते हैं और आप ऋण किस तरह से देते हैं इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप कम्प्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो बैंकों में कार्य कर रहे लोगों की छटनी नहीं होगी, परन्तु इस तरीके से बैंकों में रोजगार की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। हम अब 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाले हैं और अभी भी लगभग 37.50 लाख लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार कार्यालयों के अद्यतन रजिस्ट्रों में पंजीकृत हैं। क्या हमें 21वीं शताब्दी में बेरोजगार

युवकों की इतनी बड़ी संख्या के साथ प्रवेश करना होगा ? तदनुसार, मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे बैंकों में कम्प्यूटरों का अन्धाधुन्ध प्रयोग न करें।

अन्त में, मैं यह जानता हूं आप बड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। परन्तु बैंक कर्मचारियों के बीच कार्य और कर्त्तव्य की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। बैंक कर्मचारियों की कुछ मांगें हैं और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। यदि आप उनकी उचित मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी शिकायतों को दूर नहीं करते हैं तो हम बैंक कर्मचारियों के समर्थक हैं। हम आप को इस बात के लिए भी जोर देते हैं कि उनकी उचित मांगें स्वीकार की जानी चाहिएं।

महोदय, आपको कार्य की भावना पैदा करनी चाहिए। जैसा कि आप कड़ी मेहनत करते हैं और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मेहनत से कार्य करते हैं, आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या बैंकों में कार्य की भावना उत्पन्न की जाये ताकि बैंकों में अधिकांश बड़े अधिकारी बड़े एकाधिकार घरानों तथा औद्योगिक घरानों और बड़े व्यापारियों के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित न कर सकें और साधारण जनता को हानि न पहुंचा सकें। आज साधारण व्यक्ति बैंक में दाखिल होने का साहस नहीं करता है। वह संभवतः आपसे तो मिल सकता है, परन्तु वह बैंक मैनेजर से मिलने का साहस नहीं करता, इसका कारण साधारण मनुष्य के प्रति उनका बुरा व्यवहार है। लगभग 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और इस वर्ष आप उनके लिए अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिए कुछ करने जा रहे हैं जोकि कुल मिलाकर हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं है। महोदय, इसके बावजूद भी, आपको यह देखना चाहिए कि जब एक साधारण व्यक्ति इन अधिकारियों अफसरों से मिलता है तो वे इन गरीब लोगों के साथ बुरा व्यवहार न करें। इन बैंक अधिकारियों को गरीब लोगों के लिए और केवल अधिकारियों और मन्त्रियों के लिए ही वहीं कार्य करने हेतु कार्य की भावना अपनानी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० गंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में निवेदन करना है। आज भारत में यह ग्रामीण बैंक बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बैंक इम्पलाइज यूनियन वालों ने वित्त मंत्री के घर के सामने धरना दिया। उनकी मांग थी कि नेशनलाइज बैंक के समान ही उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं दी जायें। उनकी जो मांगें हैं उन मांगों को आपको स्वीकार करना होगा। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए ग्रामीण बैंकों के बारे में जानकारी भी अधिक है।

आज आप कोई इंडस्ट्री आदि खोलने के लिए कई करोड़ रुपए लोन के रूप में देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं हमारे वारंगल में ए० पी० रेयंस इंडस्ट्री है। उसका 16 करोड़ रुपया सूद आपने माफ किया।

श्री नारायण चौबे : किस कारण से माफ किया ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह इंडस्ट्री सिक होने की वजह से बंद होने जा रही थी। किसान से पैसा मांगने के लिए आप उसको मारते-पीटते हैं। जबर्दस्ती पैसा वसूल करते हैं। आज आप किसान को कुआं खोदने के लिए लोन देते हैं। दुर्भाग्यवश कुआं खोदते हुए बीच में पत्थर आ जाए या पानी न आए तो उसको बहुत नुक्सान उठाना पड़ता है। बैंक का पैसा चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन और पत्नी का मंगलसूत्र तक गिरवी रखना पड़ जाता है।

आज आप तीन महीने का एक साथ ही सूद कैलकुलेट करते हैं। इसको तेलगू में "चक्रवड्डी" और अंग्रेजी में कम्पाउंड इंटरस्ट कहते हैं। इसको आप को देखना होगा। आप जब गांवों में मेला लागते हैं तो चिट्स देते हैं जो कि कर्जे का ही सैंक्शन लैटर होता है। सैंक्शन लैटर का 50 परसेंट पैसा लोन के रूप में नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बोलते हैं कि सेक्योरिटी नहीं है, फीजिबिलिटी नहीं है। बैलगाड़ी के लिए क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए ? बोलते हैं आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए। वह बैलगाड़ी के लिए क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाएगा ? कुआं खोदने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। कुआं खोदते हैं, उस में कितना पानी आता है, कौन सी क्राप पैदा करते हैं, यह पूछते हैं। वह मार्केट में जिस का अच्छा दाम मिलेगा वह क्राप पैदा करेंगे। इस साल हमारे किसान अगर कपास बोयें और कपास की कीमत उन को कम मिली तो अगले साल वह ग्राउन्ड नट बोएंगे। वह पूछते हैं हम को बताओ। हमारे यहां एक सिंडिकेट बैंक है। वह एडाप्शन करता है। मगर पांच लोगों की भी सहायता करने की स्थिति में वह नहीं है। क्यों ? इसलिए कि हम ने यह तय किया कि हमारी पूंजी जो है उस में दस प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में किसी को या दूसरे किसी को कर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। 90 प्रतिशत किस को देते हैं ? वह हम बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को देते हैं। मैरिना होटल को देते हैं। फाइव स्टार होटल और थ्री स्टार होटल को देते हैं। क्यों? क्यों कि उस बिल्डिंग में हम जा कर रह सकते हैं। उस बिल्डिंग को बेच कर हम रिकवरी कर सकते हैं। किसान की जमीन आज कोई लेने वाला नहीं है। किसान की जमीन की कीमत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है इस देश की राजनैतिक पालिसी के कारण। जमीन को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। मगर दिल्ली का होटल खरीदने के लिए तैयार हैं।

आप एक एम्बेसेडर कार खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देते हैं, लारी के लिए 3 लाख रुपया देते हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं, गांवों में जाइए, तीन लाख से ज्यादा आप का कर्जा वहां नहीं मिलेगा। ग्रामीण व्यवस्था में, ग्रामीण बैंक्स का आप ने विकास किया। संख्या में वह बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वहां के कर्मचारी की तनख्वाह कम होती है। उस का ट्रांजैक्शन होता है दो साल में दो लाख या तीन लाख रुपये। कितना कर्जा वह देते हैं, पूछिए, कितने लोगों को देते हैं तो कहेंगे 20 लोगों को दिया है। कितना दिया है ? 7 हजार रुपये दिया है। 20 लोगों को सात हजार रुपये कर्जा दिया है। किसी को पांच सौ रुपया साइकिल के लिए, किसी को सिलाई की मशीन के लिए और किसी को किसी और चीज के लिए वह लोन देते हैं। यह ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था है। ग्रामीण जनता के विकास के लिए आप ने जो यह ग्रामीण बैंकों की

व्यवस्था की है, उनसे उन को यह लोन मिलता नहीं है। छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं मिलता है, बढ़ई को मिलता है, और कोई छोटी मोटी इडस्ट्री लगाना चाहता है तो उस को नहीं मिलता है। आप काफी बोर्ड से कुछ लोन दिलाते हैं और कई जगहों से दिलाते हैं। मगर ग्रामीण जनता की संख्या रोज ब रोज कम होती जा रही है, गिरती जा रही है। वह इसलिए गिरती जा रही है कि आपके ग्रामीण विकास बैंकों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर उनकी व्यवस्था अच्छी होती तो यह संख्या नहीं गिरती।

आप देखिए, ग्रामोदय का कार्यक्रम है, विलेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उस के अन्तर्गत छोटी इंडस्ट्रीज को आप सहायता दे रहे हैं। मेरे पास एक चिट्ठी है, अभी मैं भूल आया हूं उस के अन्तर्गत जो पैसा देते हैं उसमें आप के लोगों में आपका नुमाइन्दा भी रहता है। वह सेलेक्ट करता है कि किस को लोन देना है। एक आदमी को सेलेक्ट किया। बाद में उस को लोन नहीं दिया। उस ने मुझको चिट्ठी लिखी। मैंने पूछा कि क्यों उसे लोन नहीं मिला तो अभी परसों मुझे जवाब मिला है कि हम उन को तो लोन देना चाहते थे मगर उन का भाई कर्मचारी है, इस कारण उन को लोन नहीं दिया गया। तो सेलेक्ट करते वक्त उस को क्यों सेलेक्ट किया? उस का क्या कारण है? वह बोलते हैं कि एम. पी. साहब हम से बड़ा है क्या? उनकी चिट्ठी की हम कदर करते हैं क्या? मैं पूछता हूं अगर भाई है तो बहन के लिए क्या वजह है? बहन तो शादी कर के दूसरे घर चली जाने वाली है। उस का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला? ऐसे उदाहरण में आप को और भी बता सकता हूं। यह जो ग्रामोदय स्कीम है, ग्रामीण विकास के लिए जो योजना आप ने बनायी है वह बैंकों के ऊपर निर्भर है। बैंकों वाले उन को लोन नहीं दे रहे हैं। आप जितनी तेजी से आगे जा रहे हैं उतनी तेजी से आप के एम्पलाई नहीं जा रहे हैं। वह बिलकुल पीछे हट रहे हैं। वह बोलते हैं कि क्या करें? हम ग्रामीण लोगों से पैसा कलेक्ट करने में असमर्थ हैं।

एक बात देखिए। हमारे देश की पूंजी कितनी देहातों में जा रही है और कितनी अर्बन इंडस्ट्रीज में जा रही है? दस प्रतिशत से ले कर 20 प्रतिशत भी किसान या खेती या ऐग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए वह नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर बावली के लिए लोन दिया जाता है और अगर बावली में पानी नहीं आता है तो, मेरा कहना है कि उस का वह लान माफ किया जाना चाहिए। ड्राउट आता है, किसान अपने खेत में खाद डालता है, समय पर अच्छा बीज डालता है, मगर समय पर पानी न मिलने से उस की खेती सूख जाती है तो भी आप उस से पैसा वसूल करते हैं। उस के लिए इन्श्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से ग्रामीण विकास के लिए आप को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। तभी जाकर ग्रामीण विकास होगा। सिर्फ दो हजार या तीन हजार रुपये उन को देने से उन का विकास नहीं होगा। वहां पर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जितनी भी इंडस्ट्री आप बढ़ा रहे हैं या जिस के लिए पैसा दे रहे हैं वह ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज हो। और कई प्रकार के उद्योगों के लिए आप शहरों को पैसा दे रहे हैं जिस से ग्रामीण जनता शहरों में आ कर बसने की कोशिश कर रही है। इसी कारण शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है और वहां पर उन

को रहने के लिए घर नहीं मिलते। छोटे-छोटे घरों में शहरों के अन्दर वह लोग रह रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण बैंकों की पूंजी बढ़ा दी जाय और उनके जो कर्मचारी हैं उनको कमर्शियल बैंकों के कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह दी जाय। आप जानते हैं कि उन के ब्रांच मैनेजर की बी०डी०ओ० के बराबर तनख्वाह दी जाती है। उत्तर प्रदेश में वह एक हजार है, आन्ध्र प्रदेश में 14 सौ है। दूसरी जगहों पर कुछ और है। इसलिए ग्रामीण बैंकों में भी कमर्शियल बैंकों के बराबर तनख्वाह देना जरूरी है।

एक बात और मैं बताना चाहता हूं। मंत्री महोदय हमेशा कार में घूमते हैं। हम आटो में घूमते हैं। अभी मैं बम्बई गया, मद्रास भी गया था। कहीं भी होटल में जाइए वह चिट दे देते हैं। कहते है चेंज नहीं है साहब, यह चिट लीजिए। बम्बई में टैक्सी वाला चिट देता है, दिल्ली में भी देता है, कहता है चेंज नहीं है, यह चिट ले जाइए। इस का मतलब है आप कभी सरप्राइज चेक्स नहीं करते हैं।

अगर शादी के लिए किसी को 100 रुपए के चेंज की आवश्यकता होती हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको एम. पी. का लेटर चाहिए। इस प्रकार की स्थिति क्यों चल रही हैं—समझ में नहीं आ रहा है। आज देश के दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े बड़े शहरों में पैरेलल फाइनेंशियल गवर्नमेन्ट्स चल रही हैं। इसीलिए इस तरह की हालत हो रही है। आज आप किसी बस में या टेम्पो में बैठिए और उसको दस रुपए का नोट दीजिए तो वह कहेगा कि एक रुपए का क्वायन या नोट दीजिए, उसके पास छुट्टे नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्था चल रही है उसको सुधारने की भी बड़ी आवश्यकता है।

श्री काली प्रसाद पांडे (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पुजारी जी द्वारा बैंकिंग लोन अमेन्डमन्ट के सम्बन्ध में जो बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आज देश के अवास में निश्चित रूप से पुजारी जी की कार्यक्षमता के प्रति एक आस्था बनी हैं लेकिन प्रश्न यह है कि देश में जो ग्रामीण बैंकें हैं क्या वह वास्तव में गरीबों के लिए हैं ? क्या वास्तव में देश की बैंकों की जो पूंजी है, तमाम बैंक जो आज कार्यरत हैं तथा उनमें जो रुपया रखा है वह रुपया आज देश के बड़े उद्योगपतियों को लोन देने के रूप में या चाहे किसी और रूप में यह बैंक उनके घर में कैद नहीं हैं ?

जहां तक ग्रामीण बैंकों का सम्बन्ध है, आपको याद होगा इसी सदन में अपने आवेश और जनता की कठिनाइयों को मद्दे नजर रखते हुए अपने बोलने के क्रम में मैंने यह भी कहा था कि यदि आरोप गलत हों तो मैं इस सदन की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र दे दूंगा। पुजारी जी ने हमारी भावनाओं का आदर करते हुए इस सदन में आश्वासन दिया था कि पांडे जी, हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे। तीन तारीख को मैं यहां से बोला था और 13 को हमारा एक कवेश्चन था उसी बैंक मैनेजर के विरुद्ध—संयोग से वह स्टेयर्ड कवेश्चन नहीं था, अन-स्टेयर्ड कवेश्चन था। उसका जो जवाब आया उसमें हमारे जो भी आरोप थे उनको सही पाकर उसे सस्पेन्ड कर दिया गया मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी बैंक मैनेजर हो, चाहे स्टेट बैंक का हो या किसी ग्रामीण

बैंक का हो उनके सम्बन्ध में जब तक पुजारी जी यह प्रणाली लागू नहीं करेंगे कि जब वह नौकरी में गया उस समय उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी उसके बाल बच्चों को दो समय रोटी मिलती थी या नहीं मिलती थी तथा उसके एक साल के बाद उसने कहां से लाखों की सम्पत्ति अर्जित कर ली ? इसकी छानबीन आप नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है । गोपालगंज के बैंक मैनेजर को आपने सस्पेन्ड किया, यह आपके जवाब से प्रमाणित हो चुका है लेकिन जो 10 लाख की लूट हुई है, जो उसने सम्पत्ति अर्जित की है उसका क्या होगा ? आपने नोटिफिकेशन दिया कि 14 को जायें, हमको भी उसकी सूचना मिली थी । वहां जाकर बात करने से एहसास होता है कि सरकार क्या करेगी । ज्यादा से ज्यादा जेल दे देगी, लेकिन मैं इतना रुपया कमा चुका हूं कि फिर छूट जाऊंगा । चाहे किसी भी ग्रामीण बैंक के मैनेजर हों, जिन पर आरोप प्रमाणित होते हैं, उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्विस में आने से पहले उनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं थी, लेकिन आज उन लोगों के पास 25-50 बीघे जमीने हैं ग्रामीण बैंक के मैनेजर खुले रूप से ग्रामीणों का विकास न करके अपना विकास कर रहे हैं । इंदिरा जी के बीस सूत्री कार्यक्रम में मुख्य मुद्दा है कि हम ग्रामीण बैंकों के माध्यम से गरीबों का स्तर ऊंचा उठायेंगे । लेकिन अब जनता में यह भावना है कि ग्रामीण बैंक एक रोज विनाश के कगार पर होंगे । कारण यह है कि देहाती गरीब लोगों के नाम पर बतकुट्टी ग्रामीण बैंक का मैनेजर जाली दस्तखत करके हजारों रुपए बैंक से निकाल रहा है । जब यह स्थिति आन्दोलन का रूप धारण कर लेगी, ग्रामीण बैंक से उन लोगों के पास नोटिस जाएगा, जबकि उन्होंने बैंक से एक भी पैसा नहीं लिया है, तो वह आन्दोलन इंदिरा जी के बीस सूत्री कार्यक्रम के सपनों को साकार नहीं करेगा, वह निश्चित रूप से असफलीभूत हो जाएगा । जब हम लोग बिहार में एम० एल० ए० थे, तो वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि पंचरुखी डिस्टिलरी को एक करोड़ रुपया दिया गया है, वह फैक्ट्री जल्दी ही चलेगी, लेकिन वह फैक्ट्री आज तक नहीं चली है । उसका लोन भी माफ हो गया, लेकिन फैक्ट्री का नामोनिशान नहीं है । रुग्ण उद्योगों के नाम पर यह भावना पैदा हो रही है कि रुग्ण उद्योग के नाम पर रुपया लेकर उसको अन्य उद्योगों में लगाओ । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी व्यवस्था करें, जिससे हिन्दुस्तान बैंकों मे लूटने की जो रूपरेखा तैयार हो चुकी है उस पर काबू पाया जा सके । नौकरी मे आने के बाद पदाधिकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, उस पर आपको कड़ी नजर रखनी चाहिए ।

जहां तक जिले में बैंकों का प्रश्न है, जिले की बैंक कमेटी में आप क्यों नहीं एक एम० पी० को रखते हैं, जो वहां की समस्याओं को देखे, जिससे आपका बोझा भी कम हो । एम० पी० को कम से कम यह अधिकार देना होगा कि वह अपने क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों में हो रहे कदाचार और भ्रष्टाचार को देखे । ग्रामीण बैंक में आप एम० पी० की सदस्यता तो रख सकते हैं, जो बैंक की कार्य क्षमता का आंकलन कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोपालगंज क्षेत्र में मेरे लिए जाना

दुश्वार हो गया है, जब जाता हूं तो वहां बतकुट्टी बैंक द्वारा घांधली के संबंध में बहुत सी पैटीशंस लेकर आ जाते हैं। कहते हैं कि मैनेजर हमारे नाम के ऊपर एक लाख रुपया ले लिया या पांच-छः हजार रुपए ले लिए। जांच होती है, तो आरोप सही सिद्ध होता है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। यदि आप इस तरह से एक भी मैनेजर को गिरफ्तार कर लें तो उससे दूसरे मैनेजरों के अन्दर दहशत पैदा होगी। आप बतकुट्टी बैंकों की जांच सी०बी०आई० द्वारा कराएं, यदि आरोप गलत सिद्ध होगा तो सदन की सदस्यता में एक मिनट भी नहीं रहूंगा।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। सरकार को आगे कार्यवाही करने में इससे काफी सहायता मिलेगी। मैं माननीय सदस्यों की उस भावना को समझता हूं जिससे माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को सदन के समक्ष रखा है। जब माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए काफी गुंजाइश है, और जिससे उन्हें कुल मिलाकर सन्तोष नहीं है। मैं भी उनके इस विचार से सहमत हूं। हमें बैंकों के कार्यकरण से सन्तोष नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, हम दस अधिनियमों में संशोधन कर रहे हैं और संशोधन का प्रायोजन उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। मैंने इस मुद्दे का अपने प्रारंभिक भाषण में भी उल्लेख किया था। इसलिए मैं पुनः उन मुद्दों को व्यक्त नहीं करना चाहता जो पहले ही शामिल कर लिए गए हैं।

जहां तक लोगों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि गरीब लोगों को प्रत्याशित सेवा उपलब्ध नहीं होती है। डा० राजहंस ने बैंकों की कुछ शाखाओं में जाने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने इस संबंध में देश भर में 200 से अधिक शाखाओं का दौरा किया है। बैंकिंग क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियों का भी मैंने उल्लेख किया है। माननीय सदस्यों को संभवतः इस तथ्य की भी जानकारी नहीं होगी कि मुझे बैंक कर्मचारियों की ओर से प्रतिरोध और विरोध का भी सामना करना पड़ा। जैसाकि माननीय सदस्यों को जानकारी है, इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में मैंने सदन को कई बार सूचित किया है।

आज मुझे यह देखकर काफी प्रसन्नता हुई है कि सदन के सभी वर्गों ने एक आवाज के साथ यह विचार व्यक्त किया है कि उन कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस देश के लोगों के आशानुकूल खरे नहीं उतरते हैं मुझे यह नोट करके भी प्रसन्नता हुई है कि सभी सदस्य इस संबंध में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। मुझे यह देखकर भी प्रसन्नता हुई है कि माननीय सदस्यों ने कमजोर वर्गों की दशा के बारे में चिंता

व्यक्त की है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कार्रवाई की गई है और कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी क्षेत्र के माननीय सदस्यों को संभवत: यह जानकारी होगी कि कलकत्ता में ग्राहक सेवा के बारे में हुई बैठक में क्या हुआ था। जब मैंने कार्रवाई की तो इसका काफी विरोध हुआ जो कि समाचार पत्रों में भी आया। परन्तु हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और हम कार्रवाई करेंगे। मुझे श्री नारायण चौबे की यह बात सुनकर कि कार्य पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए, काफी प्रसन्नता हुई है। जब मैंने उसे सुना तो मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र के लिए और देश के दलित लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर और श्री जो० एस० राजहंस द्वारा उठाए गए मुद्दों को जानकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई है। यह देखने के लिए कुछ करना होगा कि यहां पर बचनबद्धता और समर्पण की भावना होनी चाहिए जो कि बहुत कम है। मुझे यह कहने में खेद है कि कुछ ऐसे भगडालू संघ हैं जो लोगों को दी जाने वाली सेवा का समर्थन नहीं करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमेशा संघों को दोष मत दो।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हू कि सभी बैंक अधिकारी बुरे नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कुछ गद्दार हो सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : जी हां, मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्षों से कुछ ऐसे संघ (यूनियन) नेता हैं जिन्होंने अपना पैन नहीं उठाया है या किताब मे कोई प्रविष्टि की हो। वे अपनी यूनियन के सदस्यों को सेवा में सुधार के मामले में किस तरह से नेतृत्व दे सकते हैं। इस तथ्य को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हम केवल यूनियन नेताओं को ही दोष नहीं दे रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कुछ अन्य लोग भी हैं जो सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली को बदनाम कर रहे हैं। इन गद्दारों का पता लगाना होगा और उन्हें कार्य सौंपना होगा। इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है हम कार्रवाई करने में नहीं हिचकेंगे। उनके कार्य का मूल्यांकन करना आरम्भ कर दिया गया है। उनकी बेईमानी, कार्य-अकुशलता, अकर्मण्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है और की जाने वाली कार्रवाई की सूचना संसद को दी जाएगी।

जब अनुपूरक मांगों पर विचार-विमर्श चल रहा था, तब हमने कहा था कि आयकर, सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क से संबंधित दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। हमारी यह भी बचनबद्धता है कि हम काले धन के विरुद्ध भी कार्रवाई करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। मैं पुन: कहना चाहता हूं कि सदन के सहयोग से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। मेरा यह विचार है कि यदि आपका सहयोग मिलता रहे तो यह कोई बड़ा कार्य नहीं है।

आपकी राष्ट्रीय भावना को जिसमें अपनी चिंता, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए, व्यक्त की है, मैं पूर्णतः समझता हूं।

माननीय सदस्य श्री व्यास ने यह मुद्दा उठाया है कि कुछ लोगों से और अधिक वसूली की जा सकती है। हम इसकी जांच-पड़ताल कर रहे है। यदि माननीय सदस्य कुछ विशिष्ट उदाहरण देने को तैयार हैं तो मुझे इन मामलों में कार्रवाई करने में काफी मदद मिलेगी। यदि वे ऐसे लोगों के नाम, जिनके साथ अन्याय हुआ है, देते हैं, तथा वे मुझे और विवरण देते हैं जिसकी उन्हें जानकारी हो, तो मुझे उचित कार्यवाही करने में आसानी होगी।

बिहार के माननीय सदस्य श्री पाण्डेय ने भी पहले यह प्रश्न उठाया था और हमने इस दिशा में कार्रवाई आरम्भ कर दी है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि वे मुझे और विवरण देते हैं, जो उनकी जानकारी में है, तो इससे कार्रवाई करने में मुझे सहायता मिलेगी। यहां मैं माननीय सदस्य को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पीछे नहीं रहेंगे और ज्यादा कदम उठाएंगे। परन्तु मामलों के संबंध में आपका सहयोग अपेक्षित है।

अनेक माननीय सदस्यों ने पूछा है कि इस विधेयक को इतनी जल्दीबाजी में क्यों लाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि अनुपूरक बजट में पूंजीगत आधार को बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। जहां तक देश में बैंकों के कार्य का संबंध है यह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संचालित होता है, जो भारत सरकार के अधीन हैं। अतः लोग ऋण-संपत्ति अनुपात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत से बाहर लोग, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और भारत से बाहर निवेशक भी ऋण-संपति अनुपात पर ध्यान देते हैं। वे हमारे निक्षेप के साथ-साथ सम्पत्ति अनुपात पर भी ध्यान देते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम पूंजीगत आधार को बढ़ाएं। उसके लिए हमने पहले ही 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अब तक हमने इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच 147 करोड़ रुपये की राशि बांटी है। जब तक शेष 253 करोड़ रुपये का प्रश्न है, हमें सभा के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पूंजीगत आधार की सीमा नहीं बढ़ाते, तब तक हम उसे नहीं कर सकते हैं। हम बैंकों के मुनाफे को भी बढ़ाने जा रहे हैं। हमने बड़े अनुदेश दिए हैं। डा० राजहंस की सुविधा के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल एक वर्ष में, अर्थात् वर्ष 1982-83 में ऐसा हुआ कि मैं कुछ शाखाओं में गया। एक वर्ष में हमने समयोपरि भत्ते के रूप में 16.85 करोड़ रुपये की बचत की है हमने समयोपरि भत्ता समाप्त नहीं किया है। परन्तु कुछ सीमा तक हम देश के लिए बचत कर रहें हैं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है है, ग्राहक सेवा, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए, में सुधार किया जाना चाहिए। मैं श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि बैंकों की शाखाओं की दशा तथा उनके काम करने के तौर-तरीके देख कर गरीब व्यक्ति बैंक परिसरों में प्रवेश नहीं कर सकता। वह सच है। मैं उनसे सहमत हूं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बैंकों की शाखाओं के वातावरण में परिवर्तन हो। मैं आपको बताऊंगा कि वहां क्या हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने देश की एक विशेष शाखा में देखा है।

मैं उस शाखा का नाम लेना नहीं चाहता। द्वार अथवा प्रवेश-द्वारा पर छद्म वेश में था। बैंक अधिकारी ने कहा कि ऋण मिलना समाप्त हो गया है, अब नहीं मिलेगा। तुम यहां से चले जाओ। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि मैं दूसरे काम के लिए आया हूं। उन्होंने उसे बोलने भी नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने परिसर से बाहर चले जाने के लिए कहा। इसके बाद मैं उसके पास गया और पूछा कि तुम यहां क्यों आये हो। इस पर उसने कहा कि महोदय मैं यहां ऋण राशि का किश्त जमा कराने आया हूं। वह वहां ऋण लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि वह ऋण की किश्त जमा कराने आया था। अतः वहां सहायता का वातावरण नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां ऐसा वातावरण बने। इस तरह हम उन वर्गों के व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं। जो शताब्दियों से उपेक्षित हैं। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभी बैंक प्रबन्धक तथा अधिकारी बुरे नहीं हैं।

मैं आन्ध्र प्रदेश में टाडपत्री गया था। वहां एक ऋण-उत्सव आयोजित किया गया था और उसके बाद दूसरा उत्सव आयोजित किया गया था। मैं ऋण-उत्सव कार्यक्रम में नहीं गया था। दूसरा उत्सव कार्यक्रम बैंक प्रबन्धक का अभिनन्दन करने के लिए आयोजित किया गया था और मैंने देखा कि उस उत्सव में आस-पास क्षेत्रों के सभी व्यक्ति भाग लेने आये थे। वे अपने छोटे-बड़े बच्चों के साथ नाच भी रहे थे। वहां 25,000 से अधिक लोग थे। वे वहां मुझे देखने अथवा कांग्रेस पार्टी के वास्ते नहीं आए थे। मैंने उससे पूछा। उन्होंने कहा कि ये दो ऐसे मैनेजर हैं जो हमारे घरों में शाम को तथा रविवार तथा शनिवार को भी आते हैं। वे हमारे साथ हमारे दरवाजों पर बैठकर हमारे आर्थिक कार्यों में हमें सहायता करते हैं। कुछ पैसे कम पड़ जाने पर हमें दूसरी बार भी ऋण देते हैं। सभा की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दो शाखाओं में ऋण वसूली भी बहुत अच्छी थी। कमजोर वर्गों से शत प्रतिशत वसूली हुई थी। उनका कार्य-निष्पादन इतना बेहतर था। मैं बैंक प्रबन्धकों तथा अधिकारियों से वैसी ही भावना चाहता हूं।

आजकल देश में ऐसे ही लोगों की जरूरत है— ऐसे व्यक्ति जिनमें कमजोर वर्गों की सहायता करने की इच्छा शक्ति हो। तभी हम काम करके दिखा सकते हैं। इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं और जहां तक ऋण तथा अन्य चीजों का सम्बन्ध है, मैं आपका पिछले बजट बाद-विवाद के दौरान पहले बता चुका हूं कि और मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों को उनके बहुत अच्छे...के लिए धन्यवाद करता हूं।

डा० बी० बेंकटेश (कोलार) : स्थानीय संसद सदस्यों के बारे में बताइए ?

डा० सुधीर राय : चिट फंड एजेन्सियों के बारे में बताइए ?

श्री जनार्दन पुजारी : स्थानीय संसद सदस्यों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर के मामलों में भी मैंने जांच कार्रवाई थी और मुझे बताया गया है कि उन्हें बैंक कर्मचारियों द्वारा आमंत्रित किया गया था।

डा० बी० बेंकटेश : केवल आमंत्रण देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा।

श्री जनार्दन पुजारी : श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने निवेदन किया था कि कुछ लोगों को, जिनकी तरफ से उन्होंने आवेदन किए थे, वेतन नहीं मिल सका। तुरन्त मैंने चेयरमैन से सम्पर्क किया। मैंने उनसे श्री कृष्ण अय्यर से वैयक्तिक तौर पर सम्पर्क करने तथा उनके आवेदनों पर कार्यवाई करने को कहा। ऐसे मामलों में भी हम संसद सदस्यों से अनुरोध कर रहे है कि वे इसमें भाग लें। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि आवेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है—न केवल संसद सदस्यों तथा विधायकों द्वारा, बल्कि समाचार जगत के लोग अथवा आम व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। यदि आप अपने क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति हैं और आपके आस-पास ऐसे निर्धन व्यक्ति हैं जो आवेदन करना नहीं जानते हैं तो आप ऐसा करके उनकी सहायता कर सकते हैं। यहां तक कि कोई अधिकारी अथवा कोई व्यक्ति अथवा भारत का नागरिक, यदि वह फार्म भरना जानता हो, और लोगों की सहायता कर सकता है···

डा० वी० वेंकटेश : अन्यथा भी हम इसे कर रहे हैं मेरा मुद्दा यह है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : वह आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जहां कहीं भी अनुरोध किया गया, मैंने बैंक अधिकारियों से तुरन्त कारवाई करने के लिए कहा, परन्तु साथ-ही-साथ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व आप संसद सदस्यों तथा विधायकों का है यह आपका निर्वाचन क्षेत्र है और आपको आवेदन लेकर उन्हें प्रस्तुत करना होगा। जब जनार्दन पुजारी आपके पास आए तो सभी संसद सदस्यों तथा विधायकों का यह कर्तव्य है कि आप उन सभी कमियों से उसे अवगत करायें जो आपने कार्यकरण के दौरान देखी हैं। आपको ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि पुजारी को सभी 22 राज्यों तथा व संघ शासित क्षेत्रों में जाना चाहिए। जाने का समय नहीं है। हालांकि मैं राजस्थान के रेगिस्तान में भी गया था और वहां भी आधी रात के समय मैंने ऋण वितरित किया था। अतः, समय नहीं है, परन्तु इसके साथ-साथ यह आप विधायकों, तथा संसद सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है कि आप स्वयं इस कार्य में न शामिल हों तथा कमजोर वर्गों की सहायता करें। अन्यथा, चाहे वह पुजारी हो, अथवा कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह जनता पार्टी ही, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, अथवा भारतीय जनता पार्टी हो, सभी आगामी चुनाव में पराजित हो जायेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं। आमंत्रण की प्रतीक्षा न करें। यह आपका, मेरा तथा सभी का कर्तव्य है कि लोगों की सेवा की जाए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रक्षित बैंक अधिनियम, 1934, भारतीत स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम अधिनियम, 1961, बैंक कारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और

अन्तरण) अधिनियम, 1970, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1978, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया, जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड, 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.00 म० प०

सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक
सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक
और
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं सीमा-शुल्क अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव कर रहा हूं जो प्रक्रिया सम्बन्धी हैं और उनका उद्देश्य इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में होने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करना है। प्रस्तावित संशोधनों के स्वरूप का उल्लेख विधेयक के कारणों तथा उद्देश्यों के कथन में भी किया गया है जो कि आपके पास पहले ही मौजूद है। मैं इस विधेयक के प्रस्तावित कतिपय महत्वपूर्ण संशोधनों पर ही प्रकाश डालूंगा।

3.01 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

महोदय, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा भारी मात्रा में अबैध वस्तुएं पकड़ी जाती हैं। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत, पकड़ी गई वस्तुओं का निबटान अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रक्रियों, जिसमे मुकदमे की कार्यवाही भी शामिल है, के पूरा होने पर किया जाता है। क्योंकि इन प्रक्रियों में अधिक समय लगता है और बड़े मामलों में तो वर्षों लग जाते हैं, ये वस्तुएं खराब हो जाती हैं या तकीनीक आदि पुरानी हो जाने के कारण इनके मूल्य गिर जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनके भण्डरण के लिए भण्डगारों की आवश्यकता पड़ती है और सुरक्षा आदि की समस्याओं के अतिरिक्त बम्बई जैसे महान क्षेत्रों में यह कार्य बहुत महंगा पड़ता है। इन वस्तुओं का जल्दी से निबटान करने की दृष्टि से अनुच्छेद 110 (1क) के रूप में एक नया परन्तुक जोड़ा जा रहा है जिसके अन्तर्गत विभाग को यह अधिकार होगा कि साक्ष्य और इन वस्तुओं के निबटान के लिए मजिस्ट्रेट के सामने इन वस्तुओं का निरीक्षण करने और इनके नमूने तथा फोटो लिए जा सकते हैं। तथापि जिन मामलों में विभागीय या न्यायालय प्रक्रियाएं मालिक के हक में जाती हैं, उनमें उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले के गुण व दोष के आकार पर बिक्री से प्राप्त राशि मालिकों को देने पर विधिवत विचार किया जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन में मूल्यांकन में एक रुपताप सुनिश्चित करने के लिए शुल्क निर्धारण के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड को अधीनस्थ अधिकारियों को निदेश देने की व्यवस्था की गई है ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों

और समाहर्ताओं, : के कार्यालयों में विवाद है, जिससे विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और भिन्न-भिन्न निर्धारण किया जाता है जिसका राजस्व या व्यापार हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मुकदमेबाजी अपरिहार्य हो जाती है।

दूसरा आवश्यक संशोधन डाक द्वारा किए गए आयात पर शुल्क की वापसी बहाल करने के बारे में है। वर्ष 1983 में अधिनियम की धारा 74 और 75 में संशोधन करते समय डाक द्वारा किये गये निर्यात पर शुल्क की वापसी का प्रावधान छूट गया था। क्योंकि ऐसा करने का इरादा नहीं था, इसलिय इसे बहाल किया जा रहा है। विधेयक के उपबन्धों में संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने की व्यवस्था है ताकि सभी लंबित दावों को निबटाया जा सके और इसमें संशोधन न लिए जाने के कारण जो कोई दावा नहीं कर पाए थे वे दावा कर सकें। यह संशोधन निर्यात को बढ़ावा देने के किए आवश्यक है।

सभापति महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, केन्द्रीय उत्पाद शुलक का लगाया और एककित्र किया जाना केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम से शासित होता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्य रूप देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 बनाये गये हैं। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में इस समय मौजूद, कुछ उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के कियान्वयन और हाल ही में बनाई गई दीर्घकालीत वित्तीय नीति के कारणअधिनियम में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं। तदनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में निर्यात किए जाने वाले माल का उत्पादन करने वाली फैक्टरी में ही निरीक्षण करने की व्यवस्था है बशर्ते कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई फीस का भुगतान किया जाए। लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने कहा था कि इस समय ऐसी फीस एकत्रित करने हेतु नियम बनाने का कोई संविधिक अधिकार नहीं है। यह सिफारिश की गई थी कि अधिनियम में एक विशिष्ट उपबंध शामिल किया जाए। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए अधिनियम में एक नया खण्ड शामिल करने का प्रस्ताव है जिसके, अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को निर्यात की जाने वाली उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं की जाँच के लिए फीस लगाने और अधिनियम या नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा कोई सेवा करने संबंधी नियम बनाने का अधिकार मिल जाएगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत नोटिस, समन आदि तामील करने का एक तरीका यह है कि इसे आदेश जारी करने वाले अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाए। लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति इस बात पर बल देती रही है कि अधिकारी के बोर्ड पर इस प्रकार की सूचना चिपका देने संबंधी उपबन्ध बहुत कठोर हैं और यह प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों का अंग नहीं होना चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि इस प्रयोजन के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाए। समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध जोड़ने का प्रस्ताव है।

इस समय कम्पनी या इसके अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 140 के अनुरूप कोई उपबन्ध नहीं है। यह महसूस किया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम में भी ऐसा उपबन्ध आवश्यक है। कम्पनी और कम्पनी के इन्चार्ज के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना आवश्यक है। यह व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या अपराध को रोकने के लिए उसने पूर्ण कर्त्तव्य-परायणयता से काम किया है

न लगाए गए शुल्क, कम लगाए गए शुल्क आदि की वसूली से सम्बन्धित वर्तमान उपबंध के अन्तर्गत कम वसूल की गई इस प्रकार की धनराशियों के बारे में छः महीने के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान है। सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा मामलों पर निर्णय किया जाता है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि कम शुल्क आदि की अदायगी कर अपवंचन के इरादे से धोखाधड़ी, सांठ-गांठ, तथ्यों के अतिक्रमण आदि द्वारा की गई है, तो कारण बताओ नोटिस जारी करने की अवधि छः महीने के बजाए पांच वर्ष होगी। ऐसे मामलों का निर्णय भी सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा किया जाता है। उपबन्ध के स्वरूप को ध्यान में रखकर यह महसूस किया गया है कि अवधि बढ़ाने का निर्णय इस क्षेत्र में उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए। अधिनियम में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और इसका निर्णय समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा किया जाना चाहिए। इन उपबन्धों के प्रभावी होने की तारीख को सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के पास लम्बित पड़े मामले समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

यद्यपि, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों में यह व्यवस्था है कि समाहर्ता या उपसमाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ को मिले सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है, परन्तु ऐसा उपबन्ध नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिनियम के अन्तर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग कर सकें। सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 में ऐसी व्यवस्था है। इस प्रकार का उपबन्ध केन्द्रीय शुल्क और नमक अधिनियम में भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ बनाने की व्यवस्था है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जो वर्गीकरण और मूल्यांकन सम्बन्धी अपीलों की सुनवाई करेंगे। उपलब्ध साधनों में बड़ी संख्या में पीठ बनाने और इस प्रकार के मामलों के निबटान की दर बढ़ाने के लिए अधिनियम में यह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि विशेष पीठों में दो या अधिक सदस्य हो सकेंगे। जहां सहमति नहीं होगी, न्यायाधिकरण का अध्यक्ष मामले में निर्णय दे सकेगा।

वर्तमान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, की प्रथम अनुसूची सीमा शुल्क सहयोग

परिषद नामावली को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीर्षों को संक्षिप्त करके और विस्तार करके उपयुक्त रूप से अपनाने पर आधारित है।

वर्तमान विधेयक में संगत पण्य विवरण (हार्मोनाइज्ड कोम्मोडिटिडेस्क्रिप्शन) नामक वस्तुओं के वर्गीकरण की एक नई प्रणाली और सीमा शुल्क सहयोग परिषद, ब्रुसेल द्वारा विकसित कोडिंग सिस्टम की व्यवस्था करने की अनुमति मांगी गई है। यह प्रणाली हार्मोनाइज्ड सिस्टम के नाम से जानी जाती है जिसमें विस्तृत वर्गीकरण प्रणाली की व्यवस्था है जो सरल है और संक्षिप्त है और जिसे सीमा शुल्क एकत्रित करने और सांख्यिकी मिलान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर वर्गीकरण में एकरूपता लाने के हेतु लागू किया जा सकता है। 'हार्मोनाइज्ड सिस्टम' में सामान्य ढांचा अधिक युक्ति-युक्त है और आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जोकि वर्तमान सी० सी० सी० एन० की तुलना में अधिक अद्यतन है। इस प्रणाली में सी० सी० सी० एन० पर आधारित '4-डिजिट' शीर्ष हैं जिन्हें पांचवे और छठे 'डिजिट' स्तरों पुनः उपशीर्षों में विभाजित किया गया है।

इस समय, जब माल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश दूसरे देश जाता है तो एक ही पण्य का बार-बार विवरण देना पड़ता है। इसमें व्यापारिक आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती है और गलतियां भी होती हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आंकड़ों की साख पर प्रभाव पड़ता है तथा माल भाड़ा लगाने में कठिनाई भी होती है। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और मान्यता प्राप्त 'स्टैंडर्ड कोड' के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ों को आसानी से एक देश से दूसरे देश नहीं भेजा जा सकता। 'हार्मो-नाइज्ड सिस्टम' में इन समस्याओं का समाधान किया गया है और यह व्यापार प्रलेखन और आंकड़ों के अन्तरण के मानकीकरण की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है। अतः यह समान अन्तर्राष्ट्रीय आधिक माध्यम भाषा और कोड प्रदान करता है।

मानकीकृत आधार आकड़े उपलब्ध करने से विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय बातचीतों और प्राथमिकताओं की समानीकृत प्रणाली के अन्तर्गत समेलित प्रणाली से टैरिफ सम्बन्धी बातचीत के लिए भी सहायता मिलेगी।

इस प्रणाली के फायदों को देखते हुए, भारत द्वारा जून, 1985 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के वार्षिक अधिवेशन में सुमेलित वस्तु विवरण और वर्गीकरण प्रणाली के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

समेलित प्रणाली में सीमा शुल्क दरों को लगाते समय, जहां तक सम्भव हो पाया है टैरिफ अनुसूची में पृथक-पृथक मदों पर सीमा शुल्क के वर्तमान स्तर को बनाए रखने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया गया है। किन्तु, इस समय दरों का ढांचा अव्यवहारिक है और इसे तुरन्त लागू नहीं किया जा रहा है। क्योंकि केवल नाम बदलने का ही इरादा है इसलिए, यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम को लागू करते समय दरों के ढांचे में प्रस्तावित कोई भी अनभिप्रेत परिवर्तन छूट अधिसूचनाओं द्वारा ठीक किया जाएगा।

सामान्य पहलुओं पर बात करने के पश्चात अब मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता हूं। वर्तमान सीमा शुल्क सहयोग परिषद नामावली पर आधारित है जिसमें शीर्ष 84.66 के अन्तर्गत परियोजना आया तो अध्याय 25 के अन्तर्गत डाक या विमान द्वारा यात्री सामान या स्वयं सामान लाने और शिप स्टोरों के लिए मूल्यांकन के लिए समान दर की व्यवस्था है। यह सीमाशुल्क सहयोग परिषद नामावली से जानबूझकर पालन न किया जाना है क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्यांकन को सुव्यवस्थित और सरल करने के लिए हमारे टेरिफ में व्यवस्था की गई है। यह प्रणाली वर्षों से ठीक प्रकार से चल रही है और मेरा प्रस्ताव है कि उसे सुमेलित प्रणाली में भी जारी रखा जाए।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और अधिनियम, 1944 में और आगे संशोधन करने वाले अधिनियम पर विचार किया जाए।"

अब श्री थम्पन थामस बोलेंगे।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकारा) : महोदय, यह सभी तीनों संशोधन जो प्रस्तुत किए गए हैं और जिन पर एक साथ विचार हो रहा, वर्तमान परिस्थितियों में काफी महत्व रखते हैं। सीमा शुल्क विभाग और उत्पाद शुल्क विभाग के नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है। ये दोनों विभाग कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से यह कार्य कर रहे हैं, भारत में हथियारों सहित कई प्रकार की वस्तुएं तस्करी द्वारा आ रही है। सीमा शुल्क विभाग, देश में इस प्रकार की वस्तुओं की तस्करी रोक पाने में असफल रह रहा है ; यह स्थिति उन्हीं की पैदा की हुई है और यह बात सभी जानते हैं। किन्तु इस समय मैं इस सबके ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। यह सभी बातें इस विभाग की असफलता के कारण हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन संसाधनों का उद्देश्य इन बातों को समाप्त करना है। किन्तु यह पता नहीं कि इन छिट पुट संसाधनों द्वारा इस प्रकार की बातों को रोक पाना कहां तक संभव होगा। वास्तव में इस विभाग में परिवर्तन की आवश्यकता है।

आज के समाचार पत्रों में एक समाचार है कि दिल्ली और बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए हैं और कई चीजें बरामद हुई हैं। यह सब पहले भी किया गया था। इन सब बातों से पता चलता है कि यह लोग जो वहां पर कार्य करते हैं इन

गतिविधियों में लिप्त है और चोरी छिपे धंधा करते हैं। जब सरकार यह संशोधन प्रस्तुत कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय का कोई मूल्यांकन किया गया है, इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इन लोगों और तस्करी करने वालों के बीच सांठ-गांठ है। विभाग के लोगों ने जो सांट-गांठ कर रखी है उसके लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। दूसरी ओर ऐसे भोले-भाले लोग हैं जो विदेशों में कामकाज करने और थोड़ा पैसा कमाने जाते हैं और जब वापस आते है तो उन्हें परेशान किया जाता है। इन लोगों के प्रति सीमा शुल्क अधिकारियों का रवैया प्रतिशोधपूर्ण औ पूर्वाग्रह युक्त होता है और इन भोले-भाले लोगों को काफी परेशान किया जाता है। इन भोले-भाले लोगों, जो काम धंधा करने बाहर जाते हैं और अपने देश लौट कर आते हैं के प्रति सरकार का रवैया उदार होना चाहिए किन्तु इसके साथ ही तस्करी और चोरी छिपे धंधा करने वालों के साथ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। सरकार द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर मेरे विचार से प्रस्तावित संशोधन में प्रक्रिया के अलावा कुछ भी नहीं है। वे इसे और अधिक सरल नहीं बनाना चाहते। बल्कि वे इसे और अधिक जटिल बनाना चाहते हैं।

एक मुद्दा जिसके लिए सीमा शुल्क में संशोधन किया जाना है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के निपटान से संबंधित है। मेरा यह विचार है कि यदि सरकार मौके पर ही मामलों का मूल्यांकन और निपटान करने के लिए तैयार है और यदि ऐसे लोग है जो मौके पर ही निर्णय ले सकने में समर्थ हैं तो इस प्रकार प्रश्न सामने नहीं आयेगा। हो यह रहा है कि ये वस्तुयें सालों से पड़ी हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को अन्त में नष्ट करना पड़ता है। इसलिए सर्वोत्तम तरीका यह है कि ऐसे मामलों का ऐसे मौके पर ही शीघ्र निपटान किया जाए और इसके लिए सक्षम प्राधिकारियों को आवश्यक शक्तियां दी जाएं। प्रस्तावित संशोधन से अवधि तीन से पांच वर्ष तक हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि अधिक विकेन्द्रीकृत तरीके अपनाए जाएं और विकेन्द्रीकृत गतिविधियों का प्रस्ताव किया जाना चाहिए था सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकलापों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। तथा नए सिरे से इन पर विचार किया जाना चाहिए। एक ओर तो सीमाशुल्क संबंधी कार्यकलाप चल रहे हैं तथा दूसरी ओर कम्पनी चलाने वालों द्वारा उत्पाद शुल्क के उपबन्धों से बचने की प्रवृत्ति चल रही है। यदि कोई व्यक्ति उत्पाद शुल्क नहीं देता तो उसका मुनाफा शत प्रतिशत से अधिक हो जाता है। इसलिए, मूल लागत और उत्पाद शुल्क की चोरी द्वारा कमाए गए मुनाफे के बीच भारी अन्तर है। इसलिए, उत्पाद शुल्क की चोरी की प्रवृत्ति है। इसे समाप्त करने के लिए इस समस्या के प्रति सरकार का दृष्टिकोण भिन्न होना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : महोदय, तीन विधेयक एक साथ विचार के लिए रखे गए हैं किन्तु मैं केवल सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक के विषय में ही बात करूंगा। यह सदन में प्रस्तुत किया गया 496 पृष्ठों का काफी बड़ा विधेयक है। महोदय यह कल ही

प्रस्तुत किया गया था और आज यह सदन द्वारा पारित किए जाने के लिए लाया गया है। निश्चित रूप से बहुत से सदस्यों ने अभी तक विधेयक को ध्यानपूर्वक देख भी नहीं होगा।

श्री जानर्दन पुजारी : महोदय यह केवल चार पृष्ठ का ही है बाकि अनुसूची में है।

श्री रेणुपद दास : अनुसूची भी विधेयक का एक भाग है। महोदय इस विधेयक में सीमा शुल्क प्रयोजन के लिए वस्तुओं के वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली को एक अधिक विस्तृत नामावली द्वारा बदलने की अपेक्षा की गई है। यह नई प्रणाली सुमेलित वस्तु विवरण और वर्गीकरण प्रणाली के नाम से जानी जाती है। हमें यह बताया गया है कि सिक्स डिजिटल लेवल इस प्रणाली की विशेषताओं में से एक है। कमोवेश यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। मेरे विचार इस नामावली को लागू करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद मिलेगी यह प्रणाली सीमाशुल्क सहयोग परिषद नामावली पर आधारित है और यह 1950 में आरम्भ की गई थी। 1975 का मौजूदा विधेयक भी सीमा शुल्क सहयोग परिषद नामावली (सी० सी० सी० एन०) पर आधारित है किन्तु इस दौरान काफी समय बीत चुका है। इसलिए इस सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी है। ऐसा बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति और बदलती हुई प्रौद्योगिकी के संदर्भ में किया गया है। यह सच है कि इससे व्यापार प्रलेखन और आंकड़ों के पारेषण के मानकीकरण में सहायता मिलेगी। इससे सीमा शुल्क वर्गीकरण के कम्प्यूटरीकरण में भी मदद मिलेगी यह सब एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक भाषा है। इसलिए इस प्रकार के विधेयक को बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है और यह ठीक ही किया गया है और इसे पारित किया जाना चाहिए। इस कारण से मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं।

इस संदर्भ में मैं इस बात का उल्लेख भी करना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति ने इस प्रकार की प्रणाली आरम्भ करने की पहले ही सिफारिश की है। इसलिए यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस विधेयक का समर्थन न करे। किन्तु महोदय, मैं इस संदर्भ में एक दो बातें और कहना चाहता हूं। एक बात नयी प्रणाली के बारे में है।

महोदय, नई प्रणाली आरम्भ करने के समय कुछ कठिनाईयां होती हैं। रेल मंत्रालय जब यात्री भाड़े समान किए गए तो टिकटों के दाम में वृद्धि हुई थीं। इस मामले में भीं जब यह प्रणाली लागू होगी तो मूल्यों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है।

इस सदन में शीघ्र ही प्रस्तुत की जाने वाली दीर्घावधिक वित्त नीति के संदर्भ में वर्तमान अधिनियम को कुछ समय तक स्थगित रखा जाए।

इसे अगले बजट पत्र के पश्चात और नई वित्त नीति पर चर्चा पूरी होने के पश्चात लिया जाना चाहिए ताकि विस्तार से हर मामले पर चर्चा की जा सके। यदि इसे अभी कार्यान्वित कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। अतः महोदय,

मेरा निवेदन है कि इसे बाद में कार्यान्वित किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : (नालन्दा) सभापति जी, मैं इस अवसर पर केवल एक दो बातें ही कहना चाहता हूं और उनका संबंध खासतौर से एक्साइज ड्यूटी से है जहां तक मैं समझ सका हूं, एक्साइज के बड़े-बड़े अधिकारियों और उद्योगपतियो के बीच मिलीभगत होने के कारण ही सरकार का करोड़ों रुपए का राजस्व मारा जा रहा है। यहां मैं अपनी कांसटीटूएंसी की बात करना चाहूंगा, जहां बीड़ी बनाने का कार्य बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और लगभग 15 हजार मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। वे प्रतिदिन लगभग डेढ़ करोड़ बीड़ियां तैयार करते हैं। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न भी किया था, जिसके उत्तर को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइज के सम्बन्ध में जितने कानून बने हुए हैं, वे वहां के अधिकारियों के मेल से बने हैं, वास्तव में उनका जो प्रोडक्शन होता है, उसको वे पूरा न दिखाकर कुछ लाख प्रोडक्शन दिखा दिया जाता है और इस तरह एक्साइज ड्यूटी का करोड़ों रुपया केवल बिहार में मारा जा रहा है।

मेरी कांस्टीट्यूएंसी बिहार के अन्दर नालंदा है।और पूरे देश में 35 लाख बीड़ी मजदूर हैं। इस प्रकार से अगर एक उद्योग की बात ली जाए, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसी तरह से हर जगह पर न जाने कितने रुपयों की एक्साइज की चोरी होती होगी। कानून के मुताबिक जहां पर प्रोडक्शन सेन्टर है, वहां से जब माल बाहर निकलता है, तो एक्साइज-ड्यूटी के आफिसर्स को उस माल को अच्छी तरह से देख-भाल करनी चाहिए और इस बात का एक सर्टिफिकेट लेकर वह माल बाहर जाए, क्योंकि स्थिति यह है कि बिहारशरीफ में बीड़ी बनती है और वहां ही दलसिंह सराय में वह बीड़ी सिकती है और वहां वह बीड़ी बंगाल भेजी जाती है और बंगाल से फिर आसाम भेजते हैं, तो उस पर एक्साइज की चोरी वहां के जो एक्साइज कमिश्नर हैं और उनके नीचे के जो आफिसर्स हैं, उनसे मेल रख कर के होती है। इस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी का अपहरण वहां पर लोग कर रहे हैं, बंगलिंग कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में सख्त कानून बनाया जाए ताकि इस प्रकार से जो एक्साइज-ड्यूटी की चोरी हो रही है, वह रुक सके।

महोदय, जिस प्रकार से देश के अन्दर कस्टम ड्यूटी के आफिसर्स पर छापे डाले गए हैं, उसी प्रकार से एक्साइज-ड्यूटी के जो आफिसर्स हैं और जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जो मोनोपोलिस्ट और कैपीटलिस्ट हैं और जिनकी गिनती ऐसे लोगों में आती है और जो करोड़ों रुपया हर साल इस प्रकार से कमा रहे हैं, उनके यहां भी इसी प्रकार के छापे मारे जाएं, तो देश का बहुत फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय

ने यहां पर जो सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1985 प्रस्तुत किया है उसका मैं निर्वलीय सदस्य होत हुए भी तहेदिल से स्वागत करता हूं। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है और वह यह है, जैसा हमारे मित्र विजय कुमार यादव जी ने कहा है कि कस्टम अधिकारियों के यहां जिस प्रकार से छापे मारने की योजना बनाई गई है, उसी प्रकार से यदि सीमा शुल्क की चोरी होती है, ता सीमा शुल्क के अधिकारियों के यहां भी छापे मारने की योजना बनाई जाए और कानूनी कार्यवाही उनके विरुद्ध भी की जाए, जिससे हिन्दुस्तान की जो वित्तीय अवस्था है, इसमें सुधार हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय, मैं अन्त में यह भी कहना चाहता हूं कि जो सीम शुल्क के कमिश्नर हैं, उन्हीं के हाथ म सारे अधिकार कैद नहीं होन देने चाहिएं, बल्कि जो नीचे के अधिकारी हैं, जो सामा शुल्क आयुक्त के मातहत अधिकारी हैं, उनको भी कुछ पॉवर्स ऐसे होने चाहिएं जो कि इस प्रकार स सामा शुल्क की चोरी को रोक सकें और शासकीय कोष मे धन की वसूली करवा सकें। यदि ऐसा होगा तो शासकाय धन की चोरी की रोकथाम करने मे कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा इस विधेयक का स्वागत किये जाने पर उनका आभारी हूं, हालांकि यह कहा गया था कि इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए अधिक समय नहीं है। महोदय, यह सच है कि सदस्यों को इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये अधिक समय नहीं दिया गया। परन्तु मुझे खेद है कि हम इस विधेयक को काफी समय पूर्व सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाय। परन्तु यह सच है कि उठाए जाने वाले कदमों के कारण हमने विधेयक मे इन संशोधनों को करना आवश्यक समझा। महोदय, जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा है कि यह विधेयक विशेषकर अनुसूची को बदलने के लिए लाया गया है और इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से इन मदों को शामिल किया गया है। इससे न केवल प्रबंध मंडल को सहायता मिलेगी वरन् शुल्क लगाए जाने वाली वस्तुओं का पता लगाने में अधिकारियों को भी मदद मिलेगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके कारण शुल्क में परिवर्तन आएगा और वस्तुओं की कीमतों म वृद्धि होगी। महोदय, शुल्क मे वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है और वस्तुओं के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले बजट में देश की जनता को कुछ रियायतें और लाभ प्रदान किए गए थे। विशेषकर हमने छूट की सीमा कम की थी और तदनुसार कर दाताओं को लगभग 300 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए थे। प्रारम्भ में, जब मूल बजट प्रस्तुत किया गया था यह अनुमान था कि राजस्व की वसूली में कमी आएगी इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में राजस्व की वसूली से सम्बन्धित कुछ आंकड़ें लाना चाहता हूं।

अप्रैल से नवम्बर, 1985 के दौरान सीमा शुल्क के रूप में 5740.69 करोड़ रुपए की वसूली की गई, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4316.84 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। इस अवधि के दौरान 1423.85 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अप्रैल से नवम्बर 1985 की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में 8127.71 करोड़ रुपए की वसूली की गई; पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 6994.33 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। इस वर्ष की वसूली पिछले वर्ष से 1133.38 करोड़ रुपए अधिक है। सीमा शुल्क के मामले में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उत्पाद शुल्क में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है अप्रैल से नवम्बर, 1985 की अवधि के दौरान 2158.19 करोड़ रुपए की वसूली हुई और पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1754.11 करोड़ रुपए थी जो कि 404.08 करोड़ रुपए अथवा 23 प्रतिशत अधिक है।

मैं माननीय सदस्यों को मारे गए छापों सम्बन्ध सूचनाओं से भी अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष नवम्बर 1984 तक 2192 छापे मारे गए थे और इस वर्ष नवम्बर 1985 तक 4246 छापे मारे गए हैं। इन छापों के दौरान पिछले वर्ष नवम्बर, 1984 तक 1163.85 लाख रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियां जब्त की गई जबकि इस वर्ष नवम्बर 1985 तक 2597.72 लाख रुपए की परिसम्पत्तियां जब्त की गई है। पिछले वर्ष नवम्बर 1984 तक 222 मुकदमे चलाए गए और इस वर्ष नवम्बर, 1985 तक यह संख्या 647 है।

जहां तक तस्करी की गतिविधियों को रोकने का सम्बन्धी है, पिछले वर्ष पूरे वर्ष में 101.09 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया था; इस वर्ष हमने अब तक 170 करोड़ से अधिक का माल जब्त कर लिया है।

ऐसा इसलिए सम्भव हो सका कि उठाए गए कदम काफी अच्छी तरह से उठाए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारा राजस्व विभाग बधाई का पात्र है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस विभाग में भी कुछ लोग दोषी हैं। इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ मिली भगत है और कुछ लोग कुछ उद्योगपतियों से मिले हुए हैं। उन लोगों का पता लगाया जा रहा है, और कार्यवाही की गई है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सरकार का निश्चय बहुत स्पष्ट है। हम उससे प्रतिबद्ध हैं। हम अधिक राजस्व वसूल करने पर दृढ़ हैं।

आयकर के मामले में, जब हम अपने प्रयासों से अधिक आयकर वसूल करेंगे तो राज्य भी उसके 85 प्रतिशत के हकदार होंगे।

यदि उत्पाद शुल्क की अधिक वसूली होगी तो उसमें से 45 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को प्राप्त होगा। अतः, इस वर्ष मे जब हमने दिन-रात काम करके अपने प्रयासों से अधिक राजस्व अर्जित किया तो उससे आपके राज्य को भी लाभ होगा। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि न केवल आपका राज्य वरन् सभी राज्य संसाधन जुटाने और बिक्री-कर

के क्षेत्र में राजस्व वसूली के लिए और अधिक प्रयास करें। यदि राज्य सरकारें भी अपने प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करें और भ्रष्ट अधिकारियों तथा उन लोगों के साथ मिलीभगत करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें तो और अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी और राज्यों में भी अधिक संसाधन जुटाए जा सकेंगे।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : यह अधिक राजस्व एकत्र करना है अथवा भ्रष्टाचार बढ़ाना ?

श्री जनार्दन पुजारी : हमारे अधिक राजस्व जुटाने के प्रयास को यदि आप विपक्षी सदस्य भ्रष्टाचार समझें तो मैं यह आपकी समझ पर छोड़ देता हूं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि सारा देश प्रसन्न है और श्री इन्द्रजीत गुप्त सहित विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सरकार को बधाई दी है और अभी जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने खड़े हुए थे उन्होंने भी कहा है कि जहां तक कार्यवाही किए जाने का सम्बन्ध है वह सरकार का साथ देंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मजबूत लॉबी हमारे विरुद्ध काम कर रही है। परन्तु, हमें कोई घबराहट नहीं है हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। हमारी सरकार ने राष्ट्र से यह वायदा किया है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करें। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 14 विधेयक का भाग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।",

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का भाग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करे । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का भाग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिया गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90" के बारे में प्रस्ताव

[—जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगली मद लेंगे । यह सभा अब माननीय मंत्री महोदय श्री अजित पंजा द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिली) : सभापति महोदय, आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत व्यापक विषय है और मैं समझता हूं कि मुझे इसके कुछ पहलू इस सभा की जानकारी में लाने चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश में खाद्य कार्य और उत्पादकता पर बल दिया गया। इन पर महत्व दिया जाएगा। मैं इन सभी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

खाद्य के बारे में हम वर्ष दर वर्ष खरीफ और रबी की फसलों के बारे में योजना बनाते हैं और वर्षा, खाद आदि पर ध्यान दिया जाता है। किन्तु अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस देश में खाद्य उत्पादन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के खर्च पर शहरी क्षेत्रों के प्रति एक निश्चित झुकाव है, लम्बे परिपेक्ष्य में कम होगा। अतः खाद्य उत्पादन अलाभकर पाया जायेगा और ऐसे समय में खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाएगा जब विदेशी मुद्रा और बाधाएं होंगी। इसलिए राजसहायता देने या कोई अन्य सहायता देने की नीति से खाद्य की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं खाद्य पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं और योजनावधि के अन्त में हम ऐसी स्थिति में न आ जायें जब हमारे पास खाद्यान्नों और अन्य दालों की कमी हो और जहां हम अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं ।

इसके बाद कार्य के बारे में इस देश में आज 450 लाख लोग बेरोजगार हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 24580 लाख श्रम दिवस की व्यवस्था है किन्तु उद्योग की पूंजी क्षमता अर्थात् बढ़ती हुई पूंजी के अनुपात जो आज 7 : 1 है को देखते हुए यह बहुत मुश्किल है और हम आज तक भी मध्यवर्ती प्रोद्योगिकी विकसित करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। अतः धनराशि की कमी, निवेश की कमी, निवेशों की पूंजी क्षमता को देखते हुए नियोजित श्रम दिवसों से काफी कम श्रम दिवस पैदा हो सकेंगे ।

इसके बाद जब उत्पादकता की बात आती है तो हमारी व्यवस्था में विशिष्ट प्रबन्ध व्यवस्था का अभाव है। आज उत्पादकता में तब तक वृद्धि नहीं लाई जा सकती जब तक कुछ सीमा तक युक्ति संगतता और वह भी उद्देश्यपूर्ण युक्ति संगतता न हो। युक्ति संगतता का अपने आप में अर्थ है रोजगार के अवसरों में कमी परंतु यदि युक्ति संगतता रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से की जाती है ताकि तैयार वस्तुयें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकें, तभी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। उद्योग से केवल शहरी क्षेत्रों में ही उत्पादकता बढ़ेगी। परंतु ग्रामीण क्षेत्र को भी अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। इसलिए तीन सिद्धान्तों अर्थात् खाद्य, कार्य और उत्पादकता, जिनके आधार पर योजना बनाई

गई है, में वह सार नहीं है जो होना चाहिए तथा वह कार्यक्रम भी नहीं है जो होने चाहिएं। इन सबसे अधिक बड़ी बात यह है कि इस संबंध में कोई नीति नहीं है।

कुछ अन्य गुणात्मक पहलुओं की ओर आते हैं तो इसका विस्तार बहुत व्यापक हो गया है। जब हम सातवीं योजना पर चर्चा करते हैं तो अन्य पहलुओं पर सहमति नहीं हो पाती। किन्तु मैं उनमें से कुछ पहलुओं पर बोलूंगा जो मेरे विचार से इस समय महत्वपूर्ण पहलू हैं। आयोजना की समस्त प्रक्रिया में गुणात्मक रूप से सुधार करना जरूरी है क्योंकि भारत में आयोजना अत्यन्त ऐतिहासिक आधार पर की जाती है और की जा रही है। परावर्ती विश्लेषण की पद्धति आंकड़ों का अनुमान लगाना आदि पुरानी परम्परा के अनुसार किया जाता है। इस परिस्थिति में मेरा सुझाव है कि हमें निर्देशात्मक आयोजना पद्धति अपनानी चाहिए जैसी योजना मूलत: नार्डिक क्षेत्र में और फ्रांस में अपनाई जाती है जहां अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों पर विचार किया जाता है। उन के संबंध में परामर्श किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो आंकड़े निश्चित किए जाते हैं वे न केवल वित्तीय दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अधिक उद्देश्यपूर्ण होते हैं। उसके बाद जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है सार्वजनिक की क्षेत्र भूमिका।

सार्वजनिक क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम इस देश में अधिक सामाजिक न्याय और व्यक्तिवाचक न्याय दिला सकते हैं। जब तक सामाजिक और व्यक्तिवाचक न्याय की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई उद्देश्यपूर्ण योजना नहीं बन सकेगी और 'खर्च की गई धनराशि स्वत: निम्न स्तर तक पहुंच जाएगी' का सिद्धान्त सही सिद्ध नहीं होगा। आज यह नामकरण अनुपयुक्त हो गया है इसलिए जब भी तथा जहां कहीं भी संभव हो, आर्थिक विकास की नीति बनाते समय उसके साथ-साथ व्यक्तिवाचक नीति भी अवश्य बनानी चाहिए।

बिचौलिया संगठनों के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस समय हम सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाने में जुटे हैं, परन्तु हमने बंटाईदारों तथा बन्धुआ श्रमिकों के बारे में किसी नीति पर विचार नहीं किया है। भारत में बड़ी संख्या में बंटाईदार हैं और उनमें से बहुत से बंधुआ मजदूर हैं। हमारे राज्य की भी यही स्थिति है जहां राघल सीमा तथा आन्ध्र क्षेत्रों में बंटाईदार हैं और तेलांगाना क्षेत्र में भी बंधुआ श्रमिक मजदूर हैं। एजेन्सी क्षेत्र में भी बंधुआ मजदूर हैं। जब तक इस ढांचे में परिवर्तन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नीति नहीं बनाई जाएगी, तब तक आयोजना प्रक्रिया केवल संभ्रांत व्यक्तियों तक सीमित रहेगी और इसका लाभ निचले स्तरों तक नहीं पहुंचेगा आजकल आयोजना का पूरा कार्य इस अर्थ में एक संभ्रांत का कार्य हो गया है कि आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, कतिपय लक्ष्य तैयार किए जाते हैं, और जब यह जन साधारण की बात आती है तो उसे न तो उस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है और न ही वह उस प्रक्रिया को समझता है। अत:, आज जिस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

मत्स्य उद्योग मे भी छोटे कैटामारेन हैं तथा उद्योग में आपको बन्धुआ मजदूर मिलेंगे इन सभी बातों से यह प्रमाणित हो ता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य दस्तावेज में अथवा उसके साथ संलग्न के अनुबन्धों में से किसी में भी इनमें से किसी भी पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपचयनात्मक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, क्यों कि संसाधन सीमित हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 20,000 करोड़ रुपए का घाटा बहुत विशाल है। इस घाटे को केवल कर-आधार को व्यापक बनाकर ही पूरा किया जाना चाहिए, और मैंने देखा है कि कुछ छोटे उपायों को छोड़कर इस दिशा में कुछ अधिक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त काले धन कि उत्पत्ति, काले धनका भण्डारण तथा काले धन का प्रसार, दोनों को हर में रोका जानाचाहिए और मैं महसूस करता हूं कि उस पर चर्चा करने तथा काले धन की हालत उत्पति की जांच करने हेतु एक प्रवर समिति बनाने पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। प्रवर समिति एक ऐसा तन्त्र है जिसका उपयोग बहुत उपयोग बहुत ही कारगर ढंग से किया जा कसता है और इसे सभा के समक्ष अचानक प्रस्तुत करने के स्थान पर, इस पर चर्चा की जा सकती है और सातवीं पंचवर्षीय योजना को अधिक सफल बनाने के लिए उस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, भुगतान सन्तुलन के बारे में हम इसके प्रति आश्वस्त नहीं है कि हमें कौन सी नीति पालन करनी चाहिए। हमें आयात-प्रतिस्थापन की नीति अपनानी चाहिए अथवा आयात कार्यक्रम अपनाना चाहिए अथवा हमें निर्यातोन्मुखी विकास अथवा विकासोन्मुखी निर्यात अपनाना चाहिए। इन सभी मामलों में हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं है और हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम निश्चित रुप से फन्दे में फंसने जा रहे हैं— मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम ऋण के फन्दे में फंस रहे हैं परन्तु जहां तक भुगतान सन्तुलन की शर्तों का सम्बन्ध है, हम उसमें फंसने जा रहे हैं, और वह नीति भी हमें बनानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त हमें अन्य देशों से भी सबक सीखना चाहिए जैसे सोवियत रूस की गास योजना तथा अन्य देशों की योजनाएं। हमें उनके अनुभवों से शिक्षा लेनी चाहिए और वित्तीय आयोजना की बजाय व्यवहारिक आयोजना की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

संघीय वित्त के बारे में, राज्यों को अधिक हिस्सा नहीं मिलना है। सभापति महोदय, कुछ समय पहले हमने इस सदन में तेलगु-गंगा परियोजना और पोलावरम परियोजना का मामला उठाया था लेकिन उस समय इस मामले का गलत अर्थ लगाया गया था। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमें उसके लिए पूरा धन दिया जाना चाहिए, लेकिन इस परियोजना का बाढ़ नियंत्रण पहलू है और इस परियोजना का भू-संरक्षण पहलू है। भू-संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण केन्द्रीय विषय हैं और इसको देखते हुए परिव्यय का 25 प्रतिशत दिया जाता है तो इससे राज्यों

में परियोजनाओं को लागू करने में काफी मदद मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वह यह है कि सातवी पंचवर्षीय योजना को अधिक यर्थाथवादी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए संघीय वित्त सम्बन्धी पहलू को इसमें शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि राज्यों को भी यह लगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद के स्तर पर निर्णय करने की प्रक्रिया में वे उनके सह-भागी हैं।

संक्षेप में, मैं अधिक समय नही लेना चाहता हूं—लेकिन संक्षेप में मैंने जो कुछ कहा है वह यह है कि इसमें योजनाए और आकड़े हैं। इसमें योजनाएं इसमें आंकड़े है और इसमें भी आगे इसमें यहां परियोजनाएं हैं और इसमें ब्यौरे हैं। लेकिन सातवीं पचवर्षीय योजना म विकास के लिए कोई नीति नही हैं। केवल तथ्यों और आकड़ों तथा योजनाओं और परियोजनाओं का उल्लेख करने से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमें विकास के लिए नीति निर्धारित करनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के उदाहरण का उल्लेख करना चाहता हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब पंडित नेहरु प्रधान मन्त्री थे, उन्होंने भारी उद्योग के माध्यम से विकास की बात की थी। उसमें कुछ नीति थी। इसके अलावा, इससे पहले उन्होने असन्तुलित विकास का उल्लेख किया था। इस प्रकार एक नीति तैयार की गई थी। लेकिन अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में, हमारी इस प्रकार की कोई नीति नहीं है और हमारे समक्ष किसी प्रकार की नीति नहीं हैं। हम यह देखते है कि इसमें इसने अमीरों की ओर अत्यधिक ध्यान दिया गया सारा दृष्टिकोण संभ्रान्त वर्गोन्मुख है। इसलिए, यह देखने के लिए कि आम आदमी, गरीब आदमी, बटाईदार बन्धुआ मजदूर, पिछड़े वर्ग, हरिजनों,, गिरिजनों और अल्पसंख्यकों को आयोजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है हमें निश्चित रूप से इसे और अधिकउसोद्देश्य और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए और लोगों के लिए योजना बनानी चाहिए जो समझते हैं कि नके लिए क्या किया जा रहा है।

संक्षेप में, हमें एक नीति के अनुरूप योजना बनानी चाहिए।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : पहली योजना से बाद की प्रत्यक योजना में हमने जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है कि हमारा लक्ष्य समतावादी समाज की स्थापना करना है जहां विशेषाधिकार और अभाव एक साथ नहीं होंगे और विभिन्न विषमताओं के स्थान पर आर्थिक अवसरों की स्वतन्त्रता उपलब्ध होगी। पहली योजना में यह निर्धारित किया गया था और अभी तक हमारा यह लक्ष्य बना हुआ है। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के बावजूद, समतावादी समाज का लक्ष्य प्राप्त करना काफी दूर है। सातवीं योजना के बारे में हम कह सकते हैं कि हम इस अभियान में सातवें मील के पत्थर पर हैं। प्रधान मन्त्री ने सही कहा है कि छठी योजना की सफलता के कारण सातवीं योजना में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है। यह सच है कि इस दिशा में हमने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। उदाहरण के तौर पर, हमने विकास की दर 5.2 प्रति-

लत प्राप्त की है, कृषि क्षेत्र का कार्य-निष्पादन प्रभावी रहा है, वाणिज्यिक क्षेत्र में विकास की वार्षिक दर 12 प्रतिशत रही जिसके लिए तेल के उत्पादन में 250 प्रतिशत की वृद्धि और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्माण में व्यापक क्षमता और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 11 प्रतिशत की गिरावट, तथा 75 प्रतिशत समस्याग्रस्त गांवों को निरापद जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था, 5.4 लाख गरीब ग्रामीण जनता के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था, 91 लाख शहरी गन्दी बस्तियों की स्थिति में सुधार, प्राथमिक स्कूल में अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश देने की व्यवस्था, अधिक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों के माध्यम से समाज के निचले स्तर के लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार किया है। सातवीं योजना के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि गरीब परिवारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य पूरा किया गया है।

यदि हम सावधानीपूर्वक इसका विश्लेषण करें, तो हमें पता चलेगा कि हम अनेक क्षेत्रों में विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में व्यवहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट और कपड़ा जैसे मूल उद्योगों में हमारा कार्य निष्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम रहा है। इसलिए, इन सबके साथ हमने योजनाबद्ध विकास के 35 वर्ष पूरे किए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमने समतावादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा है। सातवीं योजना के दस्तावेजों में इस लक्ष्य को दोहराया गया है। परन्तु इसका क्या कारण है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कमी कहां रही है ? हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

4.00 म० प०

हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत कम प्रतिशत लोग आराम और विलासिता का जीवन बिता रहे हैं जबकि दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग अभी भी अभाव से पीड़ित हैं तथा कम से कम 15 प्रतिशत लोग दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं हमें इसके कारणों का विश्लेषण करना पड़ेगा क्योंकि इसने दो प्रकार के समाज का निर्माण कर दिया है। एक तरफ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का वर्ग है और दूसरी तरफ अभावग्रस्त तथा निराश्रितों का एक वर्ग है। हमें इसी बात पर ध्यान देना है और यह देखना है कि हमें क्या करना चाहिए।

सातवीं योजना के दस्तावेज में, जैसा कि पहले भी दावा किया गया है,—इस बात का उल्लेख है कि इससे समाज में पूर्ण रोजगार उपलब्ध होगें और विषमताए कम होंगीं। पहली योजना में भी इस तरह की बातें बताई गई थीं और तब से इसे दोहराया जा रहा है, परन्तु ये विषमताए कम नहीं हो पाई है। अब हमें क्या करना चाहिए ? क्या हमें अब राष्ट्रीय आय नीति और अधिकतम आय और न्यूनतम आय की सीमा निर्धारत के बारे में नहीं सोचना चाहिए ?

बहुत समय पहले इस बात पर चर्चा हुई थी और यह सोचा गया था कि उच्चतम आय पर कुछ ऐसी सीमा रखी जानी चाहिए जिसमें लचीलापन हो। मैं नहीं कहता कि वह कठोर हो। कांग्रेस ने अपने करांची अधिवेशन में कहा था कि मन्त्रियों को प्रतिमाह 550 रुपए मिलने चाहिए। इसमें संशोधन, वस्तुत: कुछ विशेष स्थितियों और मूल्यों में हुई वृद्धि पर विचार करते हुए किया गया है। इसी तरह अन्य श्रेणियों में भी कोई उच्चतम सीमा रखी जानी चाहिए जिस पर समय-समय संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है। यह कोई बात नहीं है कि लोगों को उच्चतम सीमा पार करने दिया जाए और वे कर-मुक्त रहें। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कार्याधिकारियों और चेयरमेनों का वेतन निर्धारित किया गया था। मुझे अभी बताया गया है कि वे असन्तोष प्रकट कर रहे हैं और सरकार उस पर पुन: विचार करने की सोच रही है। मैं कहूंगा कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि यह समाजवादी समाज की स्थापना करने सम्बन्धी हमारी घोषित नीति के अनुरूप नहीं है। पंडित जी ने अपने पूरे जीवन काल में समाज की स्थापना करने की पैरवी की और सोचा कि हम योजना बद्ध विकास के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो हमें उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसने हमारी अर्थव्यवस्था के सही विकास के रास्ते में अनेक बाधाएं आ रही है। समय अभाव के कारण मैं इन मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहता हूं, परन्तु मैं अपनी बात को सातवीं योजना के कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा। इसमें बताया गया है कि इससे 4,00,000 लाख जनघंटे उपलब्ध किए जाएंगे जिसका तात्पर्य यह है कि इससे 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।

यह बताया गया है कि मौजूदा मजदूर बल में लगभग 39 लाख लोग शामिल किए जाएंगे। इसमें बताया गया है कि वर्ष 1994-95 तक सभी को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। परन्तु इसी योजना में बेरोजगार की पिछली बकाया के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हमारे चालू रजिस्टरों के अनुसार 240 लाख लोगों के लिए रोजगार की कमी है और मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि 450 लाख लोगों के लिए रोजगार की आवश्यकता है। बेरोजगारी की इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा, यह बात मेरी समझ से परे है। मैं सातवीं योजना में गरीबी रोकने के कार्यक्रमों और उपायों पर दिए गए बल का स्वागत करता हूं। गरीबी रोकने के उपायों के सम्बन्ध में हमारा अनुभव सन्तोषजनक नहीं रहा है। हमने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और सीमांत किसान कार्यक्रम और सूखा प्रवण विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वियन को देखा है। इन पर भारी धनराशि बरबाद हो जाती है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि यदि इन कमियों को रोका नहीं जाता, जब तक हम प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित नहीं करते तब तक हम इन उपायों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे और हम गरीबी समस्या को सुलझा नहीं पाएंगे। यह विशेषज्ञों का विचार है।

इस सभा में एक दिन प्रधान मंत्री ने इसे स्वीकार किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा का दौरा किया है। उन्होंने देखा कि गांवों में रहने वाले आदिवासियों और

हरिजनों की स्थिति बहुत खराब है। ये कार्यक्रम उन लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाए हैं। गरीबलोगों के लिए बनाए गए ये कार्यक्रम उन समूहों तक नहीं पहुंच पाये हैं जिनके लिए वे बनाए गए हैं। इसके विपरीत संपन्न वर्ग ने अपने हित में इस व्यवस्था में फेर-बदल किया है और गरीब लोग इस के लाभ से वंचित रहे हैं। योजना के कार्यान्वियन से सम्बन्धित पहलू पर अधिक जोर और ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यही समस्या का मूल प्रश्न है। यदि हम इन योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे तो हमें अपना लक्ष्य पूरा करने में सफलता नहीं मिलेगी।

कृषि के सम्बन्ध में बताया गया है कि कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हमारी उपलब्धि 1520 लाख टन रही है। इस सदी के अन्त तक हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो जाएगी और हमें खाद्यान्नों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कम से कम 22.0 लाख अथवा 2400 लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी ? इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा ? खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि के अन्तर्गत 1800 लाख हैक्टेयर भूमि में से 1400 लाख हक्टेयर भूमि में भूमि कटाव, खारेपन और मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आने का डर रहता है। आप बहुत समय से भूमि संरक्षण के उपाय कर रहे हैं। परन्तु उनका प्रभाव क्या रहा है ? आप खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ायेंगे ? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देश की जनसंख्या के लिए हमें कम से कम 2200 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। अतः आप इस पर ध्यान दें और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। योजना मंत्री से मेरा यह अनुरोध है। भूमि सुधार पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। यह खेद की बात है कि इस अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन इसलिए माना जाएगा कि हम आगे आने वाले पांच साल के लिए इस देश की अर्थ-व्यवस्था को किस ढंग से संभालने जा रहे हैं, उस पर आज सदन चर्चा कर रहा है। भारत के संविधान के बाद मैं समझता हूं कि हम सांसदों के लिए और देश के लिए अगर सब से अच्छी पुस्तिका कोई है, सैक्टम सैक्टोरम कोई है तो वह है योजना की पुस्तिका और आवश्यकता इस बात की है कि योजना पुस्तिका में जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं वह देश के हर कोने में जाएं और हर वर्ग इस बात को समझे कि योजना क्या है ?

मुझे दुख इस बात का है, कभी-कभी मैंने ऐसा अनुभव किया है कि सरकारी नौकर जो क्लास वन के आफिसर्स हैं और यूनिवर्सिटी के बहुत से सीनियर लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर जो हैं उन से पूछा जाता है कि योजना और गैर-योजना में क्या भेद है तो वे इस को नहीं बता पाते हैं। योजना, फार्मेशन, परस्पेक्टिव प्लानिंग इन तमाम चीजों को किस प्रकार से जन-मानस का विषय बनाया जाय यह सब से बड़ी स्ट्रेटेजी होगी इस सदन के लिए, देश के लिए

ओर सरकार के लिए। हमारे मित्र राजू साहब कह रहे थे कि योजना में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट क्या होगी, यह नहीं है। मैं उन को बता दूं कि इस योजना के बनाने में योजना मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों से ले कर अनेक संस्थाओं के टाप एक्सपर्ट्स को बैठा-बैठा कर वार्किंग ग्रुप बनाया है। मैं चूंकि योजना मंत्रालय की सलाहकार समिति से सम्बद्ध हूं, इसलिए मुझे यह जानकारी है। उन सब लोगों को बैठाकर 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए को किस तरह से बांटा जाय, किस साधन में लगाया जाय, इसके ऊपर विचार करके तब यह योजना उन्होंने बनायी है जिसके लिए हम प्लानिंग कमीशन को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं, मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और रिसर्च आफिसर से लेकर डेपुटी चेयरमैन तक जो भी इसके अधिकारी हैं उन को सब को हम इस के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

प्रधान मन्त्री जी ने योजना के सम्बन्ध में जिन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है वह इस बात का साक्षी है कि देश के नेतृत्व के सामने हमारी योजना कैसी हो, किस तरह की बने इस के बारे में, उन का दिल और दिमाग बिलकुल साफ है।

4.13 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने प्राक्कथन में, फारवर्ड में लिखा है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। पिछले दशक में कृषि से संबंधित हमारी कार्य नीति को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, हमें सातवीं योजना में इसे और भी पुरजोर तरीके से जारी रखना होगा। योजना में कृषि विकास के लिए एक व्यापक छवि है जिस का उद्देश्य कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष चार प्रतिशत की समृद्धि प्राप्त करना है। हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों सहित संस्थागत परिवर्तन लाने होंगे। संस्थागत परिवर्तन का अर्थ है इंस्टीट्यूशनल चेंज। अगर हमारी कोई खामी रह गई है, इंस्टीट्यूशनल खामा, तो उसको हम परिवर्तित करेंगे। हमारी कार्य नीति की एक प्रमुख विशेषता पूर्वी क्षेत्र में शुष्क भूमि के क्षेत्र में हरित क्रांति का विकास करना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके उड़ीसा, बिहार, बंगाल ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन के लिए एक स्थायी स्ट्रेटजी बनायी गई है, एग्री-कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। यह कार्य नीति नहीं है तो और क्या है ? यह कार्य नीति बहुत अच्छी बनी है और जमकर इस पर बातचीत की गई है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग यह है कि सातवीं योजना में एक दूसरा क्षेत्र जिस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है वह है मानव संसाधन विकास का क्षेत्र यानि ह्यूमन रिसोर्स। टैक्नीकल और नॉन टैक्नीकल, फिजिकल एंड अदर्स, जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको डवेलपमेंट में कैसे डिप्लॉय करें, मिनिमम से लगाकर मैक्सिमम आउटपुट कैसे करें—यह कार्य नीति हमारी है।

अब रह गई बात प्लान-सैक्टोरियल एलोकेशन की, एक लाख 80 हजार करोड़

रुपया हमें बांटना है। कृषि में बांटे, बिजली में बांटे, सिंचाई में बांटे, लेकिन मैं समझता हूं कि वर्किंग ग्रुप ने और एक्सपर्ट कमेटी ने जो संसाधनों का बंटवारा किया है, विभिन्न विकास मदों में। निश्चित रूप से वह बंटवारा वैज्ञानिक ढंग का है। उसके मजबूत आधार के लिए हम आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इस योजना की एक सफलता जो होने वाली है, वह यह है इस बार जो योजना बनी है, वह पन्द्रह-साला परसपैक्टिव में पांच साल में हम क्या करने जा रहे हैं, टोटल परसपैक्टिव हमारा पन्द्रह साल का है, उसमें पांच साल के कार्यक्रम निर्धारित किए हैं—यह भी इस योजना की एक बड़ी भारी उपलब्धि है। सबसे अधिक बल हमने बिजली पर दिया है, यह माननीय सदन इस बात का साक्षी है कि अगर हमने बिजली का उत्पादन नहीं किया तो न केवल कृषि बल्कि अन्य उद्योगों को भी चोट लगेगी। अतः कृषि का उत्पादन हो या औद्योगिक विकास हो, बिना बिजली के कुछ नहीं हो सकता है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने कलपक्कम में जिस परमाणु बिजली घर का उद्घाटन किया, वह भी इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक अंग है। कलपक्कम बिजली घर अगर कोई छोटी-मोटी चीज होती, हम विदेश से कोई बनी-बनाई मशीन लाकर लगा देते, तो दूसरी बात होती, लेकिन यह एक बहुत बड़ी चीज है। कलपक्कम, का यह बिजली घर जो बना है, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने स्वयं डिजाइन किया है और खुद इस बारे में सोचा है। इसका फ्यूल भी इन्होंने तैयार किया। इसके बाद इसको आपरेट किया। आगे आने वाले बीस सालों में दस हजार मेगावाट बिजली परमाणु शक्ति से हम पैदा करना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं समझता हूं प्रत्येक भारतीय को इस बात पर फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए कि यह जो हमारी योजना है वह आगे भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी।

दो तीन मिनट और लूंगा। प्लान के प्रोसेस के सम्बन्ध में भी बतला दूं। इस योजना में जो हमारा स्टेस है वह डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्टक्चर पर है। खास कर पूर्वांचल के लिए मैं चाहूंगा, वह फलड का इलाका है, और बहुत से ड्राउट के इलाके भी हैं, रेवाइन का इलाका है, पथरीले और पहाड़ी इलाके हैं, जिसको पहाड़ के पत्थर से चोट लगे और जिसको बाढ़ के पानी से चोट लगे उस इलाके में भी इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। खासकर रोडस और ब्रिजेज की वहां बड़ी आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति के लिए यदि सोशल और सब्सीडियरी एक्टिविटीज में कुछ कटौती भी करनी पड़े तो भी सदन को एकमत होकर इन क्षेत्रों के लिए किसी न किसी तरह से इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का प्रबन्ध करना चाहिए। नार्थ बिहार में रोडस और पावर—इन दो चीजों की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब एनुअल प्लान का फार्मुलेशन हो उसकी मानिटरिंग करने के समय में उत्तर बिहार में जो दलदली इलाका है, जो वाटरलागिंग का इलाका है, जहां पर बहुत सी छोटी नदियां हिमालय से निकल कर आती हैं उनमें जगह-जगह बहुत सारे पुल और पुलिया बनाने की आवश्यकता होगी।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह जो नदियां हैं वह सबसे ज्यादा उत्तर भारत

के एशिया में जगहों को डिवाइड करती है जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप सड़क न भी बनाएं परन्तु ब्रिजेज को आप सेन्ट्रल सेक्टर में ले लें तथा गंगा, गण्डक, गोमती सभी नदियों पर बड़े-बड़े जो ब्रिज बनेंगे उनको आप स्टेट सेक्टर में न छोड़ें नहीं तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पायेगा। आदमी को नदी के इस पार या उस पार तो जाना ही पड़ता है, यदि पुल नहीं होगा, तो न बैलगाड़ी चलेगी और न मोटर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज सदन में पेश किया और उस पर हमें अपने विचार रखने का मौका मिला। सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारे भविष्य की धरोहर है जिसमें ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है।

[अनुवाद]

श्री सोमानाथ रथ (आस्का): छठी पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुभव के बाद, अब सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई है और कृषि के द्रुत विकास और सफल औद्योगीकरण पर जोर दिया गया है।

इस योजना में संसाधन जुटाने, आधारभूत ढांचे के विकास और जनसंख्या पर विचार किया गया है। इन तीनों पहलुओं पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि इससे गरीब राज्यों की तुलना में सम्पन्न राज्य अधिक लाभान्वित होंगे। उदाहरण के लिए उड़ीसा को लीजिए। योजना में इस बात का उल्लेख है कि उड़ीसा सरकार राज्य को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने संसाधनों से 1600 करोड़ रुपये जुटाने होंगे।

उड़ीसा में समृद्धि के साथ-साथ गरीबी भी है। पिछड़े वर्गों के लोगों को वहां छोड़कर आदवासी और हरिजन लोगों की संख्या जनसंख्या का 38 प्रतिशत है। मुझे सन्देह है कि उड़ीसा सरकार बिजली और सिंचाई के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों से 1600 करोड़ रुपये जुटा पायेगी। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि वार्षिक योजना पर जब विचार किया जा रहा हो तो उस समय उड़ीसा, बिहार और अन्य राज्यों के इन पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए और इन राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है कि क्षेत्रीय असंतुलन न हो और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आये। इसलिए जब तक गरीब राज्यों की ओर अधिक ध्यान और उन्हें अधिक धन नहीं दिया जाता तब तक, मैं समझता हूं कि वे अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हो पायेंगे। योजना में एक बात पर बल किया गया है और वह है योजना और स्कीमों का कार्यान्वयन। योजना में यह बताया गया है कि पूर्वी क्षेत्रों में अधिक चावल पैदा करने तथा शुष्क भूमि पर खेती करने और हरित क्रांति को महत्व दिया गया है। वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने अधिक चावल उगाने के लिए पूर्वी क्षेत्रों में कई ब्लाकों को पांच वर्षों के लिए लगभग 10 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए हैं और स्कीम के अनुसार, कृषकों को अधिक

चावल उगाने के लिए विज्ञान और प्रोद्योगिकी की शिक्षा देने के अलावा उनको रियायती दर पर बीज, उर्वरक, ऋण दिए जाएंगे। लेकिन यह देखा गया है इन रियायतों का उपयोग कृषकों के लाभ के लिए नहीं किया जाता है,। यह देखा गया है कि इन राज सिहायताओं का अधिकांश भाग बिचौलियों द्वारा भी ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में, अधिक चावल उत्पादक ब्लाकों में किसानों को उर्वरकों की खरीद के लिए लगभग 25 प्रतिशत तक राज सहायता दी जाती है और शीर्ष विवरन समिति अथवा संघ को अलग में आसान दरों पर ऋण भी दिया जाता है जिससे कि वे समय पर उर्वरक खरीद सकें, उनका भण्डारण कर सकें, और उन्हें खेती के समय किसानों को दे सकें। लेकिन अब यह देखा गया है कि पौधे लगाते समय जिस उर्वरक की आवश्यकता होती है उसे फसल काटने के समय दिया जाता है तथा किसानों को उर्वरकों के छोटे पैकेट दिए जाते हैं। ऐसा दिसम्बर के अन्त तक किया गया था लेकिन 1985-86 में, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि किसानों को उर्वरक के 50 किलोग्राम के पैकिट बेचे जा रहे हैं, वह इसलिए कि यदि कोई एक किसान पूरा पैकेट नहीं खरीद सकता तो पांच अथवा छः किसानों को एक पैकेट खरीदने के लिए कहा जाता है, और जहां तक उसके वजन का सम्बन्ध है, वह वजन 50 किलोग्राम नहीं होता है बल्कि एक अथवा दो किलोग्राम कम होता है। सहकारी समितियां इन बातों का लाभ उठाना चाहती हैं क्योंकि उनको घाटा हो रहा है और वे किसानों का दी जाने वाली राजसहायता वे अपना घाटा पूरा करना चाहती है। मेरा सुझाव है कि इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए और अगले वर्ष के लिए धन-राशि स्वीकृत करते समय एक समिति बनाई जानी चाहिए जो इस बात की जांच करे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राजसहायता अथवा धन का विभिन्न राज्यों द्वारा उचित उपयोग किया गया है अथवा नहीं। कार्यान्वयन का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इसी प्रकार, छिडकाव करने वाले उपकरणों के लिए, लगभग 50 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है। लेकिन किया क्या जा रहा है कि उड़ीसा में कृषि पर आधारित उद्योग की अपनी फैक्टरी नहीं हैं, वे अन्य लोगों में छिडकाव करने वाले उपकरण खरीदते हैं और वे उस पर लगभग 5 से 10 प्रतिशत का लाभ लेकर उन्हें किसानों को सप्लाई करते हैं। इस तरह, वे किसानों के मिलने वाले लाभों को बलात हड़प रहे हैं। यद्यपि माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक राज्य में कृषि-उद्योग की अपनी फैक्टरी होनी चाहिए और उन्हें वे छिड़काव करने वाले उपकरण आदि सप्लाई करने चाहिए, जिसमें कि किसान, जिनके लाभ के लिए राज-सहायता दी जाती है उससे वंचित न रह जाएं, किंतु फिर भी ऐसा हो रहा है। उड़ीसा में क्या हो रहा है वे कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि कृषि-उद्योग प्रति वर्ष भारी घाटा उठा रहा है इसलिए वे अपने घाटे को पूरा करना चाहते हैं और वे इस को इस राज-सहायता से पूरा करना चाहते हैं।

छोटे किसान और सीमान्त किसान को कुदाले, फावड़े आदि जैसे कृषि उपकरण की आवश्यकता होती है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें ये चीजें सप्लाई की जानी चाहिए। उनको

समय पर बीजों की, घटिया किस्म के बीजों की नहीं बल्कि अच्छी किस्म के बीजों की सप्लाई की जानी चाहिए। समस्या कार्यान्वयन स्तर पर आती है और इसकी जांच की जानी चाहिए।

ऐसा कहा जाता है कि योजना का उद्देश्य भय और शोषण को दूर करना है। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान बंधुआ मजदूरी की ओर दिलाना चाहूंगा जिसे इस सदन में उठाया गया है। मेरे पास यहां दिखाने के लिए दस्तावेज है कि दिल्ली में कंटीनैंनटल कंसट्रक्शन लिमिटेड में बड़ा घोटाला चल रहा है। कुछ वर्षों से शायद 1981 में, वे क्या कर रहे हैं कि अपने अवैध उप ठेकेदारों के माध्यम से और अधिकतर उड़ीसा में मजदूरों की भर्ती कर रहे हैं। मजदूरों को विदेशों में जाने के लिए अपने परिवार और घर को छोड़ना पड़ता है। उन्हें वैध रूप से लगभग 2000 रुपए देने होते हैं लेकिन उनसे 10,000 से 15,000 रुपए के बीच लिए जा रहे हैं। उन्हें विदेश भेजे जाने से पहले दो या तीन वर्ष भारत में कार्य कराया जाता है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नर जिले में काफून गांव में संजय विद्युत परियोजना की भाभा यूनिट में इस समय सैकड़ों मजदूर दुखी हैं और सहायता की पुकार कर रहे हैं। इस कंटीनैंनटल कंसट्रक्शन कम्पनी ने उनको इस समझौते पर रखा है कि वे उन्हें गोलाइयों (बाउलउर्स) के 30 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से देगा। ने उनका आधा पैसा देते हैं। में यह भी कहा गया है कि इन मजदूरों को आने जाने का किराया और भाड़ा दिया जाएगा। वह भी नहीं दिया गया था।

मैं माननीय मन्त्री को सुझाव दूंगा कि वे यह देखें कि इन मजदूरों को ऐसे स्थान से बचाया जाए।

कंटीनैंनटल कंसट्रक्शन कम्पनी के घोटाले से संबंधित दस्तावेज श्रम मंत्रालय को दिए गए हैं। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी चाहिए। उन्होंने न केवल भारतीय दंड संहिता बल्कि अप्रवासी अधिनियम के अंतर्गत भी अपराध किये हैं और अपने उप ठेकेदारों की सहायता से करों की चोरी की है। उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए मजदूरों की समस्या को केवल तभी प्रभावकारी ढंग से सुलझाया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): हम अपने देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर चर्चा कर रहे है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस मामले में संसद की अनदेखी की गयी है। संसद को विश्वास में नहीं लिया गया था और इसके प्रारूप पर इस सदन में चर्चा नहीं करने दी गई है। इसकी बहुत ही दुखद बात यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में केवल कुछ दिन पहले ही मुख्य मंत्रियों को उसका प्रारूप दिया गया था। इसके पीछे क्या राज है? सभी को यह बताया जा रहा है कि आर्थिक विकास संबंधी प्रक्रिया में लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। हमें अपनी अर्थव्यवस्था के

योजनागत विकास को बनाए रखने के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करने और जनमत तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए।

ऐसा करने की बजाए उस समय क्या हो रहा था ? योजना के अन्तिम पत्रों में अब यह स्पष्ट है। उस समय केन्द्रीय सरकार और इसकी योजना बनाने वाले योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सरकारी क्षेत्र की अवधारणा को गैरसरकारी क्षेत्र को सौंपने का षडयंत्र रच रहे थे।

पहली बार सातवीं योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक पूंजी निवेश रखा गया है। यह कुल परिव्यय का 52.5 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र का परिव्यय 47.5 प्रतिशत है। यदि हम पहली तीन योजनाओं को देखें तो सरकारी क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश में लगातार बढोतरी होती रही है। पहली योजना में यह 46.4 प्रतिशत था, दूसरी योजना में यह 54.6 प्रतिशत था तीसरी योजना में यह 63.7 प्रतिशत था। इसके बाद यह कटना शुरू हुआ। यह चौथी योजना से स्पष्ट है, उसमें यह 60.3 प्रतिशत था, पांचवीं योजना में यह 57.6 प्रतिशत था और छठी योजना में 52.9 प्रतिशत था। अब यह घटने का क्रम पूरा हो गया है क्योंकि अब गैरसरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र की तुलना में ऊपर रखा गया है।

उद्योग के क्षेत्र में, स्थिति और भी अधिक चिन्ताजनक है। छठी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए नियतन वास्तव में 15,210 करोड़ रुपए था और सातवीं योजना में यह 19,708 करोड़ रुपए होगा इस तरह इसमें बहुत ही मामूली वृद्धि की गई। है गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में छठी योजना में यह 15,782 करोड़ रुपए था। सातवीं योजना में यह 54,000 करोड़ रुपए होगा, इस तरह इसमे तीन गुणा वृद्धि की गई है।

अब हम समझ सकते हैं कि इस सरकार ने सरकारी क्षेत्र की अवधारणा और हमारी अर्थव्यवस्था के योजनागत विकास को तिलांजली दे दी। सातवीं योजना दस्तावेज में छठी योजना में वास्तविक पूंजी निवेश के बारे में बताया गया है। सही मायनों में सरकारी क्षेत्र में निवेश कम था यद्यपि धन के मामले में यह कम नहीं था, किंतु वास्तविक रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र में इसमें वृद्धि हुई है। ऐसा ही छठी योजना में हुआ और यह बात गैर-सरकारी किस्म की अर्थव्यवस्था के प्रति निश्चत दिशा लेने के लिए बनाई गई है। अन्य घोषित नीति के द्वारा भी गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति झुकाव बहुत हद तक स्पष्ट देखा जा सकता है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की सीमाओं में छूट, आयात के लिए नीति को उदार बनाना, उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली समाप्त करना जैसी बातों से पता लगता है कि सरकार ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की अवधारणा को छोड़ने का नीति संबंधी निर्णय लिया है। श्री प्रेम शंकर झा० ने दिनांक 28-10-1985के 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक लेख में लिखा था और मैं उन शब्दों को पढ़ता हूं:

> "चालू वर्ष की पहली तिमाही में आयात में अनिश्चित वृद्धि गत वर्ष की उसी अवधि में लगभग 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।"

ऐसा आयात नीति को उदार बनाए जाने के बाद हो रहा है। क्या इसमें हमारे देश के औद्योगिक विकास में कोई फायदा हुआ है ? उसने आगे कहा है :

"लेकिन पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर 1984-85 की उसी अवधि की तुलना में प्रत्यक्ष रूप से कम थी"

हम आयात के बारे में काफी कुछ कह रहे हैं। पूंजीगत माल क्षेत्र में आयात किया जा रहा है। क्या हो रहा है कि हम कुछ विशेष चीजें इकट्ठी करते हैं। भारत में बनी चीजों की बजाए हम विदेश में बनी चीजें ले रहे हैं। क्या इस तरह के आयात से हमारे देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा ? निर्यात रुक गया है ? हम आयात नीति उदार बनाने की इस धारणा का विरोध करते हैं। उसी लेख में यह कहा गया है :

"अकटाड के लिए सरदार पटेल इंस्टीच्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में सातवें और आठवें दशक में घरेलू पूंजी उत्पाद उद्योग के विस्तार का क्षेत्र उस समय आयात पर लगे परिणामात्मक नियंत्रण, को है, जो अब समाप्त कर दिया गया है।"

महोदय, इस बारे में खुश कौन है ? ये हमारे देश के लोग नहीं हैं। अमरीका के वाणिज्य मन्त्री, श्री बालरिज ने 31 मई, 1985 को 'इंडिया टूडे' के साथ एक भेंटवार्ता में कहा कि :

"हाल ही में किए एक आर्थिक सुधार, विशेषकर आयात को उदार बनाना, पूंजी उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट, नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए प्रोत्साहन तथा 25 उद्योगों के लिए लाइसेंस आवश्यकताएं समाप्त करना, ऐसे प्रमुख कदम हैं जिनसे निजी क्षेत्र के प्रयासों को सहायता मिलेगी और निजी क्षेत्र की क्षमताएं बंधन मुक्त होंगी।"

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था के नियोजित विकास के लिए यह एक अशुभ प्रवृत्ति है। है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति छठी योजना अवधि की स्थिति से भी अधिक खराब हो जाएगी। छठी योजना अपने सामाजिक उद्देश्यों जैसे गरीबी, बेरोजगारी हटाने, बेघरों को मकान देने आदि में असफल रही है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसंगज) : कृषि क्षेत्र में भी।

श्री संकुदीन चौधरी : यह खाद्यान्न के क्षेत्र में भी असफल रही है। खाद्यान्न के क्षेत्र में लक्ष्य 15 करोड़ 36 लाख मीट्रिक टन का था जबकि उत्पादन 14 करोड़ 80 लाख—15 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन का हुआ। कपास का उत्पादन कम हुआ। पटसन मेस्टा का उत्पादन कम हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में असफलता स्पष्ट लक्षित हो रही है और फिर भी आप भारी सफलता का दावा करते हैं। यहां तक कि कृषि क्षेत्र के लिए आपका दावा भी देश भर में वितरित किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाता। भारी असंतुलन बना हुआ है। उद्योग के मामले में छठी योजना का कार्य निष्पादन इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और वस्त्र उद्योग जैसे मूलभूत उद्योगों

में लक्ष्य से कम रहा। "औद्योगिक उत्पादन की समग्र विकास दर भी लक्ष्य से कम रही और वर्ष दर वर्ष अस्थिर रही।" प्रत्याशित उत्पादन ८.7 प्रतिशत जबकि लक्ष्य 6.9 प्रतिशत का है। अब फिर भी आप यह दावा करते हैं कि आपने 5.2 प्रतिशत विकास दर प्राप्त की है। अब मैं कहता हूं कि ये आंकड़े नहीं हैं बल्कि आंकड़ों का 'इन्द्रजाल' है। आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो।

अब मैं औद्योगिक रुग्णता के बारे में बताता हूं। कई अन्य समस्याओं के अलावा यह घरेलू बाजार के विस्तार से जुड़ी हुई है। परन्तु योजना में इसके विस्तार की कोई योजना नहीं है। औद्योगिक रुग्णता की मुख्य समस्या प्रबन्धकीय क्षमता, लागत प्रभावकारिता आदि के प्रश्न के अतिरिक्त इसका घरेलू बाजार के विस्तार से जुड़ा होना है।

एक माननीय सदस्य : श्रमिक समस्या।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उनके अपने कहे अनुसार यह 2 प्रतिशत है। परन्तु मुख्य मुद्दा घरेलू बाजार का विस्तार है। योजना प्रपत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास की मुख्य बात क्या होगी जो हमें 21वीं शताब्दी हमें ले जाएगी। अब घरेलू बाजार के विस्तार की स्पष्ट रूप रेखा की बजाय प्रपत्र के खण्ड-दो में पृष्ठ 171 पर कहा गया है कि "घरेलू से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में परिवर्तन।" इसमें पुनः कहा गया है : "सातवीं योजना निर्यात उत्पादन घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन का एक अभिन्न अंग होगा।" अब हमें निर्यात के लिए देशों के पीछे दौड़ना पड़ता है। 70 करोड़ भारतीय लोगों के बाजार का क्या होगा ? बाजार का विस्तार सिकुड़ रहा है।

अब मैं गरीबी के प्रश्न पर आता हूं। गरीबी के बारे में आपका दावा है कि यह 48.3 प्रतिशत से कम होकर 3 ,.4 प्रतिशत हो गई है। यह भ्रामक है। यह बात वास्तविकता से मेल नहीं खाती। घरेलू आवश्यकताओं (हाऊस होल्ड) के लिए गरीबी की रेखा औसत व्यक्ति 3500 प्रति वर्ष से बढ़कर 6400 प्रति वर्ष हो गई है। ऐसा आपका कहना है। तो फिर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अब रोजगार के बारे में आपका दावा है कि आप 4 करोड़ लोगों के लिए रोजगार क्षमता पैदा करेंगे और उस समय श्रमिकों की संख्या में 3 करोड़ 90 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हो जाएगी। रोजगार पैदा सम्बन्धी इन आंकड़ों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। आप योजना अवधि के दौरान रोजगार के अवसर किस प्रकार पैदा कर सकते हैं ? यह बहुत संदिग्ध है। अभी भी इसमें काफी बकाया रहेगा।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब इस प्रकार की नीति का परिणाम उत्पादकता, आधुनिकीकरण आदि के नाम पर प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में एक अविवेकपूर्ण कार्य होगा जिससे रोजगार की संभावनाओं को भारी धक्का पहुंचेगा।

अब जहां तक आधुनिकीकरण का प्रश्न है, हम इसका विरोध नहीं करते। कुछ क्षेत्रों में उदाहरण के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए यह बहुत आवश्यक है। परन्तु मैं सरकार से यह बात दृढता से कहना चाहूंगा कि उसने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में क्यों नहीं लिया है। महोदय, कीमतों के मामले में असफलता स्पष्ट दिखाई दे रही है तथा योजना दस्तावेज में आपने यह स्वीकार किया है कि 1970-71 को आधार वर्ष मानकर मूल्यों में 9.3 प्रतिशत की वार्षिक से अधिक वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय : श्री चौधरी कृपया अपना भाषण समाप्त करिए। आपने 15 मिनट से अधिक का समय ले लिया है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मुझे कुछ और बातें भी कहनी हैं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस विषय पर चर्चा के लिए समय बढाया जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम गरीबी हटाने के लिए अच्छे कार्यक्रम हैं। परन्तु कार्यान्वयन का क्या हुआ ? इस बारे में कांग्रेस (इ) के माननीय सदस्यों ने भी टिप्पणी की है। यहां तक कि सरकार ने स्वयं भी यह स्वीकार किया है। स्वयं योजना दस्तावेज में यह कहा गया है कि इस बात की जानकारी नहीं है कि इसमें से कितना भाग भूमिहीन और गरीब लोगों के लिए है। ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केवल 1.7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया गया, जबकि 3.09 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध था ···(व्यवधान) आवश्यकता को देखते हुए यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत अच्छी योजनाएं हो सकती हैं परन्तु इसके लिए किस प्रकार की नीति अपनाई गई है। भूमि सुधारों की कोई चर्चा नहीं है। हमें भूमि अधिग्रहीत करनी है और उसे वितरित करना है। यहां तक कि भूमि हदबंदी कानून के अन्तर्गत अधिग्रहीत फालतू भूमि भी वितरित नहीं की गई हैं। इन्हें इस बात के उपाय करने हैं कि गांवों के गरीब लोगों को किस प्रकार अधिक भूमि उपलब्ध की जा सकती है। पश्चिम बंगाल विधान मंडल द्वारा पारित किया गया दूसरा भूमि सुधार विधेयक इसके लिए एक नमूना होगा, परन्तु उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रत्यक्ष करों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। नियोजन और नियोजित विकास की बड़ी चर्चा है। यह सब छलावा और शब्दाडम्बर है। हमारा विचार है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। मानव संसाधनों के लिए भी आप बड़ी-बड़ी बात करते हैं ; परन्तु इसके लिए निर्धारित धनराशि पहली योजना में निर्धारित की गई धनराशि से भी काफी कम है। पहली योजना में

यह 7.2 प्रतिशत थी : अब यह 1.2 प्रतिशत है और पिछली योजना में यह 2.2 प्रतिशत थी। ऐसी स्थिति में बड़ी-बड़ी बात क्यों की जायें ?

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैंने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

डा० के० जी० अडियोडी (कालीकट) : सभापति महोदय, हम 7वीं योजना से संबंधित वित्तीय नीति पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा का क्या स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है और मुझे विश्वास है कि हमारे वायदे के अनुसार जैसाकि प्रधान मंत्री की घोषणा में कहा गया है हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

आर्थिक और सामाजिक विकास करने तथा अर्थव्यवस्था को योजना उद्देश्यों के अनुरूप ढालने के लिए मुद्रा संबंधी नीति एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए आर्थिक नीतियों वित्तीय, सामाजिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, प्रौद्योगिक और औद्योगिक के समन्वय की आवश्यकता है। इसके लिए पृथक-पृथक विभागीय प्रणाली को समाप्त करने तथा विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में प्रभावपूर्ण सहयोग और समन्वय की जरूरत है।

हमें यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिक अतिरिक्त उत्पादन करें और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतियोगिता करें।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का कार्य उत्पादों का मानकीकरण करना, स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पाद को अधिकतम बनाना होना चाहिए जिससे कि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके और योजना परिव्यय में योगदान हो सके।

इसके साथ-साथ वास्तविक स्वदेशीकरण की ओर प्रयास किए जाने चाहिये। सरकारी उपक्रमों को भी बजटीय साधनों पर निर्भर न रह कर, जनता से अंशदान प्राप्त करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, उत्पादन शुल्क राहत को उच्च उत्पादन के साथ जोड़ दिया जाए तथा उच्च उत्पादन तथा गैर-उत्पादक व्यय को भी न्यूनतम किया जाना चाहिये। जैसा कि मैं समझ पाया हूं, ओपन जनरल लाइसेंस से आयात की मात्रा में वृद्धि हो गई है और निर्यात रुक गया है। इससे हमारा व्यापार सन्तुलन बिगड़ रहा है और विदेशी मुद्रा प्राप्ति को भी खतरा पैदा हो गया है। इस प्रवृति से व्यापार सन्तुलन जरूर बिगड़ेगा। इसको वैज्ञानिक तरीके से सही करना पड़ेगा। गैर-आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

अब, सहकारी क्षेत्र की क्या स्थिति है ? हम शेयर को ऋण के साथ जोड़ने तथा गरीब किसानों से अत्यधिक ब्याज दर लेने की वही सहकारी व्यापार की पुरानी प्रणाली जारी रख रहे हैं। न्यूनतम ब्याज दर 15 प्रतिशत तथा अधिकतम ब्याज दर लगभग 18 प्रतिशत है। अन्य कोई बैंक इतनी अधिक ब्याज दर नहीं वसूल कर रहा है। यदि एक व्यक्ति को एक हजार रुपए का ऋण चाहिए तो शेयर पूंजी अंशदान तो उसे देना ही है, किन्तु यदि वह निर्दिष्ट अवधि में ऋण वापस नहीं कर पाता तो उससे अतिदेय ब्याज वसूल किया जाता है और उस किसान

विशेष द्वारा लिया गया समस्त ऋण दो से तीन वर्षों के भीतर उसकी सम्पत्ति के साथ समयोजित कर दिया जाता है तथा अन्ततः वह बेच देनी पड़ती है। कृषि के क्षेत्र में यह स्थिति है इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसलिए इस पर हमें एक बार और विचार कर लेना चाहिए और इस क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाने चाहिये।

इसी प्रकार से हम तैयार खाद्य उत्पादों से सम्बन्धित निर्यात से प्राप्त आय के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे समस्त कृषि उत्पादों को तैयार करने के लिए हमारे पास क्या तंत्र है ? जब तक सरकारी क्षेत्र का नवीकरण नहीं होगा, अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए हम स्थानीय कृषकों का सहयोग प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे और विदेशों को लाभप्रद मूल्य पर पदार्थ नहीं भेज पायेंगे। जब तक स्थानीय लोगों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया जाता और उन्हें पर्याप्त धनराशि नहीं दी जाती तब तक विपणन में मूल्य-लाभ प्रणाली नहीं आ सकती। स्थानीय लोगों को सिखाने के लिए, उन्हें पर्याप्त तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने के लिए हमें व्यवसायिक नजरिया अपनाना चाहिए। यद्यपि हम प्रायः व्यवसायिकता के बारे में बात तो करते हैं जैसे कार्यान्वयन कार्य में विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करना आदि परन्तु हम इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं सभी क्षेत्रों में काफी व्यवसायिकता हैऔर विशेष रूप से आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ बहुत हैं। परन्तु हम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनका सहयोग नहीं ले रहे हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग एक तरह से घाटे में चल रहे हैं। जब विकास के लिए ऋण दिया जाता है तो जब तक वह उत्पादन और निर्यात आदि के रूप में न दिखाई दे, केन्द्र और राज्यों से उन्हें मिलने वाली सभी प्रकार की सहायतायें बन्द कर दी जानी चाहिए। हमारे विकास गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, व्यवसायियों तथा विशेषज्ञों का सहयोग अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर यदि हम पर्वतीय क्षेत्र विकास को लें कि हम कितना अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम केवल मुद्रा की ही दृष्टि से लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं। परन्तु हमें वास्तविक रूप से केवल 25 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। यह इस तथ्य के कारण है कि इसमें आम लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त किया गया तथा सुनियोजित विकास में उनका सहयोग प्राप्त करने में हम शीघ्रता नहीं कर रहे। योजना बनाना ठीक है, परन्तु कार्यान्वयन के समय बहुत अधिक उलझनें होती हैं। जब तक उन्हें दूर नहीं किया जाता हम लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल नहीं होंगे। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल) : सभापति जी, हमारे देश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि स्वतन्त्रता के बाद की है वह यही है कि हमने लोकतन्त्र और नियोजन की प्रक्रिया का समन्वय किया है। डिमोक्रेसी और प्लानिंग प्रोसेस की सिन्थेसिस की है। उससे पहले यह समझा जाता

था कि नियोजन की प्रक्रिया केवल उन्हीं देशों में लागू की जा सकती है जहां एकाधिकारवाद की सरकार हो। इससे भी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्लानिंग कमेटी बनाई थी। कुछ बड़े आदमियों ने, विद्वान लोगों ने स्वतन्त्रता से पहले भी इस बात की कोशिश की कि भारतवर्ष के लिए प्लान बनायें। हमारे सामने गांधी वादी प्लान आया श्रीमान नारायण की अध्यक्षता में एम० एन० राय का पीपुल प्लान और तीन बड़े इण्डस्ट्रियलिस्टस का भी बाम्बे प्लान के नाम से एक डाकूमेन्ट आया था। भारतवर्ष में कोई भी नियोजन हमें करना पड़ेगा तो उसमें हमें देखना होगा कि लोकतन्त्र भी चलता रहे और यह नियोजना की प्रक्रिया भी चलती रहे। अगर हम लक्ष्य को समाने रखें तो किसी भी योजना का लक्ष्य मोटे तौर पर विषमता को मिटाना ही कहा जा सकता है। विषमता दो प्रकार की है — एक तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में आर्थिक विषमता है और दूसरी क्षेत्रों के बीच में क्षेत्रीय विषमता है। तो इन विषमताओं को मिटाना ही हमारा लक्ष्य होगा।

दूसरी तरफ हमारी कुछ सीमायें भी हैं। प्लानिंग तभी करनी पड़ती है जबकि साधनों की कमी हो। उन साधनों को लेकर आवश्यकता पर आधारित योजना बनानी होती है। हमारी जो रणनीति होनी चाहिए और जो है वह इस प्लान में यही है कि हम अपने कृषि उत्पादन को बढ़ायें क्योंकि हमारे पास जमीन की कमी है इसलिए प्रति हेक्टर उत्पादन हमें बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि हमारे पास पूंजी की कमी है इसलिए पूंजी की एक इकाई के ऊपर तम ज्यादा लोगों को एम्पलायमेन्ट दे सकें—ऐसी योजना बनानी होगी। हम ज्यादा उत्पादन कर सकें और ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें ऐसा करना पड़ेगा। और यही इसमें किया भी गया, है।

एक बात और कहना चाहता हूं। सिक्स्थ प्लान में एक बड़ा मजबूत आधार तैयार किया गया है। अगर हम देखें तो खेती के हिस्से में 3.8 प्रतिशत विकास दर आती थी, विकास दर यह होनी चाहिए थी, लेकिन यह बढ़कर 4.3 पर सेक्ट पर-एनम हो गई। लेकिन माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग जोकि उद्योग के क्षेत्र में आते हैं उसमें यह ग्रोथ 6.9 के बजाय 3.7 ही रही है। इसका मतलब यह हुआ कि छठी योजना के लक्ष्य की पूर्ति हमने खेती के द्वारा ज्यादा की है। यहां हमें यह देखना है कि जहां बाधायें हमारे बीच में आयें उनको दूर करना है। आंकड़ों में तो जाने का मेरे पास समय नहीं है और उनको डिस्कस करने का भी समय नहीं हैं लेकिन मैं कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा।

यहां पर यह एतराज किया गया कि पार्लमेन्ट को बाद में इन्वाल्व किया गया है। लेकिन जो प्लान यहां बनता है उससे पहले राज्य सरकारें अपने प्लान बनाती हैं। राज्य सरकारों के प्लान के बाद राष्ट्रीय प्लान बनाया जाता है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जोकि कुछ प्रदेशों में किया भी गया है। इनके अतिरिक्त एक तीसरा प्लान भी बनना चाहिए—जिला प्लान क्योंकि उसके बिना हम लोगों को इसमें इन्वाल्व नहीं कर सकते हैं और न ही हम क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर पायेंगे। जिला प्लान बनाने का काम महाराष्ट्र ने बड़ा अच्छा किया है, गुजरात ने बड़ा अच्छ किया है और 1981 में उत्तर प्रदेश ने भी यह किया था एक सीधा तरी का है।

जिन कार्यों को आप जिलों प्लान में लेते हैं उनको जिलों में ही बनाया जाना है । उनमें संसद-सदस्यों तथा विधायकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जिले में एक प्लानिंग कमेटी बनाई जा सकती है जिसका चेयरमैन संसद-सदस्य हो सकता है, जिला परिषद के अध्यक्ष और विधायक उसके सदस्य बन सकते हैं। यह समिति वहां पर प्लान बनाने का दायित्व निभा सकती है तथा प्लान का क्रियान्वयन और मूल्यांकन भी कर सकती है। आज जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो मालूम होता है कि इतने हजार हेक्टर भूमि में दाल और मूंगफली लगानी है तथा इतने किलोमीटर सड़कें बनानी हैं लेकिन उसके पहले हमें नहीं मालूम होता कि कहां कहां क्या क्या करना है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर संसद-सदस्य अपने क्षेत्र में जाकर ब्लाक प्रमुख के साथ यह देख सके कि मौके पर वह काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ।

इसके साथ-साथ जो ऐन्टी पावर्टी प्रोग्राम है वह एक बहुत अच्छ प्रोग्राम है लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा। हमारे देश का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि आजादी का आन्दोलन तो हमारे यहां तेज रहा लेकिन पुनर्जागरण का जैसा कार्यक्रम यूरोप में हुआ वैसा हमारे यहां नहीं रहा। हमने कोशिश तो की लेकिन वह बहुत कमजोर रही। एक आदमी को हम रुपया देते हैं और वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन अगर उसके घर में कोई बच्चा-पैदा होता हैं तो उसकी सारे साल की कमाई उसमें निकल जाती है और कहीं दुर्भाग्य से बेटी की शादी करनी पड़ गई तो सारी उम्र की कमाई उसमें निकल जाती है। इसलिए जब तक हम इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम शायद गरीबी को नहीं हटा पायेंगे।

मेरा पहला सुझाव तो यही है कि हमारे यहां प्लान बनाने की जो प्रक्रिया है उसका विकेन्द्रीयकरण किया जाए। जिला प्लान उसकी आबादी के आधार पर, उनके पिछड़ेपन के आधार पर तैयार होने चाहिए तभी सभी जिलों के साथ न्याय हो सकेगा।

मैं एक बात यहां पर फिर दोहराना चाहता हूं, उत्तर भारत फ्लड से हमारे देश की खेती को नुकसान होता है और हमारे गांव में हानि होती है। इसलिए हमारी जो मल्टी परपज स्कीम्स हैं, बहुउद्देशीय योजनायें हैं, बिजली, सिंचाई और फ्लड कन्ट्रोल की, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, हमारी तमाम योजनाओं से विकास और पर्यावरण में टकराव आ गया है। मैं निश्चित रूप से पर्यावरण की सुरक्षा के पक्ष में हूं, लेकिन पर्यावरण के साथ विकास होना चाहिए और विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। अब विस्थापितों का सवाल आता है, चाहे हमारी बहुउद्देशीय योजनायें हों, चाहे हमारे ताप बिजली घर हों, चाहे बड़ी इन्डस्ट्रीज के प्रोजैक्ट्स हों-विस्थपितों का पुनर्स्थापन करना उस प्रोजैक्ट का अंग होना चाहिए ।

हमने नारा दिया है, फूड, प्रोडक्टविटी और एम्पलायमेंट का, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यह है कि मैन-पावर-प्लानिंग हमारे शब्दकोष नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक फैक्ट्री हम अपने क्षेत्र में लगा लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत परेशानी आ जाती है। लोग नौकरी

मांगते हैं, लकिन हमारे पास नौकरी देने के लिए नहीं होती है। इसलिए जो योजना चलनी चाहिए, उसमें पहले से पता लगा लेना चाहिए कि कौन-कौन से साल में किस-किस प्रकार से लोग वहां काम करेंगे और उन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैनपावर प्लानिंग को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वरना हम कर यह रहे हैं कि एक तरफ तो हम लोगों का विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को विस्थापिता करते जा रहे हैं। जिन लोगों से जमीनें ली गई हैं, उनका कहीं कहीं मुआवजा नहीं दिया गया है। एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि एक नई योजना में रुपया लगाने के बजाए पुरानी बनाई योजनाओं का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। एक सौ मेगावाट के पावर हाउस के लिए सौ करोड़ रुपया लगाने के बजाए एक हजार मेगावाट के हाउस में पचास करोड रुपया लगा देना चाहिए। इस प्रकार हर सौ करोड़ रुपए के पावर हाउस से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य औप्टिमम यूटिलाइजेशन आफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में इससे अच्छी योजना नहीं बनाई जा सकती है। पब्लिक सैक्टर के महत्व को कम न करने के लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन एक लाख 80 हजार करोड़ रुपए को उन्होंने कम नहीं होने दिया।

एक बात मैं यहां पर और कहना चाहता हूं, केंद्रीय सरकार प्लान का कार्यान्वयन कम करती है, ज्यादा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा होता है। राज्य सरकार का बजट सितम्बर और अक्टूबर में बनता है और खर्चा करने के लिए सिर्फ तीन-चार महीने मिलते हैं। इस समय में खर्चा नहीं हो सकता है, इसलिए हमें प्रदेश की सरकारों को कहना चाहिए कि वे अपने प्लान को पहले से पूरा कर लें, पास करा लें और फिर बाद में उसको बजट में शामिल कर लें। मेरा दृष्टि में खर्चा करने के लिए उनको दस महीने कम से कम मिलना चाहिए।

श्री राम प्यारे पानिका : बारह महीने होना चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त : बारह महीने नहीं हो सकता है, पनिका जी। तीन को दस करना चाहता हूं। बारह महीने आप कहां से कर सकते हैं। दस महीने बहुत होता है। सबसे बड़ा काम दस महीने में हो जाता है।

श्री ख्याल लाल यादव : सबसे बड़ा काम तो नौ महीने में हो जाता है।...(व्यवधान)...

श्री ब्रह्मदत्त : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, आपने विकास खण्ड बनाएं हैं, ये खंड आपको फिर से इस प्रकार बनाने चाहिए कि ग्राम सभा आदमी नजदीक वहां पर जा सके। डिस्ट्रिक्ट प्लान का कॉनसैप्ट, मैनपावर प्लानिंग का कॉसैप्ट और औपटिमम यूटिलाइजेशन आफ एग्जिसटिंग रिसोर्सेज का कॉन्सैप्ट पर्यावरण की सुरक्षा के साथ होना चाहिए। हमारी हजारों मील लम्बी सड़कें करोड़ रुपया लगाने के बावजूद रुकी पड़ी हुई है, क्योंकि पचास फुट में ही जंगल आ जाते हैं, फिर हम उसका जवाब देना मुस्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विकास और विकास के साथ पर्यावरण की सुरक्षा का हमारा नारा होना चाहिए।

मैं सातवी पंचवर्षीय योजना का तदिल से समर्थन करता हूं । लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों की दृष्टियों को मद्दे नजर रखते हुए, इससे अच्छी योजना नहीं बनाया जा सकता था ।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए कहा है । उपलब्ध संसाधनों के भीतर यह योजना का बहुत अच्छा दस्तावेज है । परन्तु कुछ पहलू हैं जिन पर मैं जोर देना चाहता हूं । वे इन बातों को वार्षिक योजनाएं बनाते समय ध्यान में रखा जा सकता है । सन्तुलित योजना, प्रगति तथा समृद्धि का एक उपकरण हो सकती है परन्तु यदि जिन्हें लाभ मिलना चाहिए उन्हें कमजोर तथा पिछड़े वर्गों को ध्यान में नही रखा जाता तो यह चिन्ता का विषय है तथा इससे विघटन या घृणा पैदा हो सकती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए ।

इसलिए यदि कुछ निहित स्वार्थी लोग, अमीर लोग हमारे पिछड़े क्षेत्रों में या हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों, छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, तथा उन क्षेत्रों के किसान की ओर ध्यान न दें तो इससे समस्या उत्पन्न होती है । क्योंकि वास्तव में उनका विकास रुक जाता है । उनका जीवन प्रतिदिन अधिक कठिनाईपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि देश के अन्य क्षेत्र प्रगति कर रहे हैं। इसीलिए इसे ध्यान मे रखा जाना चाहिए । जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है मैंने कुछ दिन पहले सदन में कहा था कि स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आदेश दिए थे कि पूर्वोत्तर राज्यों का रक्षा प्रयोजनों के साथ-साथ आर्थिक विकास किया जाना चाहिए ।

राजस्थान और अन्य पिछड़े क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोग हैं । देश के पूर्वी भाग में भी कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे योजना दस्तावेज में इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कोई विशेष प्रयास किया गया है । इसके बारे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता । हो सकता है मैंने इसे ठीक से न पढ़ा हो, पूरी तरह से इसे मैंने न पढ़ा हो । परन्तु एक बात है । इस पर विचार करना ही होगा । बहुत से गड़बड़ी वाले क्षेत्र हैं जो उपेक्षित महसूस करते हैं इसी के कारण वहां असन्तोष है । क्षेत्रवाद इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि योजनाकार या योजना बनाने वाले विगत में इनकी उपेक्षा करते रहे हैं । इसीलिए आम आदमी, गरीब लोग तथा अविकसित क्षेत्रों की ओर कम ध्यान देने के कारण ऐसी भावना उत्पन्न होती हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है तथा आप देखेंगे कि इससे क्षेत्रीय आन्दोलन और बढ़ेंगे । आप देखेंगे कि प्रतिदिन अधिक से अधिक लोग ऐसा महसूस करेंगे । हमारे योजना बनाने वाले इन मूल बातों की कब तक उपेक्षा कर सकते हैं ? जब तक योजना देश की अखण्डता तथा एक । का उपकरण नहीं बनती, तब तक योजना को एक अच्छी योजना नहीं कहा जा सकता तथा ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि आप विकसित क्षेत्रों या विकासाधीन क्षेत्रों का विकास करते चले जा रहे हैं और अधिकारी पहले से ही सम्पन्न लोगों की जी हुजूरी किए जा रहे हैं, यदि आप पात्र लोगों की उपेक्षा करेंगे तो आपको उनकी उपेक्षा की भारी कीमत देनी होगी ।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) बिल्कुल ठीक है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : इसीलिए, यदि हमारे योजना बनाने वाले देश की अखण्डता को मजबूत करना चाहते हैं से ऐसे क्षेत्रों की ओर ध्यान देना होगा। लोग किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, वे किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं यहां तक कि यदि परमाणु युद्ध हो जाए तो भी वे उसका सामना करने को तैयार है। भारतीयों ने हमेशा खतरों का सामना किया है। भारतीयों के साथ अब चालाकी नहीं की जा सकती। अन्य लोगों की चतुराई के कारण भारतीयों को कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। जहां तक हमारे कृषि विभाग का सम्बन्ध है इसने अभी तक बड़े भूस्वामियों की सेवा है। परन्तु अमीर किसानों की बजाय छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों की सहायता की जानी चाहिए। राज्यों में सत्ता की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है उनके द्वारा तथा उनके समर्थकों द्वारा कृषि मजदूरों का किस प्रकार शोषण किया जा रहा है ? आप देश में कहीं भी चले जाइए आप ऐसा पाएंगे। इसीलिए योजना स्कीमों के द्वारा छोटे तथा सीमान्त, किसानों की सहायता की जानी चाहिए। छठी योजना में हमारी प्रिय प्रधान मन्त्रीस्वर्गीय श्रीमती,न्दिरा गांधी को धन्यवाद, कि इस दिशा में कुछ उपाय किए गए थे। छठी योजना में हमने काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। वर्ष 1977-78 में ग्रामीण क्षत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे 51.2 प्रतिशत लोग थे। वर्ष 1983-84 में यह संख्या घटकर 40.4 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 1977-78 में 38.2 प्रतिशत तथा 1983-84 में 28.2 प्रतिशत तथा1983-84 में 28.1 प्रतिशत रह गई।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम तथा गरीबी हटाओ कार्यक्रम राज्यों द्वारा ईमानदारी से कार्यान्वत नहीं किए गए। यदि इन कार्यक्रों को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया होता तो बहुत अधिक प्रगति मिल सकती थी। केन्द्र राज्य के कार्यनिष्पादन पर, निगरानी रखे बिना उन्हें पैसा दिया जा रहा है। जब तक केन्द्र उनके कार्य निष्पादन पर निगरानी नहीं रखेगा तब तक गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल सकता। उनमें कुंठा की भावना है। हम एक कार्यक्रम की घोषणा करते चले जा रहे हैं। हमारे नौजवान तथा उत्साही प्रधान प्रधान मन्त्री ने अभी यह घोषणा की है कि देश के प्रत्येक भाग में लड़कियों को बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। परन्तु राज्य सरकारें इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे स्कूल नहीं खोल रही हैं। मैंने अपने राज्य में अधिकारियों को कहा है कि यदि आप स्कूल खोलेंगे तो आपको केन्द्र से पैसा मिलेगा। परन्तु वे ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। यह उनका निहित स्वार्थ है जो महिलाओं को अपने अधीन रखना चाहते हैं तथा अपने शोषण का शिकार बनाए रखना चाहता है। आप जहां कहीं भी चले जाइए इसी प्रकार की स्थिति है। जब तक इस पहलू की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

जहां तक आत्मनिर्भरता का संबंध है यह एक बहुत अच्छा विचार है। यह दावा किया जाता है कि हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। परन्तु हम उपभोक्ता वस्तुओं का बहुत अधिक आयात कर रहे हैं। क्या यह वह आत्म-निर्भरता है जिसे गांधी जी ने हमें सिखाया था? राष्ट्र किसी भी मामले में कठिन स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे

कृषक तिलहन का उत्पादन कर सकते हैं। परन्तु हम तेल का आयात कर रहे हैं। क्यों ? खाद्य उत्पादन क्षेत्र में काफी कार्य किया है। उन्हें तिलहन क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें किसानों को यह बताना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के तिलहनों का कैसे, कब और कहां उत्पादन किया जा सकता है। जितने समय में गेहूं और धान की एक फसल का उत्पादन किया जाता है, उतने ही समय के अन्दर हम तिलहन की तीन फसलें ले सकते हैं। परन्तु यह इन विश्वविद्यालयों का कर्त्तव्य है कि वे उन स्थानों पर जाए, और इसका पता लगाएं कि किस किस्म के तिलहन को बोया जाना चाहिए और ओला-आंधी और शुष्क मौसम की समय अवधि से कैसे बचना चाहिए। यदि हम एक आत्म-निर्भर देशों के रूप में बने रहना चाहते हैं तो हमारी योजनाओं का लक्ष्य ऐसा ही उद्देश्य होना चाहिए। आप प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते हैं परन्तु कृषि वस्तुओं का नहीं। आप देश में ही कृषि उत्पादन कर सकते हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग शुष्क भूमि वाला है और काफी भाग पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उन्हें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार को यह देखना चाहिए कि वहां पर किस प्रकार की फसलें बोयी जानी चाहिएं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमारी योजनाओं में ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारे आयोजकों को यह देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ किया जाना है।

मैं अपना भाषण श्रीमती गांधी द्वारा हमेशा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को उद्धृत करके समाप्त करूंगा। वे यह कहा करती थीं कि जहां तक योजनाओं का संबंध है हमें प्रावधानों को नहीं, बल्कि उपलब्धियों को, विचारों को नहीं, बल्कि साधारण आदमी को मिलने वाले लाभ को देखना चाहिए। वह इसमें विश्वास रखती थीं और हमें भी इसमें विश्वास रखना चाहिए। यह वही तथ्य है जिसे गांधी ने हमें सिखाया और पंडित जवाहर लाल जी ने भी जिसे सीखने का अनुरोध किया।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : हमारे देश में गरीबी समाप्त करने और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के हमारे संघर्ष में सातवीं योजना एक बहुत बड़ा कदम होगा। यह विकास, आधुनिकीकरण, आत्म-निर्भरता और सामाजिक न्याय के मार्ग सिद्धान्तों पर आधारित है। परन्तु इसके तत्कालीक उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार और रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी सातवीं योजना में आने वाले पांच वर्षों के लिए समग्र वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत स्थिर रखने का निर्णय किया गया है। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर में पिछली प्रवृति से पर्याप्त सुधार होगा। आयोजना और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों और बड़ी मात्रा में संसाधनों को जुटाने में आने वाली संभवित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पांच प्रतिशत समग्र वृद्धि दर युक्ति संगत है। आयोजना संबंधी अनुभव से पता चलता है कि वे उन विकासशील देशों को जिन्होंने वृद्धि की बहुत अधिक ऊंची दर निर्धारित की थी, बाद में कठिनाई हुई, और उन्हें मुद्रा स्फीति, संसाधनों का दुरुपयोग तथा भुगातन संतुलन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अतः योजना आयोग ने पांच प्रतिशत वृद्धि दर वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की है।

योजना के तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि करना है । ये सभी बातें अर्थ व्यस्वथा को अनुकूल बनाने और वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

मेरा यह निवेदन है कि इन तीन तत्कालिक लक्ष्यों के साथ-साथ आवास हमारी नीति का चौथा तत्कालिक लक्ष्य होना चाहिए। अधिकतर लोगों की आवास स्थिति भयावह है। धूल, गन्दगी अज्ञानता और बिमारी का वहां पर ऐसा सम्राज्य रहता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गंदी बस्ती क्षेत्र हमारी लोक तन्त्रीय और समतावादी नीतियों पर एक कलंक है। यह समस्या बहुत बड़ी है। यह अनुमान किया गया है कि हमें 250 लाख आवास-गृहों की आवश्यकता है। हमारे आवास मन्त्री ने हाल ही में कहा है कि इस शताब्दी के अन्त तक देश में प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक घर देने का हमारा प्रस्ताव है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने कार्य आरंभ कर दिया है ? हम सहकारी गृह निर्माण समितियों को कुछ रियायतें और प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश आवास वित्त पर अमीर और मध्यम वर्गों का एकाधिकार है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार द्वारा गृह निर्माण के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है उसमें से अधिकतर धनराशि को केवल निर्धन लोगों के गृह निर्माण के लिए ही आरक्षित किया जानी चाहिए। दूसरे गृह निर्माण को खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समान ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आर्थिक विकास अभी भी कृषि विकास पर आधारित है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने के लिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग अभी भी कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि द्वारा हमारी राष्ट्रीय आय को 50 प्रतिशत योगदान मिलता है।

योजना में शुष्क भूमि पर खेती बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। शुष्क भूमि में बहुत बड़ा भाग शामिल है और यह कृषि योग्य भूमि का लगभग 72 प्रतिशत भाग है। यदि इसका विकास किया जाता है तो इससे हमारे देश के 70 प्रतिशत कृषकों को लाभ होगा। वे हमारे देश में कुल खाद्यान्न के 40 प्रतिशत भाग की पूर्ति करते हैं। वे तिलहन और दालों के अधिकांश भाग का उत्पादन करते हैं। दुर्भाग्यवश क्योंकि हम कृषि उत्पादन को बढ़ाने में तेजी से लगे हैं इसलिए हमने अपना ध्यान सिंचाई, उच्च उत्पादकता देने वाली बीजों की किस्मों रासायनिक उर्वरकों आदि पर दिया ताकि वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हो सके। अब मेरा यह सुझाव है कि हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने और स्थायी बनाने के लिए हमें शुष्क भूमि पर खेती करने पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए।

योजना पूर्ण रूप से वास्तविक है और मुझे यह विश्वास है कि इससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने में काफी सहायता मिलेगी। परन्तु फिर भी दो अड़चनें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। पहली यह है कि हमारी जनसंख्या बढ़ने से यह हमारी आर्थिक प्रगति को काफी हद तक प्रभावित करेगी। 1971 से 1981 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दर में प्रतिवर्ष 2.25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। योजना आयोग का यह अनुमान है कि 1981 से 1986 के बीच यह प्रतिवर्ष 2.10 प्रतिशत के लगभग होगी। कमी की दर इतनी कम है कि

मैं यह कह सकता हूं कि यह नगण्य : । जनसंख्या नियंत्रक के क्षेत्र में 15 वर्षों के दौरान बहुत अधिक प्रयास करने के पश्चात् हमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जनसंख्या नीति असफल रही है । राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या में 8.5 करोड़ की वृद्धि हुई है और उसमें सबसे अधिक योगदान भारत का है जोकि 1.5 करोड़ है । अतः भारतीय जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है । जब तक जनसंख्या नीति कारगर नहीं होती और जनसंख्या में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि को कम नहीं किया जाता तब तक यह दावा नहीं किया जा सकता कि जनसंख्या नीति सफल हुई हैं । हमारी नीति बहुत प्रोत्साहन न देने वाली प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए । यह कहना सही नहीं है "कि हम आपको घर, रोजगार और आपके बच्चों को शिक्षा आदि देंगे, परन्तु हम यह सुझाव नहीं देंगे कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए।" हमें यह कहना चाहिए कि जब तक कि आप अपने परिवार को सीमित नहीं करते आप के लिए कुछ लाभ देना संभव नहीं होगा । इसके लिए अधिक प्रोत्साहन और दिए जाने और प्रोत्साहन न देने की व्यवस्था होनी चाहिए । अन्यथा हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा । पारम्परिक व्यवहार और सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है । हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, परन्तु सरकारी अधिकारियों को कुछ आर्थिक दबाव डालना चाहिए । मेरे विचार से एक और महत्वपूर्ण बाधा है । हम योजना पर एक बड़ी राशि, अर्थात 3,22,366 करोड़ रुपए, खर्च करेंगे, जो इतनी अधिक है कि एक साधारण व्यक्ति इस बारे में सोच भी नहीं सकता है । यह बहुत बड़ी राशि है । परन्तु दुर्भाग्यवश इसके खर्च करने की प्रक्रिया में काफी त्रुटियां हैं । यह अनुमान लगाया गया है कि योजना में 1,80,000 करोड़ रुपए में से 50 प्रतिशत स्कूलों, कालेजों, विधानमण्डलों के भवनों, परमाणु विद्युत के आदि के निर्माण पर खर्च किया गया । प्रत्येक कार्य के लिए निर्माण की आवश्यकता है । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि लगभग 40 प्रतिशत राशि बेकार जाती है । वह ठेकेदारों, मध्यस्थों राजनीतिज्ञों द्वारा खा ली जाती है । इसलिए जब तक हम इस दुरुपयोग को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा कि इतनी बड़ी धनराशि का लाभ उनको मिलेगा जिनके लिए यह व्यय की जाती है । महोदय, यह योजना यथार्थवादी और परिस्थितियों के अनुकूल है । मैं यह आशा करता हूं कि कुछ मौजूद अवरोधों पर प्राधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाएगा । इन शब्दों के साथ मैं सातवीं पंच-वर्षीय योजना का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : चेयरमैन सर, यह जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, जिसको अभी सदन में चर्चा हो रही है, यह तो नेशनल डिवेलपमेंठ कौंसिल ने मान्य की है, लेकिन अगली योजना में, इस सदन में जो कुछ डिस्कशन होगी उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रायर्टी और प्रॉविजन ध्यान में रखे जाएंगे, ऐसा कल मिनिस्टर साहब ने कहा, तो उसका भी मैं स्वागत करता हूं ।

अभी इस योजना के अन्तर्गत जो कुछ प्रावधान अलग-अलग किया है वह कम ज्यादा ही होगा, लेकिन जो व्यवहार में रिसोर्सिज की बात कही जाती है, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और पूरे कैबिनेट का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने काला धन रोकने और खोजने के लिए जो अभियान चलाया, वह उसमें और तेजी ला रहे हैं। इससे रिसोर्सिज ज्यादा बढ़ सकते हैं और रिसोर्सिज बढ़ाने का यही एक तरीका है।

रिसोर्सिज बढ़ाने, काला धन समाप्त करने और इनफ्लेशन कम करने के लिए मेरे दो सुझाव हैं। इन-डायरेक्ट टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स लगाना जरूरी है क्योंकि इन-डायरेक्ट टैक्स में जैसे सेल्स टैक्स है, उससे काफी काला धन पैदा होता है। आप सेल्स टैक्स हटाकर एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे तो काला धन पैदा नहीं होगा। इस कारण मेरा यही सुझाव है कि आप इन-डायरेक्ट टैक्स हटाकर डायरेक्ट टैक्स लगायें। इन-डायरेक्ट टैक्स लगाने का नतीजा यह हुआ है कि आज गरीब और गरीब बन गए हैं और अमीर और अमीर बन गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं, उनको हम ऊपर उठाएंगे।

शहरों की इंडस्ट्री गांवों में कैसे जाये जब तक इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक आज जो शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या और इनवायरमैंट की जो समस्या है, वह कसा नहीं होगी। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मैंने इस सम्बन्ध में अपने देहात में 30 किलोमीटर के अन्दर एक प्रयोग किया है। आप एक गांव ऐसा बना दें जिस में एक शापिंग काम्पलेक्स, शिक्षण संस्थान, छोटे उद्योग और आरोग्य सेवा हो क्योंकि 30 किलोमीटर के अन्दर के लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीद लें। इससे रोजगार की समस्या भी हल हो जायेगी और महात्मा गांधी का "स्वयं पूर्ण ग्राम" बनाने का स्वप्न भी पूरा हो जायेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में प्रावधान करना आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस बात का खास प्रावधान नहीं किया गया है। नये शहर और इंडस्ट्री आदि लगाने के लिए तो प्रावधान है, लेकिन स्वयंपूर्ण ग्रामों के लिए भी कुछ और प्रावधान हो जाये तो लोग शहरों में आने की बजाय देहात में ही रहना पसन्द करेंगे। इससे आबादी और इनवायरमेंट की समस्या भी हल हो जाएगी।

अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहूंगा। आज हम एग्रीकल्चर में उत्पादन के बारे में विचार करते हैं। एग्रीकल्चर या अन्य किसी भी विभाग में रिसर्च हो तो यह भी देखें कि उसमें एकाउंटिबिलटी होनी चाहिए और तब संशोधन हो।

आज हम न्यूक्लीयर पावर की तरफ जा रहे हैं। हमारी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा था कि हम इस ढंग से आगे जाएंगे। परसों ही हमारे प्रधान मन्त्री ने न्यूक्लिर पावर स्टेशन देश को दे दिया और दो हजार तक का उन्होंने 9000 एम० डब्ल्यू० टारगेट रख दिया है। ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर में, धान की पैदावार में वीराइटियों में डुरेबिलटी नहीं है। हाइयील्डिंग वैराइटी हो तो अच्छा होगा।

ज्वार और बाजरा में हम देख रहे है कि 6 महीने से ज्यादा दिन तक वह गोदामों में रह नहीं पाता है। वह वहां पर सड़ जाता है। पब्लिक हम से शिकायत करती है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अनाज नहीं मिलता है। किसान भी चावल और धान आदि को अपने यहां रखता है, वहां भी यह धान खराब हो जाता है। इस कारण उसकी डूरेबिलटी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हमें इस पर गम्भीरता से सोचना होगा क्योंकि 70 प्रतिशत आबादी देहात में रहती है।

3.28 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आज कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं के मूल्य की भी बात होती है। जब तक इन वस्तुओं के मूल्य ठीक नहीं करेंगे तब तक आयल सीड्स आदि इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। आज जो एक्सपोर्ट की बात कही जाती है, वह भी पूरी नहीं हो सकेगी। इस कारण इसको ध्यान में रखना जरूरी है।

अब मैं ड्राई फार्मिंग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज कई इलाकों में पानी की कमी है। मेरा जिला हर साल सूखे का शिकार बनता है। आज वाटर मैनेजमेंट के लिए जो इन्सेंटिव रख दिए हैं चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो या लिफ्ट इरिगेशन हो, इस बारे में हमने सुना है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में प्रावधान कम कर दिया है। बढ़ाने के अलावा कम करना बहुत खतरनाक बात है क्योंकि इन दोनों इरिगेशन को लगाने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा होता है। लिफ्ट इरिगेशन पर 35 हजार और स्प्रिंकलर इरिगेशन पर 15 हजार एकड़ के करीब खर्चा पड़ जाता है। इसलिए उस में कोई इन्सेन्टिव न हो तो ड्राउट एरिया में हम ड्राई लैंड फार्मिंग अगर करना चाहेंगे या कोई इरिगेशन करना चाहेंगे तो उस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसमें इसके लिए ज्यादा प्रावधान करना जरूरी है। अगर हम ज्यादा प्रावधान नहीं करेंगे तो ज्यादा काम हम इस क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे।

दूसरी बात मैं कहूंगा, कल ही मैंने एक बात कही थी कि ऐग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करके, फारेन ट्रेड डेफिसिट हम कम कर सकते हैं। इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक्सपोर्ट के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। कृषि उत्पादन से कितना ज्यादा से ज्यादा निर्यात करके फारेन ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें, यह हमें देखना है। अभी भी चाहे और मीट हो, चाहे और ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, इसका जो निर्यात होता है उसके बारे में अभी कल ही मंत्री जी ने बताया कि वह दुनिया के टोटल निर्यात का 0.6 प्रतिशत है। इसलिए इस में दीर्घकालीन नीति और योजनाबद्ध कार्यक्रम होना जरूरी है वरना हम फारेन ट्रेड डेफिसिट केवल इंडस्ट्रीज से पूरा नहीं कर सकते। जो आर० एण्ड डी० की बात मैं कह रहा था धान के लिए, उस में धान की डयूरेबिलिटी अगर नहीं हो तो उत्पादन चाहे कितना भी बढ़ जाय उस से कोई काम नहीं चलेगा।

कुछ बात मैं सहकारी आन्दोलन के लिए कहना चाहूंगा। उसके लिए प्लान डाक्यूमेंट में केवल क्रेडिट की बात कही गई है, कुछ चीनी मिल और कुछ स्पिनिंग मिल की बात कही गई है। लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज के अन्दर एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है उसी तरह से अभी तक कोआपरेटिव सेक्टर को माना नहीं गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जैसे देहात में टैक्सटाइल मिल लगाना चाहते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में, तो मैं चाहता हूं कि कम्पोजिट टैक्सटाइल मिल की मालकियत किसान की हो। ऐसी दस मिलें अगर दस इलाकों में लगाई जाएं तो कपास के बाजार की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। इसलिए ऐग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री···(**व्यवधान**)···,और आयल मिल्स भी देहात में हों क्योंकि वहां उस से रोजगार मिल सकता है और काम में बढ़ोत्तरी हो सकती है। इसलिए कोआपरेटिव सेक्टर को बिलकुल रेकग्नाइज और रियलाइज करना जरूरी है। अगर हम कोआपरेटिव को बढ़ावा नहीं देंगे और केवल क्रेडिट देंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। एकोनामिकली वायबिल यूनिट के साथ, अध्यक्ष महोदय, आप तो अनुभव कर सकते हैं, अभी इन्होंने चार-चार गांवों की एक सोसाइटी बनाने के लिए एक नवीन सर्कुलर निकाला है, अब आप देख लीजिए कि एक सेक्रेटरी गांव में कहां जाएगा ? ढाई सौ की आबादी के लिए आप एक अलग ग्राम पंचायत रख सकते हैं तो एक गांव के लिए एक सोसाइटी क्यों नहीं रख सकते ? हमारा यह स्लोगन होना चाहिए कि एक गांव एक सोसाइटी। क्यों कि सोसाइटी उत्पादन बढ़ाने के लिए एक माध्यम है। किसान और सोसाइटी का सम्बन्ध सीधा होना चाहिए। उन को बार-बार सेक्रेटरी के पीछे चलने की बिलकुल जरूरत नहीं हो। इसलिए रिजर्व बैंक से ऐसा कोई सर्कुलर निकालना चाहिए और प्लानिंग कमीशन से मेरी यह दरख्वास्त है कि अगर यह नहीं करेंगे तो इस से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा अन्याय होगा। ···(**व्यवधान**)···

कोआपरेटिव के अन्दर वेयर हाउसेज की भी बहुत कमी है। मेरा यह कहना है कि जब तक कोआपरेटिव को हम बढ़ावा नहीं देंगे तब तक ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति नहीं हो सकती। आप देख लीजिए टेक्नोलाजी इम्पोर्ट की बात है तो उस में कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज जो चलती हैं उन को कोई पूछता नहीं है कि इस के अन्दर जो फैक्ट्री है उस को देखना है या नहीं ?

[**अनुवाद**]

हम केवल निजी सैक्टर और सार्वजनिक सैक्टर पर ध्यान दे रहे हैं। हम सहकारी सैक्टर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सहकारी सैक्टर पर हम जोर क्यों नहीं दे रहे हैं।

[**हिन्दी**]

जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

दूसरी बात मैं एनर्जी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे देश के अन्दर बगास कितना है ? प्रिन्टिंग के लिए अभी अखबारी कागज हम इम्पोर्ट करते हैं। बगास का कागज हम बनाएंगे तो उसके लिए क्यूबा के पास इसकी टेक्नोलाजी है। क्यूबा यह टेक्नालाजी हमें देने

को राजी है। हम एक दो लाख फारेन एक्सचेंज उस के लिए लगा रहे हैं। तो जब अप टु डेट टेक्नोलाजी चीनी मिल में हम लगाएंगे तो जंगलों की कटाई कागज के लिए नहीं होगी और अखबारी कागज जो हम यहां पैदा करेंगे उस को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 15 से 20 परसेंट तक हम इस में बगास में बचत कर सकते हैं और उस के लिए अखबारी पेपर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्यों कि दुनिया के अन्दर बगासे की टेक्नोलाजी केवल क्यूबा के पास है। उस से यह टेक्नोलाजी ले कर जब बगास से पेपर हम बनाएंगे तो मेरे ख्याल से यह हमारे लिए काफीअच्छी चीज होगी। हमारे यहां कुछ गैस सीजनल लेबोरेटरीज हैं। उन लेबोरेटरीज से क्या हमारा काम आज नहीं बनता है? एनर्जी कंजर्वेशन में हम उस से काफी आगे काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा काम इस क्षेत्र में कर सकते हैं इस के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक आखिरी सुझाव होगा।

जहां तक पावर का सम्बन्ध है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में नान-कन्वेन्शनल एनर्जी के लिए प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए। हमने सब्सीडी कम कर दी है और इन्सेंटिव कम कर दिए हैं—यह नहीं करना चाहिए। पिछले तथा अगले कमिटमेन्टस को पूरा करने के लिए इस प्लान में हमें ज्यादा पैसे का प्रावधान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि देश में अमीर और गरीब के बीच में जो अन्तर है उसको कम किया जाना चाहिए और यही प्लानिंग का उद्देश्य होना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, परन्तु मैं इसके साथ यह भी कहूंगा कि ऐसे अधिकांश अवसरों पर अर्थशास्त्रियों में परस्पर उतनी ही मतभिन्नता होती है, जितना कि उनमें परस्पर मतैक्य होता है। जब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना जैसे विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे समक्ष जो वस्तुतः प्रश्न उठता है वह है आर्थिक आयोजनाओं के लिए उन राजनैतिक विकल्पों को चुनना जो अर्थशास्त्रियों ने हमें दिए हैं। यह एक पूर्णतया आर्थिक कार्य के साथ-साथ उतना ही राजनैतिक कार्य भी है, क्योंकि अन्ततः हम देश के निर्धनतम व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं।

मैं गांधी जी का एक उद्धरण देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था :

> "आपने जो सबसे निर्धन तथा कमजोर व्यक्ति देखा है उसके चेहरे का स्मरण करके अपने आप से पूछो, यदि आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम से क्या उसे लाभ होने जा रहा है।"

सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है। हमने

इस बात पर जोर दिया है कि सबसे निर्धन व्यक्ति आत्म-निर्भर बन सके और हमारा लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास। यह योजना न केवल केन्द्रीय सरकार में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि हमारे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का भी प्रतिनिधित्व करती है, तथा इस कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लगन तथा मेहनत से हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाई है जो उन उद्देश्यों को परिभाषित करती है जिन्हें हमने आगामी पांच वर्षों के लिए राष्ट्र के समक्ष रखे हैं। इस दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में आम-राय से तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो हम देश को देना चाहते हैं। प्रत्येक योजना को एक विशिष्ट समय में व्याप्त समस्यायों पर ही ध्यान देना चाहिए। समस्यायें भी वैसे ही बदलती रहती हैं जैसे कि विकास में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अत: प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि नई समस्यायें आती रहती हैं। लेकिन इन समस्यायों का समाधान करने में हम पंडितजी तथा इन्दिराजी के वचनवद्धता से अलग नहीं हुए हैं और इस योजना में हमने पंडितजी तथा इन्दिराजी के बताए गए रास्तों पर जोर दिया है तथा वही रास्ता अपनाया है ? हमारी योजना प्रक्रिया की उपलब्धियों को यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है, तथापि हमारे एक माननीय विपक्षी सदस्य ने जो कहा है उसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं :

"छठी पंचवर्षीय योजना असफल रही है।"

मैं अब इस पर टिप्पणी करने जा रहा हूं।

छठी पंचवर्षीय योजना हमारी सफलतम योजनाओं में एक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

दो मिनट बोलने दीजिए..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

छठी पंचवर्षीय योजना शायद हमारी सबसे सफलतम योजना रही है। पिछली किसी योजना की तुलना में इसमें औसत विकास की दर 5% से अधिक हुई है और यह उपलब्धि हमने विकास, वित्तीय तथा आर्थिक मोर्चों पर जबरदस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायों के दौर के दौरान प्राप्त की है। भारत विश्व के उन थोड़े से देशों में है जो पिछड़ेपन के प्रति बेपरवाह नहीं रहे। वस्तुत:, हमारा कार्य पहले से बेहतर रहा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका अभिप्राय है असफलता। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 1980 में 52 प्रतिशत से घटकर 1984 में 37 प्रतिशत हो गई। माननीय सदस्य अनुभव कर सकते हैं कि यह असफलता है। शायद वह गरीबी रेखा को 52 प्रतिशत रखना चाहते हैं इसके नीचे.....

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पूरे देश में क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आंकड़े के आधार पर आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं, परन्तु वास्तविक रूप में नहीं।

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्यों को लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखने में निहित स्वार्थ है, जबकि हम उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। उनका निहित स्वार्थ उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखने में है, ताकि वे सरकार की आलोचना कर सकें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको निहित स्वार्थों के साथ संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री राजीव गांधी : किन्तु प्रमाण कथनी से होता है। हमने देश को दिखा दिया है कि जो आश्वासन हम देते हैं, उनका पालन करते है और इस सभा के बाहर जो हमारे मित्र बैठे हैं, उनसे मैं सादर कहना चाहता हूं कि यही कारण है कि हम इस सभा में बैठे हैं और वे सभा के बाहर हैं। जब हम छठी पंचवर्षीय योजना पर बात-चीत कर रहे थे तब हमने देखा थ ा किमहान योजनाकार इस सभा के बाहर थे·····

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम योजनाकार नहीं हैं, बल्कि हम तो नौसिखियां हैं।

श्री राजीव गांधी :···1977-78 में अचानक योजना में गिरावट आने लगी। योजना में गिरावट आने के साथ देश भी अवनति की ओर अग्रसर हुआ।

1952 से ही हमारी योजना ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि एक विकासशील देश किस प्रकार तरक्की करता है, किस प्रकार एक विकासशील देश विशिष्ट क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आत्म निर्भर बन सकता है तथा विकास कर सकता है। हमें न केवल योजनाकारों को धन्यवाद करना चाहिए, बल्कि अपने वैज्ञानिकों, तकनीशीयनों, अपने किसानों तथा मजदूरों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद करना चाहिए·····

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह तो ठीक है।

श्री राजीव गांधी : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। केवल कांग्रेस सरकार के दिशा-निर्देश तथा मार्गदर्शन के कारण ही यह सम्भव हो सका है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं हमारे समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं—वे हैं गरीबी हटाना, सामाजिक न्याय दिलाना तथा आत्म-निर्भर बनना। वास्तविक प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे करेंगे। इसका मूल आधार तो हमारी पुरानी नीतियां ही रहेंगी। परन्तु हमें उन नीतियों, उन विचारों को आज के भारत के अनुरूप लागू करना पड़ेगा। यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना पर एक नजर दौड़ाए तो हमें पता चलेगा कि उस समय भारत कैसा था तथा आज का भारत कैसा है, कितना जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन योजना के कारण हो सका है, और पंडित जी के इस

समय के विचारों को आज के भारत में लागू करते समय हमें आज के भारत के अनुरूप ही उसे लागू करना होगा। हम उस समय के भारत के लिए अपनाए गए उनके तरीके को अब तीस वर्षों के पश्चात यथावत रूप में नहीं अपना सकते। परन्तु उनका विचार तथा सिद्धान्त आज भी ठीक है। वह आज भी उतना ही लाभप्रद तथा प्रासंगिक है, बशर्ते कि हम उसका इस्तेमाल आज के संदर्भ में तथा इस अवधि में योजनाओं के कारण हुए विकास को ध्यान में रखते हुए करें।

पंडितजी ने कहा था कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करनी होगी। विकास का यही आधार बनेगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। निःसन्देह, हम केवल उपयुक्त प्रौद्योगिकी चाहते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी क्या है। जो हमारे लिए उपयुक्त है वह कदाचित् उस व्यक्ति के लिए भी उपयुक्त होगा जो ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहा है जिसकी उसे अब बिल्कुल जरूरत नहीं।

हमें यह देखना होगा कि हम अपनी आवश्यकता के लिए अच्छी-सी अच्छी प्रौद्योगिकी प्राप्त करें। सर्वप्रथम सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी हमें उस क्षेत्र के लिए प्राप्त करनी पड़ेगी जहां हम अधिकतम विकास करना चाहते हैं।

हमें इसका आरम्भ कृषि तथा किसानों से करना पड़ेगा। हमारे किसान प्रौद्योगिकी के बिना प्रगति नहीं कर सकते। देश के कुछ भाग में हरित क्रान्ति के क्या कारण हैं ? इसका कारण यह है कि वहां उन्हें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई। अन्य क्षेत्रों के लिए भी इसे उपलब्ध करानी पड़ेगी।

इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम उन व्यक्तियों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी कैसे उपलब्ध करा सकते हैं जो ऐसे संसाधनों के उपयोग करने के अभ्यस्त हो गए हैं जो उनके पास उपलब्ध है।

कृषि के लिए केवल यही प्रश्न नहीं है कि किसानों को अथवा उन्नत किस्म के बीज, अथवा बेहतर मौसम सूचना उपलब्ध कराई जाए, बल्कि हमें जल प्रबंध संबंधी प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा हम इस प्रकार करेंगे कि किसान कम उर्वरकों का प्रयोग करके बेहतर फसल उगा सकें ? जल का कम उपयोग करके बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? एक तरफ तो हमें अपने संसाधनों का संरक्षण तथा बेहतर उपयोग करना है, तो दूसरी ओर उत्पादकता में वृद्धि करनी है।

ये दो बातें तभी हो सकती है यदि हम सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें, भारत में आज भी किसान के सामने शायद सबसे बड़ी समस्या यह है कि मानसून समय पर आता है अथवा वह दस दिन विलम्ब से आता है या समय से पहले आ जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है। अब हमारे पास उपग्रह है। वह (किसान) टेलीवीजन

सेट चला सकता है, वह देख सकता है कि बादल छाये हैं या नहीं। उसे मालूम है कि पांच दिन में बादल आ जायेंगे। फिर यह जानकारी शत प्रतिशत सही नहीं है, हमारे पास उसे पक्के तौर यह जानकारी देने की क्षमता होनी चाहिए कि इतने दिनों के भीतर मानसून अथवा वर्षा आ सकती हैं जिससे उसे इस बारे में जानकारी हो सके और तदनुसार अपने खेतों को जोतें और दी गई जानकारी के अनुसार तैयार रहें।

इसके लिए केवल एक रास्ता है। हमें सर्वाधिक परिष्कृत सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करना होगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। यह कहना बिलकुल गलत होगा कि उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकी किसान के लिए नहीं हो सकती है। किसान को खेत जोतने के लिए दो बैल और बेहतर किस्म का हल दे देने का आशय समुचित प्रौद्योगिकी नहीं है। हमें यह देखना है कि लोगों के बेहतर जीवन यापन के लिए हमारा लक्ष्य उनके जीवन यापन की स्थिति को ऊंची उठाना है। इस प्रयोग के लिए हमें प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी है। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसकी शुरुआत किसान से हो। पानी और उर्वरकों जैसी साधारण चीजों के बेहतर उपयोग के लिए हमारे पास सर्वाधिक परिष्कृत जानकारी हो। हो सकता है हमें ऐसे किसी सस्ते ठोस मिट्टी परिक्षण उपकरण की आवश्यकता हो जिससे उसे यह पता लग सके कि एक बोरी अमुक उर्वरक डाले और अमुक उर्वरक न डालें। कुछ साधन हों जो उसे यह बता सकें कि आने वाले चार दिनों तक वह पानी का प्रयोग न करें।

आजकल इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है। हमारे किसानों के व्यावहारिक प्रयोग के लिए इसको सस्ते मूल्य पर विकसित किया जा सकेगा। इस दिशा में प्रोद्योगिकी के विकास पर हमें जोर देना होगा। शहरी क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र भी शीघ्रता से बढ़ता है, उसकी समृद्धता और अन्य मांगे भी बढ़नी शुरू होती है और तब इसका लाभ हमारे सारे उद्योग तक पहुंचेगा।

उसके बाद हमें लघु क्षेत्र पर जोर देना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में इसके बाद सबसे अधिक व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं।

इसी प्रकार हमें यह देखना होगा कि नयी प्रौद्योगिकी से लघु क्षेत्र को लाभ किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है, किस प्रकार लघु क्षेत्र को दूसरे बड़े आकार अथवा बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। हमें उस बात पर जोर देना होगा कि लघु क्षेत्र में लगे हमारे सभी लोगों को बड़े उद्योगो में खपाया जा सके, कुटीर उद्योगों के लोग लघु क्षेत्र में आयें और नये लोग कुटीर उद्योगों को शुरू करें। इस प्रकार की वृद्धि यहां पर होनी चाहिए। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को लघु क्षेत्र में बांध दे और किसी व्यक्ति को कुटीर उद्योग तक ही सीमित रखें और कहें कि यदि तुम प्रगति करते हो अथवा तुम्हारा उत्पादन निर्धारित सीमा से 5 रुपया बढ़ जाता है तो अचानक कर भारों से लाद दिये जाओगे इससे सारी प्रणाली अव्यावहारिक हो जायेगी। किसी भी प्रणाली में कुछ विकास क्षमता अवश्य होनी चाहिए।

आवास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी भी जरूर होनी चाहिए। हमारी आवासीय व्यवस्था

अभी भी काफी खर्चीली है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि मकान की कीमत किस प्रकार कम की जा सकती है। इसे एक सीमा तक कम किया जाना चाहिए। जिससे औसत आदमी को आवास मिल सके, मकान बहुसंख्य लोगों को उपलब्ध हो और यह सुविधा शहरी क्षेत्रों और कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कुछ धनाढ्य लोगों को, जो इन्हें खरीद सकते हैं तक ही सीमित न रहे। इस क्षेत्र में हमने कोई कार्य नहीं किया है। अभी भी हमारे मकान ऐसे ही बनते हैं जैसे आज से ठीक बीस-तीस वर्ष पहले बनते थे। इस क्षेत्र में कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है।

आलोचनात्मक क्षेत्रों में शिक्षा भी है, हमारे शिक्षा प्रणाली बहुत उपयोगी है। यहभारत में महान वैज्ञानिक पैदा करने में सहायक रही है। इसने सर्वोत्तम शिल्पवैज्ञानिकों को पैदा करने में मदद की है। हमारी शिक्षा-प्रणाली से प्रत्येक क्षेत्र में हमारे यहां महान व्यक्ति पैदा हुए हैं लेकिन आज विकास में नाटकीय परिवर्तन हुआ है, हमारी शिक्षा प्रणाली प्रौद्योगिकी और विज्ञान क्षेत्र के उस भार को वहन करने के लिए या तो तैयार नहीं हैं अथवा असमर्थ है जो इस पर डाला जा रहा है। शिक्षा प्रणाली की इस कमी अथवा प्रणाली में लचीलेपन के अभाव के कारण आध्यात्मक विकास और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास के बीच हम भारी खाई पैदा कर रहे हैं। हमारी प्रणाली इस खाई को पाटने के लिए बनाई जानी चाहिए तभी हमें वास्तव में देश और मानवजाति के हित के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने योग्य हो, सकेंगे। यदि यह खाई और बढ़ती है तब हम प्रौद्योगिक के गुलाम हो जायेंगे और हमारा काम करने के लिए प्रौद्योगिकी हमारी गुलाम नहीं होगी। यह एक ऐसा आलोचनात्मक क्षेत्र है जहां पर बहुत अधिक सोच विचार, वाद-विवाद और विचार-विमर्श की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति इन विचारों को फलित करेगी।

सातवीं योजना के हमारे लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं किया गया है। हमारा उद्देश्य एक समाजवादी समाज और एक ऐसे समाज का विकास करना है जो सबको समान अवसर देता है। एक ऐसा समाज जहां पर असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है, अपने आप से जकड़े एक निष्क्रिय समाज के स्थान पर एक गतिशील समाज का विकास करना है। इसे भी शिक्षा से ही प्राप्त किया जा सकता है।

हमने हाल में कुछ मंत्रालयों को मिलाकर एक किया है और उन्हें "मानव संसाधन विकास" का नाम दिया है हमने ऐसा केवल दिखावे के लिए नहीं किया है। वास्तव में हम मानव संसाधनों का विकास करना चाहते हैं। आज प्रत्येक कोने से लोग चिल्ला रहे हैं कि जनसंख्या के बारे में क्या हो रहा है, ठीक है यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम अपने देश में इस सबसे बड़ी समस्या को सबसे बड़े संसाधान में बदल देना चाहते हैं। हमें यही करना चाहिए उन्हें केवल प्रौद्योगिकी विज्ञान या औबाधि अथवा काई अन्य विषय पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका विकास करना है। उनके भीतर नैतिक मूल्यों और आदर्श की भावना का विकास करना है, देश के प्रति समर्पण की भावना, हमें जो संस्कृति के विरासत

मिली है उसका विकास करना है। इन सभी को एक सूत्र में पिरोना है। हम इन बातों को स्वतन्त्र रूप से नहीं कर सकते और परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि आज भारत में हमारी परम्पराएं हमारी विरासत, और संस्कृति है वह निष्क्रिय न रहे। हम प्रायः इस बात की चिन्ता करते हैं यह ऐसा नहीं है जैसा प्राचीन पुस्तक में कहा गया है। हमें आगे के कार्य में भी सोचना चाहिए। हमने विकास भी करना है। हमारी संस्कृति हमारी कला, हमारे संगीत और हमारे नृत्य की तरह रही है, हमारी संस्कृति वही है जैसा हमारा रहन-सहन है। यह हमारी कला है, यह हमारा संगीत है, यह हमारा नृत्य है, लेकिन इसमें पान चबाना भी शामिल है। इसमें वे सब बातें भी शामिल हैं जिन्हें हम गलत समझते हुए भी करते हैं। दीवालों को रंगना, सभी प्रकार के रंग···इत्यादि भी हमारी संस्कृति है। हमारा रहन सहन हमारी संस्कृति हैं और इसके कुछ पहलुओं को बदलना जरूरी है। संस्कृति जिस उच्च पहलू का आगे विकास किया जाना है उसे सामान्य भारतीय नागरिक तक पहुंचाना है। उसे आप जनता तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में एक छोटे से आर्ट आडिटोरियम, बन्द कमरे में सर्वोत्तम 'भरत नाटयम' कराने का कोई उपयोग नहीं है। महोदय इससे किसे लाभ होगा, इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इन सभी पहलुओं को मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत लाना चाहिए और इसलिए हमने अब तक का शायद सबसे अधिक धनराशि इन क्षेत्रों के लिए आंकलित की है। हमें उम्मीद है कि देश में प्राप्त आदानों से हम ऐसी नीति तैयार करने में सफल हो जायेंगे जिससे यह लक्ष्य उपलब्ध कर लिए जायेंगे।

अब हमारे एक दोस्त ने सदन में हो रही इस आलोचना के बारे में मुझे बताया है। कि हमने सरकारी क्षेत्र की अवहलेना की है (व्यवधान) मैं आंशिक रूप से अपने मित्र से सहमत हूं। परन्तु हमने इसकी अवहलेना नहीं की हैं। हां, पूर्व के कुछ राज्यों की अवहलेना की गयी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमलदत्त, क्या आपने इसे सुना ?

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं बहुत गम्भीर हूं। मैंने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार हम सरकारी क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए सबसे अधिक धनराशि आबंटित की गई है जितनी इससे पहले कभी नहीं की गयी थी। महोदय, जब हम गैर सरकारी क्षेत्र की चर्चा करते हैं; तो हमारे जो दोस्त, गैर सरकारी क्षेत्र में रुचि रखते हैं वे गैर सरकारी क्षेत्र की चर्चा करते हैं। वह बड़े उद्योगपति नहीं हैं, वह गैर-सरकारी क्षेत्र का बहुत कम प्रतिशत हैं, गैर सरकारी क्षेत्र में भारी संख्या छोटे किसानों की है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और यदि आप सरकारी क्षेत्र और छोटे किसानों को जोड़ना चाहते हैं तो यह हमारे पूंजी निवेश का बहुत बड़ा भाग होगा। उनके गैर सरकारी क्षेत्र में होने के कारण आप उन पर केवल लगाना पसन्द नहीं करेंगे। लेकिन तथ्य यह है कि छोटा किसान गैर सरकारी क्षेत्र में आता है। और यदि आप इसे पसन्द नहीं करते हैं तो आप पश्चिम बंगाल में इसका राष्ट्रीकरण करने का यत्न कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम कोई योजना नहीं बना सकते हैं। जब हम दिल्ली आते हैं तो जो सर्वोत्तम होता है वह करते हैं (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि वे 91वीं योजना तैयार करें, । महोदय जैसा कि मैंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र को अब तक की सर्वाधिक धन-राशि आवंटित की गई है। एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में सरकारी क्षेत्र हमारे विकास की कुंजी है। यह भारतीय उद्योग के लिए पथप्रदर्शक है और आज भी औद्योगीकरण की आगामी पीढ़ी में भारतीय उद्योग को ले जाने के लिए यह पथ प्रदर्शक बनेगा।

6.00 म० प०

हमने कई मायनों में औद्योगिक विकास का एक चक्र पूरा कर लिया है। अब हमें एक और अधिक संवेदनशील चक्र पूरा करना होगा जिसमें गुणवत्ता, उत्पादकता और कुशलता को महत्व दिया जाए। जब कभी कोई उद्योग अक्षम बन जाता है, तो उसकी लागत पर आने वाला खर्च गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बलि चढ़ा कर पूरा किया जाता है। यदि सरकारी क्षेत्र किसी उद्योग को सौ करोड़ का घाटा होता है, तो किसी अन्य उत्पादक कार्यक्रम से सौ करोड़ कम कर दिये जाते हैं। इस तरह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से सौ करोड़ कम हो जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटा उठाने के लिए नहीं है । यह मजदूरों के लिए कोई सामाजिक उपाय नहीं हैं । हमें यह समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम दो हजार श्रमिकों अथवा कर्मचारियों को रोजगार दिलाये रखने हेतु किसी संयंत्र को चालू रखने पर सैकड़ों करोड़ खर्च करते हैं, ऐसे किसी संयंत्र पर, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, कोई धन बरबाद किये बिना हम उन्हें अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। हमें इस आधारभूत तथ्य को समझना चाहिए। यह आसान नहीं है परन्तु हमें यहां इसलिए नहीं भेजे जा रहे हैं कि हम लोगों, जो बहुत गरीब हैं, के धन का अपव्यय करें और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ये अभी सफेद हाथी बने रहे हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : अब तक आप पर बिल्कुल यही आरोप लगाते रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप अब इसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : वास्तव में मैं पिछले सत्र में जब कुछ माननीय सदस्य मुझे से मिले तब उनके द्वारा किये गये अनुरोध के बारे में कह रहा था कि उनके कुछ उद्योगों का राष्ट्रीय-करण किया जाए।

श्री अमल दत्त : पुन सभी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है । आपकी प्रबन्ध व्यवस्था अकुशल होने के कारण ही आज वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कुप्रबन्ध के कारण सभी संस्थान रुग्ण होते जा रहे हैं, उदाहरण के लिये हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनीड लिमिटेड को लीजिये।

श्री अमल दत्त : आप के इस्पात उद्योग की स्थिति क्या है ? आप करोड़ा रुपये का घाटा उठा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इस तरह की रुग्णता किसी विशेष क्षेत्र में दिखाई देती है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि उनका कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप अपने सरकारी क्षेत्र को इतना बुरा क्यों मानते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है और यह आप की जिम्मेदारी है । आप नहीं कह सकते कि इनका कार्य-निष्पादन ठीक नहीं है, इसलिये इसे छोड़ दिय जाये । इसे दक्ष बनाइये ।

श्री राजीव गांधी : हमारे पास बहुत साधन होना चाहिये, जो हम पश्चिम बंगाल को इस क्षेत्र को बनाये रखने के लिये देते रहते हैं । हम ग्लुकोज इन्जेक्शन का एक बड़ा क्रेट आपके पास भेज देंगे ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रत्येक को उसकी देय राशि मिलनी चाहिये ।

श्री राजीव गांधी : कभी-कभी हम जिसको जो देना चाहिए, उसे देते हैं, जैसाकि हमने पिछली योजना में किया । मैं इस समय केवल पिछली योजना की बात कर सकता हूं । एक विशेष राज्य को बिजली के लिए बहुत अधिक आबंटन किया गया । उन्होंने शिकायत की कि बिजली की कमी है और उसका बहुत उत्पादन हो रहा है । मैं जानता हूं कि उस विशेष राज्य ने छठी योजना में लगभग हजारों करोड़ रुपये खर्च नहीं किये क्योंकि उन्होंने इसका बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया ।

श्री अमल दत्त : क्या आप समझते हैं कि पैसा था और उसे खर्च नहीं किया गया ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं इस संदर्भ में कुछ स्पस्टीकारण चाहूंगा । क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ । क्योंकि माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने यह प्रश्न पूछा ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इतने संकीर्ण क्यों होते हैं, जो समझते है कि हम केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ही प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री राजीव गांधी : मैंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया । माननीय सदस्य ने महसूस किया कि वहां पर ऐसा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान बाधा मत डालिये । कृपया उत्तेजित न होइये ।

श्री अमल दत्त : गत वर्ष आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल को 300 करोड़ रुपये नहीं दिये गये, कृपया उसे मत भूलिये ।

श्री राजीव गांधी : यही कारण है कि कुल राज्यों ने 300 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट लिया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : खड़े हुए—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, : श्री चौधरी—मैं अनुमति नहीं देता। मैं बहुत ही उदार रहा हूं अब अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री अमल दत्त : मैं हर बार प्रधान मंत्री जी की बात नहीं काटना चाहता। परंतु मैं केवल इतना चाहता हू कि वे कुछ कहने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। दुर्भाग्यवश मैं प्रधान मंत्री द्वारा कुछ कहे जाने और अनभिज्ञता प्रकट किये जाने की सराहना नहीं कर सकता।

श्री राजीव गांधी : मुझे दुःख है कि मैं कुछ कहता हूं और उनकी अनभिज्ञता प्रकट कर देता हू।

श्री अमल दत्त : यह हमारी अनभिज्ञता नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये। सवाल यह नहीं है। पैसा था ही नहीं। और यदि क्या पैसा नहीं था, तो यह उनका दोष है। जब हमने 3000 करोड़ रुपये मांगे हमें एकदम इन्कार कर दिया गया।

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ कमी के बारे में कह रहे है। मैं किसी विशेष राज्य के बारे में नहीं कह रहा था।

श्री अमल दत्त : आप पश्चिम बंगाल का उल्लेख कर रहे थे।

श्री राजीव गांधी : स्पष्ट है कि उन्हें कुछ जानकारी है जो मुझे नहीं है।

श्री अमल दत्त : हम संसद सदस्य हैं। हमें जानने का अधिकार है। हम राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। आप बता सकते हैं कि आप किस राज्य के बारे मे कह रहे हैं। संसद में अस्पष्ट बयान देना कोई ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते हुए बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। आप अपनी उग्रता में बह जाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। क्या आप अब थके नहीं ? हम इसे कहां तक चलने दे सकते हैं ? यह क्या हो रहा है ? इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव गांधी : यदि माननीय सदस्य शांत हो गये हैं, तो आपकी अनुमति से मैं अपना वक्तव्य जारी रखूं।

अध्यक्ष महोदय : अमल जी के साथ समस्या यह है कि वह हमेशा जोश में बह जाते हैं।

श्री राजीव गांधी : हमारा मुख्य ध्येय जैसा कि मैंने कहा है गरीबी दूर करना है। गरीबी दूर करने के लिये हमें जहां एक तरफ बड़ी परियोजनाएं कियान्वित करनी हैं, जो उत्पादक हों और अधिक उत्पादकता के माध्यम से धन पैदा करेंगे, जिसे हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर लगायें और उसका कुछ अंश उत्पादक कार्यक्रमों में पुनः लगायें। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बहुत ही सफल रहे हैं। हमने उन्हें मजबूत किया है और जहां हमने महसूस किया कि उनमें कुछ कमियां हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन भी किया है। हम आशा करते हैं कि सातवीं योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा विकास संबंधी अन्य परियोजनाओं से हमारा गरीबी स्तर सातवीं योजना के अन्त तक घटकर 25 प्रतिशत जायेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत बड़ी बात होगी।

श्री राजीव गांधी : आप ने देखा होगा कि गरीबी की रेखा के नीचे आने से सभा का एक भाग खुश है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कैसे कहते हैं ? मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। इसमें क्या गलत है ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभा का दूसरा भाग गरीबी रेखा के ऊपर जाने के लिये जिम्मेदार है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : गरीबी रेखा के नीचे जाने आदि के सम्बन्ध में उनके आंकड़ों पर हम कदापि ही विश्वास कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधान मंत्री जी ने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया है।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : इस योजना में हमने अब तक सब से अधिक श्रमिक दिन पैदा किये हैं। हमारा अनुमान है कि इस योजना के दौरान 400 लाख नौकरियां बनाई जायेंगी।

श्री अमल दत्त : ये सब अनुमान ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इससे आप को आघात पहुंचता है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या आप जानते हैं कि गरीबी दूर होने से कुछ लोग दुखी हैं नौकरियों के अवसर पैदा होने से कुछ लोगों को दुख होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं ?

श्री अमल दत्त : केवल हम लोग ही आप की सहायता करेंगे। दूसरी तरफ के लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसे सद्भावना से देखिए।

श्री अमल दत्त : आपसे पूर्व के प्रधान मंत्री ने इस बात को तब महसूस किया जब हमने उनकी सहायता की।

प्रो० एम० जी० रंगा : आप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभकारी बनाकर सहायता कर सकते हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं वह स्वीकार करूंगा। मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं। हम आज उनकी वजह से ही यहां आ सके हैं। उन्होंने देश को दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं। यही धारणा है कि देश ने हमें चुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभवत: हमारी सबसे बड़ी समस्या सातवीं योजना को पूरा करने के लिए साधन जुटाना होगा और हमें इस पर केवल अधिक साधन जुटाने की दृष्टि से, जिसके लिए हमें भरसक प्रयास करना ही है, विचार करना बल्कि वह भी देखना चाहिए कि हम अपने साधनों का किस प्रकार अधिक कुशालता से उपयोग कर सकते हैं, चाहें वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे कोई उद्योग विशेष हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, कुशलता का पहलू सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि लोगों की विकास की अपेक्षा को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों का अधिमतम उपयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए हम सब में दृढ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि इस कार्य में विपक्ष के भी कुछ सदस्य हमारी सहायता करेंगे। हमने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा निष्ठावान बनना पड़ेगा, देश के प्रति, अपने मूलभूत मूल्यों के प्रति कुछ प्रतिबद्धता रखनी होगी, हमने अपने लिए जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने के लिए कुछ निस्वार्थ भाव अपनाना पड़ेगा। यह केवल एक वर्ग अथवा दूसरे वर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह कार्य हम सब को मिलकर करना है। यह एक सहकारी प्रयास होना चाहिए, न केवल इस सदन के भीतर बल्कि इसमें देश के 74 करोड़ 60 लाख लोगों को साथ लेना होगा। इसके लिए हमें कुछ बलिदान करना पड़ेगा और भारत के प्रति, गांधी जी के शब्दों में स्वदेशी के प्रति कुछ निष्ठा व्यक्त करनी होगी, बचनबद्धता निभानी होगी। स्वदेशी के मायने आज काफी बदल गए हैं। अब यह केवल उन एक या दो उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, जो 40 वर्ष पूर्व स्वदेशी थे। वह हमारे विकास का एक अंग है। परन्तु मूलभूत आवाज, जो गांधी जी ने स्वदेशी के लिए उठाई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बात हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर ही हमारी योजनाओं को अपेक्षित सफलता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे। श्री सुरेश कुरुप।

श्री सुरेश कुरुप : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री वी० सोमसुन्दरेश्वर राव (विजयवाड़ा) : प्रधान मंत्री ने कृषि के बारे में आंकड़ों मूल्यों के सिवाए अन्य बहुत सी बातें कही हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : भूमि सुधार मूल बात है। उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख हुआ है।

आधे घंटे की चर्चा

कपास की विकल सिंकी को रोकने के उपाय

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : हम एक घंटा अधिक बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हम एक या दो घंटे अधिक बैठ सकते हैं।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : सभी सदस्य बाहर जा रहे हैं और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका काम मैं कर रहा हूं। हर समय मैं आपकी बात भी सुनता रहता हूं। क्या वे श्री कुरुप से इतना डरते हैं ?

श्री सुरेश कुरुप : महोदय कपास के मूल्य में गिरावट पर इस सदन में पहले ही चर्चा हो चुकी है। इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी था, एक प्रश्न भी पूछा गया था और हर बार मंत्री महोदय ने कहा...

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मैं तो आपका आभारी हूं।

श्री सुरेश कुरुप : हर बार मंत्री महोदय यह कहते रहे हैं कि इन सभी समस्याओं पर गौर किया जाएगा तथा किसान को उचित मूल्य दिलाने के लिए उपाय किए जाएंगे।

अब मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि कृपया ऐसे आश्वासन मत दीजिए क्योंकि रंगाजी, हर बार मंत्री महोदय जब भी सभा में यह आश्वासन देते हैं कि चाहे कपास, नारियल अथवा कोई अन्य उत्पाद हो, किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाएगा, तब ही अगले क्षण कीमतें गिर जाती हैं। इसीलिए मेरा यह नम्र निवेदन है।

गत वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई थी। इस वर्ष भी वैसी ही स्थिति है। यह किसानों के लिए प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। परन्तु इससे किसानों को कुछ भी छूट नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी फसल होने के कारण कीमतों में तेजी से कमी आ रही है। यह बहुत दयनीय स्थिति है क्योंकि सरकार किसानों की सहायता के लिए कुछ नहीं कर रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा : पर्याप्त उपाय नहीं कर रही है।

श्री सुरेश कुरुप : काफी आलोचना के बाद अंततः काफी अनिच्छा से कपास निगम कपास की खरीद के लिए आगे आया है जैसेकि यह उसका कार्य न हो और यह ऐसा करके किसानों पर कोई अहसान कर रहा है। निगम को यह कपास 555 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदनी चाहिए। यहां तक कि देश के विभिन्न भागों में किसानों को यह मूल्य भी नहीं मिल रहा है। वे कम से कम यह समर्थन मूल्य पाने के हकदार तो हैं ही जो सरकार ने कपास के लिए घोषित किया है। विभिन्न भागों में यह देखा गया है कि उन्हें यह मूल्य नहीं मिल रहा है। इस माह और अगले माह बाजार में अधिक कपास आने वाली है। इस बात की पूरी संभावना है कि इससे मूल्यों में पुनः कमी आयेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वो कमसे कम 'भविष्य में मूल्यों में और कमी न होने देने के लिए तुरंत कदम उठाएं'।

प्रो० एन० जी० रंगा : और यह भी देखें कि अधिकारीगण किसानों के साथ ईमानदारी से पेश आएं।

श्री सुरेश कुरुप : यदि आप इस ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि कपास के मामले में अनेक समस्याएं वास्तव में सरकार की नकारात्मक नीतियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। फसल का आकलन करने के लिए सरकार के पास एक सक्षम तंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए गत वर्ष इस व्यापार से सम्बन्ध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा था कि बहुत अच्छी फसल होगी। सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल नकारात्मक था। जब आखिरकार मूल्य कम हो गए, तो सरकार ने कुछ उपाय किए। सत जनवरी में सरकार ने निर्यात के लिए कपास की एक लाख गांठें जारी की। उससे मूल्यों में आ रही कमी को रोकना संभव नहीं था। फिर निर्यात के लिए पुनः मार्च में एक लाख गांठें जारी की गईं। इसके बाद एक लाख गांठें फिर जारी की गईं। देरी होने के कारण बाजार में ये सभी तीन लाख गांठें बेची नहीं जा सकीं।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कम से कम कपास के मामले में हमारी एक व्यापक व्यापार नीति होनी चाहिए। ऐसे समय में पाकिस्तान से कपास आयात करने की क्या आवश्यकता थी ? कपास उत्पादक राज्य, विशेषकर पंजाब सरकार, के विशेष अनुरोध के विरुद्ध सरकार ने पाकिस्तान से कपास का आयात किया और उसे बाजार में रखा। मुझे नहीं पता ऐसा करने के क्या कारण थे। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए। सरकार की नई वस्त्र नीति भी अपना प्रभाव दिखा रही है। इसमें मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे पर दिया गया बल और कपास का बहिष्कार किए जाने की नीति मूल्य स्थिति पर अपना प्रभाव दिखा रही है।

अंत में समर्थन मूल्य की इस नीति में जिस बात पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि सरकार को किसानों को छूट देनी चाहिए और इसकी जल्दी ही घोषणा करनी चाहिए। आखिरकार कीमतें गिर गईं और विभिन्न वर्गों द्वारा की गई कड़ी आलोचना के बाद सरकार ने बड़ी आनाकानी के बाद यह समर्थन मूल्य घोषित किया है। उन्हें कम से कम, जितनी जल्दी संभव हो सके, अपनी नीतियां तैयार करनी चाहिए। यही कुछ मुद्दे हैं, जो मैं रखना चाहता हूं और इन सभी मुद्दों पर पहले चर्चा हो चुकी है। जैसाकि मैंने पहले कहा, मंत्री महोदय आश्वासन देंगे और कल आप देखेंगे कि मूल्य कम हो रहे हैं—यह पक्की बात है कि मूल्यों में कमी होगी। ऐसा चलता रहेगा। मेरा सरकार की नीति में कोई विश्वास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसी बात है तो मुझे इस चर्चा की अनुमति नहीं देना। मैं तो चाहता हूं कि इससे विपरीत स्थिति हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि सदन में जो भी आश्वासन दिया जाता है हम सदा उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं और जहां तक कपास के मूल्यों का प्रश्न है सामान्यतः इन मूल्यों की घोषणा प्रति वर्ष नवम्बर के महीने में की जाती है, जैसाकि माननीय सदस्यों ने देखा भी होगा।

इस वर्ष भी इसकी 20 नवम्बर को घोषणा की गई थी। घोषणा के एकदम बाद कपास-निगम ने कार्यवाही शुरु कर दी और हर कपास उत्पादक राज्य में जाकर कपास खरीदनी शुरु कर दी थी।

ब्यौरा देने से पहले मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने न केवल इस वर्ष निर्यात के लिए कपास की 5 लाख गांठें सुरक्षित रखी हैं बल्कि हम यह भी विचार कर रहे हैं कि हम कुछ सूत का निर्यात करने में भी सफल होंगे तथा हम इसका निर्यात करने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि यदि हम सूत का निर्यात करेंगे तो इस निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि होगी और इससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

जहां तक कपास की वसूली का सम्बन्ध है मैं वर्ष 1985-86 की तुलना में 16 दिसम्बर, 1985 तक के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। वर्ष 1984 में पंजाब में 31,658 गांठें कपास की वसूली की गई जबकि इस वर्ष 56,700 गांठों की वसूली की गई है। हरयाणा में पिछले वर्ष 17,911 गांठों की वसूली की गई जबकि इस वर्ष 36,785 गांठों की वसूली की गई है। राजस्थान में पिछले वर्ष यह संख्या 30,753 गांठ थी और इस वर्ष की संख्या 49,771 गांठ है। गुजरात में पिछले वर्ष यह संख्या 9,546 गांठें थी और इस वर्ष 32,113 गांठ हैं। मध्य प्रदेश के पिछले वर्ष यह 25,994 थी और इस वर्ष 15,457 है। आन्ध्र प्रदेश में पिछले वर्ष 10,488 गांठों की वसूली की गई जबकि इस वर्ष 80,436 गांठों की वसूली की गई है। कर्नाटक में पिछले वर्ष 2,850 गांठों की वसूली की गई और इस वर्ष 12000 गांठों की वसूली

की गई है। इस प्रकार से पिछले वर्ष कुल खरीद 1,30,023 गांठ थी और इस वर्ष 16 दिसम्बर, 1985 तक 2,76,760 गांठें खरीदी जा चुकी हैं। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात जो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा वह यह है कि कपास निगम को निर्देश दिया गया है कि वे केन्द्र में अन्तिम खेप पहुंचने तक आन्ध्र प्रदेश या कपास उत्पादक अन्य राज्यों समेत किसी भी राज्य में वसूली का काम जारी रखा जाए हम इसकी वसूली जारी रखेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : अन्तिम रिपोर्ट क्या है ? क्या वह वास्तव में ऐसा कर रहे हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : वह वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। और उसके लिए मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि पंजाब में 20 केन्द्र यह कार्य कर रहे हैं, हरियाणा में 12, राजस्थान में 27, गुजरात में 18, राजकोट में 5, मध्य प्रदेश में 26, तमिलनाडु में 16, आन्ध्र प्रदेश में 29, कर्नाटक में 16 और केरल में 3 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम गुजरात में 5, राजकोट में 11 तथा आन्ध्र प्रदेश में 15 केन्द्र और खोलने का विचार कर रहे हैं। इस प्रकार पहले से काम कर रहे 173 केन्द्रों में 35 केन्द्र और बढ़े।

माननीय सदस्य ने पाकिस्तान से कपास के आयात करने पर आपत्ति की है। पाकिस्तान से मीडियम स्टैपल कपास, जिसकी लम्बाई देश में कम है, की 75,000 गांठें आयात की गई हैं। इस वर्ष एक भी गांठ आयात नहीं की गई और न ही आयात करने का इरादा है।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अकेले आन्ध्र प्रदेश से ही पिछले मौसम में खरीदी गई 10,488 गांठों की तुलना में 16 दिसम्बर, 1985 तक कपास की 80,436 गांठों की खरीद की गई। भारतीय कपास निगम आन्ध्र प्रदेश में जितनी भी कपास आ रही है सारी की सारी खरीद रहा है और यह खरीद अन्तिम खेप तक जारी रखेगा, वह-सही है कि यह समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदी जा रही है। समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। समर्थन मूल्य की घोषणा करने से पहले उत्पादन में आई लागत तथा अन्य सभी चीजों पर विचार किया जाता है। एक दल ने भी आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया था। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और भारतीय कपास निगम के अधिकारियों का यह दल यह देखने के लिए कि उचित व्यवस्था हो गई है गांव-गांव में गए। मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय कपास निगम आन्ध्र प्रदेश में सभी कुछ कर रहा है। परन्तु आन्ध्र प्रदेश फैडरेशन एक बिनटल भी कपास क्यों नहीं खरीद रहा है ?

श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाडा) : वहां पहले से ही भारतीय कपास निगम जो है। उन्हें ही खरीदना पड़ेगा। गुंटूर विपणन केन्द्र (यार्ड) में डेढ़ लाख क्विंटल कपास पूरी तरह से पानी में डूब गया।

श्री खुर्शीद आलम खां : आपका फैडरेशन वहां क्या कर रहा है ? भारतीय कपास निगम कपास खरीदने के लिए किसी प्रकार की रुकावट या कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहा है।

वास्तव में भारतीय कपास निगम शुरू में पिछले वर्ष खरीदी गई कपास की 7 लाख गांठों की तुलना में केवल 15 लाख गांठें खरीदने का विचार कर रहा था। परन्तु हमने उन्हें निर्देश दिए हैं कि केन्द्र में अन्तिम खेप पहुंचने तक खरीद जारी रखी जाए।

कृषि मन्त्रालय के अनुसार समर्थन मूल्य लाभकारी है और इसीलिए हम कृषि मन्त्रालय द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहे हैं।

एक और आरोप था कि आन्ध्र प्रदेश में भारतीय कपास निगम, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कपास खरीद रहा है। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हम समर्थन मूल्य पर ही कपास खरीदने पर दृढ हैं। परन्तु, जो कपास खराब हो गई है और कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाए गए स्तर की नहीं है, वहां कमी करनी पड़ती हैं। आप किसी ऐसे मामलों का उदाहरण दीजिए जहां समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जब कपास कमिशन एजेन्टों के माध्यम से खरीदी जाती है तो वे न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। परन्तु जब यह सीधे किसानों से खरीदी जाती है तो वे एक कटौति, दोहरी कटौती आदि लगाते हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : अब हम सीधे किसानों से खरीद रहे हैं। हम केन्द्र में अन्तिम खेप पहुंचने तक खरीदते जाएंगे। परन्तु आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था करने का करार किया गया था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : आपने उनसे क्या मांग की थी और उन्होंने क्या नहीं दिया है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मै आपको सूचित करता हूं कि उन्होंने कहा था कि विपणन समितियां तोलने की मशीनें तथा तराजू की व्यवस्था करेंगी ताकि तोलने का काम उसी दिन पूरा किया जा सके। विपणन समितियों ने यह कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं की है। जब तक विपणन केन्द्र में तोलने की सुविधाओं में सुधार नहीं हो जाता यह विचार किया गया कि तोलने का काम बिनौला निकालने के कारखानों में भी किया जाएगा परन्तु उन्होंने कहा, नहीं, आप यह बिनौला निकालने के कारखानों में नहीं कर सकते। वास्तव में, यह काम आसानी से बिनौला निकालने के कारखानों में किया जा सकता था। अच्छी किस्म की कपास लाने वाले उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए विपणन समितियां आई हुई समस्त कपास को एक साथ मिलाकर एक ही बोली में नीलाम करने की बजाय ढेरी की निलामी करेंगी। मिलाना उचित नहीं है क्योंकि इन्हें हर किस्म की कपास को अलग रखना पड़ता है ताकि यह अलग-अलग खरीदी जा सके। ऐसा नहीं किया गया है। भारतीय कपास निगम को विपणन केन्द्र में आई कपास में से प्रतिदिन कम से कम 20 क्विंटल कपास खरीदनी चाहिए। आई हुई समस्त कपास को भारतीय कपास निगम खरीद रहा है। एक दिन में जितनी भी कपास आती है वे उसे खरीद रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं की गई हैं। यह समस्त खरीद के बारे में है।

अब कपास का बजट इस प्रकार है। वर्ष 1985-86 में वर्ष 1984-85 (कपास मौसम) की 24.40 लाख गांठें बची पड़ी थी। उत्पादन 94 लाख गांठ हुआ। इस वर्ष उपलब्ध कपास की मात्रा में पाकिस्तान से आयात की गई कपास को मिलाकर 75,000 गांठ आयात की गई कपास भी जोड़ दी गई। उस समय उपलब्ध कपास की कुल मात्रा 119.15 लाख गांठें थी। इसमें से मिलों को खाप 87 लाख गांठें, अन्य को कपास 4.65 गांठें तथा निर्यात के लिए 1 लाख गांठें थी। इस प्रकार बची हुई 22.50 लाख गांठों को छोड़कर कुल मात्रा 96.65 लाख गांठ बनती है जो अगस्त से नवम्बर तक के तीन महीनों में, जिनमें कपास बाजार में नहीं आती इस्तेमाल की जाएगी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव : मैं थोड़ा सा स्पस्टीकरण चाहूंगा। क्या यह सच नहीं है कि भारतीय कपास निगम के पास आई प्रति कैंडी पसिवर्तन प्रभार लगभग 507 रुपए है, जबकि उत्पादक सहकारी समितियां अथवा विपणन फैडेरेशन जब कपास खरीदती हैं और उसे भारतीय कपास निगम को देती है तो भारतीय कपास निगम केवल 459 रुपए प्रति कैंडी देता है जिसके परिणाम-स्वरुप ये विपणन फैडेरेशन या कपास सहकारी समितियां भारी नुकसान उठा रही हैं। इसी कारण वे खरीदने में संकोच करती हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि जब भारतीय कपास निगम स्वय 707 रुपए खर्च कर रहा है तो उतनी ही राशि की अनुमति सहकारी समितियों को भी क्यों न दी जाए ताकि वे भी विपणन में भाग ले सकें तथा खरीद करें।

श्री खुर्शीद आलम खां : वास्तव में सहकारी समितियां विपणन में नहीं उतरी हैं और वे मूल्यों में गिरावट आने की प्रतीक्षा करती हैं। परन्तु हमने भारतीय कपास निगम को कह दिया है कि वे प्रत्यक केन्द्र से सीधा खरीदना शुरु कर दें ताकि मूल्यों में और अधिक गिरावट न आए।

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मेरा एक ही सवाल था। महाराष्ट्र मार्केटिंग कारपोरेशन ने 5 लाख बेल्स के निर्यात के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन उसको 2 लाख बेल्स की ही इजाजत दी गई। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी और कपास की कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादा एक्सपोर्ट करने में सरकार को क्या तकलीफ है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि अभी हमने 5 लाख बेल्स के लिए कह दिया है और अन्दाजा करने के बाद कि डामोस्टिक रिक्वायरमेंट्स से ज्यादा है, 5 लाख बेल्स तो क्या हम 7 लाख बेल्स तक कर देंगे और साथ ही हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा यार्न भी एक्सपोर्ट हो।

अध्यक्ष महोदय : आप भाव बढ़वा दीजिए चाहे कैसे ही बढ़वाएं।

[अनुवाद]

सभा अब कल 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा गुरूवार, 19 दिसम्बर, 1985/28 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।